राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] नवीं विधान सभा के षष्ठम् सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या 11

मंगलवार,

दिनांक 10 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल गरासिया। प्रश्न संख्या 246।

जोधपुर विश्वविद्यालय वनस्पति विभागाध्यक्ष द्वारा प्रकाशित शोध पुस्तिका

246. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण), **श्री शम्भूदयाल बड़गुर्जर** (केकड़ी) एवं **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर विश्वविद्यालय वनस्पति विभाग के अध्यक्ष डा. डेविड एन. सेन की शोध पत्रिकाएं जीओबीओस, न्यू रिपोर्ट्स, इण्डियन रिव्यू ऑफ लाइफ साइंसेज वनस्पति शास्त्र से सम्बन्धित हैं ?

(2) क्या उक्त पत्रिकाएं जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम व पते से प्रकाशित होती हैं ? क्या उक्त पत्रिकाओं के प्रकाशन में विश्वविद्यालय द्वारा मदद दी जाती है या उक्त पत्रिकाओं का सम्बन्ध विश्वविद्यालय से है ? यदि नहीं, तो विश्वविद्यालय के पते से इसका प्रकाशन कैसे किया जा रहा है ?

(3) क्या उक्त पत्रिकाओं के सम्बन्ध में व डा. डेविड एन सेन के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (डा. रतनलाल जाट) : (1) जी हां, जोधपुर विश्वविद्यालय वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर डा. डेविट एन. सेन द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिकाएं जीओबीओस, न्यू रिपोर्ट्स, इण्डियन रिव्यू आफ लाइफ साइंसेज वनस्पति शास्त्र से सम्बन्धित हैं।

(2) उक्त पत्रिकाएं जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम से प्रकाशित नहीं होती हैं। इनके पते निम्न हैं :—

(श्री रतनलाल जाट)

पत्रिका का नाम	प्रकाशन का नाम
जीओबीओस	जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर।
जीओबीओस न्यू रिपोर्ट्स	जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर।
इंडियन रिव्यू आफ लाइफ साइंसेज	वनस्पति शास्त्र विभाग, जोधपुर विश्व–विद्यालय, जोधपुर

उक्त पत्रिकाओं के प्रकाशन में विश्व–विद्यालय द्वारा किसी प्रकार की मदद नहीं दी जाती है। इन शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन का विश्वविद्यालय पर किसी प्रकार का आर्थिक भार न पड़ने की शर्त पर आरम्भ करने की स्वीकृति दिनांक 11.12.73 द्वारा जारी की गई थी। विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में भी इस तथ्य का उल्लेख किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में इन पत्रिकाओं के प्रकाशन का पता जोधपुर विश्व-विद्यालय अंकित किया जाना आपत्तिजनक नहीं माना गया है।

(3) डा. डेविड एन. सेन के विरुद्ध राज्य सरकार को पूर्व में शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के आधार पर इन शिकायतों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, वनस्पति शास्त्र के जो हैड हैं डा. डेविड, जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि विश्वविद्यालय का पता इसमें जरूर लिखा रहता है, आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी का नाम आगे रखकर के यह जो महोदय हैं, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से कई शोध-कर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा भी इससे अर्जित कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने जवाब में बताया कि उनकी शिकायत प्राप्त हुई थी लेकिन कोई ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हुआ। मैं प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि विश्व-विद्यालय के ये महोदय अपनी शोध पत्रि-काओं के द्वारा विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है और विश्वविद्यालय के नाम से इसके इन्फलूएंस का मिसयूज करके अपनी व्यक्तिगत अर्निंग का एक माध्यम बनाया है। मैं माननीय मंत्री महो-दय से जानना चाहूंगा कि ये कितनी पत्रि-काओं से विदेशी मुद्रा कमाते हैं, कितनी पत्रिकाएं निकलती हैं, आज तक क्या कोई इसका लेखा–जोखा रहा ?

डा. रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर डेविड जो जोधपुर विश्व-विद्यालय में बोटनी विभाग के हैड हैं, उनके द्वारा तीन पत्रिकाएं–जीओबीओस, जीओबीओस न्यू रिपोर्ट्स, इण्डियन रिव्यू आफ लाइफ साइंसेज 1974 में, 1981 में और 1982 में शुरू की गई थी। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन जर्नल्स के बारे में

(डा. रतनलाल जाट)

यूनिवर्सिटी के द्वारा माननीय प्रो. डा. डेविट को परमीशन दी गई थी, उनके अनुसार वाइस चांसलर ने जो आदेश दिये हैं 11.12.73 को "I am directed to convey the approvol of the Vice-Chancellor for the starting of Biology Research Journal in the Department of Botany without any financial liability to the University of Jodhpur".

मेरा निवेदन है कि प्रो. डा. डेविड ने यूनिवर्सिटी में ये जर्नल्स शुरू कर रखी है लेकिन यूनिवर्सिटी पर किसी प्रकार का कोई वित्तीय भार इसका नहीं है, इसके बारे में सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को शिकायत की थी, उसमें माननीय सदस्य ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है

"As per records of the University, no financial assistance was ever given to Prof. Dr. Sen to publish the 9th volume of the Indian Review of Life Sciences".

मेरा दूसरा निवेदन है कि इन जर्नल्स की वजह से यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से माननीय प्रोफेसर डा. डेविड को किसी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रखी है। जहां तक इन जर्नल्स पर यूनियर्सिटी का पता लिखने की बात है; विश्वविद्यालय के किसी रिसर्चर और किसी प्रोफेसर द्वारा किसी जर्नल पर पता लिखना किसी प्रकार से कानूनन गलत नहीं है। इसके साथ ही जो जानकारी विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है शिकायत के बाद, उसके आधार पर ये जर्नल "नो प्रोफिट नो लोस" के आधार पर प्रकाशित होती आई है। इसमें विश्वविद्यालय किसी प्रकार से संलग्न नहीं है। विश्वविद्यालय के जो दो मेन उद्देश्य हैं टीचिंग का और रिसर्च का। उस दृष्टिकोण से रिसर्च के महत्वपूर्ण उद्देश्य को इन इंटरनेशनल जर्नल्स के पब्लिकेशन्स से पूरा किया गया है। तीसरा मेरा निवेदन है, जहां तक इस जर्नल्स से प्राप्त होने वाली आय का सवाल है, विश्वविद्यालय से किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई, न ये यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशन्स हैं। इससे आने वाला पैसा स्वयं प्रो. डा. सेन द्वारा जर्नल के खाते में जमा कराया जाता रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय गरासिया जी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहा था कि यूनिवर्सिटी का पता लिख करके व्यक्ति को आर्थिक सहायता....

श्री अध्यक्ष : आपने इनका जवाब सुन लिया ? जवाब में यह बात आई है कि जर्नल "नो प्रोफिट नो लोस बैसिस" चल रही है। आप सुन लीजिये। इसमें कोई हानि नहीं है और कोई लाभ भी नहीं है। सुनिये पहले आप। इसलिए इसमें जो आप फोरेन एक्सचेंज की बात कर रहे थे, वह तो इसमें खतम हो जाती है। जहां तक सवाल है पता देने का तो आप कैसे रोकोगे ! वह

(श्री अध्यक्ष)

यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, वह अपना प्राइवेट पता भी देगा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : यूनिवर्सिटी इनकी कोई प्राइवेट प्रोपर्टी नहीं है। यूनिवर्सिटी एक स्वायत्तशासी है। उसका नाम आगे लिख करके अपना व्यक्तिगत फायदा उठाते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : कोई प्राइवेट प्रोपर्टी नहीं है। नहीं, नहीं, बैठिये। आप बिराजिये। श्री शम्भु दयाल बडगुर्जर (अनुपस्थित) श्री दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इन पत्रिकाओं के लिए शोध ग्रंथ लिखने वालों में प्रयोगशाला में कुछ छात्र भी हैं जिन्हें अन्य संस्थाओं से वेतन मिलता है ? मेरा दूसरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय जिन पत्रिकाओं के प्रकाशन की अनुमति देती है, जो विश्वविद्यालय के नाम से प्रकाशित होती है, उनका आय-व्यय का ब्यौरा विश्वविद्यालय को देना पड़ता है, जिसकी संदस्यता शुल्क नहीं होती है, जिसका मालिक स्वयं विश्वविद्यालय होता है। जबकि डाक्टर सेन द्वारा....

श्री अध्यक्ष : ये आप कितने प्रश्न कर रहे हैं ? आप एक सवाल पूछिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ....प्रकाशित शोध पत्रिकाओं से शुल्क विदेशी मुद्रा डालर और भारतीय मुद्रा में सदस्यों से प्राप्त होती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हो गया आपका सवाल। मंत्रीजी समझते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मुझे भी एक सवाल पूछना है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। पहले इनके जवाब आ जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जवाब आने के बाद मेरा सवाल सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : जो आप पूछ रहे हैं, वह मैं आपकी तरफ से पूछ लूंगा।

श्री रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने यूनिवर्सिटीज के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में रिसर्च के प्रोजेक्ट्स से और उसके तहत कार्य करने वाले शोधकर्ताओं के बारे में जो प्रश्न पूछा है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स सभी यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट बोडीज के माध्यम से मिलते रहते हैं और वे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो मिलते हैं उनका हिसाब-किताब वहीं के डिपार्टमेंट के माध्यम से वहीं रखा जाता है और प्रोफेसर डा. सेन का इसमें किसी तरह का कोई लेनदेन नहीं है। तीसरा, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन है कि प्रोफेसर डा. सेन ने इस बारे में जिलाधीश के माध्यम से रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर्स नई दिल्ली के यहां इसका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और प्रोफेसर डा. सेन केवल इसके एक्जीक्यूटिव एडिटर हैं, चीफ एडिटर इन जर्नल्स के अन्य प्रोफेसर्स विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट के हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री नत्थी सिंह। आपको अधिकार नहीं है। आपको दूसरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। जवाब संतोषप्रद है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमान् दवेजी, नहीं आया तो बिराज जाइये। नहीं आया तो नहीं आयेगा इसका जवाब। बैठिए अब आप। I am satisfied with the reply.

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा का सवाल है। आप इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, करोड़ों रुपयों का इसमें घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : श्री दवे, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। आप मेरी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, मुझे 10 सवाल लेने हैं। बोलिए श्री नत्थी सिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं। दोनों माननीय सदस्य विदेशी मुद्रा की बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं विदेशी मुद्रा अकाउन्ट फार होती है। यदि आपको जानकारी है कि विदेशी मुद्रा अकाउन्ट फार नहीं है, तो कृपया मुझे सूचना दें मैं भारत सरकार को इसकी जानकारी देकर जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थी सिंहजी।

भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक में प्रबन्ध संचालक का पदस्थापन

247. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर को छोड़कर राज्य के समस्त जिलों के सहकारी भूमि विकास बैंकों में अतिरिक्त कलक्टर स्तर के अधिकारी को प्रशासक लगाया गया है? यदि हां, तो भरतपुर के साथ फर्क क्यों?

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक में केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भरतपुर के प्रबन्ध संचालक प्रशासक नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत राजकीय अधिकारी को ही प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है और दूसरी संस्था में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारी इस श्रेणी में नहीं आता है? यदि हां, तो इस मामले में कानून की अवहेलना क्यों की गई है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रशासक ने भरतपुर सहकारी विकास बैंक के लक्ष्यों में कमी करने तथा लम्बित प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृत करने की कार्यवाही नहीं की है?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) :

(1) जी नहीं। भरतपुर के अतिरिक्त राज्य के कुछ अन्य जिलों के सहकारी भूमि विकास बैंकों में भी अतिरिक्त कलक्टर प्रशासक नहीं हैं जैसे चूरू, हनुमानगढ़, हिण्डौन, केकड़ी एवं प्रतापगढ़ भूमि विकास बैंक।

(2) जी हां। ऐसा प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है।

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

(3) जी हां। यदि कोई सरकारी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो भी वह सरकारी अधिकारी ही रहता है और इसलिए प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भी उसे सरकारी अधिकारी के नाते प्रशासक लगाया जा सकता है।

(4) यह सही है कि वर्तमान प्रशासक ने बैंक को वर्ष 1991–92 में आवंटित गैर योजना अंतर्गत ऋण एवं ट्रैक्टर हेतु ऋण के लक्ष्यों में कमी करने की कार्यवाही की है। गैर योजना अन्तर्गत ऋण वितरण के आवंटित लक्ष्य 20 लाख रुपये के स्थान पर 10 लाख रुपये वितरण का निर्णय प्रशासक द्वारा लिया गया जिसका मुख्य कारण गैर योजना अन्तर्गत ऋण में बैंक का लाभ के मार्जिन का अत्यधिक कम होना था।

योजना के अन्तर्गत 150 लाख रुपये के लक्ष्य में से 65 लाख रुपये ट्रैक्टर के लिए निर्धारित था। लघु व सीमान्त जोत के किसानों व अन्य कमजोर वर्गों को भीं ऋण देकर अधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ट्रैक्टर ऋण की निर्धारित राशि को 65 लाख से घटाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया। यह सही नहीं है कि प्रशासक द्वारा लंबित प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत करने की कार्यवाही नहीं की गई है। बैंक के प्रशासक के समक्ष कुल 129 पत्रावलियां स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुई जिनमें से 122 पत्रावलियां उनके द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं व शेष 7 पत्रावलियां जांच में हैं। परीक्षण पूरा होने पर उनमें भी गुणावगुण के आधार पर स्वीकृति देने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल नं. एक, क्योंकि आप 2 की ही अनुमति देंगे।

श्री अध्यक्ष : एक ही सवाल पूछिए फिर दुबारा पूछेंगे।

श्री नत्थी सिंह : दो सप्लीमेंटरी हैं। इसके दो भाग है इसलिए एक नियुक्ति का और एक कर्जे का।

श्री अध्यक्ष : एक सप्लीमेंटरी अभी कर लीजिए, दूसरा जवाब आने के बाद कर लीजिए।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने इसी विधान सभा में अमेण्डमेंट करके प्रावधान किया कि प्रशासक जो लगाये जायेंगे वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट होंगे, क्योंकि वो लोक सेवक होते हैं। क्या यह सही है कि अन्य सहकारी संस्था में प्रतिनियुक्ति में जो सरकारी अधिकारी जाते हैं उनके लिए हाई कोर्ट्स और सुप्रीमकोर्ट ने यह तय किया है कि ये लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आयेंगे, लैण्ड सर्विसेज और राजस्थान के सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 136 में है कि कौन-कौनसे अधिकारी लोक सेवक की परिभाषा में आयेंगे। उसमें प्रति नियुक्ति पर गए हुए अधिकारी शामिल नहीं हैं, तो क्या यह जो संशोधन कराया है गवर्नमेंट सर्वेन्ट जायं उसकी मंशा के विरुद्ध नियुक्त नहीं किए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राज्य सरकार के कर्मचारी प्रशासक पद पर लगाये जाते हैं लेकिन सरकारी

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

कर्मचारी वो सभी कर्मचारी होते हैं जो राज्य सरकार के नियंत्रण वाले पद और सेवाओं में नियुक्त होते हैं इसलिए हमने प्रतिनियुक्ति वाले भी....

श्री अध्यक्ष : इनका सवाल आपने समझ लिया ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : हां, मैं समझ गया।

श्री अध्यक्ष : तो उसी का जवाब दीजिए।

श्री चतुर्भुज वर्मा : ये यों कह रहे हैं कि प्रतिनियुक्ति पर कैसे एम. डी. को लगा दिया लेकिन मैंने इसलिए एम. डी. को प्रतिनियुक्ति पर लगाया, क्योंकि वह सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी है और जो....

श्री नत्थीसिंह : मेरा सवाल ही दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा कह रहे हैं, पहले आप सवाल सुन लीजिए। आप ऐसा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट प्रतिनियुक्ति पर लगाये जायेंगे वो लोग सेवक की संज्ञा में नहीं आयेंगे यह कोर्ट का फैसला है। तो जिनको आप लगाते हैं आपने अमेण्डमेंट करके लगाने का तय किया है, तो क्या उस अमेण्डमेंट का आप यहां उल्लंघन नहीं कर रहे हैं ? यह पूछ रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : नहीं, हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि चूरू, हिण्डौन और प्रतापगढ़ आदि में भी अतिरिक्त कलक्टर नहीं लगाए हैं और यह डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, सेवाओं के अंदर हैं, पद पर हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिए दूसरा।

श्री नत्थीसिंह : मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं आया है। अगर जवाब नहीं आया तो, मैं आधे घण्टे की चर्चा के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि इस तरह से सरकार बचकर चली जाय यह नहीं चलेगा। दूसरा सवाल मेरा है कि आपने यह कहा है ऋण के बारे में और पत्रावलियों को स्वीकृत करने के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि भरतपुर भूमि विकास बैंक पहली बार कई सालों में 65 पर्सेन्ट से ज्यादा वसूली करने के कारण असीमित ऋण क्षमता की श्रेणी में आया है और इसलिए यहां राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के जो प्रबन्ध संचालक हैं उनको लिखा कि यह काम मत करिए। यह भूमि विकास बैंक काफी वर्षों बाद असीमित ऋण क्षमता की श्रेणी में आया है अतः इसका लाभ उठाते हुए प्राथमिक बैंक की योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्योंकि 120 लाख का ऋण वितरण तो बढ़ेगा और इसमें 48 लाख ट्रेक्टर का है। उन्होंने कहा कि ट्रेक्टर का कम मत करिए तभी इसका लाभ मिलेगा और छोटे लोगों को मिलेगा, सहकारी विभाग ने कहा है। 20 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति के लिए आपके प्रशासक को लिखा है जो 20 दिन से पेण्डिंग है, जिसको न तो आपने स्वीकृत किया है और न आक्षेप के साथ लौटाया है। इस पर 20 दिन से

(श्री नत्थी सिंह)

कोई कार्यवाही नहीं की है उसका निष्पादन शीघ्र करें। यह दिनांक 17–2–92 को परियोजना निदेशक (मानिटरिंग), सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्र प्रशासक को है। जब 3 दिन में स्वीकृत होने का नियम है, यह सारी बात हो रही है, आप बचा क्यों रहे हैं ? आप उनको कसिए ताकि ठीक ढंग से काम करें। आप उनको बचा रहे हैं जो डेलीक्वेंट्स हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी कर्मचारी को नहीं बचा रहा हूं। एस. एल. डी. पी. का जो कर्मचारी होता है उसे यह निर्देश दिया हुआ है, लिखित नियम में नहीं है। भूमि विकास बैंक के अंदर योजना और गैर योजनान्तर्गत लोन मिलता है। गैर योजना अन्तर्गत 7.5 हजार देते हैं उसमें एक पैसा प्रोफिट नहीं मिलता। गैर योजना अन्तर्गत जितना पैसा देते हैं हमें उसका 2.75 से लेकर 4.5 पर्सेन्ट तक लाभांश मिलता है। इसलिए उसमें कम करके गरीब आदमी को बांटने के लिए कुछ पैसा हमने रखा था, नहीं तो केवल इने–गिने आदमी ले लेते हैं, साल भर तक कर्मचारी काम नहीं कर पाते एवं ऋण बांटकर लक्ष्य पूरा कर लिया जाता है। गरीब आदमी को कर्जा देने के लिए हमने पैसा रखा था।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी की आप कह रहे हैं, गरीब आदमी को कर्जा तभी मिलेगा जब 130 का टार्गेट पा लोगे। 130 का टार्गेट पाओगे जब 65 लाख ट्रैक्टर में देंगे। 96 लाख जो दिया है उसमें से 48 लाख ट्रैक्टर का है। 120 लाख की निर्धारित क्षमता पा लोगे तभी आपको 150 लाख मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा और गरीब रह जायेगा, आप इसको देखिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक तो प्रशंसा हुई कि भूमि विकास बैंक में ऋण वसूली बहुत अच्छी है और आपके मुंह से प्रशंसा हुई मुझे बहुत ही खुशी है।

श्री नत्थीसिंह : लेकिन खुशी के साथ उनको वंचित मत करिए।

श्री अध्यक्ष : इतनी क्रेडिट आप ले ही लो। आपको क्रेडिट मिल रही है मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : ये मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं, वहां पर डार्क जोन कर रखा है, सरकार ने भरतपुर को डार्क जोन कर रखा है। थोड़ा लोन मिलता है ट्यूब वैल का.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, भूमि विकास बैंक में कार्यरत श्री अमर सिंह और श्री आनन्दी किस पद पर कार्यरत हैं तथा इन्हें नियुक्ति किसने दी थी ? क्या ये कभी निलंबित किए गए थे ? यदि हां तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री हीरालाल आर्य : दूसरा मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, दूसरा प्रश्न नहीं होगा। बैठिए। दूसरा नहीं होगा।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न संबंधित तो नहीं है लेकिन....

श्री अध्यक्ष : इससे संबंधित नहीं है तो फिर बैठिए। नेक्स्ट श्री नारायण लाल मीणा।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : सवाल ही संबंधित नहीं है। यह सवाल भरतपुर से संबंधित नहीं है। वह भरतपुर का है क्या ?

श्री हीरालाल आर्य : इसी भूमि विकास बैंक बैंक का पूछ रहा हूं। मैं जो बैंक में कार्य कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : वह भरतपुर से संबंधित सवाल था। आप जो पूछ रहे है वह भरतपुर से संबंधित नहीं है। श्री नारायण लाल मीणा।

जाखम बांध की दांई व बांई मुख्य नहर से जल वितरण

248. **श्री नारायण लाल मीणा (लसाडिया) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जाखम बांध की दांई व बांयी मुख्य नहर में निर्धारित सीमा में पानी दिया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार पानी की सीमा बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या पारसोला, रातियाखाया एवं सायणीं गांवों को कमाण्ड में लिया गया है अथवा नहीं ? यदि लिया है, तो अब तक पानी नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) जाखम बांध थर्ड का निर्माण कार्य सरकार कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? तथा इससे कितना क्षेत्रफल लाभान्वित होगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) :

(1) जी हां। कुछ वितरिकाओं के अन्तिम छोर पर कार्य प्रगति पर हैं एवं उनके पूर्ण होने पर शेष बचे हुए क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी।

(2) जी हां। दांई मुख्य नहर की सीमा का विस्तार किया जा रहा है। यह कार्य वर्ष 1994–95 के वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) पारसोला की कुछ भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है और रातियाखाया (रातियाखेड़ी) एवं सायणीं (चारणी) की भूमि कमाण्ड क्षेत्र में नहीं है। पारसोला की जिस भूमि को सिंचित कमाण्ड क्षेत्र (सी. सी. ए.) में सम्मिलित किया गया है उसमें पानी दिया जा रहा है।

(4) जाखम बांध (तृतीय) परियोजना का सर्वेक्षण प्रगति पर है और उसके पूर्ण होने पर तकमीना केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करने के उपरान्त स्वीकृति मिलने पर ही इस पर कार्य कराना संभव हो सकेगा। इससे 6750 हैक्टेयर सी. सी. ए. में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

श्री नारायणलाल मीणा : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जाखम की दांई व बांयी मुख्य नहर की कुल सी.सी.ए कितनी है तथा नया सी. सी.ए. चरागाह वन विभाग की भूमि के अतिक्रमण से बनता है, क्या उसे कमाण्ड एरिया में लिया गया था ? यदि हां, तो मुख्य नहर व सिस्टम का इस आधार पर निर्माण किया गया ? यदि नहीं, तो उस निषिद्ध क्षेत्र के किसानों के खेत में पानी की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है ? प्रश्न पहला....

श्री अध्यक्ष : बस, दूसरा बाद में कर लीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक की मुख्य चिन्ता यह है कि ग्रोस कमाण्ड, जो कल्चरेबल एरिया पहले हुआ था प्रस्तावित, उसमें पारसोला पूरा, रातियाखाया और यह सायणीं गांव सम्मलित थे। उसके बाद में बांयी मुख्य नहर का जब निर्माण प्रारम्भ हुआ तो पारसोला से कुछ पहले से, चूंकि माननीय विधायक को सारी जानकारी दी जा चुकी है, तीसरा प्रश्न है, इसी प्रश्न के भाग में, उसमें यह जानकारी दी जा चुकी है, यह जो पारसोला की बांयी नहर बनना चालू हुई तो उसके बाद ढलाव आ गया और ढलाव आने के बाद नीचे की सतह पर चली गई और यह जो कमाण्ड एरिया करीब चार सौ, साढ़े चार सौ एकड़ का है, जो माननीय विधायक की चिन्ता का विषय है और मेरी भी चिन्ता का विषय है, उसमें पानी देने की स्थिति नहीं रही, क्योंकि उनका लेवल तीन मीटर ऊंचा है और अगर ओरिजिनल प्लान के हिसाब से बढ़ाते हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2.3 किलोमीटर लम्बा एक एक्वेडेट बनाना पड़ता है और उस पर जो खर्चा आता वह इतना अधिक था कि उसके कारण 83,300 रुपये प्रति हैक्टेयर की लागत होती जबकि इस योजना की लागत 29,780 हैक्टेयर की है। अब यह एक स्थिति है तो वह बांध बन गया जो तो बन गया। अब इनकी जो चिन्ता का विषय है, वह यह है कि जो कमाण्ड एरिया बाकी रह गया, उसके बारे में सरकार विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा पूछिये।

श्री नारायण लाल मीणा : प्रश्न नम्बर जो फर्स्ट पूछा, उसमें से तीसरे नम्बर का जवाब दिया, फर्स्ट में तो उस क्षेत्र में वन विभाग और सारे उसमें, कमाण्ड में अब, पानी कितना ले रहे हैं, क्या उस क्षेत्र से जोड़ने का सरकार विचार रखती है या नहीं रखती है ? जब टेल में पानी नहीं पहुंच रहा है, परेशानी है, उसके लिए क्या विचार रखती है, यह पूछने का था।

श्री कैलाश मेघवाल : वन विभाग वाले जो पानी ले रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग की सूचना मैंने एकत्र नहीं करवायी है और अगर माननीय विधायक यह सूचना दे रहे हैं कि वन विभाग वाले जो यहां से पानी ले रहे हैं तो वह सूचना एकत्र करके मैं माननीय विधायक को सूचित कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्षजी, जो प्रश्न संख्या दो है उसमें पानी की सीमा बढ़ाये जाने का

(श्री रामकिशोर सैनी)

लिखा है जबकि बांई मुख्य नहर की पण्डावा वितरिका आर.डी. 118 के बाद बंद कर दी गई है। आगे पन्द्रह लाख का काम हो चुका है सी.डी. वर्क्स और अन्य वर्क्स में, उसको आगे बढ़ाने का क्या मंत्री महोदय विचार करते हैं और वह कब तक आरम्भ करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। पहले श्री गरासियाजी, एक मिनट।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि यह जन-जाति क्षेत्र में जन जाति हैड में इरिगेशन में जो बांध बना है, जो पर्टीकुलर जाखम के के लिए बता रहे हैं कि योजना दो–तीन साल की बनाई है, मैं उनसे आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इस योजना को लिमिट समय में पूरा करके क्या जन जाति क्षेत्र को लाभान्वित करने का इरादा रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। आप पूछिये।

श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या जाखम बांध से लिफ्ट द्वारा पानी प्रतापगढ़ तहसील को सिंचाई हेतु देना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे शीघ्र प्रारम्भ करने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष : अब जबाब, मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय श्री चुन्नीलालजी गरासिया ने जो सवाल पूछा है वह मेरा ऐसा ख्याल है कि थर्ड स्टेज के बारे में इनका सवाल है और थर्ड स्टेज में चूंकि यह जो बांध बना है उसके बाद भी पानी हमारे पास ज्यादा है तो उसको उपयोग में लिया जा सकता है। उस दृष्टि से थर्ड परियोजना की हमने सर्वे प्रारम्भ करवा दी है। आरम्भ करवाने के बाद यह केन्द्रीय जल आयोग को जायेगी, वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही इसको प्रारम्भ किया जा सकेगा और इससे जैसा मैं खण्ड चार में बता चुका हूं, वह स्थिति बनती है। माननीय विधायक ने जो पूछा है, प्रतापगढ़ के बारे में अभी तक इस योजना में लिफ्ट करके पानी देने की कोई योजना नहीं है और एक्सटेंशन वर्क के बारे में जो पूछा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बांई नहर का कमाण्ड एरिया कम हुआ और उस कमाण्ड एरिया के कम होने की वजह से दांई नहर की ओर हमने कमाण्ड एरिया बढ़ाया है और उस कमाण्ड एरिया को बढ़ाकर वर्तमान में कोटड़ी माइनर, पण्डावा माइनर और बोरिया माइनर का काम चालू है और चूंकि उधर कमाण्ड एरिया कम हुआ है, माननीय विधायक जिस जमीन की चिन्ता कर रहे थे, वह भी है और दूसरी भी है, तो उस पानी को हम इसकी सीमा बढ़ा कर के इधर उपयोग में लेने की हमारे तीन माइनर काम अभी चालू है और उसके बाद वितरिकाएं भी निर्माण कर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

जिला पाली में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

249. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली ज़िले में जनवरी, 1991 से अब तक दैनिक वस्तुओं अर्थात गेहूं, चावल, दालें, तेल, घी, चाय एवं मिट्टी के तेल के मूल्यों में कितनी बढ़ोतरी हुई और उसका प्रतिशत कितना रहा ? वस्तुवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये और इसमें कितनी सफलता मिली ?

(3) क्या पाली जिला के रसद अधिकारी द्वारा जनवरी, 1991 से अब तक जिले के व्यापारियों के गोदाम इत्यादि का आकस्मिक निरीक्षण किया गया ?

यदि हां, तो कितनी बार तथा किन व्यापारियों के गोदामों में अनियमितताएं पाई गई तथा उनके विरुद्ध प्रशासन ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री राम किशोर मीणा) : (1) पाली जिले में जनवरी, 1991 से अब तक दैनिक वस्तुओं— गेहूं, चावल, दालें, तेल, घी, वनस्पति घी, चाय एवं मिट्टी के तेल के मूल्यों में जितनी बढ़ोतरी हुई और उसका जो प्रतिशत रहा, उसका वस्तुवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए निम्न प्रयास किये गये हैं :—

1. राज्य में प्रचलित आदेशों के प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना कराने के निर्देश जारी किये गये।

2. आवश्यक वस्तुओं का अतिरिक्त कोटा केन्द्र सरकार से प्राप्त करने को लिखा गया।

3. गेहूं की स्टाक सीमायें घटाई गई।

4. फ्री सेल गेहूं का आवंटन प्राप्त किया जाकर वितरण कराया गया।

5. चावल की स्टाक सीमा संबंधी प्रतिबन्ध लागू किये गये।

6. सस्ती चाय, साबुन, माचिस उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

राज्य सरकार के इन प्रयासों से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अपेक्षाकृत वृद्धि पर रोक लगी है। चना, दाल एवं मिट्टी के तेल के मूल्यों में कमी आई है तथा घी, वनस्पति घी व चाय के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है।

(3) जी हां। जनवरी, 1991 से अब तक जिला रसद अधिकारी द्वारा जिले के 11 व्यापारियों के अचानक निरीक्षण किये गये। इसके दौरान मैं. पाली फिलिंग स्टेशन, रामासीया के विरुद्ध लाइसेन्स शर्तों की अवहेलना पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से प्रश्न करना चाहूंगा कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की बाजार दर और राशन दर में कितना अन्तर है ? इसी के साथ में राज्य के अन्दर कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनके अन्दर सस्ती चाय, साबुन, माचिस, चावल, तेल, दालें, घी वगैरह उपलब्ध करवाया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, पाली जिले से सम्बन्धित यह प्रश्न पूछा है, बाजार भाव, जो राशन के मार्फत हम देते हैं और बाजार में उन चीजों के मूल्यों में क्या अन्तर है, उसमें केवल दो-तीन आइटम्स को अभी हम दे रहे हैं गेहूं, चावल और चीनी। इसके भाव में अन्तर—गेहूं में डेढ़ से दो रुपये है, चीनी में दो रुपये है, दो रुपये से तीन रुपये तक, अलग-अलग क्वालिटी के हिसाब से और चावल में एक रुपये का अन्तर है। उसके अलावा बाकी की चीजें इसके माध्यम से हम उपलब्ध नहीं कराते हैं। नई चीजें हम शामिल कर रहे हैं माचिस वगैरह, वह अभी नये सिरे से हम शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, सोजत तहसील की जनसंख्या 2,87,829 है जबकि देसूरी की जनसंख्या 2,46,592 है। नम्बर माह के अन्दर सोजत को गेहूं का आवंटन 600 मैट्रिक टन हुआ जबकि देसूरी को 400 मैट्रिक टन, दिसम्बर में देसूरी को 300 मैट्रिक टन और सोजत को 450 मैट्रिक टन, जनवरी के अन्दर देसूरी को 500 मैट्रिक टन और सोजत को 380 मैट्रिक टन और फरवरी के अन्दर देसूरी को 500 और सोजत को 380 मैट्रिक टन, जबकि सोजत की जन-संख्या ज्यादा है और नियमित प्रति माह कोटे का आवंटन जो गेहूं का सोजत पंचायत समिति में हो रहा है वह कम हो रहा है। उसके कारण एक और सवा किलो के हिसाब से गेहूं का विवरण किया जा रहा है। मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र का पश्चिमी इलाका, जो 45 गांव हैं जो लगातार फेमिन से प्रभावित क्षेत्र रहा है, अगर वहां पर एक किलो गेहूं प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है तो उसके कारण उस क्षेत्र के व्यक्ति बहुत ही त्रस्त हैं। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि कलक्टर के द्वारा जो वितरण किया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है और इसमें आपस में भिन्नता है, असमानता है इसलिए इसको दूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृत परमार। यह तो सजेशन दिया है, आप करवा दीजिए, उन्होंने कहा है। श्री अमृत परमार।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : पाली जिले के अन्दर बाली तहसील में जो, तीसरे प्रश्न के मुत्तलिक इसमें जबाब है कि पाली के अन्दर बाली तहसील के अन्दर अभी कुछ दिन पहले....

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है, पूछिये।

श्री अमृतलाल परमार : हां, वही पूछ रहा हूं। कुछ दिन पहले दो गोदामों की जांच की थी जबकि जो आफिसर खुद भ्रष्ट है उनके द्वारा ही जांच होती है तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी जांच बराबर होगी और सही होगी।

(श्री अमृतलाल परमार)

इसी कारण आज वह भ्रष्ट आफिसर वहां पर अपनी मनमानी कर रहा है मैंने पूर्व में भी माननीय मंत्री महोदय से कहा है....

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है ?

श्री अमृतलाल परमार : जो व्यापारी है, जिसको कोटा दिया गया है उसकी जो जांच की गयी है वह जांच बराबर नहीं हुई है। पाली के अन्दर उस व्यापारी का नाम कसाराम चौधरी है....

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका ?

श्री अमृतलाल परमार :....सवाल यह है कि मैं जांच के बारे में कह रहा हूं। मेरा जो तीसरा प्रश्न है उसके निमित्त प्रश्न है। जांच के दौरान जिसको पकड़ा गया है या जिसकी पब्लिक ने शिकायत की थी उस व्यापारी की जांच की है वह स्वयं आफिसर भ्रष्ट है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, ठीक है। बिराजिये माननीय मंत्री जी....

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला रसद अधिकारी के द्वारा 1 जनवरी से अब तक 11 छापे डाले गये थे उसके तहत मैंने सूची दे दी है। माननीय सदस्य अलग अलग से इस प्रकार के मामले बतायें कि वहां पर जांच करानी है तो मुझे दे दें मैं यहां से भेजकर जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड 2 में माननीय मंत्रीजी ने बताया कि सावधिक आदेशों की पालना हमने कड़ाई से कराने के निर्देश जारी किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हकीकत में....

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है ? सवाल पूछें।

श्री गुलाब सिंह : ब्रीफ बताऊंगा तभी तो सवाल बनेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप जो बोल रहे है उससे सवाल नहीं निकल रहा है।

श्री गुलाब सिंह : मैंने पहले भी यह मांग रखी थी कि उपभोक्ता निदेशालय अलग खोला जाये और इसी के कारण इन्होंने दो तीन सवाल बताये थे कि हमने केन्द्र से अधिक कोटा मांगा है। मांगने से मंहगाई पर काबू नहीं होगा। केन्द्र ने दिया है तो वह बताया जाये। दूसरा सवाल यह है....

श्री अध्यक्ष : दूसरा नहीं। बैठिये आप।

श्री गुलाब सिंह : इसी के अन्दर है। साबुन, तेल, माचिस जहां तक मेरे ख्याल से पाली जिले में ऐसी कोई चीज वितरित नहीं की जा रही है....

श्री अध्यक्ष : वह मना कर रहे हैं कि अभी नहीं दे रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो उपभोक्ताओं से जुड़ा एक अहम प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी नहीं दे रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह : बहुत गम्भीर मसला है यह।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। आपका सवाल तो ही नहीं कोई।....बैठिये, बैठिये, प्लीज....मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं तो मंत्री जी कैसे समझेंगे ?

श्री गुलाब सिंह : आपने यह कहा कि 11 मामले पकड़े और एक में कार्यवाही हुई है....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये शांति, से सवाल फ्रेम कर लीजिए। आप बैठिये हो गया आपका। श्री गुलाबसिंह जी बैठिये आप। तैयारी करके आया करो। सवाल इतनी देर में तो आप लिख ही लेते।

श्री गुलाबसिंह : पाली जिले में कितने साबुन का, कितनी माचिस का और कितनी चाय का वितरण किया गया ?

श्री अध्यक्ष : वह मना कर चुके हैं। आप सुनते नहीं हैं। आप बैठिये। श्री अचला राम।

श्री अचलाराम (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वितरण यूनिट के आधार पर किया जाता है या जनसंख्या के आधार पर ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया। जवाब तो वह देंगे। मंत्रीजी एक्सप्लेन करेंगे यूनिट और जनसंख्या के बारे में।

श्री अचलाराम : मेरे यहां यूनिट अधिक हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल चीनी का वितरण हम प्रति व्यक्ति से हिसाब करते हैं, बाकी गेहूं का वितरण हम उस क्षेत्र की परिस्थितियों के देखते हुए अकाल की है या अभाव की है या आदिवासी इलाके में हम ज्यादा आवंटन करते हैं। जनसंख्या के हिसाब से नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री अरुणसिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी आज्ञा हो जाये तो अध्यक्ष महोदय, एक सवाल....

श्री अध्यक्ष : नहीं, चार हो गए। अब आप नियम मत तोड़ें। यह इतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा निवेदन भी नहीं सुनेंगे ? आज आप कितने कठोर हो गये हैं, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत महत्वपूर्ण मामला यह निहित है कि 1991 की सेन्सस आ चुकी है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है वह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभी चीज ठीक हैं फिर।

श्री अध्यक्ष : अभी वह फिगर्स सेन्टर के पास से पूरी नहीं आए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरा प्रयत्न करते हैं कि जनसंख्या के आधार पर आवंटन किया जाये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री अरुण सिंह।

मेवात विकास बोर्ड

250. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मेवात विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था ? गठन से अब तक वर्षवार बोर्ड के लिए कितना कितना बजट आवंटित किया गया ?

विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन 20 फरवरी, 1987 को किया गया था। गठन के अब तक वर्षवार बोर्ड के लिए निम्नानुसार बजट आवंटित किया गया :

वर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1987–88	64 69
1988–89	94.24
1989–90	37.58
1990–91	39.67
1991–92	50.00

श्री अध्यक्ष : श्री जगमालसिंह जी पूछ लें।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्वान मंत्रीजी से आपकी मार्फत पूछना चाह रहा हूं....

श्री नत्थी सिंह : महा विद्वान। .... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिह शेखावत : दो विद्वानों के बीच में वार्तालाप सुनने का अवसर मिलेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवात विकास बोर्ड का जो निर्माण हुआ या गठन हुआ उसके मामले में मेरा आपसे एक तो निवेदन है, केवल एक प्रश्न पूछूंगा कि श्री भैरोंसिह जी इसके चैयरमैन हैं और आप मंत्री, याने सरकार। आप और श्री भैरोंसिह जी के फैसलों में कहीं कन्ट्रोवर्सी होगी तो श्री भैरोंसिह जी का फैसला मान्य होगा या आपका अर्थात सरकार के मंत्री का ?

दूसरा यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका क्राइटेरिया मेवात विकास बोर्ड में शामिल करते हैं विधान सभा उसकी यूनिट है या पंचायत समिति है और अगर पंचायत समिति है तो पंचायत समिति कोटकासिम इस क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है या नहीं उसको शामिल करने का सरकार विचार रखती है या नहीं रखती है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि 7 पंचायत समितियों के बारे में इसमें लिया हुआ है और कोटकासिम के बारे में विशेष तौर से पूछा है, इसका क्राइटेरिया हमने यह रखा है कि 50 पर्सेन्ट आज जिस पंचायत समिति में मेवात जनसंख्या है उसको लेते हैं। अगर कोटकासिम के लिए जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया कि मुख्य मंत्रीजी से कोई वार्ता हुई है और 50 परसेन्ट के क्राइटेरिया में वह आती है और कोटकासिम किसी कारणवश छूट गया है और 50 परसेन्ट उसमें मेवात जनसंख्या

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आयेगी तो निश्चित रूप से उसको शामिल कर लिया जायेगा।

श्री जगमालसिंह यादव : मैंने पहला प्रश्न पूछा कि श्री भैरोंसिंह जी और आप में कोई कन्टोवर्सी हुई तो आपके आदेश लागू होंगे या श्री भैरोंसिंह जी के ? क्योंकि श्री भैरोंसिंह उसके चैयरमैन हैं और चैयरमैन की हैसियत सरकार से छोटी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : कन्टोवर्सी के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि वह चाहेंगे जैसा कर लेंगे।

श्री अरुण सिंह (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेवात विकास बोर्ड की जो मीटिंग होती है वह जयपुर के बजाय मेवात में होनी चाहिए या अलवर में होनी चाहिए या फिर भरतपुर में होनी चाहिए। जयपुर पूर्वी राजस्थान से उपेक्षा करता है और हम यह चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उनको भी शामिल किया जाना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : जैसा कि माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा, क्योंकि माननीय सदस्य स्वयं भी मेवात विकास बोर्ड के मैम्बर हैं।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग किस तरीके से होती है ? कितने कितने इन्टरवल से होती है और पिछली बार जो मेवात विकास बोर्ड की पहली बैठक में यह तय हुआ था कि सिर्फ सड़कों के ऊपर मेवात विकास बोर्ड का पैसा खर्च किया जायेगा। उसकी क्रियान्विति हुई या नहीं हुई और दूसरे मुद्दों पर वह पैसा खर्च क्यों किया गया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवात विकास बोर्ड की बैठकें इस प्रकार हुई—प्रथम बैठक 22 सितम्बर, 1987 को हुई, दूसरी बैठक 17 अक्टूबर, 1988 को हुई और तीसरी बैठक 5 जनवरी, 1991 को हुई। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि लास्ट मीटिंग 20-2-92 को मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में हुई, उसमें 50 लाख रुपये सड़कों के लिए और अतिरिक्त इस साल के लिए दिये हैं 50 लाख रुपये पहले था दिया हुआ और माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां क्षेत्र में पधारे और गांवों की स्थिति को देखा उसके बाद में 50 लाख रुपया और दिया है। वहां पर बोर्ड के सदस्यों ने यह राय जाहिर की है कि सड़कों का अभाव है और गांवों में जाने का रास्ता नहीं है इसलिए सकड़ों के लिए एक करोड़ रुपया रखा गया है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात निवेदन कर रहा था। जब बैठक में यह तय हुआ कि सिर्फ सड़कों के ऊपर ही रुपया खर्च किया जायेगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में वह बैठक हुई थी फिर दूसरे मदों पर वह रुपया क्यों खर्च किया गया ?

(18)

श्री अध्यक्ष : नहीं, रुपया जो तय हुआ है सड़कों का वह तो उसी में खर्च हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल दूसरे मदों में वह पैसा खर्च नहीं किया गया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : बहुत स्पेसिफिक सवाल है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी सदन में कहा है कि मेवात विकास बोर्ड का प्रारूप था वह यह था कि जिस गांव की या जिस पंचायत समिति की जनसंख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग मेवाती रहते हों, जो यह पैसा खर्च किया जा रहा है क्या उन्हीं गांवों के ऊपर खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है जिस गांव में 50 प्रतिशत से ज्यादा मेव लोग रहते हों ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जुबेर खान : मेरा आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल है। आप इस पर यह देखें कि कहां यह पैसा लगाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दर असल 50 प्रतिशत से ज्यादा जहां मेवाती जनसंख्या है उन गांवों में पैसा खर्च किया। मेरे पास जो जानकारी है उनमें खर्च किया गया है अगर कहीं इस ढंग की त्रुटि रही है तो निश्चित रूप से 50 प्रतिशत से ज्यादा मेवाती आबादी जहां है उन्ही गांवों में यह पैसा विकास के लिए खर्च किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामेश्वर गुर्जर।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने एक भी सवाल का जवाब सही नहीं दिया है। मैं यह दावे से....

श्री अध्यक्ष : अच्छा कोई बात नहीं। अब आप छोड़िये। जवाब नहीं दिया है तो नहीं दिया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : कहता हूं कि इसके लिए अगर एक भी काम ऐसा किया जो जिसमें मेवातों की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी (व्यवधान) राजस्व मंत्रीजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपकी विद्वता को तो चैलेंज नहीं करता लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि 50 फीसदी काम भी आपने उन गांवों में नहीं किया है जिनमें मेव कौम की आबादी 50 फीसदी है और आपको यही पता नहीं है कि मेवात विकास बोर्ड क्या है ? मेवात एक कल्चर है। मेव जाति से आपका सम्बन्ध नहीं हो सकता....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, मेव जाति से इनका सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हां, बोलिये आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेवात तो एक कल्चर है। मेवात में बसने वाला प्रत्येक

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कौम का, चाहे वह गुर्जर हो, चाहे वह हरिजन हो मेवात विकास बोर्ड में होगा। आप कहते हैं मेवों के गांव में होगा। कहां पढ़ा है आपने मेवात विकास बोर्ड का तात्पर्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

जमवारामगढ़ (जयपुर) में भूमि विवाद के दर्ज मामले

251. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में 1991 के भूमि विवाद सम्बन्धी कुल कितने मुकदमें दर्ज हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : तहसील जमवारामगढ़ में वर्ष 1991 में भूमि विवाद के 3949 मुकदमें दर्ज हुए हैं। मुकदमों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : हां, आप पूछिये। (व्यवधान)। अब आप भी सवाल पूछ रहे हो। बिराजिये आप... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : मेरे मतलब की बात है।

श्री अध्यक्ष : That is finished. आप बैठिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जमवारामगढ़ का मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है माननीय मंत्रीजी आप उसका अवलोकन करें। श्रीमान् बड़े खेद की बात है कि एक साल में 4 हजार अतिक्रमण के मामले दर्ज हैं और उसकी सूची का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि 60 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके अन्दर। यह भी अवलोकन करिये, अध्यक्ष महोदय, कि एक बिस्वा से लेकर एक बीघा तक के मामले हैं। अब इनमें उनके साथ क्या दुर्दशा होगी ?

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर : मेरा सवाल यह है कि यह भूमि कब तक उनके नाम से स्थाई आवंटन कर दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमन के लिए राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है दिनांक 15.7.1984 से पूर्व के अतिक्रमण अगर भूमिहीन व्यक्ति के हैं तो वह नियमन के अधिकारी हैं अगर व्यक्ति अपने प्रार्थना पत्र इन नियमों के अन्तर्गत पेश करेगा तो सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी उसकी सुनवाई करके निर्णय दे सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। डा. जितेन्द्र। मैं देखता सब तरफ हूं। मैं बराबर देख रहा हूं। आपका क्या सवाल है ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : हां, आपका क्या सवाल है ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जमवारामगढ़ तहसील में जो अतिक्रमण के मामले बताये हैं, एस. डी.ओ. कोटपूतली एक जाति विशेष के लोगों को वहां से बे दखल करने पर तुले हुए हैं जिनके कब्जे सन् 1980 से लगातार रिकार्ड से साबित हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल क्या पूछ रहे हैं ? यह तो इन्होंने कह दिया है 84 तक के कब्जे को नियमन कर दिया।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इनके रिकार्ड को ताक पर रखकर बाई फोर्स ले जाकर, फसलें खड़ी हैं इतनी-इतनी और 500 किसानों की फसलें खड़ी हैं उनको बेदखल कर रहे हैं। आप नियमन की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल....

श्री अध्यक्ष : आपका कोई सवाल नहीं है। जमवारामगढ़ का है....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : मैं कभी इंटरविन नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : जमवारामगढ़ का पूछ रहे हैं ?

श्री रामनारायण वर्मा : बिल्कुल उसी का पूछना है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, नहीं दूसरा नहीं पूछेंगे। जमवारामगढ़ का है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम किसी जिले की बात नहीं कर रहे। हम न किसी तहसील की और न किसी जिले की बात कर रहे रहे हैं। आपने जो नियमन की बात कही है है यह पूरे राजस्थान में लागू है, जमवारामगढ़ में लागू है। मैं उस सन्दर्भ में इनसे पूछना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो ?

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राजस्व मंत्रीजी से यह है कि आपने कहा है कि 15 जुलाई, 1984 तक के कब्जों को नियमन करने के आपने आदेश प्रसारित कर दिये। एक तो यह बता दें कि आपने कब आदेश प्रसारित किये ? दूसरा, क्या सभी जिलों पर लागू होंगे ? तीसरा भूमिहीन की परिभाषा में आपने कोई रद्दोबदल तो नहीं किया है ? इसके ऊपर आप प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।.... (व्यवधान) भाई, पहले इनका तो जवाब आने दो।

श्री गंगाराम चोधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का उत्तर दे दूं। यह धारा 91 के मामले तहसीलदार सुनता है। एस. डी. ओ. के पास में केवल नियमन के मामले जाते हैं। माननीय सदस्य ने जो बेदखली

(श्री गंगाराम चौधरी)

की बात माननीय सदस्य ने की है वह आदेश अगर पारित किये हैं तो तहसीलदार ने किये हैं। नियमन पर कोई दरख्वास्त जाती है तो एस.डी.ओ. उस पर विचार करता है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि एस.डी.ओ. ने सबको बेदखल कर दिया, मैं समझता हूं कि एस.डी.ओ. को तो अधिकार नहीं है इस बारे में....

श्री अध्यक्ष : नहीं, उनका होगा तहसीलदार से मतलब।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं यह कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि एस.डी.ओ. तहसीलदार को अपने चैम्बर में बुलाकर के उन पर दबाव देकर सबको बे दखली के आदेश करवाये और वहां पर जो 1980 से काबिज हैं 500 काश्तकार जिनकी इतनी–इतनी बड़ी फसल खड़ी हैं उनके लिए पुलिस फोर्स ले जाकर उनको वहां से बे-दखल करते हैं। मेरा निवेदन है कि जिनका इस परिधि में नियमन काबिल है उन किसानों को नियमन किया जाय। भूमिहीन की परिधि में आते हैं, नहीं आते हैं यह देख लिया जाय लेकिन खड़ी फसल से बे दखल नहीं किया जाय। एस.डी.ओ. चाहता है कि जयपुर से पूंजीपतियों को ले जाकर उन जमीनों का अलाटमेण्ट कर दे।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माह अप्रैल और मई में राज्य सरकार आदेश जारी करके अभियान के जरिए सारे नियमन के मामले तय करवा देगी यह हमने तय कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : यह आदेश कब जारी किया ? यह पूछ रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस वक्त इतनी-इतनी बड़ी फसल खड़ी है; कुए बनवा रखे हैं, इन्जन लगा रखे हैं उनको तो रुकवाइये आप।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह जुडिशियल मामला है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, इनका तो हो गया। आपने यह पूछा है कि यह आदेश आपने कब जारी किए नियमन के ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह आदेश अप्रैल, 1991 में जारी कर दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष : सारे राजस्थान में लागू हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : हां, सारे राजस्थान में लागू हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गया। श्री रामेश्वर जी।

श्री गंगाराम चौधरी : हमने भूमिहीन की कोई परिभाषा नहीं बदली है।

श्री अध्यक्ष : बहुत पुरानी परिभाषा है।

श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल निवेदन आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह है कि यह जो हरिजन और मीणा जाति के 60 प्रतिशत लोग इस पर एक–एक बिस्वा कास्त पर

(श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर)

परेशान हो रहे हैं इनका कब तक निपटारा कर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : छोटी वाली का बता दीजिए। एक–एक बिस्वा, दो–दो बिस्वा की बता रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेने निवेदन किया कि अप्रेल और मई महीने में अभियान बनाकर के नियमन का कार्य हाथ में ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। नेक्स्ट। डा. जितेन्द्र।

जैसलमेर जिले में पक्षियों के संरक्षण हेतु योजना

252. **श्री जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में गोडावरा, तिलौर एवं अन्य पक्षियों के संरक्षरा के लिए कोई विशेष योजना राज्य सरकार बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) उपरोक्त कार्यों के लिए सरकार कितनी राशि रखने का प्रावधान कर रही है तथा उक्त कार्यों के लिए कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। वन मंत्रीजी बोलिये। देखिये अभी 7 वां सवाल चल रहा है 3 और लेने हैं अभी।

वन मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

श्री जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जैसलमेर जिले में डेजर्ट नेशनल पार्क योजना के अन्तर्गत 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आरक्षित किया गया है। इस डेजर्ट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई तथा किस उद्देश्य से हुई ? इसमें कितने क्लोजर बनाये गये ? इसमें कितना स्टाफ कार्यरत है ? सरकार ने कब इसके कार्यों की समीक्षा की ? अगर की, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? और इसके लिए कितना वित्तीय प्रावधान रखा गया है तथा कन्जर्वेटर का जो पद सृजित किया गया था, जिसका मुख्यालय जैसलमेर था उसको स्थानान्तरित करके जोधपुर क्यों लगाया गया ?

श्री अध्यक्ष : बस दूसरा नहीं। माननीय मंत्रीजी।

श्री जितेन्द्र सिंह : दो सप्लिमेण्ट्री....

श्री अध्यक्ष : दूसरा बाद में।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली दो पक्षियों के बारे में पूछा गया था।

श्री अध्यक्ष : आपको पता है तो बताइये नहीं तो कह दीजिए नहीं है। सवाल तो गोडावड का है इन्होंने पूछा है विशेष योजना बना रखी है यदि आरक्षरा किया है आपने भूमि का इसी योजना में....

श्री लालचन्द डूडी : इसी योजना में।

श्री अध्यक्ष : गोडावण के लिए किया है ?

श्री लालचन्द डूडी : गोडावण के लिए अलग से कुछ नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को आपने लिमिटेड बना दिया क्या ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, बोलिये।.... (व्यवधान) अपने गोडावण के लिये प्रश्न पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। जिस जमीन की आप आरक्षण की बात कर रहे हैं वह गोडावण की सुरक्षा के लिये नहीं है इसलिये उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। डेजर्ट का।....(व्यवधान)। आपका प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है कि गोडावण, तिलोर एवं अन्य पक्षियों के संरक्षण के लिये कोई विशेष योजना बनायी है ? उन्होंने कह दिया, नहीं बनायी और यह जमीन है वह इस योजना में शामिल नहीं है। इसलिये अलग से भी नहीं है उसका प्रश्न।

श्री जितेन्द्र सिंह : इसका उद्देश्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष : कुछ भी नहीं है उद्देश्य इसका। यह सवाल ही नहीं है।.... (व्यवधान) No question arise from your question. माननीय मंत्री जी।

विभिन्न जेलों में विचाराधीन कैदी

253. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) व डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की विभिन्न जेलों में कुल कितने कैदी हैं ? जयपुर, कोटा, उदयपुर जोधपुर, अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कारागृह की सूची सदन की मेज पर रखें।)

(2) उक्त जिलों की जेलों के कैदियों में कितने सजायाफ्ता हैं और कितने न्यायिक अभिरक्षा में हैं ? सूची उपरोक्त जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) इन कैदियों में टाडा कानून के अन्तर्गत कुल कितने कैदी उक्त जिलों की कौन कौन सी जेलों में कब से हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन कैदियों के भोजन आदि पर प्रति कैदी कितना व्यय होता है ?

(5) क्या यह सही है कि अजमेर कारागृह में कैदियों की चिकित्सा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और कैदी जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हो गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, कारागृह (श्री जीवराम कटारा) : (1) दिनांक 31.12.91 की स्थिति के अनुसार राज्य की विभिन्न जेलों में कुल 6517 बंदी निरुद्ध हैं। वांछित कारागृहों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट क)

(2) उक्त जिलों की जेलों में 1475 बंदी दंडित, 1632 न्यायिक अभिरक्षा में हैं। जिलेवार सूची भाग एक के उत्तर में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(राज्य मंत्री, कारागृह)

(3) इन कैदियों में से टाडा कानून के अन्तर्गत 213 बंदी केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में एवं 14 बंदी केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में निरूद्ध हैं। ये बंदी 18.9.87 से 11.2.92 की अवधि में आये हैं।

(4) इन कैदियों के भोजन आदि पर औसतन आठ रुपये प्रतिदिन व्यय होता है।

(5) जी नहीं। समुचित चिकित्सा व्यवस्था है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन्होंने खण्ड 5 में कहा है कि समुचित चिकित्सा व्यवस्था है और उसमें कोई कमी नहीं है। जी नहीं, बोला है। अगर यह बात है तो 18 कैदियों को अजमेर कारागृह से अन्यत्र जगहों पर क्यों भेजा गया ? अब्दुल वहीद जो एक कैदी थे, उनकी कोटा अस्पताल में मृत्यु किस कारण से हो गयी और किस जेल से उसको ले जाकर कोटा इलाज क्यों कराया गया ? इसका जवाब दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अब्दुल वहीद युवक था उसकी पुलिस थाना कैथुनपुरा, कोटा एफ. आई.आर. नम्बर 87/89 में आवश्यकता थी और इसलिये कोटा से केन्द्रीय कारागृह अजमेर में 4.5.90 को उसको लाया गया था। यह ट्यूमर और फेफड़ों के रोग से ग्रसित था। इसका इलाज अजमेर जेल में चल रहा था और डाक्टर की अभिशंसानुसार और वहां के स्वास्थ्य अधिकारी की अभिशंसा के अनुसार जवाहर लाल नेहरू अस्पताल अजमेर में इसका इलाज 13.11.90 से 21.11.90 तक कराया गया। अन्तरिम बैल में उसको वहां भेजा गया था। इसी प्रकार इलाज 1.6.91 से 27.8.91 तक जेल में निरूद्ध होने की स्थिति में जेल अस्पताल एवं जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में कराया गया था। इसकीहालत....

श्री अध्यक्ष : यह तो हो गया। 18 कैदियों का ट्रांसफर क्यों किया, यह पूछ रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं साहब, वह मरा कैसे ? यह तो अभी इलाज बता रहे हैं। धीमी गति के समाचार चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो इलाज कराते मर गया, बता रहे हैं। अच्छा, आगे और बताइये।

श्री जीवराम कटारा : इसकी हालत निरन्तर बिगड़ने से इसको अन्तरिम बेल पर 28.8.91 को रिहा किया गया था और महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में यह भर्ती हुआ था जहां उसकी मृत्यु हुई।

श्री अध्यक्ष : 18 कैदियों के ट्रांसफर का पूछ रहे हैं ना, आपने 18 कैदियों का वहां ट्रांसफर क्यों किया ? है क्या आपके पास इन्फार्मेशन ?

श्री जीवराम कटारा : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं है। आप दूसरा पूछिये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने उत्तर में कहा कि आठ रुपये प्रतिदिन एक कैदी के ऊपर खाने पर खर्च होते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या आप यह मानते हैं कि आठ रुपये में तीन टाइम का खाना वगैरह आदमी का हो सकता है? क्या सरकार इसको बढ़ाने का कोई विचार रखती है?

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आठ रुपये औसतन खर्चा है। प्रति यूनिट के लिये मात्रा निर्धारित है आटा, दाल की। उसके तहत प्रति बंदी को उसमें दिया जाता है, यह औसतन है, कोई पर्टिकूलर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो यह उत्तर की प्रति हमको सुलभ करायी है, इसमें न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति, न्यायिक अभिरक्षा में रखे गये और टाडा कानून में रखे गये बंदियों के अलावा आपने 86 अन्य श्रेणी के बंदी भी बताये हैं, तो यह अन्य श्रेणी से आपका अभिप्राय: क्या है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या अब्दुल वहीद की मृत्यु के कारणों और उसकी चिकित्सा, उपचार के अन्दर बरती गयी अनियमितता या शिथिलता की आपने कोई जांच करायी है? यदि करायी है तो उसकी क्या रिपोर्ट आयी है? और नहीं करायी है तो क्या आप आगे इसकी जांच कराने जा रहे हैं? एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। हो गया सवाल। सवाल हो गया। हो गया सवाल।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं इसी से सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप उसको एक्सप्लेन करके भाषण दे रहे हैं। सवाल तो हो गया आपका।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, आशय समझ लें। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं विवेचन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सवाल हो गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, सवाल पूरा नहीं हुआ। आपने एक तरफ यह कहा कि समुचित चिकित्सा व्यवस्था है, दूसरी तरफ आप चिकित्सा व्यवस्था के लिये, उपचार के लिये कैदियों को अजमेर से अन्यत्र जगहों पर स्थानान्तरित कर रहे हैं, यह दोनों बातें क्यों हो रही हैं? कृपया इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल नहीं है। वह तो भेजते हैं। यह सवाल नहीं है। हां, माननीय मंत्रीजी। वह तो वहीं भेजते हैं, चिकित्सा कोई जेल में थोड़े ही होती है।

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 86 अन्य बंदियों के लिये झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक विवरण मांगा है, उसमें कुछ तो सिविल के है, कुछ कोफेपोसा के हैं, कुछ एन.डी.पी. एक्ट के हैं, और जे.के. के हैं।

(26)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री चन्द्रभानजी।

डा. चन्द्रभान : (मण्डावा) : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से यह जानकारी लेना चाहूंगा, आठ रुपये प्रति बंदी औसतन जो खर्चा आता है, यह आपके आंकड़े कौनसे वर्ष के हैं और क्या यह सजायाफ्ता या विचाराधीन बंदी दोनों के लिये एक समान है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. चन्द्रभान : नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी ने जेल में बंदी बंद है, महंगाई को बंद कर दिया कि वहां महंगाई का कोई असर नहीं होता ? क्या सरकार इसको बढ़ाने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आर्डर प्लीज।

डा. चन्द्रभान : एक मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि भोजन वगैरह में बड़ी अनियमितताएं होती हैं, क्या सरकार के पास कोई शिकायत आयी ? दूसरा, देखिये, जनता तो मंत्री से मिल लेती है, अधिकारियों से मिल लेती है, यह बंदी लोग हैं, मैं माननीय जेल राज्य मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा, मैंने तो इनको पहले भी सुझाव दिया था, अब भी सुझाव देता हूं कि आप राज्य की जेलों में कभी दौरा करिये, कभी इंस्पेक्शन करिये कम से कम, दो साल हो गये, जयपुर में एक बार जाइये आप जेल में, आपको तभी सही जानकारी मिलेगी इस मामले में।

एक माननीय सदस्य : आप कितनी बार गये ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था पहले एक ही पूछिये, एक दुबारा।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं पूछेंगे दुबारा। मूल प्रश्न वाला पूछेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मूल प्रश्न तीनों का ही है, साहब। मूल किसका मानेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्न एक का होता है बाकी क्लबिंग है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, एक जरूरी सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अब यह जवाब तो आने दीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन बंदियों के साथ जेल में कोई मारपीट हुई थी उसकी कोई जांच विचाराधीन थी, उसकी रिपोर्ट आ गयी क्या ? क्या रिपोर्ट आयी ?

श्री अध्यक्ष : हां, बैठिये। बताइये। देखिये, आज आपने दो प्रश्न कम रख दिये। आठ ही हुए हैं। यह दस का टार्गेट तो पूरा करते रहिये।

एक माननीय सदस्य : हमने नहीं किये, साहब।....(व्यवधान)...।

श्री अध्यक्ष : इम्पार्टेण्ट रह गया तो रह गया, अब मैं क्या करूं।

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं जयपुर जेल में दो दफा जाकर निरीक्षण किया और वहां मिलने

(श्री जीवराम कटारा)

वाले भोजन का स्वयं खाकर, चखकर देखा है....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, बैठिये । श्री हीरालाल आर्य । एक और सवाल पूछिये । प्रश्न नहीं होगा आपका, जवाब सुन लीजिये आप ।

इन्द्रगढ़ (बूंदी) की च्याकन मध्यम सिंचाई परियोजना

254. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ की च्याकन मध्यम सिंचाई परियोजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

अकाल राहत मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां ।

(2) केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

और आप मेरे से जितना पूछना हो, अलग से पूछ लेना, माननीय अध्यक्ष महोदय अगर सहमति नहीं दे रहे हैं तो ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेण्टरी कर लूं ?

श्री अध्यक्ष : हां, पूछ लो, पूछलो ।

श्री हीरालाल आर्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना का तकमीना बना कर मंजूरी के लिये कब प्रस्तुत किया गया था और अभी तक मंजूरी नहीं मिलने का क्या कारण है ? दूसरा मेरा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : हां, दूसरा भी पूछ लो । दोनों पूछ लो ।

श्री हीरालाल आर्य : इस योजना से कितने गांवों की कितने बीघा जमीन में सिंचाई होगी ? जो योजना बनी थी उस वक्त इसकी लागत क्या आंकी गयी थी और अब कितनी लागत आयेगी ?

श्री अध्यक्ष : हां बताइये ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल 20 गांव इसमें लाभान्वित होंगे और 20 गांवों की 2508.42 सी. सी. ए. हैक्टेयर में सिंचाई की संभावना है । दूसरा आपने पूछा, अभी इसमें तखमीना भेजा गया था केन्द्रीय जल आयोग को, उन्होंने कुछ आक्षेपों के साथ वापस भेजा है । वह आक्षेप पूरे करने के बाद केन्द्रीय जल आयोग को भी भेज दिये गये हैं, वन विभाग का भी इसमें दखल आ गया है, माननीय विधायक महोदय, आपको सूचना दूं कि वन विभाग से भी इसमें स्वीकृति लेना आवश्यक है । इसलिए राज्य स्तर पर अपने वन विभाग द्वारा केन्द्रीय वन विभाग से इस बात की कार्यवाही चालू है कि वन विभाग भी क्लीयरेंस दे दे, केन्द्रीय जल आयोग भी क्लीयरेंस दे दे, उसके बाद स्वीकृति मिलेगी तो इसको चालू कराया जायेगा माननीय अध्यक्ष महोदय ।

(28)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पशु बीमा योजना के अन्तर्गत ऊंटों को संरक्षण

378. **श्री मनीराम** (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ऊंटों को भी पशु बीमा योजना के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान करने की मंशा रखती है ?

(2) क्या सरकार ऊंटों के संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए विशेष योजना बना रही है जिससे किसान एवं सीमा रक्षा के हित में सहयोग मिलता रहे ?

(3) ऊंटों की बीमारी के लिए सरकार क्या क्या उपाय करती है और इसके लिए कितनी विशेष यूनिट्स वर्तमान में राजस्थान में काम कर रही हैं और कहां-कहां ?

(4) ऊंटों की बीमारी की रोकथाम के लिए विशेष यूनिट्स को 1989 से अब तक कुल कितना-कितना बजट प्रतिवर्ष दिया गया है ? क्या इनकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है ?

उत्तर

(1) बीमा कम्पनियों द्वारा सभी पशुओं के लिये बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें ऊंट भी सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में सरकार की कोई बीमा योजना नहीं है। यद्यपि विभिन्न ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवा कर ग्रामीणों को क्रय करवाये जाने वाले ऊंटों का बीमा करवाया जाता है।

(2) विभाग ऊंटों के संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए समय समय पर पशु कैम्प आयोजित कर अन्य पशुओं के साथ साथ ऊंटों को भी उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके साथ-साथ विभाग ने ऊंटों की विशेष बीमारी तिबरसा की रोकथाम हेतु विशेष इकाइयां विभिन्न स्थानों पर स्थापित कर रखी हैं जो समय समय पर इनकी इस बीमारी की रोकथाम की व्यवस्था करती है। ऊंट पालकों को नर ऊंट वितरित किये जाने की योजना है।

(3) ऊंटों की बीमारी की रोकथाम विभागीय चिकित्सा संस्थाओं द्वारा सम्पन्न की जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा कैम्पों का आयोजन कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तिबरसा बीमारी की रोकथाम हेतु विशेष 7 इकाइयां क्रमशः जैसलमेर/बाडमेर/भीलवाडा/जयपुर/गंगानगर/नागौर में कार्यरत हैं। इन सभी रोग नियंत्रण इकाइयों के नियंत्रण हेतु एवं इस रोग की विशेष जांच हेतु जोधपुर में एक तिबरसा रोग की प्रयोगशाला कार्यरत है।

(4) ऊंटों की बीमारी की रोकथाम के लिए स्थापित की गई प्रत्येक इकाई को वर्ष, 1989 से वर्ष 1991–92 तक निम्न प्रकार बजट आवंटित किया गया है

(पशु पालन राज्य मंत्री)

1989-90	10,000/-	प्रति वर्ष
1990-91	10,000/-	प्रति वर्ष
1991-92	10,000/-	प्रति वर्ष

इन इकाइयों के कार्य की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति के सदस्यों का मनोनयन

379. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट), एवम् श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिन क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सके हैं उन क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य मनोनीत करने के लिए क्या-क्या नियम तथा मान-दण्ड सरकार द्वारा बनाये गये हैं ? कृपया विवरण का प्रपत्र सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

क्रय विक्रय सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति के सदस्य का निर्वाचन नहीं होने पर अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य मनोनीत करने के लिए सहकारी विभाग द्वारा निर्योग्यताओं रहित वरिष्ठतम तीन व्यक्तियों का मनोनयन करने हेतु वरीयता का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है :-

1. पैक्स अध्यक्ष
2. पैक्स उपाध्यक्ष
3. पैक्स के संचालक मंडल का सदस्य
4. पैक्स का सदस्य

उपरोक्त 1, 2 व 3 में से जो सदस्य द्वितीय टर्म में निर्वाचित हुआ है, उसे प्राथमिकता दी जाती है।

तत्संबंधी निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 1 पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जिला गंगानगर में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां

380. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले में क्रय-विक्रय सहकारी समिति की कितनी दुकानें है और किस प्रकार के कार्य में सक्रिय हैं ? इनकी शेयर पूंजी व जमा पूंजी कुल कितनी है ? इनकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन क्या है ? 1987 की तुलना में 1990-91 में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रही ?

(2) इन क्रय-विक्रय सहकारी दुकानों के पिछले 10 वर्षों में गबन व भ्रष्टाचार के कितने मामले प्रकाश में आये हैं, कौन लोग दोषी पाये गये हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? कुल कितनी रकम का घोटाला हुआ और वसूली के बारे में क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में कुल 25 क्रय

(सहकारिता मंत्री)

विक्रय सहकारी समितियों की 49 दुकानें हैं और इनके द्वारा कृषि उपज विपणन, कृषि आदान प्रदान तथा कृषि उपज की प्लेज पर पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। 31 मार्च, 90 को इन समितियों की हिस्सा पूंजी 186.02 लाख तथा कार्यशील पूंजी 553.17 लाख रुपये थी। जहां तक वर्ष 1987 की तुलना में 1990–91 की इन समितियों की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, अभी वर्ष 1990–91 की सभी समितियां की आडिटेड सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। वर्ष 1986–87 एवं 1989–90 की जिले की 20 क्रय विक्रय सहकारी समितियों की सूचना के आधार पर तुलनात्मक आर्थिक स्थिति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

(2) इन क्रय-विक्रय सहकारी समितियां की दुकानों में पिछले 10 वर्षों में गबन व भ्रष्टाचार के 89 मामले प्रकाश में आये हैं। इन मामलों में कुल 45 व्यक्ति दोषी पाये गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न कर दी गई है। कुल 89 मामलों में 27.96 लाख की राशि का गबन, दुरुपयोग के रूप में प्रकाश में आयी है। इनमें से 47 मामलों में 11.84 लाख रुपये की वसूली हेतु सरकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत आदेश जारी किये जा चुके हैं व 1.68 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। 5 मामलों में न्यायालयों के स्थगन आदेश हैं। 3 मामलों में संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत एक कर्मचारी की सेवायें समाप्त की गई तथा दो को निलम्बित किया गया है। एक प्रकरण में पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई है। शेष अन्य मामलों में भी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 381
(स्थगित)

विकलांगों हेतु राज्य सेवा में आरक्षण

382. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण है ?

(2) बाड़मेर जिले में गत 5 वर्षों में कितने विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां दी गई ?

(3) क्या विकलांग व्यक्तियों को जीवन निर्वाह करने हेतु भत्ता देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 45 विकलांग व्यक्तियों को नियोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

(3) विकलांगों को जीवन निर्वाह हेतु सहायता दिये जाने की निम्न योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं :—

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

I– प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के बेरोजगार विकलांग स्नातकों को रु. 150/ प्रतिमाह एवं स्नातकोत्तर को रु. 250/ प्रतिमाह वृत्तिका दो वर्ष अथवा नियोजन मिलने तक, जो भी पहले हो दिये जाने की योजना वर्ष 1987–88 से संचालित है।

II– बेरोजगार विकलांगों को स्वरोजगार हेतु रु. 2000/– तक की आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना वर्ष 1981-82 से संचालित है। साथ ही स्वरोजगार हेतु ही बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के 33.33 प्रतिशत अथवा 3000/ जो भी कम हो, का अनुदान दिए जाने की योजना वर्ष 1981–82 से संचालित हैं।

III– 8 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग व्यक्ति को जीवन निर्वाह हेतु रु. 100/ प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की योजना वर्ष 1965–66 से संचालित है।

रावतभाटा विद्युत् परियोजना से प्रदूषण

383. **श्री रामकरण सिंह**(कोटपूतली): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रावतभाटा बिजली घर की उचित व्यवस्था के अभाव में फैल रहे विकिरण के कारण आस-पास के गांवों में लोगों में विकलांगता, यौन अक्षमता, असामान्य बच्चे पैदा होने जैसी बीमारियां फैल रही हैं ?

(2) यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही कर रही है तथा पीड़ितों के इलाज हेतु उन्हें क्या सहायता देने की योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

रोज (जंगलीगाय)के शिकार हेतु लाइसेंस

384. **श्री मनीराम** (लूणकरणसर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बीकानेर जिले में विभाग द्वारा रोज (जंगली गाय) के शिकार के लिए लाइसेन्स जारी किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो किस किस नाम से तथा कब से ? तारीख सहित सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो क्या सरकार की भविष्य में लाइसेंस जारी करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बीकानेर जिले में वन विभाग द्वारा रोज (नीलगाय) के शिकार के लाइसेंस पिछले पांच वर्षों में जारी नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं। किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया गया है अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं है। भविष्य में लाइसेंस जारी करने के लिए राज्य सरकार ने मंत्री स्तर पर केन्द्रीय वन मंत्री महोदय से नीलगाय को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम (1972) के शेड्यूल- 5 में

(वन मंत्री)

स्थानान्तरित कर दिये जाने के लिए आग्रह किया है, केन्द्र सरकार से इस पर कार्यवाही अपेक्षित है ।

भू-संशोधन के तहत जिला अजमेर में खातेदारी का नियमितीकरण

385. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में 1971–72 के भू संशोधन के तहत खातेदारी नियमितिकरण के कितने मामले, जिनको पूर्व में निपटा दिया गया था, लम्बित है ?

(2) इन लम्बित मामलों को निपटाने व विशेषतौर पर चारागाह एवं नगर–पालिका की पेराफेरी के पड़ने वाले मामलों के संबंध में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(3) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में भू-संशोधन का कार्य वर्ष 1970 में प्रारम्भ हुआ था। इस कार्य के फलस्वरूप तैयार किये गये अभिलेख में विभिन्न अनियमिततायें पाई जाने के कारण जिन मामलों को नहीं निपटाया जा सका को समय-समय पर राजस्व अभियान आयोजित कर नियमों के परिपेक्ष्य में नियमितिकरण किया गया था। अतः अधिकांश वे ही मामले लम्बित हैं जिनका कि नियमितिकरण किया जाना विद्यमान नियमों के अन्तर्गत सम्भव नहीं है। ऐसे लम्बित प्रकरणों की संख्या समय समय पर भिन्न भिन्न बनाई जाकर प्रथमदृष्टया 33434 बताई गई, ऐसे मामलों का पुनः सर्वे कराये जाने व पुनरवलोकन के परिणाम स्वरूप 47044 प्रकरण लम्बित होना पाया गया है।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) अब तक की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

तहसील मुख्यालय सरवाड़ (अजमेर) के अन्तर्गत पटवार सर्किल

386. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर जिले में सरवाड़ तहसील मुख्यालय है ? यदि हां, तो इस तहसील में कुल कितने पटवार सर्किल हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त पटवार सर्किल में से कितने भिनाय विधान सभा क्षेत्र के एवं कितने केकड़ी के हैं ? तहसील नक्शे की प्रति तहसील मुख्यालय दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त विवरण को देखते हुए सरवाड़ तहसील मुख्यालय रखा जाना जनहित में न्यायायोचित है ? यदि हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील सरवाड में 55 पटवार मण्डल हैं। सूची संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 44 पटवार मण्डल तथा केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में 11 पटवार मण्डल हैं। नक्शे की प्रति संलग्न है।

(3) सरवाड़ तहसील का मुख्यालय सरवाड़ में पूर्व से ही स्थापित है और इसे बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(सूची व नक्शा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला जालौर के न्यायालयों में भूमि–रूपान्तरण के प्रकरण

387. **श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में भूमि रूपान्तरण नियमों के अन्तर्गत सन् 1981 से आज तक किस–किस न्यायालय से कितने मुकदमों के फैसले कर दिये गये व कितने मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूमि रूपान्तरण के समय नगरपालिका का शुल्क भी वसूल किया जाता है जो विकास हेतु नगरपालिकाओं को दिया जाता है ?

(3) वर्ष 1981 से आज तक सांचौर नगरपालिका को मिलने वाली रकम कितनी है और वह रकम नगरपालिका को आज तक दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उस रकम को नगर पालिका, सांचौर को कब तक देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। भूमि रूपान्तरण के समय पेराफैरीयल विकास शुल्क की राशि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9(31) नविश्रा/82/दि. 10–6–82 के अनुसार राज्य कोष में जमा कराने के निर्देश थे तथा नगरपालिका द्वारा विकास की योजना बनाकर भेजने पर राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि का हस्तान्तरण सम्बन्धित नगरपालिका को किये जाने का प्रावधान था। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 9(31) नविश्रा/1/82 दि. 21–12–89 के द्वारा राजस्थान पेरीफैरीयल विकास शुल्क फण्ड नियमों को विलोपित किया जा चुका है। अब राशि सम्बन्धित नगरपालिका में ही जमा होती है।

(3) उप खण्ड अधिकारी भीनमाल के प्रमाण-पत्र के अनुसार नगरपालिका सांचौर के वर्ष 1981 से 1990–91 तक कुल 2,32,440/– पेराफैरी विकास शुल्क के जमा है। नियमों के अन्तर्गत इस संबंध में कोषाधिकारी से प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण, राशि नगर पालिका सांचौर को अभी तक नहीं दी जा सकी है। कोष कार्यालय से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् उक्त राशि नगरपालिका सांचौर को हस्तान्तरित की जा सकेगी।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

नटाटा (जमवारामगढ़) राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 पर अनधिकृत तामीर

388. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर का राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 से आने वाला (25 फीट चौड़ाई का) ग्राम रास्ता किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन दीवार बनाकर रोक देने की शिकायतें तहसीलदार आमेर, जिला कलक्टर, जयपुर को ग्रामवासियों/विभिन्न संगठनों इत्यादि से प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो ग्रामवासियों द्वारा क्रय शुदा उक्त ग्राम रास्ते खसरा नं. 220/2 (क्षेत्रफल 641/1) 3 के संबंध में गत एक वर्ष में प्राप्त शिकायतों की प्रति, इन पर की गई कार्यवाही सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त अतिक्रमण को हटवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसीलदार, आमेर को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में श्री भागीरथ प्रसाद मीणा, अध्यक्ष, नवयुवक मण्डल नटाटा द्वारा दिनांक 12.8.91 तथा 13.8.91 को शिकायत थाना प्रभारी, आमेर थाना को प्रस्तुत की गई थी, (जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है) यह शिकायत प्राप्त होने पर थाना आमेर ने धारा 133 दफ्तर फौजदारी (सी.आर.पी.सी.) के तहत एक इस्तगासा न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, आमेर मुख्यालय जयपुर को प्रस्तुत किया है। जिस पर न्यायालय द्वारा गैर सायबान के विरूद्ध सशर्त आदेश पारित कर सुनवाई की तिथि 9.3.92 निश्चित की गई है।

(2) ख.नं. 220/2 खातेदारी का रकबा श्री रामेश्वर लाल पुत्र मालीराम जाति अग्रवाल निवासी हल्दियों का रास्ता जयपुर का है। उपरोक्त खसरा दो ग्रामों की सीमा पर है। तथा दोनों ग्राम अलग-अलग तहसीलों में हैं। दोनों तहसीलों की संयुक्त टीम द्वारा जांच के वक्त यदि डण्डा अवैध पाया जावेगा, तो तुड़वा दिया जावेगा।

(शिकायत की प्रति अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मकराना अथवा कुचामन को नया जिला बनाने की मांग

389. **श्री बिरधा राम चौधरी** (मकराना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले की तहसील वार जनसंख्या कितनी है तथा नागौर जिला मुख्यालय से प्रत्येक तहसील की दूरी कितने-कितने कि.मी. हैं एवं प्रत्येक तहसील की भूमि का क्षेत्रफल क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिला मुख्यालय से तहसील परबतसर उप-तहसील मकराना, तहसील नावां उप तहसील नावां, तहसील डीडवाना तहसील लाडनूं की दूरी

(श्री बिरधाराम चौधरी)

बहुत ज्यादा होने से जनता की सुविधा के लिए जनता/जन प्रतिनिधियों द्वारा मकराना या कुचामन को अलग जिला बनाने की मांग की जाती रही है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले की तहसीलवार जनसंख्या, दूरी तथा क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :—

तहसील का नाम	जनसंख्या	जिला मुख्यालय से दूरी (कि. मी.)	क्षेत्रफल है.
1. नागौर	3,24,154	—	4,70,781
2. जायल	1,38,777	53	2,08,102
3. मेड़ता	2,08,254	82	2,29,728
4. डेगाना	1,67,128	80	1,90,647
5. परबतसर	2,79,547	140	2,22,331
6. नांवा	1,88,053	180	1,52,282
7. डीडवाना	1,92,632	100	1,64,677
8. लाड़नूं	1,30,184	98	1,25,750

(2) जी हां। अभी किसी भी स्थान पर नया जिला बनाये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये प्रकरण

390. **श्री रखब चन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रतापगढ़ तहसील के कुल कितने प्रकरण तहसीलदार द्वारा राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अगस्त 1991 से जनवरी, 1992 तक बनाये गये है ? इसमें से जन जाति के कुल कितने व्यक्ति हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अगस्त, 1991 से जनवरी, 1992 तक कुल 1989 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इनमें से जनजाति के कुल 1028 व्यक्ति हैं। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति मुख्यालय पर तहसील/उप तहसील कार्यालय

391. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर-पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर तहसील अथवा उप तहसील कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या ग्राम पीसांगन जिला अजमेर व ग्राम रूपनगढ़ जिला अजमेर में तहसील अथवा उप तहसील कार्यालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो कार्यालय कब तक खोल दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

घग्घर नदी के डिप्रेशन से रिक्त स्थानों पर रबी की फसल

392. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1991 में गंगानगर जिले की घग्घर नदी से भरने वाले डिप्रेशन्स के खाली हुए स्थानों पर रबी की फसल बोई गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से डिप्रेशन में कितने क्षेत्र में कौन-कौन सी फसल बोई गई तथा यह फसल किस आधार पर बोई गई ? भूमि किसी को अलाट की गई या नीलामी पर दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि गंगानगर जिलों के इन खाली डिप्रेशन्स की भूमि पर रबी की फसल की बुआई बड़े जमींदारों ने की है ? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा ?

(3) क्या राज्य सरकार ने जिन गरीब अन्त्योदय परिवारों का गांव में चयन किया था राजस्व विभाग ने इस भूमि को भविष्य में उन्हें देने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष, 1991 में जिला श्रीगंगानगर में घग्घर नदी से भरने वाले डिप्रेशनों के खाली हुए स्थानों पर कुल 3210–00 बीघा में रबी की फसल बोई गयी । डिप्रेशनवार, क्षेत्रफलवार, एवं फसलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है ।

उक्त भूमि पर नाजायज काश्त की गई थी । क्योंकि भूमि का आवंटन किसी को नहीं था, भूमि घग्घर विभाग के नाम से रिकार्ड में दर्ज है ।

(2) यह सही नहीं है कि इन खाली डिप्रेशनों की भूमि पर रबी फसल की बुआई बड़े जमींदारों ने की है उक्त बुआई छोटे–छोटे काश्तकारों ने की है । तहसील सूरतगढ़ से प्राप्त अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट-2 में संलग्न है । तहसील पीलीबंगा में सूची प्राप्त होनी शेष है जो प्राप्त होने पर शीघ्र ही प्रेषित कर दी जावेगी ।

(3) यह भूमि सिंचाई विभाग की

(राजस्व मंत्री)

खातेदारी में है। ऐसी स्थिति में इन भूमि को किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)।

प्रतापगढ़ व अरनोद (चित्तौड़गढ़) में उचित मूल्य की दुकानें

393. **श्री रखब चन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ व अरनोद तहसील में सस्ते मूल्य की दुकानें कहां-कहां हैं तथा किन-किन व्यक्तियों को लाईसेन्स दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उचित मूल्य की दुकान का लाईसेन्स देने का क्या प्रावधान है ? प्रतापगढ़ व अरनोद तहसील में सरकार द्वारा दिये गये लाइसेन्स क्या नियमानुसार दिये गये हैं ?

(3) उक्त तहसीलों में कौन–कौन डीलर कितने–कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? उनको लाइसेन्स देने की तारीख लाइसेन्स धारी का नाम एवं गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत खेरोट के डीलर द्वारा नियंत्रित गेहूं व केरोसीन की काला बाजारी करने के सम्बन्ध में शिकायत करने पर खाद्य निरीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अब इस संबंध में कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ व अरनोद तहसील में सस्ते मूल्य की दुकानें जहां–जहां है तथा जिन–जिन व्यक्तियों को लाईसेन्स दिये गये हैं, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अन्तर्गत प्राथमिकता के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस दिया जाता है। प्रतापगढ़ व अरनोद तहसील में लाइसेन्स नियमानुसार दिये गये हैं।

(3) उक्त तहसीलों में जो–जो डीलर जितने–जिसने वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनको लाइसेन्स देने की तारीख, लाइसेन्सधारी का नाम एवं गांववार विवरण प्रश्न के भाग (1) की सूची में अंकित है।

(4) यह सही नहीं है कि प्रतापगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत खेरोट के डीलर द्वारा नियंत्रित गेहूं व केरोसीन की काला–बाजारी करने के संबंध में शिकायत करने पर खाद्य निरीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता की मौजूदगी में शिकायत की जांच करने पर शिकायत तथ्यहीन पाई गई।

(5) प्रश्न के भाग (4) में विस्तृत

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

स्थिति अंकित है। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला झालावाड़ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को खाद्य सामग्री का आवंटन

394. **श्री बालचन्द (डग)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में वर्ष 1990 से अब तक कितनी-कितनी चीनी-घासलेट-गेहूं, चावल का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया गया ?

(2) उपरोक्त वस्तुएं प्रति व्यक्ति को कितनी–कितनी मात्रा में प्रतिमाह दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि भवानीमंडी कस्बे में 8 माह से चीनी नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? अब चीनी कब तक उपलब्ध करादी जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में वर्ष 1990 जनवरी, 92 तक चीनी, घासलेट, गेहूं का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को निम्नलिखित मात्रा में आवंटन किया गया :—

नाम वस्तु	शहरी	ग्रामीण क्षेत्र
चीनी	560.1	9314.9 मै. टन
गेहूं	4347.0	17704.0 मै. टन
केरोसीन	2000 कि.ली.	12372 कि.ली.

झालावाड़ जिले को वर्ष 1990 से जनवरी, 92 तक प्रतिमाह 10 मै. टन चावल का आवंटन खाद्य विभाग द्वारा किया गया। लेकिन स्थानीय मांग नहीं होने से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उसका आवंटन नहीं किया गया।

(2) लेवी चीनी 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, घासलेट प्रति राशन कार्ड प्रति–माह शहरी क्षेत्र में 10 लीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5 लीटर तथा गेहूं 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह नवम्बर, 91 तक एवं दिसम्बर, 91 से 5 किलो प्रति व्यक्ति और अधिकतम 25 किलो प्रति राशनकार्ड दिया गया।

(3) भवानी मण्डी कस्बे में 6 माह से चीनी नहीं मिल रही है, यह सही है। भवानी मण्डी के लिये लेवी चीनी के लिये नियुक्त थोक विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति खराब होने से इस क्षेत्र के लिये नये थोक विक्रेता नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं। जैसे ही थोक विक्रेता की नियुक्ति होगी, भवानी मण्डी क्षेत्र में लेवी चीनी उपलब्ध करादी जावेगी।

जोधपुर क्षेत्र में सस्ते मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण

395 **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में इस समय कितनी राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है ? दुकानों का स्थान, पता व प्रत्येक दुकान के कितने राशन कार्ड यूनिट्स हैं, प्रत्येक यूनिट को गेहूं व शक्कर का वितरण किस मात्रा में होता है, वर्णित करते हुए सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें से कौन-कौन दुकानें सहकारी समिति की हैं ?

(2) उक्त दुकानों से प्रत्येक दुकान द्वारा दिनांक 1–4–91 से 31–1–92 तक क्या-क्या सामग्री/खाद्य तेल/चावल/गेहूं चीनी व केरोसिन कितना-कितना वितरित किया गया है ? सूची माहवार सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन राशन की दुकानों के विरुद्ध पिछले एक वर्ष में शिकायतें हुई हैं ? इन शिकायतों की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई व जांच का क्या परिणाम हुआ व कितनी जांचें पेंडिंग हैं सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में इस समय 68 राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। दुकानों का स्थान, पता व प्रत्येक दुकान पर जितने राशन कार्ड यूनिट हैं एवं इन दुकानों में से जो–जो दुकानें सहकारी समिति की हैं, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जोधपुर शहर में प्रत्येक यूनिट को गेहूं 4 किलो एवं चीनी 400 ग्राम की समान रूप से दी जा रही हैं।

(2) उक्त दुकानों से प्रत्येक दुकान द्वारा दिनांक 1.4.91 से 31.1.9.92 तक खाद्य तेल चावल, गेहूं, चीनी व केरोसीन आयल जितना–जितना वितरित किया गया है, उसका माहवार विवरण प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में प्रस्तुत की सूची में अंकित है।

(3) जिन–जिन राशन की दुकानों के विरुद्ध पिछले एक वर्ष में शिकायत हुई हैं उन शिकायतों की जांच जिन-जिन अधिकारियों द्वारा की गई, जांच का जो परिणाम हुआ और जितनी जांच पैण्डिग हैं, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माही एवं कड़ाणा बांध के डूब क्षेत्रों के विस्थापित

396. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बांसवाड़ा जिले में माही बांध एवं कड़ाणा बान्ध के डूब क्षेत्रों के कितने लोगों को अन्य जगहों पर विस्थापित करना रह गया है ? यदि हां, तो उन लोगों को कहां-कहाँ बसाये जाने की योजना है ? यदि कोई योजना है, तो वह कब तक पूरी हो जाएगी ?

उत्तर

माही बांध के जलस्तर 921 एवं

(सिंचाई मंत्री)

कड़ाणा बांध के जलस्तर 419 से प्रभावित समस्त विस्थापितों को बसाया जा चुका है। अब कोई भी विस्थापित बसाया जाना शेष नहीं है।

किशनगढ़ में प्राकृतिक पैदावार की नीलामी

397. **श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर-पूर्व)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई विभाग द्वितीय खण्ड, अजमेर के अधीन किशनगढ़ उपखण्ड से प्राकृतिक पैदावार की नीलामी के फार्म क्रमांक 147 दिनांक 30-1-1991, क्रमांक 287 दिनांक 23-2-1991, क्रमांक 2331 दिनांक 19-7-1991 के द्वारा खंडीय कार्यालय, अजमेर में भेजे गए थे ? अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इनकी स्वीकृति कब दी गई ? कब नीलामी की गई ? कब नीलामी की रकम जमा कराई ?

(2) नीलामी राशि प्राप्त होने पर कितने दिनों में सरकारी कोष में जमा कराने का प्रावधान है ? क्या सही समय पर राशि जमा कराई गई ? यदि नहीं, तो क्या यह राज्य के धन का गबन/दुरुपयोग की परिधि में नहीं आता है ? सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) किसी तालाब या नहर पर प्राकृतिक नीलामी की स्वीकृति खण्डीय अधिकारी द्वारा समय पर नहीं देने के कारण जो प्राकृतिक पैदावार (लूम पापड़ी आदि) तत्काल नष्ट हो जाती है, उस हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां। फार्म जारी किए थे, नीलामी की स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(2) चूंकि नीलामी नहीं हुई। अतः नीलामी राशि जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) यदि विलम्ब से हानि हुई है तो उसकी जांच कराने के पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

नर्मदा केनाल कार्य

398. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नर्मदा केनाल का कार्य चालू करने हेतु, विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से मांग की थी ? यदि हां, तो कब और उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या सरकार ने नर्मदा केनाल में आने वाले गांवों का सर्वे कराया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से गांव किस-किस तहसील के आते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गुजरात सरकार ने राजस्थान सरकार को सूचित किया है कि गुजरात सरकार समय पर

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

केनाल का कार्य पूरा कर देगी व राजस्थान सरकार भी उसके लिए तैयार रहे ?

(4) क्या सरकार प्राइमरी कार्य को शुरू करने हेतु सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने दिनांक 28.9.89 के पत्र द्वारा भारत सरकार से योजना के निर्माण हेतु विश्व बैंक अथवा किसी बाह्य ऐजेंन्सी से सहायता प्राप्त करने हेतु निवेदन किया था।

4.12.91 को योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा परि-योजना की रिपोर्ट स्वीकार की गई। तदोपरान्त भारत सरकार ने विश्व बैंक को परियोजना के निर्माण हेतु सहायता के लिये पाइप लाइन में सम्मिलित करने के लिये निवेदन कर दिया है।

(2) जी हां। नर्मदा कैनाल से जालौर जिले को सांचौर तहसील के 76 ग्राम एवं बाड़मेर जिले को गुड़ामालानी तहसील के 7 ग्राम लाभान्वित होंगें। सूची परिशिष्ट "अ" है, "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। गुजरात सरकार के निर्माण कार्यक्रम के अनुसार गुजरात सीमा में मुख्य नहर का निर्माण (गुजरात-राज-स्थान सीमा तक (1997 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(4) अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्य की अधिकता को देखकर उचित समय पर निर्णय लिया जायगा।

(सूची के लिए परिशिष्ट 8 देखें)

राज्य की "तीस जिला तीस काम" योजना

399. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत कोटा जिले में लिफ्ट सिंचाई योजनायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ?

(2) कोटा व झालावाड़ जिलों में उक्त योजनान्तर्गत कहां पर कार्य स्वीकृत किये गये तथा कितनी राशि के ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील के बिजावता, मोरखूंदना तथा खेड़ा गांवों में भी लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति हेतु मांग की गई थी ? यदि हां, तो उक्त स्थानों की लिफ्ट योजनाओं को स्वीकृति नहीं मिलने का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार जनहित में उक्त योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोटा जिले में 17 कार्य स्वीकृत हुए हैं उनकी सूचना प्रपत्र "अ" में सदन की मेज पर रख दी गई है। झालावाड़ जिले

(सिंचाई मंत्री)

में अभी तक कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ हैं।

(3) जी हां। मोरखुंदना तथा खेड़ा गांवों की योजनाओं की लागत अधिक होने के कारण इस योजना में स्वीकृत नहीं की जा सकी। इस योजना में पांच लाख रुपये लागत की ही योजनाएं स्वीकृत की गई, जिनका रख-रखाव काश्तकार स्वयं करेंगे। बिजावता गांव चम्बल की नहरों के कमाण्ड में आता है।

(4) इनका सर्वे कराया जाएगा। उपयुक्त पाने तथा पर्याप्त राशि होने पर इन योजनाओं के चलाने के बारे में विचार किया जाएगा।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

माही बजाज सागर, बांसवाड़ा

400. **श्री बहादुर सिंह (दानपुर)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माही बजाज सागर, बांसवाड़ा का वार्षिक बजट सन् 1990–91 एवं 1991–92 में कितना स्वीकृत था ? क्या वार्षिक बजट के अनुसार कार्य किये गये ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या माही बजाज सागर का वार्षिक बजट 1991–92 लैप्स होने को है ? यदि हां, तो कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बजट के तहत कितनी लम्बी नालियों, धोरे पक्के बनाये गये हैं ? क्या यह धोरे स्थानीय कृषकों से बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि प्रति दिन पानी बेकार बह कर जाता है और उक्त पानी से हजारों बीघा भूमि ऊसर (अन उपजाऊ) हो गई है ? यदि हां, तो जमीन को ऊसर होने से रोकने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ?

उत्तर

(1) माही बजाज सागर परियोजना का स्वीकृत वार्षिक बजट निम्नानुसार है।

इकाई	वर्ष 90-91	वर्ष 91–92
प्रथम	350 लाख	500 लाख
द्वितीय	2060 लाख	2097 लाख
तृतीय	100 लाख	1 लाख
चतुर्थ	28 लाख	2 लाख
योग	2538 लाख	2600 लाख
सी.ए.डी. वृत्त	99·95 लाख	170 लाख

सिंचाई मंत्री)

माही बजाज सागर परियोजना

माही बजाज सागर परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 90–91 में राज्य योजना के अंतर्गत 2,538 लाख रु. का एवं वर्ष 91–92 में 2,600 लाख रु. का आवंटन किया। उपरोक्त स्वीकृत राशि के अन्तर्गत मुख्य बांध के नीचे बचाव कार्य, बांध सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल, भुंगड़ा एवं आनंदपुरी नहर का निर्माण कार्य व माही अनास नदी पर साइफनों का निर्माण कार्य किया गया। इनके अतिरिक्त माही नहरों का बकाया कार्य भी कराया गया एवं आवश्यकतानुसार नहरों की लाइनिंग की गई।

सी. ए. डी. वृत्त :

इस वृत्त के अन्तर्गत वर्ष 90–91 एवं 91–92 में निम्नानुसार स्वीकृत बजट के अन्तर्गत कार्य कराये गये।

विवरण	वर्ष 90–91	वर्ष 91–92 जनवरी, 92 तक
1. कच्चे धोरों का निर्माण	1407 हैक्टेयर	856 हैक्टेयर (इनमें स्टैन्गथनिंग कार्य)
2. कलवर्ट का निर्माण	320 नं.	401 नं.
3. धोरों को पक्का करने का कार्य	52.06 किमी.	123.073 कि. मी.

(2) जी, नहीं।

3. वर्ष 1990–91 व 91–92 में क्रमशः 52.06 कि.मी. एवं 123.073 कि. मी. लम्बाई में धोरे पक्के करवाये गये हैं। कच्चे धोरे कृषकों द्वारा नहीं बनाये गये हैं बल्कि सरकार द्वारा पूर्व के वित्तीय वर्षों में बनाये गये हैं।

4. जी नहीं। माही की दांई मुख्य नहर/बांई मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं/उप वितरिकाओं में निर्धारित मापदंडों एवं आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु पानी छोड़ा जाता है। अतः पानी बेकार नहीं बहता है और अभी तक कोई भूमि नहर के पानी से ऊसर (अनुपजाऊ) नहीं हुई है।

सपोटरा के बांधों का निर्माण कार्य

401. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार सपोटरा क्षेत्र के राहर व अटेवा बांधों को कब तक पूरा कराने का इरादा रखती है ?

(2) इन बांधों में अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है और कितनी राशि खर्च करना शेष है ?

(3) इन बांधों में लेबर की कितनी बकाया है ? यदि राशि बकाया है, तो उसका भुगतान लेबर को कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सपोटरा क्षेत्र के राहर (बनिजारा) व अटेवा बांधों के अधूरे कार्यों के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि होने पर पूरे कराना संभव होगा।

(2) राहर (बनिजरा) व अटेवा पर आर.एल.ई.जी.पी. मद में क्रमशः 6.35 लाख व 7.54 लाख रुपये खर्च हुए तथा जे.आर.वाई. मद में क्रमशः 8.50 लाख व 9.31 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इन बांधों के लिए वर्तमान में क्रमशः लगभग 9.05 लाख व 7.75 लाख रुपये की अनुमानित राशि की और आवश्यकता है।

(3) अटेवा बांध पर समस्त मजदूरों का भुगतान किया जा चुका है। राहिर बनिजरा के 190 मजदूरों का 1,14,682/- रुपये का भुगतान बकाया है जिसका भुगतान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर से राशि प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।

मांचड़ी (अलवर) का सिंचाई बांध

402. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम माचड़ी तहसील अलवर (जिला-अलवर) में कोई सिंचाई विभाग का बांध है ? यदि हां, तो इसका नाम क्या है ?

(2) क्या इस बांध से सिंचाई की सुविधा दी जाती है ? यदि हां, तो किस आधार या मानदण्ड पर ?

(3) इस बांध का निर्माण कब किसके द्वारा एवं किस उद्देश्य से कराया गया है ?

(4) क्या सरकार इस बांध के विस्तार का विचार रखती है ? यहि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी हां। इसका नाम माचेडी सेडल बांध है।

(2) जी हां। जयसमन्द बांध में लगभग 17 फीट पानी आ जाता है, तब सैडल बांध में पानी एकत्रित होना शुरू हो जाता है। जो बाद में किसानों की मांग के अनुसार सिंचाई हेतु बांध की मोरी खोली जाकर दिया जाता है।

(3) इस बांध का निर्माण अलवर रियासत के शासक द्वारा लगभग 90 वर्ष पूर्व कराया गया और इसका मुख्य उद्देश्य जब पानी उपलब्ध हो तब ऊंचे लेबल के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था।

(4) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 403
(स्थगित)

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में खरीददारी

404. श्री हरीश झामनानी (अजमेर–पश्चिम) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1989–90, 1990–91 व 1991–92 में राजकीय महाविद्यालय, अजमेर की विभिन्न सरकारी मदों से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ? इस राशि में से स्थाई प्रकृति की कौन–कौन सी वस्तुओं की खरीददारी की गई ? वस्तु का नाम, खरीद की दिनांक, वस्तु की लागत व संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में खरीददारी बिना निविदा के की गई ? यदि हां, तो बिना निविदा के क्रय की गई वस्तुओं के नाम, खरीद की लागत, संख्या व दिनांक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में महाविद्यालय में राज्य मद की राशि के अलावा छात्र कोष की राशि से भी खरीद-दारी की गई ? यदि हां, छात्र कोष से क्रय की गई वस्तुओं के नाम, खरीद की लागत संख्या एवं दिनांक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त वस्तुओं की खरीद से राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार नहीं पड़ा ? यदि नहीं, तो कैसे ? क्या इन वस्तुओं की खरीद आवश्यक थी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) (अ) वर्ष 89–90, 90–91 व 91–92 में अजमेर महाविद्यालय को संलग्न प्रपत्र (अ) के अनुसार राशि प्राप्त हुई है।

(ब) इस राशि में से स्थायी प्रकृति की क्रय की गई वस्तुओं का विवरण प्रपत्र (ब) में संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। समस्त क्रय आवश्यकता के औचित्य की जांच उपरान्त इस हेतु स्वीकृत राशि से नियमानुसार किये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राष्ट्रीयकृत बैंकों में वाणिज्य कर जमा कराने की सुविधा

405. श्री हरीश झामनानी (अजमेर–पश्चिम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में वाणिज्य कर जमा कराने की सुविधा सभी राष्ट्रीयकृत बैंक में है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर शहर में वाणिज्य कर जमा कराने हेतु केवल दो बैंकों को ही अधिकृत कर रखा है ?

(3) क्या व्यवसाय व औद्योगिक विकास के अनुपात में वाणिज्य कर जमा

(श्री हरीश भामनानी)

कराने की सुविधा बढ़ी है ? यदि हां, तो वर्ष 1990–91 व 1991–92 में किस किस शहर में किस-किस बैंक में वाणिज्य कर जमा कराने की सुविधा दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अजमेर शहर में वाणिज्य कर जमा कराने की सुविधा निकट भविष्य में औद्योगिक एस्टेट माखुपुरा व औद्योगिक (इन्डस्ट्रियल ऐरिया) एच.एम टी. के पास करने का मानस रखती है ? यदि हां, तो यह सुविधा कब से चालू होगी ?

उत्तर

(1) हां है।

(2) हां।

(3) हां। सूची संलग्न है।

(4) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की औद्योगिक क्षेत्र माखुपुरा ब्रांच को अधिकृत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक एवं स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के मुख्यालय को इस सम्बन्ध में उनकी सहमति हेतु लिखा गया है। उनकी सहमति प्राप्त होते ही इस ब्रांच को अधिकृत कर दिया जावेगा। औद्योगिक इन्डस्ट्रीयल एरिया एच. एम. टी. के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

महाविद्यालयों में कालांशों के निर्धारण के मानदण्ड

406. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में विषय विशेष की कक्षाओं के प्राध्यापकों द्वारा एक सप्ताह में लिये जाने वाले कालांशों (पीरियड) की संख्या निर्धारित की हुई है ? यदि हां तो वह संख्या क्या है ? इस विषयक नियम/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में एक प्राध्यापक द्वारा एक सप्ताह में लिये जाने वाले निर्धारित कालांशों की संख्या किस प्रकार निर्धारित की हुई है ? एक सप्ताह में अनिवार्य/ऐच्छिक विषय के कितने कालांश होते हैं और एक विषय के दो पेपर होने पर पृथक पृथक कितने कितने कालांश प्रति सप्ताह निर्धारित हैं ? इस विषयक आदेश या नियमादि की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि महाविद्यालय में प्राध्यापकों के पद वर्क लोड को देख कर स्वीकृत किये जाते हैं ? यदि हां, तो इस विषयक नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(4) जी हां। विषयवार प्रति सप्ताह कालांशों की संख्या एवं इस हेतु लिये गये निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट अ, क, ख, एवं ग)

(2) कलांशों का यह निवारण राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा कार्यभार हेतु निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया

(उच्च शिक्षा मंत्री)

जाता है। एक सप्ताह में अनिवार्य/एच्छिक विषय के कालांशों की संख्या परिशिष्ट 'ब' में निर्दिष्ट की गई है। एक विषय के दो पेपर होने पर स्नातक स्तर पर 9 कालांश दिये जाते हैं जिनका पृथक-पृथक विभाजन विभागाध्यक्ष द्वारा पाठ्यक्रम की मात्रा को ध्यान में रखते हुए 5+4 अथवा 6+3 में किया जाता है।

(3) जी, हां। इस विषयक नियमों/आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट अ एवं ब)।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र सेवा मण्डल

407. **श्री दिलसुखराय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र सेवा मण्डल के सचिव पद के लिए विज्ञापन संख्या 132/90-91 के अनुसार पद की योग्यता के लिए 3 वर्ष का शैक्षणिक अथवा 3 वर्ष का अनुसंधान अथवा 3 वर्ष का प्रशासकीय अनुभव आवश्यक था ?

(2) क्या इस पर नियुक्त किये गये व्यक्ति के पास आवश्यक योग्यताएं थीं ? यदि नहीं, तो किन कारणों से उसकी नियुक्ति की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। नियुक्त किये गये व्यक्ति के पास आवश्यक योग्यता थी।

ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू द्वारा खेल कोठों का निर्माण

408. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू द्वारा पिछले 7 साल में सन् 1985–86 से अब तक विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कितने जी.एल.आर., पी.एस.पी., सी.डब्ल्यू डी., खेल कोठा बनाये गये हैं ? पंचायत समितिवार, ग्रामानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जल प्रदाय विभाग द्वारा उक्त सभी को पानी की पाइप लाइन में जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो सूची पंचायत समितिवार व ग्रामानुसार सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि डी.आर.डी.ए. द्वारा स्वीकृत तथा ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित खेल कोठों को धनाभाव के कारण आज तक पानी की पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो इन्हें निर्मित क्यों करवाया गया था ? अब कब तक सरकार धन उपलब्ध करवाकर ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित इन खेल-कोठों को पानी की पाइप लाइन से जोड़ने का विचार रखती है ?

(श्री भंवरलाल)

(4) पंचायत समिति, सुजानगढ़ में निर्मित समस्त जी.एल.आर.,पी.एस.पी., सी.डब्ल्यू.डी. एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित खेल कोठों को कब तक पानी की पाइप लाइन से जोड़ दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जि.गा. वि. अभि., चूरू द्वारा पिछले सात सालों में सन् 1985-86 से अब तक विभिन्न एजेन्सियों द्वारा जी.एल. आर.,पी.एस.पी.,सी.डब्ल्यू.टी., खेल-कोठा, खेली व हौज जो बनाये गये हैं, उनका पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर एवं पंचायत समिति एवं ग्रामानुसार विवरण परिशिष्ट "ब" तथा "स" पर संलग्न है ।

(2) जिले में निर्मित जी.एल.आर.,पी. एस.पी.,सी.डब्ल्यू.टी. कोठा-खैली, खैली व हौज जो कि पाइप लाइन से जोड़ दिये गये हैं एवं जो जोड़े जाने हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "ब" व "स" में अंकित है । जिले में कुल 1478 जी.एल.आर.,पी.एस.पी., सी. डब्ल्यू.टी., कोठा-खैली, खैली व हौज में से 1046 को पाइप लाइन से जोड़ दिया गया है, शेष 432 को जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जिले में निर्मित 541 कोठा-खैली व खैली में से 212 को पाइप लाइन से जोड़ दिया गया है । शेष रहे कोठा-खैली व खैली को जोड़ने के लिए जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को 30 जिला 30 काम योजनान्तर्गत रु. 16.35 लाख की स्वीकृति जारी कर कार्यवाही की जा रही है ।

(4) पंचायत समिति, सुजानगढ़ में कुल निर्मित जी.एल.आर., पी.एस.पी. एवं सी. डब्ल्यू.टी. 132 हैं जिनमें से सिर्फ एक जी. एल.आर. ढाणी रिणवा को पाइप लाइन से जोड़ा जाना शेष है जिसे कुएं पर विद्युत कनेक्शन होते ही जोड़ दिया जावेगा । पंचायतों द्वारा निर्मित 32 खैली, 68 कोठा-खैली एवं 3 हौज में से क्रमश: 11 खेली, 16 कोठा खेली, को पाइप लाइन से जोड़ दिया गया है । शेष 21 खैली, 52 कोठा-खैली एवं 3 हौज को जोड़ने के लिए 30 जिला 30 काम योजना के अन्तर्गत जन स्वा. अभि. विभाग को 5.05 लाख रु. हस्तान्तरित कर पाइप लाइन से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं की राशि का उपयोग

409. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय परिवर्तित (सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड योजनाएं) (1) जवाहर रोजगार योजना, (2) एन.आर.आई.पी. (3) आर. एल.ई.जी. पी. हेतु आवंटित धनराशि के पूर्णता व उपयोगिता प्रमाण-पत्र कितने जिलों से 31-12-1991 तक प्राप्त हो गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। उपरोक्त तीनों योजनाओं में कितनी धनराशि के पूर्णतया व उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिले से राज्य को प्राप्त होना तथा राज्य से केन्द्र को भेजा जाना अवशेष हैं ?

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(2) क्या पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में धनराशि की अगली किश्त के आवंटन में राज्य को कम धनराशि उपलब्ध होती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में केवल जवाहर रोजगार योजना ही केन्द्रीय प्रवर्तित योजना इस विभाग में चल रही है। एन.आर.ई.पी. तथा आर.एल.ई.जी.पी. योजनाएं भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.4.89 से समाप्त की जा चुकी हैं। दिनांक 31.12.91 तक जिलेवार व योजनावार प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति परिशिष्ट 1,2 व 3 में अंकित कर दी गई है।

तीनों योजनाओं के अंतर्गत दिनांक 31.12.91 को जिलों से शेष रहे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति परिशिष्ट 4 में अंकित है। राज्य से केन्द्र को अलग से कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भिजवाया जाता है। केवल जिलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की जांच कर मूल उपयोगिता प्रमाण-पत्र ही केन्द्र सरकार को भिजवाये जाते हैं।

(2) जी हां। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभाव में द्वितीय किश्त के आवंटन में राज्य को कम धनराशि उपलब्ध हो सकती है।

इस वित्तीय वर्ष में कम राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाने के कारण भारत सरकार को धनराशि नहीं काटे जाने हेतु विभाग द्वारा पत्र लिखे गये हैं और साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर भी सभी प्रयास किये गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को टेलेक्स द्वारा सम्पूर्ण राशि जारी करवाने हेतु आग्रह किया गया है। साथ ही सभी जिलों को विभाग द्वारा सभी शेष उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को माह जून, 1992 तक पूर्ण करके भिजवाने हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित भवन

410. **श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991–92 में जिला चूरू में डी.आर.डी.ए. द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंचायत समिति वार कितने मकान बनवाये गये ? क्या इन समस्त भवनों (आवासीय योजना) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(2) क्या इन समस्त आवासीय योजनान्तर्गत बने मकानों का भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, सुजानगढ़ में कई मकानों की किश्त बकाया है ? यदि हां, तो कहां-कहां की तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991–92 में जिला चूरू में डी. आर. डी. ए. द्वारा विभिन्न योजनाओं (इंदिरा आवास योजना) के अन्तर्गत पंचायत समितिवार बनाये गये मकान निम्नानुसार हैं :—

क्र. सं.	पंचायत समिति		बनाये गये मकान पूर्ण	अपूर्ण	(आवास) योग
1.	चूरू		6	15	21
2.	सरदार शहर		9	—	9
3	रतनगढ		—	1	1
4.	सुजानगढ		—	11	11
5.	राजगढ		3	6	9
6.	डूंगरगढ		—	4	4
7.	तारानगर		3	—	3
		योग	21	37	58

जी नहीं। इनमें से 21 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

(2) पूर्ण हुए मकानों का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। निर्माणाधीन मकानों का भुगतान, प्रगति के अनुसार कर दिया गया है। लाभार्थी के द्वारा कार्य पूर्ण कराने पर भुगतान कर दिया जावेगा।

जी हां। पंचायत समिति सुजानगढ में वर्ष 1991–92 में कुल 11 मकान स्वीकृत हुए जो सभी अपूर्ण मकानों का भुगतान कार्य की प्रगति के अनुसार कर दिया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है। शेष भुगतान लाभार्थी द्वारा कार्य पूर्ण कराने पर कर दिया जावेगा।

(सूची के लिए परिशिष्ट 13 देखें)

बीकानेर की दन्तौर तथा जयमलसर ग्राम पंचायतों में स्वीकृत विकास कार्य

411. **श्री मनीराम** (लूणकरणसर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत दन्तौर, ग्राम पंचायत पूगल, ग्राम पंचायत छतरगढ़ (सत्तासर) व ग्राम पंचायत जयमलसर पंचायत समिति, बीकानेर जिला बीकानेर में सन् 1988–89 से अब तक वर्षवार कितने–कितने लागत के कौन–कौन से विकास कार्य स्वीकृत किये गये, कितने–कितने पूर्ण करा दिये गये तथा कितने–कितने कौन–कौन से अधूरे पड़े हैं ?

(2) क्या सभी निर्माण कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये हैं ? क्या प्रमाण–पत्र जारी करते वक्त निर्माण कार्य पर लगने वाली सामग्री की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा गया है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त पंचायतों में हुए निर्माण कार्यों में जारी की गई उपयोगिता एवं पूर्णता सर्टिफिकेट और सरपंच द्वारा खर्च की गई राशि का अन्तर वसूल करने का विचार रखती है ?

(4) क्या वर्तमान में किसी सरपंच के खिलाफ अन्तर वसूली का मामला चल रहा है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत दंतौर व जयमलसर में वर्ष 1988–89 से अब तक स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य व अपूर्ण कार्यों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) इस प्रकार के अंतर का कोई प्रकरण इन पंचायतों में नहीं है। अत: वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) नहीं। इन ग्राम पंचायतों में किसी भी सरपंच के खिलाफ अन्तर वसूली का मामला नहीं है। अत: वसूली की कार्यवाही नहीं चल रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बांसवाड़ा में जवाहर योजना के तहत स्वीकृत कार्य

412. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1991–92 में बांसवाड़ा जिले में जवाहर योजना के तहत कितने कार्य स्वीकृत किये थे ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश कार्य अधूरे हैं ? यदि हां, तो अधूरे कार्यों को कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला बांसवाड़ा में स्वीकृत कार्यों पर कार्य करने वाले श्रमिकों का भुगतान बाकी है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991–92 में बांसवाड़ा

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

जिले में जवाहर रोजगार योजना के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा 468 कार्य स्वीकृत किये गये। इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विभागीय कार्य को स्वीकृत नहीं किया गया हैं।

(2) जी हां। अनुमानतः समस्त अधूरे कार्यों को मार्च, 92 तक पूर्ण करवा लिया जावेगा।

(3) जी नहीं।.योजना के तहत चलाये जा रहे कार्यों को पूरा कराने हेतु ग्राम पंचायतों को समुचित राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है। किये गये अधिकांश कार्यों की बकाया श्रमिक भुगतान किया जा चुका है तथा कार्य की प्रगति के अनुरूप भुगतान जारी है। विभागीय कार्यों पर बकाया श्रमिक देनदारियों का भुगतान अतिरिक्ति विशेष आवंटन द्वारा किया जा चुका है।

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निर्माण कार्य

413. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1991-92 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कितने मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था तथा अब तक कितने मकान बना लिये गये हैं ?

(2) कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़ जिले के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1991-92 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत 6663 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था तथा फरवरी, 1992 तक 11368 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

(2) कोटा, बूंदी, बांरा तथा झालावाड़ जिले के इन्दिरा आवास के लक्ष्य एवं फरवरी, 92 तक की उपलब्धि का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	जिला	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	कोटा	155	219
2.	बूंदी	158	501
3.	बांरा	207	13
4.	झालावाड़	160	310

विकास अभिकरण पाली द्वारा पंचायत समितियों को स्वीकृत राशि

88. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में विकास अभिकरण द्वारा जनवरी, 1991 से फरवरी, 1992 तक प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई, उसमें कितनी-कितनी, कब-कब, किस-किस मद पर खर्च की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(2) स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये व कौन-कौन से कार्य अधूरे रह गये तथा अधूरे रहने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अधूरे कार्यों को सरकार पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जनवरी, 1991 से फरवरी 92 तक विभिन्न मदों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य, खर्च की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण एवं अधूरे कार्यों का विवरण एवं अधूरे रहने का कारण परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। सरकार इन अधूरे कार्यों को वर्ष 1992-93 के अन्त तक पूरा कराने का विचार रखती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र नैनवां में पेयजल के गंभीर संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री हरिसिह (फुलेरा) और श्री दलजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की निष्पादक परिषद का पूर्णकालीन सभापति एक सेवा निवृत उच्च अधिकारी को बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर में 132, के.वी. सब स्टेशन मकराना व कुचामन सिटी के अन्तर्गत चलने वाले फीडरों को इस वर्ष अजमेर से विद्युत सप्लाई किये जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम साबनिया जिला बीकानेर में विद्युत विभाग की अव्यवस्था से वहां की जनता को हो रही परेशानी तथा उनमें व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(5) डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 1 मार्च, 1992 को झुन्झुनू जिले के मण्डावा थाना क्षेत्र के गांव चूडी अजीतगढ़ में विक्रम सिंह की हत्या किये जाने तथा अभियुक्तों की नामजद रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के ग्राम

(श्री अध्यक्ष)

सेवकों के आन्दोलनरत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के विद्यालयों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को बेरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों से भरे जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले के थाना मानपुर के गांव गीजगढ़ में दिनांक 6 मार्च, 1991 को शकुन्तला नाम की एक महिला को उसके पति सहित मार देने की जांच सी.आई.डी. (सी.बी.) से करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई हैं :-

(1) श्रीमती कमला, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के आदिवासियों की भूमि को सस्ते दामों में खरीद कर सवर्ण जातियों को देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम गुढ़ा सम्मतपुरा की अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा छीने जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रभूलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में जीवन धारा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को दो दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

अग्रेत्तर श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला अलवर में दिनांक 25 फरवरी, 1992 को पूनम नाम की 10 वर्षीय हरिजन बालिका के साथ बलात्कार कर मार दिये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में। चूंकि कल सदन में चर्चा हो चुकी है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर में राजकीय गर्ल्स महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की पंचायत मुख्यालय रायथल के सड़क मार्ग मंडीत्या से रायथल के अधूरे कार्य को पूर्ण करवाया जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा की ओर से सीमावर्ती जिले बाड़मेर एवं जैसलमेर में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों की कमी व विद्यमान छात्रावासों में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में ।

(4) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में ।

(5) श्री लक्ष्मीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द, जिला भीलवाड़ा के आसीन्द कस्बे में सहकारी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में ।

(6) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से खेतडी कापर प्रोजेक्ट द्वारा उदयपुर बाटी तहसील के सिंचाई के पानी को लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(7) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय मणीपुरा, मामुडा की ढाणी, ग्राम कूंजला, पंचायत समिति नादौती को दान में प्राप्त भवन में शुरू करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(8) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्राद्योगिकी एवं कृषि अभियान्त्रिकी कालेज के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को डिग्री स्तर में क्रमोन्नत करने एवं कालेज को कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर के अधीन करने के सम्बन्ध में ।

(9) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली की लाइम स्टोन की खानों में कथित घोटालों के सम्बन्ध में ।

(10) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से अटरू नगर के पारम्परिक नाटक "धनुष लीला" के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में ।

(11) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों पर उर्दू विषय के अध्यापक न लगाकर दूसरे अध्यापक नियुक्त करने के कारण उर्दू भाषा के विद्यार्थियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में ।

(12) श्री चम्पालाल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर नगर की भीषण पेयजल समस्या के समाधान हेतु भोमादेह बांध से वहां पेयजल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी ।

श्रीमती कमला भील ।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : पहले यह खड़े हुए हैं। पहले इनको सुन लेते हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और इनसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच जयपुर के वकील सात दिन से हड़तालरत है। उनकी जो भी मांग है, हाईकोर्ट जजेज के मामले में, ऐसी टिपीकल पोजीशन होती जा रही है कि उनके बारे में न तो सोचा जा रहा है। हाई-कोर्ट जजेज के खिलाफ आरोप लगाये जा रहे हैं, इस तरह तरह की बातें की जा रही है। दूसरा मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, कि यह टकराव वाली पोजीशन हो गई है। टकराव वाली पोजीशन ऐसे हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बैंच ने एक फैसला दिया है, जो हमारे सबके लिए बाइंडिंग है, राजस्थान के प्रशासन के लिए भी बाइं-डिंग है। उस फैसले में टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दिया है। ज्युडिशियल सर्विसेज के आदमियों के लिए इतने मकान आदि इस तारीख तक हो, इस तरह के साधन हों, उनको स्टेनो मिले, स्पेशल मिले, राज्य सर-कार ने इस बजट में भी इस तरह का कोई प्रोवीजन नहीं रखा है। ऐसी स्थिति में चूंकि आगे वाला समय...

श्री अध्यक्ष : आप अखबार पढ़ते हो कि नहीं। इसमें केन्द्र की सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाया है सुप्रीम कोर्ट के पास।

श्री रामनारायण वर्मा : लेकिन उस पर कोई स्टे नहीं है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्टे का सवाल नहीं है। केन्द्र सरकार ही रिव्यू कर रही है। यह तो केन्द्र का मामला है। बैठिये आप। डा. चन्द्रभान।

श्री रामनारायण वर्मा : चूंकि हम तो राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : हां वह छोड़िये। पहले केन्द्र तय करेगा तब राजस्थान आयेगा। केन्द्र को तय करने दीजिए ना।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, राज-स्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव हमने रखा था और आपने सरकार की ओर से जवाब भी दिया उस सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : यूनिवर्सिटीज के मामले में क्या एडजोर्नमैण्ट मोशन था ?

डा. चन्द्रभान : हां।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा करिये रूल 50 पढ़ लीजिए और उसकी व्यवस्था....

डा. चन्द्रभान : नहीं, उसके आगे मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं, उस सम्बन्ध में हम 17 विधायकों के खिलाफ हमारे एक प्रीविलेज का मोशन बनता है, वह हमने कल आपको प्रस्तुत किया है, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : हां मैं उसकी जांच कर लूंगा।

डा. चन्द्रभान : कृपया हमको....

श्री अध्यक्ष : हां बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है।

डा. चन्द्रभान : नहीं आप एग्जामिन कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बिल्कुल मैं जांच कर लूंगा।

डा. चन्द्रभान : मेरा इतना ही निवेदन है कि यदि उसके मूव करने की आप....

श्री अध्यक्ष : यदि बनता है तो उसको जरूर बनाया जायेगा। बैठिये आप। बनने वाला जरूर बनाऊंगा। श्री रामकरण सिंह जी। हां, मैं लूंगा आपने प्रीविलेज मूव कर दिया, मैं एग्जामिन कर लूंगा। बनता है तो बनाऊंगा। हां, आप लोग उसको पूरा तो करने दीजिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगा और आप उसको स्वीकार करें या जो कुछ भी करे, प्रक्रिया के तहत आप करिये, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में हमने रखा, हमको इस बात का दुख है कि इस हाउस में इस तरह से गवर्नमैण्ट ने जवाब दिया कि हम इस मामले को उठा ही नहीं सकते। यह यूनिवर्सिटी की ओर से जवाब है, जो आपने पढ़कर सुनाया, वह मैंने कल देखा। क्या हम डिसकस भी नहीं कर सकते और आज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कालेज राजस्थान के छात्र धरने पर बैठे हैं, यहां पर जोबनेर कृषि कालेज के छात्र धरने के ऊपर बैठे हैं, वहां वेटरनरी कालेज के लोग हड़ताल पर हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे, मुख्य मंत्री जी को वहां के सब छात्र संगठनों ने एक मेमोरेंडम दिया, उनके सामने विरोध का प्रदर्शन किया। इतना बड़ा मामला है, कृपया सरकार इस मामले में गंभीर हो और जो लोग हड़ताल पर हैं, जो छात्र धरने पर हैं, उनसे बातचीत करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कल्ला जी क्या बोल रहे हैं ? वह भी इसी पर बोल रहे हैं, आपको भी बुलवा रहा हूं। श्री कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय मैं यह कह रहा हूं कि विशेषाधिकार के बारे में नियम 157 के अन्तर्गत 160 भी आता है। उसमें प्रश्नकाल के बाद यदि प्रस्ताव नियमाकूल होता है तो उसी दिन उसकी परमीशन मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं है, परमीशन मिलनी चाहिये, उठाने का सवाल है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उठाने के लिये।

श्री अध्यक्ष : उठा दिया ना उन्होंने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रश्नकाल चूंकि खतम हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : हां, तो उठा दिया उन्होंने, आपने भी उठा दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो उसके लिये हमने भी....

श्री अध्यक्ष : आपने नियम का पालन कर लिया, उसका एग्जामिन तो मैं करूंगा ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि प्रिविलेज मोशन पर तुरन्त चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : एग्जामिन होगा। माननीय श्री रामकरण सिंहजी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने, राजस्थान में तीन विद्युत सहकारी समिति हैं, उनके लिये नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। आज उसको कम से कम 12-13 दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष : 131 के सारे प्रस्ताव क्रमशः लगाये जा रहे हैं। क्रम आयेगा, जब लगा दिया जायेगा। क्रम आने पर लगेगा।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद के आ चुके हैं और मेरे वाला अभी तक पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। बाद के वही आयेंगे जो इम्पोर्टेण्ट हैं। बहुत ही इम्पोर्टेण्ट हैं वही आते हैं बाद के।

श्री रामकरण सिंह : माननीय मंत्रीजी भी उसके बारे में जवाब देने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : क्रम आने पर लग जायेगा।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : बेचलर डेन्टिस्ट सर्जन का मामला नियम 127 के तहत अति लोक महत्व के विषय के माध्यम से मैंने 10 दिन पहले उठाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पास व्यवस्था के लिये-दो तीन दफा गया, किन्तु आप उसको ले ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जब टाइम मिलेगा तब देखूंगा। बिजनेस के हिसाब से लगेगा। अब जो ले रहे हैं वही तो इम्पोर्टेण्ट हैं सारे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रोज हड़तालें हो रही हैं। माननीय अध्यक्षजी, सरकार इस बारे, में कुछ कार्यवाही कर दें। डेन्टिस्ट सर्जन के बारे में मामला बहुत गम्भीर रूप लेता जा रहा है। उसके बारे में आप कुछ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान जिनकी लम्बाई है उनकी ओर तो चला जाता है। वह कई देर से कोशिश कर रहे हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह मुझे पता नहीं चलता कि बैठे हुये हैं या खड़े हुये हैं। मैं क्या करूं। पहले उनको सुन लें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के सन्दर्भ में राजस्थान में वातावरण खराब हो रहा है माननीय सदस्यों ने जैसा अभी प्रकट किया कि हमारे यहां पर बाहर विद्यार्थी धरना दे रहे हैं, जगह–जगह हड़तालें चल रही हैं और विधायकों पर उनके लोग आरोप लगा रहे है, उन पर तरह-तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं। इस सदन में अगर चर्चा नहीं होगी और हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे तो राजस्थान में जिस तरह की छवि इस विश्वविद्यालय की और वहां के कुलपति की बन रही है और हम लोगों की बन रही है उसका जनता के ऊपर बहुत बुरा असर होने वाला है। इसलिये इस पर चर्चा करने के लिये समय दिया जाय। किसी भी तरीके से समय निकाल कर या कहीं बाहर बैठ कर चर्चा की जाय।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आप दो-तीन-चार जो इन्टरेस्टेड हैं वे कृपया मेरे चैम्बर में मिले, सारे रूल्स देख लें, आपको जहां भी रूल्स में गुंजाइश मिलती है देख लें।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, चार्ज लगा रहे हैं इससे ज्यादा ब्रीच आफ प्रिविलेज हो नहीं सकता। इसलिये और किसी विषय पर चर्चा कराने के बजाय आप इस पर चर्चा करायें यानि कोई भी विधायक कोई मामला उठाये नहीं और विश्वविद्यालय में अनाप-सनाप धांधलियां हो रही हैं, सब प्रकार की + + + हो रही हैं उसके सम्बन्ध में मेमोरेण्डम गवर्नमेण्ट को दें, राज्यपाल महोदय को दें, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो और उसके बाद विधान सभा में कोई मामला उठाने के ऊपर इस तरह की + + + भी भाषा, फिर सदन की क्या मर्यादा रहेगी, क्या प्रविलेज रहेगा ? अध्यक्ष महोदय इस पर आप तुरन्त आर्ज ही चर्चा करायें और ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी व्यवस्था कराये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी यह परम्परा रही है कि जैसे ही विशेषाधिकार का प्रश्न आता है उस पर तुरन्त चर्चा की जाती रही है। इसलिये इस पर आप....

श्री अध्यक्ष : चर्चा होती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उस फैक्ट्स पर आपका फैसला।

श्री नत्थीसिंह : कार्यवाही करें, तुरन्त हां कर दें।

श्री अध्यक्ष : आप मेन्शन कर रही हैं मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। आप करिये मेन्शन। मैं मना कहां कर रहा हूं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्षजी, यह मामला, जैसा श्री सनाढ्य साहब ने कहा कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में भयंकर गड़बड़ियां हो रही हैं। वहां जातिवाद पनप रहा है और जातिवाद पनपाने वाले लोग 17 विधायकों के खिलाफ में जातिवाद का चार्ज लगा रहे हैं। पहले भी पी. एस. सी. के बारे में यहां इस सदन में बहस हुई है। इतनी भयंकर गड़बड़ियां। माननीय रघुवीरसिंह कौशल ने 17 पेज का एक पत्र, शायद 50 बी. जे. पी. के विधायकों ने उस पर दस्तखत किये है। उन्होंने एक पत्र कृषि मंत्रीजी को और शायद मुख्य मंत्रीजी को भी दिया है। कृषि विश्वविद्यालय में सद्दाम हुसैन की तरह ही कार्यवाहियां हो रही हैं। जैसा मुझे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में जो वाईस चान्सलर है वह सद्दाम हुसैन की तरह काम कर रहा है। उन्होंने मेरे से व्यक्तिगत रूप से कहा है कि उन्होंने पत्र लिखा है। वहां की मिनिट्स चैंज हो गयीं, जो सिंडीकेट में प्रेसीडेंट हैं वे चैंज हो गये। मैं ज्यादा डिटेल में इस पर चर्चा होगी तब आपको सारी बातें बताऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ियां होने के बाद गवर्नमेण्ट की तरफ से एक छोटा-सा जवाब आ जाता है कि आटोनामस बाडी है इस पर बात नहीं कर सकते। सारा पैसा राजस्थान सरकार देती है, भारत सरकार देती है। आटोनामस

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

बाडी है तो किसी की जिन्दगी से खेलने के लिये बनी है क्या ? कोई भी आटोनामस बाडी हो, पी. एस. सी. में तो पेपर लीक हुए उसकी यहां पर चर्चा हुई। कल को राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई भयंकर काम हो जाय तो गवर्नमेण्ट यह कह कर हाथ धो ले कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। तो इस तरह का यह जवाब इस सदन में दिया गया है कि आटोनोमस बाडी है उस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि हम उस धांधली में शामिल है, यह सरकार उस धांधली में शामिल। कृषि विश्वविद्यालय में धांधलियां हो रही हैं, बदनामी हो रही है, वहां रिक्रूटमेण्ट में बदनामी हो रही है, वहां जातिवाद पनप रहा है और वही लोग जातिवाद का आरोप विधायकों पर लगा रहे हैं, उनके खिलाफ लगा रहे हैं। इतना बड़ा गम्भीर मामला, माननीय अध्यक्षजी, और आप उसको रफा-दफा होने दें, मैं यह आशा आपसे नहीं करता और मै माननीय मुख्य मंत्रीजी पर चार्ज लगाता हूं कि ये सारी गड़बड़ियां उनकी शह से हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये। अब आप जो मर्जी आये चार्ज लगायेंगे। माननीय केदारजी।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के बारे में उसकी ल्येरिंग इर्रेगुलरिटिज हैं, माल प्रेक्टिसेज हैं, अपाइंटमेण्ट्स हैं और ट्रान्सफर्स में उन्होंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया। मुझे बड़ा अफसोस है कि राज्य सरकार की ओर से, जबकि माननीय भैरोंसिहजी चीफ मिनिस्टर हैं, यह कह देना कि इस हाउस में यूनिवर्सिटी के बारे में कोई चर्चा करने का अधिकार नहीं। आपके होते हुये हाउस में कितने दिनों, कितनी बार यूनिवर्सिटी के बारे में यहां चर्चा की है। जहां तक इन्टरनल एकेडेमिक का सवाल है हम उसमें आटोनोमी में दखल नहीं दे सकते मगर जहां उनके अपाइन्टमेण्ट्स का सवाल हो, फण्ड्स को डाइवर्ट करने का सवाल हो, माल प्रेक्टिसेज हों, स्टूडेन्ट के एजुकेशन पर असर पड़ता हो, उस पर बोलने का अधिकार तो इस हाउस को है। यह हमारा फण्डामेटेल अधिकार है। अब माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने साफ जवाब दे दिया। डीन वहां पर प्रेस कान्फ्रेंस करके आफिसरों के सामने यह कहे कि फलां-फलां माननीय सदस्य जो इस हाउस के मैम्बर हैं उन्होंने एक मेलाफाइड इन्टेन्शन से और एक कास्ट बायस को लेकर के यह सवाल उठाया और हमारी इमेज को बिगाड़ने के लिये इन्होंने किया। यह बहुत ही रिफ्लेक्शन है। हमारे काम करने के तरीके हमारे फण्डामेण्टल राइट्स पर, हमारे बोलने के अधिकार पर, हमारे फण्ड्स पर यह बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। इसलिये, अध्यक्षजी, इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में जिसका उदयपुर से भी संबंध है, इस वक्त वास्तव में सारे नियमों को ताक पर रख कर वी. सी. महोदय ने सारे प्रेस में और सारे शिक्षा जगत में वातावरण दूषित कर दिया है।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस विश्वविद्यालय के बारे में कि जो वी. सी. हैं उनके बारे में चर्चा करने की अनुमति इस सदन में प्रदान की जाय, क्योंकि हमारे सदन के सदस्य हैं उनके बारे में जातिवाद का आरोप प्रेस के माध्यम से लगाया है। वे स्वयं क्या कर रहे हैं इसके आप स्वयं भी परिचित हो गये होंगे। मान्यवर, इसलिये मैं चाहूंगा कि पूरी चर्चा की जाय। ट्राइबल के विषय में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की, जो पहले लागू थी उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। जो वेकेन्सीज थी ट्राइबल के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये, उसमें एक भी अभ्यर्थी को उन्होंने नहीं लिया, उसके बजाय अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी। इस तरह की भारी अनियमिताएं हो रही हैं अगर हम इस सदन में चर्चा का मौका माननीय सदस्यों को नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के जगत में बड़ा अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जवाब दे दिया कि यूनिवर्सिटी आटोनॉमस है इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। इतना भारी सारे प्रदेश में इस सम्बन्ध में आक्रोश हैं, चर्चा है और सरकार किसी विषय पर यह रुख ले ले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कुछ परम्परा है। खूब यूनिवर्सिटी पर चर्चा हुई। जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, एकेडेमिक वर्क को छोड़कर बाकी जो अनियमितता और धांधली है उस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि सरकार भी थोडा बंधन में आये। सरकार तो इस तरह से बिहेव कर रही है कि हम जो कह देंगे वह मान लिया जायेगा। We will go scot-free. इसलिए इस पर चर्चा करायी जानी चाहिए ताकि सारे मामले पर चर्चा के द्वारा बात सामने आये। दूसरा एक प्रिविलेज मोशन भी दिया है डीन ने एक प्रेस कान्फ्रेंस की वह आपको दिया है। उसको पढ़कर आप कहेंगे कि कितनी बुरी बात है। अभी मेरे साथी ने बतलाया है +++ में अशिष्ट कहूंगा और गैर जिम्मेदार। आज स्वयं श्री हरदयाल सिंह, उप कुलपति का बयान अखबारों में निकला है जिसमें उन्होंने डीन की पुष्टि की और उन्हीं चार्जों को एक तरफ से दुहराया है। तो यह तो अति हो गयी इसलिए इस पर तुरन्त चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, हमने, जो स्थगन प्रस्ताव दिया था नियम 53 में स्पष्ट है और उसमें 8 कंडीशन हैं। उन पर अगर वह खरा उतरता है तो आप राय दे सकते हैं। हम 9 कण्डीशन्स में कोई चीज इण्टरवीन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी तरफ से दे दिया कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती है और हमारा मुंह आपने बंद कर दिया, हम बोलने से वंचित रह गये। हम हाउस में नहीं बोले, हमने हाउस में चर्चा नहीं की। फिर सरकार की स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो राय थी वह पता नहीं कैसे वाइस चांसलर के पास पहुंच गयी और वाइस चांसलर ने अपनी तरफ से डीन को

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

भेजकर प्रेस कान्फ्रेंस बुलायी। अपने परिसर में प्रेस कान्फ्रेंस बुलायी और उन 17 माननीय सदस्यों पर जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखा उन सबके खिलाफ आरोप लगाया कि वे जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वह कौन–सा जातिवाद है, किसका जातिवाद है, किस तरह का जातिवाद है उसको उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। डीन से स्पष्ट नहीं हुआ तो खुद ने आज प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर, हरदयाल सिंह ने खुद भाषण दिया। इस तरह से वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी अपने ओहदे को इस्तेमाल करता है। निश्चित रूप से राज्य सरकार को जिन्होंने इस तरह का पक्ष लिया है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई कंडीशन नहीं हैं, राज्य सरकार ने क्या देखकर जवाब दिया। हमारे स्थगन प्रस्तावों पर क्या देखकर जवाब दिया है सिर्फ एक गलत बयान उस व्यक्ति को बचाने के लिए उसने जो भी आचरण किया है, उसको बचाने के लिए पक्षपात किया है, निश्चित तौर पर उसकी चर्चा होनी चाहिए और हाउस के अन्दर इजाजत मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है कि जो यहां 17 माननीय सदस्यों ने कोई स्थगन प्रस्ताव रखा, सूचना दी, सवाल यह है कि उस स्थगन प्रस्ताव को न स्वीकार किया न चर्चा में आया, न प्रकाशित हुआ तो उसकी जानकारी माननीय उप कुलपति को और उस डीन को कैसे पहुंच गयी। कितना गम्भीर मामला है। यह विधान सभा की सम्प्रभुता को चैलेंज किया है। विधायकों के ऊपर आरोप लगा दिया और यह कहा कि मेरा क्या बिगाड़ सकते है, मेरा क्या कर सकते हैं और विधान सभा का सत्र चल रहा है फिर अगर विधायकों के विशेषाधिकारों पर आप स्वयं अध्यक्ष महोदय, रक्षा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव दिया है उसको मंजूर करें और आज ही सदन में चर्चा करायें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का।

विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उदयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन पर

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का जो समाचार प्रकाशित हुआ है, उसमें मैं यह मानकर चलता हूं मुख्य मंत्रीजी ने जरूर पढ़ा होगा उसमें गम्भीर चीज है पैरा तीन वह आपकी अनुमति से पढ़ता हूं। डीन डा. मनोहरसिंह ने लिखित बयान में आरोप लगाया है कि विगत पांच वर्षों में आये विश्वविद्यालय के तीन कुलपतियों ने कु–प्रबन्ध के जरिये अनुसंधान और विकास कार्य को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। सिफारिशों के आधार पर तदर्थ अस्थायी नियुक्तियां की। अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां की, गड़बड़ी की गयी। डाक्टर मनोहरसिंह के मुताबिक असल में तीन कुलपतियों के कार्यकाल में प्रशासन बिचौलियों के साथ चल रहा था और इस कारण विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के अलावा कुछ नहीं हुआ।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पुराने कुलपतियों के कार्यकाल में कार्यरत स्वार्थी तत्व अब अपनी जाति के विधायकों तथा राजनेताओं के साथ मिलकर इस प्रकार का मिथ्या प्रचार करवा रहे हैं। अखबारों में काल्पनिक +++ असत्य मनगढंत आरोप गढ़कर छपा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि विधायकों का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है वह तो है ही लेकिन एकेडमिक आटोनोमी नहीं है कि एक कुलपति पहले के तीन उप कुलपतियों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्रीजी जब तक आपको पत्र लिखें तब तक आप जवाब नहीं देते हैं लेकिन जब यहां पर कोई मोशन नहीं रखा और आपने मंजूर नहीं किया। जब तक यहां पर कोई मोशन नहीं रखें और मजबूर नहीं किया जाय तो जवाब नहीं देंगे? क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि आज इस यूनिवर्सिटी के अन्दर क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यूनिवर्सिटी पर डिबेट तो नहीं होगी लेकिन एकेडेमिक आटोनोमी के नाम से फाइनेन्सियल इर्रेगुलरटी करे, मेल एडमिनिस्ट्रेशन करे तो यह टालरेट नहीं किया जा सकता है।

विगत कई वर्षों से यूनिवर्सिटी पर डिबेट इस हाउस में नहीं हुई यह सबसे बढ़िया मौका है। अनेक शिकायतें हर एक यूनिवर्सिटी की है। आप डिबेट करायें और स्पेशली डाक्टर हरदयाल सिंह के मामले में अध्यक्ष महोदय, यथा शीघ्र डिबेट करायें और गवर्नमेण्ट का वर्जन सामने आना चाहिए। यह कहने से पार नहीं पड़ेगा कि यह आटोनोमी है हम इसमें इण्टरविन नहीं कर सकते है। You have a definite procedure to intervene. It is a call of duty on the part of the Chief Minister to intervene. You cannot shirk the responsibility.

श्री अध्यक्ष : हो गया। मैं कुछ बोल नहीं रहा इसका मतलब बोलते ही जाओगे। देखिये एक बात सुन लीजिए। अपने रूल्स हैं, उनमें भिन्न-भिन्न स्थिति है एक तो 131 की कुछ कंडीशन है, 51 में कुछ है। कुछ ऐसी है जिनमें कुछ कंडीशन नहीं है इसलिए जब हम किसी प्रश्न पर विचार करते हैं तो उस रूल्स से संबंधित करेंगे। जहां तक ओटोनोमस बॉडी का सवाल है, यह सही है कि उनके डे टू डे के कार्य में इण्टरविन नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह के बहुत फैसले हो चुके हैं। पालियामेण्ट में भी इस तरह के फैसले हुए हैं लेकिन संस्थाओं को सरकार डायरेक्शन दे सकती है और गवर्नमैण्ट को डायरेक्शन देने की पावर है और यह संस्थायें इन डायरेक्शन्स को मानने के लिए बाध्य है। उसमें किस हद तक डायरेक्शन दे, उस सीमा पर, वह सीमा क्या है? इन सारी बातों पर विचार करने के लिए आप में से दो चार आदमी मेरे साथ बैठिए। अपन डिसकस कर लेंगे और लीगल इम्पेडिमेण्ट नहीं होना चाहिए बाकी चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने ही बनाये हुए रूल्स है वह इसमें आड़े नहीं आयें, उनके ऊपर अपन बैठकर चर्चा करके इसका लीगल रास्ता निकलता है तो वह रास्ता निकालकर बात कर लेंगे। (व्यवधान)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा प्रश्न नहीं है। चर्चा के बारे में हमारा प्रश्न नहीं है। आप चर्चा कराये, वार्ता करिये, नहीं अलाऊ कर सकते हैं तो मत अलाऊ करिये (व्यवधान) नियम 157 और 158 में प्रिविलेज मोशन है हम तो उस पर व्यवस्था चाह रहे हैं। 131 में अलाऊ करें या न करें आपका अधिकार है उसमें नहीं आता है तो हम उस पर डिसकशन नहीं करेंगे। लेकिन हमने जो मोशन दिया है 157 और 158 का....

श्री अध्यक्ष : आपने जो मोशन दिया है वह बिल्कुल डिफरेण्ट है। मैं तो बहस की बात कर रहा हूं। वह तो आपने प्रिविलेज का दिया है उसमें आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले दिन आपको मेन्शन करना था वह कर दिया। लेकिन अब आप पर इस रूलिंग देंगे क्या ? मुझे एग्जामिन करना पड़ेगा। उसके भी रूल्स हैं, जो बात है उसको देखना पड़ेगा, देखकर हाउस को सूचना दूंगा। श्रीमती कमला भील।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, डिबेट हुई है....

श्री अध्यक्ष : अब अन्त करिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के पेपर आउट हुए उस पर डिसकसन किया है।

श्री अध्यक्ष : अपन सारी बात इसमें देखेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मनीराम सियाग : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : अब आप अलग से मिल लेना। यह क्या पूछ रहे हैं कोई मुझे याद थोड़े रहता है।

श्रीमती कमला भील। (अनुपस्थित)।

श्री प्रभुलाल पटेल (अनुपस्थित)।

श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : दो हैं। कौन सा है ?

श्री अध्यक्ष : आज का थोड़े है। लालसोट तहसील के गांव गुढा सम्पतपुरा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि सवर्णों द्वारा....। इसमें जवाब मिल गया है इसलिए दो मिनट बोलने के लिए अनुमति दी है।

श्री परसादीलाल मीणा : जवाब नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में लालसोट तहसील के ग्राम गुढा सम्पतपुरा में खसरा नं. 10 सिवाय चक में से 1983 में कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि आवंटित की गयी थी....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। आपने जवाब पढ़ा या नहीं। देखिए इसमें जवाब यह आया है कि जिस एक आदमी सुगनचन्द नाम है उसका। चालीस बीघा जमीन खातेदारी की थी वह खारिज हो गयी। उसमें से जमीन आवंटित कर दी गयी हरिजनों को मगर चूंकि कब्जा उसका था इसलिए कब्जा नहीं दिया जा सका। अब उसका री-सेटलमेण्ट हो गया और उसकी जमीन 6 बीघा रही। बाकी की जमीन को अलग से रखा है। फिर आवंटन हुआ। फिर लोग वहां गये

(श्री अध्यक्ष)

तो कब्जा नहीं दिया और फिर झगड़ा किया। उसके बाद में अब तहसीलदार ने 91 में बेदखल करने की कार्यवाही शुरू की है। पहले उसको बेदखल कर देंगे फिर जिनको आवंटन हुआ है उनको मौके पर कब्जा दिला देंगे जिनको मौके पर कब्जा दिलाने की बात है। वह कह रहे हैं कि जब तक आप खाली नहीं करायेंगे तब तक हम वहां नहीं जायेंगे। अब इसमें आपको क्या कहना है ?

श्री परसादीलाल मीणा : जवाब तो मेरे को मिला नहीं। आपने बताया उसके मुताबिक मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने थाना नांगल में जिनका मुकदमा दर्ज कराया अब हरिजन अत्याचार एक्ट में उनको चालान नहीं किया जा रहा है उसमें एफ. आर. दी जा रही है और मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तथ्यों से परे है कि वह उसकी खातेदारी जमीन थी जो सिवाय चक हो गई। यह हमेशा से पुराने रिकार्ड में भी सिवाय चक भूमि थी।

श्री अध्यक्ष : वह माल लिया सरकार ने और उसको बेदखल करवाया जा रहा है। यह मान लिया कि यह जमीन खालसा है....

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, 83 में अलाटमेंट की, 89 में कब्जा दिया। खातेदारी राइट्स और नामांकन वगैरा अब तक नहीं खोले गये। उनके साथ ज्यादती की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : उनको कब्जा दिलाने के लिये उसको बेदखल किया जा रहा है। 40 बीघे पर उसका कब्जा नहीं माना है। उसकी खातेदारी बिल्कुल नहीं मानी है उसको बेदखल किया जा रहा है....

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं साहब, उनको मारा पीटा जा रहा है उन पर मुकदमें दर्ज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उनको जाने की जरूरत नहीं है। वह तो पहले हो गया। अब तो उनको जाने की जरूरत नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : उनको कब्जा दिया इस लिये वह गये।

श्री अध्यक्ष : यही तो बात है उनका कब्जा था....

श्री परसादीलाल मीणा : कागजों में कब्जा दे दिया....

श्री अध्यक्ष : वह फार्मल कब्जे के लिए गये। एक कमजोर आदमी जबरदस्ती कब्जा कर नहीं सकता इसलिये यह झगड़ा हुआ है उसका अलग केस है लेकिन अब सरकार 91 में बेदखल करके और जिन लोगों को अलाट किया है उनको कब्जा दिलायेगी। श्री श्री श्रीकिशन सोनगरा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अजमेर में राजकीय गर्ल्स कालेज खोलने बाबत

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर संभाग मुख्यालय पर राजकीय गर्ल्स कालेज खुलाने हेतु माननीय उच्च शिक्षा

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, राजस्थान राज्य में अजमेर जिला शिक्षा की दृष्टि से स्टेट के समय से आज तक अग्रणीय रहा है। हायर सैकण्डरी स्कूल शिक्षा तक यहां पर विभिन्न राजकीय सहायता प्राप्त व निजी शिक्षण संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। गत वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में यहां की 1995 लड़कियां परीक्षा में बैठी व 1581 उत्तीर्ण हुई परन्तु बड़ा खेद का विषय रहा है कि राजकीय महाविद्यालय अजमेर में सह शिक्षा होने के कारण केवल 195 लड़कियों ने प्रवेश लिया। कुछ परिवार जो अपनी बालिकाओं को सह शिक्षा होने के कारण महाविद्यालय में नहीं भेजना चाहते है। प्रतिभावान होते हुए भी कई छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित रहती हैं। यद्यपि यहां छात्राओं के लिये सहायता प्राप्त महाविद्यालय भी उपलब्ध है जो ऊंची फीस के कारण शिक्षण संस्थाओं को व्यवसायिक दृष्टि से चला रहे हैं जिससे मध्यम श्रेणी का नागरिक अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा के लिये प्रवेश दिलाने में असमर्थ रहता है। प्रदेश की पूर्व सरकार के मन्त्रियों द्वारा अजमेर के नागरिकों को बार-बार आश्वासन तो दिया लेकिन राजकीय कन्या महाविद्यालय आज तक नहीं खुला जबकि प्रदेश में कई अजमेर से छोटे-छोटे स्थानों पर यह महाविद्यालय खोल दिये गये है।

कृपया अजमेर के शिक्षा के स्तर व प्रतिशत को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि अजमेर की इस महत्वपूर्ण मांग को पूरा कर अजमेर के नागरिकों के साथ न्याय करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

व्यवस्था का प्रश्न

विधायक रहते हुए को-आपरेटिव बैंक के चेयरमेन का चुनाव लड़ना

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष जी, आन ए पाइंट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर किस पर कर रहे हैं आप ? पाईंट आफ आर्डर का अभी है ही नहीं....

डा. हरिसिंह : एक बड़ा महत्वपूर्ण पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर शून्य-काल में उठाया ही नहीं जा सकता।

डा हरिसिंह : मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि इस सदन में एक अजनबी व्यक्ति बैठा हुआ है। He cannot be a member.

और वह मंत्रिमण्डल का सदस्य है श्री रमजान।

श्री अध्यक्ष : Why cann't he be a member ? क्यों ?

डा. हरिसिंह : को-आपरेटिव के बारे में, मेरे ख्याल से चार पांच महीने पहले, एक आर्डिनेंस लाये थे और उस आर्डिनेंस में साफ है कि कोई भी एम. एल. ए., एम. पी. को-आपरेटिव का चुनाव नहीं लड़ सकता और वह चुनाव लड़कर आज भी सी. सी. बैंक के चेयरमैन का कार्य कर रहे हैं ...

श्री चतुर्भुज वर्मा : वह आगे के लिए लागू हुआ है। मान्यवर, पुरानी डेट से लागू नहीं हुआ है....

डा. हरिसिंह : He automatically stops to be a member within 14 days.

श्री चतुर्भुज वर्मा : वह पहले से चुने हुए अधिकारी हैं इसलिये आप नहीं कह सकते ।

डा. हरिसिंह : If he continues to be the Chairman of Co-operative Bank, he ceases to be a member within 14 days.

श्री चतुर्भुज वर्मा : उसकी अवधि पूरी नहीं हुई हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह निर्णय तो न मैं कर सकता हूं न हाउस कर सकता है यह तो कोर्ट निर्णय करेगा । आप और हम करेंगे क्या ?

श्री नत्थीसिंह : यह मंत्री जी ने क्या जवाब दे दिया ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप क्यों नहीं कर सकते । आप क्यों नहीं कर सकते । आप तो सक्षम हैं....

डा. चन्द्रभान : आप जरूर कर सकते है....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब तक यह हटाये नहीं जाते तब तक वह इस सदन के बारे में इस प्रकार के कमेन्ट्स करना, मैं समझता हूं इसके लिए इनको क्षमा मांगनी चाहिये...

श्री अध्यक्ष : यह कोई डिबेट का सवाल नहीं हैं....मैं व्यवस्था दे रहा हूं, बिराजिये ।

डा. हरिसिंह : पहले बात पूरी तो करने दें ।

श्री अध्यक्ष : हो गई पूरी । आपका पाइंट आफ आर्डर सुन लिया है । आपको भी सुन लिया । आपको भी सुन लिया ।

डा. हरिसिंह : मेरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी सुनिये । आप व्यवस्था मांग रहे हैं ।

डा. हरिसिंह : व्यवस्था तो आप बाद में दीजिये अध्यक्ष महोदय....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बिराजें तो हम अपनी बात कहें ।

श्री अध्यक्ष : मैं काम कर रहा था, आप लोगों ने सब इकट्ठे होकर व्यवधान शुरू कर दिया....

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न यह उठाया था कि इस सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश में साफ कहा है कि कोई भी आदमी इलेक्टेड एम. एल. ए., एम. पी. को–आपरेटिव में मेम्बर नहीं रह सकता । यह अध्यादेश लाये । फिर इस सदन में बिल लाये, बिल पास हो गया, हमने पास कर दिया । इनकी केबिनेट का एक मंत्री, सारे एक्ट की अव–हेलना कर रहा है,

It is a breach of privelege.

एक्ट की खिलाफत माननीय श्री भंवर-लालजी शर्मा करना शुरू कर दें, माननीय मुख्य मंत्री जी करना शुरू कर दें तो जो एक संयम है अगर सरकार उसको नहीं

(डा. हरिसिंह)

बरतेगी तो दूसरे लोगों से क्या आशा की सकती है कि वह संयम बरतें। यह मेरा कहने का मतलब था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अपने नियम साफ हैं। आज की तारीख में वह इस सदन में एक अजनबी की हैसियत से बैठे है। नियम साफ है। आपको उन नियमों के तहत कार्यवाही करनी चाहिये। आपको उनकी सीट वेकेन्ट डिक्लेयर करके उनको सदन में आने से रोकने का दायित्व आसन का बनता है। यह हमारी आपसे मांग है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं अपनी व्यवस्था सुना देता हूं। आपने जो आपत्ति उठाई है, अच्छा होता कि आप पार्लियामेंट में जाकर एक्ट में मुझे अधिकार दिलवा देते तो मैं अपना निर्णय कर देता लेकिन यदि आप जो कह रहे हैं वह बात सही भी हो तो उसका निर्णय लेने का अधिकार अन्य को है। कान्स्टीट्यूशन में उसका अधिकार गवर्नर को है, प्रेजिडेंट को है। इसका अधिकार मुझे या सदन को नहीं है और जब तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक मैं चुने हुए किसी सदस्य को अजनबी नहीं मान सकता। इसलिये आपकी व्यवस्था का प्रश्न मैं रद्द करता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह प्रोप्राइटी का सवाल है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इन्होंने अपराध किया है।

श्री अध्यक्ष : अब छोड़िये। श्री राम नारायण वर्मा (अनुपस्थित)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह नियम बनाने वाले लोग हैं....

एक माननीय सदस्य : इसका अधिकार सिर्फ इस सदन को है....

श्री अध्यक्ष : किसी सदन को नहीं है। बैठिये आप। आप मेरी व्यवस्था को चेलेंज कर रहे हैं, बैठिये आप....

श्री सुरेन्द्र गोयल।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

जैतारण में राजकीय मा. वि. में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की भर्ती के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, जैतारण, आनन्दपुर कालू में प्रधानाध्यापिका व अध्यापकों के पद करीब दो साल से रिक्त पड़े हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लाम्बिया व राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, आनन्दपुर कालू के प्रिंसिपल का पद भी काफी समय से रिक्त पड़ा है। अन्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी अध्यापकों के काफी पद रिक्त पड़े हैं, जिससे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई नहीं होती है। परीक्षाएं नजदीक आ गयी हैं, उनका भविष्य बिगड़ने की पूर्ण सम्भावना बन गयी है। इसलिए उल्लेख के जरिये मेरा निवेदन

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

है कि अध्यापकों के पद राज्य सरकार कब तक भर देगी ?

(12.41 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीलाल जी।

आसीन्द में सहकारी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र आसीन्द जिला भीलवाड़ा के आसीन्द कस्बे में सहकारी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में अत्यन्त लोक महत्व के मामले की सूचना मैं सदन में दे रहा हूं।

आसीन्द जिला भीलवाड़ा में सहकारी मिल की स्थापना का निश्चय राजस्थान सरकार ने माह सितम्बर, 1981 में किया था। राज्य सरकार के निर्णय के बाद किसानों से हिस्सा पूंजी के रूप में 2,95,400 रुपए एकत्रित किये गये, जो सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा में जमा हैं। मिल की स्थापना के लिए भूमि आवंटित हो गयी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गयी और भारत सरकार के औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया। त्वरित कार्यवाही की प्रत्याशा में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर ने मिल का शिलान्यास भी किया, परन्तु भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंस नहीं मिल सका। माह नवम्बर, 1985 में प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया, इसलिए मिल स्थापना का मामला खटाई में पड़ गया। अब चूंकि भारत सरकार ने नीति में परिवर्तन कर दिया है और सूची मिल के इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है, इसलिए वित्तीय साधन जुटाने के अलावा मिल स्थापना में कोई रुकावट नहीं है।

राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में स्थापित मिलें सफल व कीर्तिमान कार्य कर रही हैं और लाभ में चल रही हैं। यह मिल आसीन्द क्षेत्र जैसे कपास उत्पादन क्षेत्र में किसानों के लिए अत्यन्त लाभकारी होगी तथा रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी। इससे सहकारी क्षेत्र का भी विस्तार होगा। किसान अपनी हिस्सा पूंजी देकर आशा में बैठे हैं कि सरकार उनको प्रोत्साहन देगी। इस मिल की स्थापना में अब कोई कठिनाई नहीं है, केवल वित्तीय साधन जुटाने हैं। सरकार अपनी भागीदारी से तथा निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से वित्तीय प्रबन्ध करा सकती है। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय औद्योगिक कौंसिल, भारतीय वित्त निगम अथवा राजस्थान वित्त निगम, जहां से भी वित्तीय प्रबन्ध हो सके, किया जाकर इस अत्यन्त लोक महत्व के मामले में कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि पूर्व में किये गये राज्य सरकार के निर्णय को पूरा करने में यह सरकार अपना दायित्व निभाएं व मिल की स्थापना शीघ्र कराने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्री महोदय बिराजे हुए हैं, इस सम्बन्ध में

(श्री लक्ष्मीलाल)

अगर उनका मार्गदर्शन मिल जाय तो मैं लाभान्वित होऊंगा।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी भीलवाड़ा जिले के अन्दर मिल के बारे में चर्चा की, मेरा निवेदन है कि मैंने इसका सर्वेक्षण करवाया था। पहले इसका सेण्टर से लाइसेंस नहीं मिला था। उसके बारे में चर्चा है। वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर उपलब्ध हुआ तो आपके यहां मिल खोलेंगे। यदि साधन मौजूद हुए, क्योंकि आर्थिक स्थिति के अनुसार खोली जाती है। कहीं उपलब्धता हुई तो हम खोलने का प्रयास करेंगे, मैं आज की तारीख में आश्वासन नहीं देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदनलाल जी सैनी।

खेतडी कापर प्रोजेक्ट द्वारा उदयपुरवाटी से सिचाई का पानी लेने से उत्पन्न स्थिति

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट द्वारा उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र से पानी लेने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। उदयपुरवाटी तहसील झुंझुनू जिले की सर्वाधिक धन-धान्य से सम्पन्न तहसील होती थी। वर्षा तथा भूगर्भ जल का अतुल भण्डार था तथा उन्नत कृषि का यही आधार था। इस क्षेत्र में तिलहन, खाद्यान्न, सब प्रकार की सब्जियों, लहसुन तथा मिर्च का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। धीरे-धीरे वर्षा के कम होने से नदी-नालों का पानी कम होता गया। आज न केवल झरने, नदी-नाले सूखे हैं अपितु क्षेत्र के कुएं भी सूखने लगे। इन्हीं वर्षों में झुंझुनू की तहसील खेतड़ी में केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान कापर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खेतड़ी कापर प्रोजैक्ट की स्थापना हुई। ताम्बा संयंत्र तथा आवासीय कालोनी में पीने के पानी की आवश्यकता के लिए उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र से करीब दो दर्जन कुओं द्वारा पानी की पूर्ति की जाने लगी। वर्षा के कम होने तथा इस क्षेत्र का भूगर्भ जल कापर प्रोजैक्ट में ले जाने के कारण किसानों के कुओं का पानी धीरे-धीरे 80 फीट से अब 170 फीट तक नीचे चला गया है। किसान प्रति वर्ष अपने कुओं से बोरिंग करवा कर पानी प्राप्त कर रहा है, प्रति वर्ष उसे अधिक बोरिंग करवाना पड़ता है। खेतड़ी कापर प्रोजैक्ट के कुओं की गहराई 300 फीट तक है। इस कारण उक्त क्षेत्र का नीचे का सारा पानी कापर प्रोजेक्ट खींच लेता है। इससे किसानों को न केवल कुएं गहरे कराने पड़ रहे हैं अपितु आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। कापर प्रोजैक्ट के उदयपुरवाटी तहसील से लिये जाने वाले पानी को यदि शीघ्र नहीं रोका गया तो एक दिन मनुष्यों तथा पशुओं के लिए पीने के पानी की भी बड़ी कठिनाई हो जाएगी।

मान्यवर, इस क्षेत्र के कुओं के गिरते जल स्तर को बचाने के लिए एनिकट तथा बांधों की अत्यन्त आवश्यकता है। इस क्षेत्र में पहाड़ों से निकलने वाली नदियों व नालों

(श्री मदनलाल सैनी)

से प्रति वर्ष काफी पानी फिजूल बह जाता है। यह पानी बह कर किसानों की समतल काश्त भूमि पर मिट्टी डालकर न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त कर देता है अपितु किसानों पर मिट्टी हटाने के लिए आर्थिक भार भी डाल देता है। इस दृष्टि से इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराना आवश्यक है। पानी का पूरा पूरा उपयोग करने से जहां किसान बाढ़ व नदी–नालों के पानी की बर्बादी से बचेगा वहीं हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई भी हो सकेगी। इस दृष्टि से बागोरा क्षेत्र में नदी-नालों का पानी रोकने की आवश्यकता है। उदयपुरवाटी शहर में ही काश्त को बर्बाद करने वाले नदी–नालों खेतूडियान व ऊंदा नाला पर बांध जरूरी है। जहां से कापर प्रोजैक्ट को पानी दिया जाता है वहां जोधपुर सुनारी घाट पर बांध आवश्यक है। इसका सर्वे हुआ पर राज–नीतिक सौदेबाज़ी होती रही। इस बांध के बन जाने से हजारों बीघा भूमि की सिंचाई तो होगी ही, 230 कुओं का जल स्तर भी बढ़ेगा।

आज स्थिति यह हो गयी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि लोग अपना घर छोड़कर नौकरी की तलाश में इधर-उधर शहरों में जाने लगे हैं, क्योंकि लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन खेती ही था और खेती बिना पानी के बेकार होती है। इसलिए मेरी मांग है कि जोधपुर सुनारी घाट, बाघोली, खोह तथा काली देह पर बांध बनाए जायं। मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां का तोड़ा गया ए.ई.एन. कार्यालय वापस रखने के अभी हाल ही में आदेश हुए हैं। ऐसे और भी बहुत-से क्षेत्र हैं जहां बांधों की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर-वाटी डार्क जोन क्षेत्र है। पर एक ओर तो भू-जल की कमी बताकर किसानों को ऋण सुविधा से वंचित किया गया है दूसरी ओर कापर प्रोजैक्ट को पानी दिया जा रहा है। यह विरोधाभास है। मुझे लगता है कि उदयपुरवाटी को डार्क जोन घोषित करने के पीछे कोई गर्भित कारण है। इसकी जांच हो कि वास्तव में पानी है या नहीं। और यदि भूगर्भ जल कम है तो कापर प्रोजैक्ट को दिया जाने वाला पानी तुरन्त बन्द किया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सबसे छोटा मेरा है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इसमें डिबेट अलाउ नहीं करूंगा। यह डिबेट का सवाल ही नहीं बनता है। श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, आसन से सहयोग चाहता हूं। मेरा दो दिनों से नहीं लग रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह अलग बात है। बाद में रख लेंगे। आखिर में बोल लेना आप। आपका 295 का रह गया, उस बारे में विचार किया जा सकता है।

श्री रामनारायण वर्मा : इनके बाद ?

श्री उपाध्यक्ष : अपने आप बारी आ जाएगी। मैं बुला दूंगा आपको। बैठिये।

श्री कालीचरण सराफ : इनकी बारी आ गयी थी, ये अनुपस्थित थे इसलिए परमिशन मांग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब समझ गया। मैंने देखा, इसी पाइण्ट पर बोलना चाह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कहूं, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने पिछले सदन में हमारी तहसील नादौती की पंचायत समिति नादौती....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम स्वरूप जी, you regularly challenge the procedure of the House.

श्री रामस्वरूप मीणा : घोषणा की थी माननीय मंत्री महोदय ने....

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़िये, नहीं तो दूसरा नाम बोल लेता हूं मैं।

पंचायत समिति नादौती से प्राप्त भवन में विद्यालय चालू कराने के सम्बन्ध में

श्री रामस्वरूप मीणा : बोल रहा हूं, साहब।

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय, मीणापुरा भामूडा की ढाणी, ग्राम कूंजेला, पंचायत समिति नादौती, की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कूंजेला राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिये कूंजेला गांव के मध्य में जो भवन दिया गया है जहां पर दो लाख रुपये की लागत हुई है, उसमें स्कूल खोलने के लिये माननीय मंत्री जी ने पूर्व विधान सभा में इस प्रकार की घोषणा की थी और उसका आदेश भी निकाल दिया, क्रमांक 1137 दिनांक 22.8.91 और राज्य सरकार द्वारा प्रसारित भी किया गया, लेकिन आदेश होने के बावजूद भी आज तक उस आदेश की पालना नहीं हुई है। पिछला आदेश विकास अधिकारी पंचायत समिति को भी चला गया है, लेकिन विकास अधिकारी ने आज तक आदेश की पालना नहीं की है। बड़े दुख की बात है कि सरकार ने इसका आदेश निकाल दिया और घोषणा कर दी और आज तक मंत्री के आदेशों को विकास अधिकारी नहीं मान रहा है।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो सदन में घोषणा की थी और जो आदेश आपने दिनांक 22.8.91 को जारी किया था, उस आदेश की आज तक पालना नहीं हुई।

पंचायत समिति नादौती के गांव कूंजेला में जो दो लाख की लागत का भवन दिया है, वहां की जनता में आप वहां पर स्कूल खोलने की घोषणा कर चुके हैं, तो तुरंत प्रभाव से अपनी सरकारी शक्ति काम में लेते हुए इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, आपने सदन में इसकी घोषणा की है और वहां पर स्कूल तुरंत चालू करवायें और वहां पर मास्टर लगवायें, ताकि वहां के जो बच्चे हैं, वे शिक्षा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

प्राप्त कर सकें, और मंत्री का पद, जो कि बहुत बड़ा पद होता है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक पेज के बदले दो पेज लिख देते।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी बाहर गये हुए हैं, कृपया आप उनसे जवाब दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री शिव किशोर सनाढ्य। (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा : स्कूल खुले और मंत्री जी के आदेश की पालना हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर।

कोटपूतली की लाइम स्टोन में घोटाला

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत कोटपूतली की लाइमस्टोन की खानों के घोटाले के विषय में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प. 4/272/खान ग्रुप-2/81 दिनांक 5.9.81 के द्वारा लाईमस्टोन व मार्बल का खनन पट्टा ग्राम मोहनपुरा जोधपुर तहसील कोटपूतली का सीमेण्ट उद्योग की स्थापना हेतु नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी से नवीनीकरण निरस्त करते हुए वापस ले लिया था। नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र देते वक्त उक्त पार्टी ने स्वयं ने सीमेण्ट उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की एवं तत्कालीन शासन सचिव, खान एवं भू-विज्ञान विभाग में भी उक्त खान का आधा हिस्सा नवीनीकरण के रूप में नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी को देने की सलाह राज्य सरकार को दी थी किन्तु उसे नजर अन्दाज कर दिया गया तथा उक्त पट्टाधारी जो कि पिछले बीस वर्ष से इस खान का विकास करने में लगा था तथा जिसका लाखों रुपये का नियोजन इस खान पर था, बिना कोई मुआवजा दिये उसका नवीनीकरण पत्र कैन्सिल कर दिया। गौर तलब है कि मार्बल किसी भी तरह से सीमेण्ट के लिये आवश्यक खनिज नहीं है लेकिन मार्बल का पट्टा भी कैंसिल कर दिया।

इस क्षेत्र को पुनः आवंटित किये जाने हेतु गजट में प्रकाशित किये जाने जैसी अहम शर्त की पालना किये बिना दो पार्टियों को लाखों रुपये की रिश्वत लेते हुए रातों रात क्षेत्र अलाट कर दिया गया। उनको जितने बड़े-बड़े क्षेत्र आवंटित किये गये वे उनकी आवश्यकता से लगभग 100 गुणा ज्यादा थे। इनमें से एक पार्टी को तो चूना पत्थर बेचने की भी इजाजत दे दी गई जिसने बाद में चूने पत्थर को बेचने का ही मुख्य व्यवसाय बना लिया तथा सीमेंट उद्योग की स्थापना का विचार तक मन में नहीं आया। तथा राज्य सरकार ने भी पिछले 11 वर्षों में एक बार भी पार्टी से सीमेण्ट उद्योग के विषय में जानकारी लेने की जरूरत नहीं समझी तथा दूसरी पार्टी ने सीमेण्ट उद्योग तो लगाया किन्तु उसकी निर्माण दौरान ही समस्त आय करने की नीति की वजह से उक्त उद्योग दो बार तो बन्द हो चुका तथा अब तीसरी बार बन्द होने की करार पर है। जाहिर है क्षेत्र को वापस आवंटित किये

(फूलचन्द गुर्जर)

जाते वक्त रिश्वत के जोर ने उचित पात्र का चुनाव ही नहीं करने दिया। सन् 1991 में सरकार को मजबूर होकर इस फैक्ट्री के क्षेत्र को राजस्थान खनिज विकास निगम को देना पड़ा। खनिज विकास निगम ने यहां से लाइन स्टोन निकाल कर बेचना शुरू किया तो पहली पार्टी के व्यापार पर धक्का लगा और परिणामस्वरूप पहली पार्टी ने अपने राजनीतिक व धन के जोर से निगम के काम में व्यवधान डाल दिया। निगम के अधिकारी व कर्मचारी भी उक्त धनपति के अधिकार में आ गये। इसके पूर्ववर्ती ठेकेदार ने जो कि इस खनन क्षेत्र में बीस वर्षों तक सुचारू रूप से तथा सक्षमता से काम कर चुका है, एक न्यायसंगत प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार को दिया लेकिन राज्य सरकार ने उस पर विचार तक नहीं किया।

इस क्षेत्र की पिछले 11 वर्षों की उठा-पटक ने एक ओर जहां राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व से वंचित किया है वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के लोगों के विकास एवं रोजगार पर विपरीत असर पड़ा है क्योंकि यह खान ही इस क्षेत्र के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। यह उल्लेखनीय है कि कोटपूतली व बहरोड़ में लगभग 30 सीमेण्ट प्लाण्ट लग चुके हैं एवं जिनमें राजस्थान वित्त निगम का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। यह सभी भी इसी क्षेत्र के चूना पत्थर के भण्डारों पर आश्रित है।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गजट में प्रकाशित होने के बाद भी इसमें पालना नहीं हो और पार्टियों से लाखों रुपये की रिश्वत लेते हुए रातों रात यह क्षेत्र अलाट कर दिया गया। आवंटित क्षेत्र आवश्यकता से सौ गुना अधिक था और सीमेन्ट उद्योग के नाम पर लेकर सीमेन्ट उद्योग नहीं लगाना तथा वापिस पार्टी ने चूना पत्थर बेच कर अहम शर्तों को तोड़ा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी भयंकर अनियमितता होने पर क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? क्या आप इसकी जांच करवायेंगे ? यह बहुत ही अहम मुद्दा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

(1.00 म. प.)

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नेशनल लाइम स्टोन, मार्बल खनन पट्टा, कोटपूतली के बारे में जिक्र किया हैं। नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी के नाम से पट्टा पहले स्वीकृत था और सन् 1981 में उसका जब नवीनीकरण होना था तब इस कम्पनी ने पट्टे की जो शर्तें थीं, उनकी पालना नहीं की इस कारण से उसका नवीनींकरण रद्द कर दिया गया था। यहां तक तो कोई अनियमितता की बात नहीं हुई। उसके बाद, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि दुबारा जो दो आदमियों को आवंटन किया उसमें अनियमितता बताई। एक तो यह बताई कि बिना गजट में प्रकाशित किए आवंटन किया गया है। दूसरा यह है कि रिश्वत लेकर आवंटन किया गया और तीसरा यह है कि एरिया बढ़ा कर 100 गुना उनको दिया

(श्री कालूलाल गुर्जर)

गया। यह तथ्य जो आज ध्यान में आये हैं....

श्री फूलचन्द गुर्जर : साहब, सीमेंट उद्योग के नाम से दिया गया।....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन फैक्ट्स के ऊपर मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा, क्योंकि सन् 1981 का मामला है और इसकी जांच करवा कर जो भी कार्यवाही होगी करूंगा और दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री फूलचन्द गुर्जर : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह था कि सीमेंट उद्योग के नाम से पट्टा दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर जी। देखिए, आपको रिप्लाई मिल चुका है। बिराजिए आप।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि दो आदमियों को खनन पट्टा दिया गया, एक तो आर. एस. एम. डी. सी. को दिया गया और एक को सीमेंट प्लान्ट लगाने के लिए दिया गया, उसने सीमेंट प्लांट नहीं लगाया। आपका यह आरोप है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि जिसने सीमेंट प्लान्ट नहीं लगाया है उस पट्टेधारी को नोटिस दे दिया गया है और अगर वह टाइम पर सीमेन्ट प्लान्ट नहीं लगायेगा तो उसका पट्टा भी कैंसिल कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

अटरू की धनुष लीला के सम्बन्ध में

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत कला एवं संस्कृति की दृष्टि से अटरू (बारां) की धनुष लीला के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अटरू नगर का इस युग का एक विशिष्ट नाटक धनुष लीला के नाम से खेला जाता है। गणगौर के बाद आने वाली चैत्र की पूर्णिमा की रात को यह नाटक खेला जाता है, उसमें रंग मंच व आंगन मंच का अद्‌भुत प्रयोग होता है तथा एक साथ ही एक स्थान पर चार रंग मंच पर अभिनेताओं द्वारा अभिनय किया जाता है मध्य में आंगन मंच में नाटक का नायक परशुराम अपनी भूमिका का सफल निर्वाह करता है। लगभग एक सदी पुरानी धनुष लीला की परम्परा की विशेषता यह है कि लोक नाटक रात के तीसरे पहर में शुरू होता है और चौथे पहर में समाप्त होता है। रात बारह बजे प्रारम्भ होकर ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त होने वाला खेल आधी रात का यह नाटक अपने आप में एक अनुकरणीय लोक नाटक है जिसमें संगीत और अभिनय का सामंजस्य धनुष लीला में देखने को मिलता है। यह नव नाटकों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नाटक अपने आप में कला की दृष्टि से पूरे हिन्दुस्तान में विशिष्ट और अनुपम नाटक है, यह चारों तरफ से खुला रहता है तथा अटरू की धनुष लीला के अलावा कहीं भी देखने को

(श्री मदन दिलावर)

नहीं मिलता है। परन्तु आज तक किसी भी कला एवं संस्कृति के अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं गया है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विकास के बारे में और दूसरे देशों को इसके विषय में जानकारी कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद। माननीय श्री चम्पालालजी जैन।....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बुला लूंगा, मैं आपका नाम बोल दूंगा।

ब्यावर की पेयजल समस्या

श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर ब्यावर नगर की पहचान जल समस्या के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। इस नगर में गत 6 वर्षों से जल वितरण व्यवस्था अत्यन्त गम्भीरता पूर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है, उसमें जल वितरण 96 घण्टे से होता है।

वर्तमान स्थिति में 96 घण्टे के अन्तराल से मात्र 25 मिनट न्यूनतम दबाव से जल वितरण किया जा रहा है जो कि पीने के लिए मूल-भूत जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकता के सन्दर्भ में भी अपर्याप्त है। परिणामत: इस क्षेत्र में अधिवास कर रही 1,40,000 की विपुल जनसंख्या संत्रासपूर्ण है जबकि यह नगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम में प्रभावपूर्ण योगदान के साथ ही राज्य का सबसे बड़ा उपखण्ड व महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। जहां कपड़ा, सीमेंट एवं कपास-ऊन के उद्योग व व्यवसाय में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। ऐसे में इस प्रकार की मूलभूत अनिवार्यता की उपेक्षा अत्यन्त गम्भीर है।

सरकार द्वारा सदैव अल्पकालिक समाधानों में नजदीक के क्षेत्र में टैंकरों द्वारा जल लाकर आपूर्ति की जाती है जो कि लागत व मांग के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से आपत्तिजनक है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें से 10-12 शब्द में वापस लेता हूं और आगे से पढ़ना चालू करता हूं।

गत 18 जनवरी, 1992 को शासन सचिवालय में इस समस्या के स्थायी निराकरण हेतु एक सभा आयोजित हुई थी जिसमें मैंने ब्यावर से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित भोमादेह बांध, जहां प्रचुर मात्रा में शुद्ध पानी उपलब्ध है, से जल वितरण हेतु योजना प्रस्तुत की थी, जिसका सर्वेक्षण कार्य भी सम्पन्न कराया जा चुका है, किन्तु क्रियान्वयन की प्रक्रिया में मामला लम्बित पड़ा हुआ है। जबकि यह बांध सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित है, किन्तु वहां एक इंच भूमि भी सिंचाई योग्य नहीं है। जबकि ब्यावर से 40 किलोमीटर दूर निमाज में कुए किराए पर लेकर टैंकरों व पाइपों से तीन स्थानों पर पम्पिंग से पानी लाया जा रहा है फिर भी अपर्याप्त है जबकि उपरोक्त परियोजना में बांध ऊंचाई पर होने से केवल मात्र एक पम्प स्टेशन के निर्माण से

(श्री चम्पालाल जैन)

ही सीधा ब्यावर नगर को जल वितरण किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त वर्णित महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत, स्थायीत्व व अत्यन्त अनिवार्यता के सन्दर्भ में शीघ्रता से पूर्ण करवा कर पर्याप्त जल वितरण करवाने का कार्य करावें।

नोट : भोमादेह बान्ध पूर्व में ब्यावर जल योजना के लिए ही निर्मित कराया गया था। अतः इस योजना को पुनः चालू करवाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर की जल समस्या से हम सब परिचित हैं, यह कोई नई समस्या नहीं है। कई वर्षों से इस समस्या से हम जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए बीसलपुर की यह योजना है वह आपके ध्यान में है, उस पर कार्य चल रहा है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही वह इस समस्या के अन्दर ली जायेगी।

आपने मुझे बताया कि भोमादेह का बांध जो पूर्व में ब्यावर को जल आपूर्ति के लिए बनाया गया था किसी जमाने में, यह समझ में नहीं आया कि इसका उपयोग क्यों बन्द कर दिया गया ? आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि यदि आप इसकी अनुमति दे दें तो आप स्वयं इसका ठेका लेकर गर्मी से पहले पानी ला सकते हैं। अगर आपका इतना विश्वास है तो आप मुझसे बात करिए। अगर आप गर्मी से पहले पानी ला दें तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा और साफा बांध कर आपका स्वागत करूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चम्पालाल जी जैन। आपको संतोषप्रद उत्तर मिल गया। माननीय श्री माहिर आजाद साहब। (व्यवधान)....इसमें इस तरह से डिबेट नहीं होती है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मिठाई की बात आई है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मिठाई में आप भी पधार जाइए।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर पहले है। जितने अनुपस्थित हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अनुपस्थित रहने वालों को दुबारा चांस नहीं दिया जाता है। लेकिन हम व्यवस्था दे चुके हैं फिर बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं ? आपका नाम पुकारा जायेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपको अवसर मिल जायेगा। आसन से आपको आश्वासन मिल गया है।....

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं दूंगा।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाह रहे हैं आप ?

(78)

श्री रामनारायण वर्मा : ब्यावर के सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नहीं बोलने दूंगा। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री रामनारायण वर्मा : ब्यावर को चम्बल का पानी क्यों नहीं देते हैं माननीय मंत्रीजी ?

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग बात है, बिराजिये आप। चम्बल से नहर लायेंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : तभी आपको श्रेय मिलेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वह भी ला सकते हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : कोशिश कीजिए, हम सब आपके साथ हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिलकुल, आई वेलकम यू।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि इस पर विचार कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : आई वैलकम यू।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी तो यहां पर हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप फरमाइए पूरा मंत्रिमण्डल बैठा है।

उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों पर जानने वालों को लगाना

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे आश्वासन कौन देगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के नियम 295 के तहत राजस्थान राज्य में उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत पदों पर उर्दू विषय के अध्यापक न लगाकर दूसरे विषयों के अध्यापक नियुक्त करने के कारण उर्दू भाषा के विद्यार्थियों को हो रही असुविधा की तरफ माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, जयपुर शहर सहित प्रान्त के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू भाषा के अध्यापकों के स्थान पर अन्य अध्यापकों को लगा दिया गया है जिससे उर्दू भाषा पढ़ने वाले को काफी असुविधा हो रही है। साथ ही उर्दू अध्यापकों को ऐसे विद्यालयों में लगा दिया गया है जहां उर्दू विषय ही नहीं है।

उदाहरणार्थ (1) राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय माणक चौक से श्री मो. यूनुस (उर्दू अध्यापक) को राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू, जिला जयपुर में जहां उर्दू भाषा विषय नहीं है लगा दिया गया है। (2) राजकीय दरबार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के श्री मो. साबिर को राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकसू जहां उर्दू विषय नहीं है लगाया गया है। तथा राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल मोती कटला के श्री अब्दुल बारी का राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दबाब खाना सूरजपोल से श्री अब्दुल रशीद को कहीं अन्यत्र लगा दिया गया है जहां उर्दू विषय ही नहीं है, लगाया गया है।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

चूरू, नागौर, सवाई माधोपुर, टौंक, बांसवाडा, झुन्झुनू में भी ऐसा ही हुआ है।

अतः मैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर उर्दू अध्यापक के पद पर उर्दू भाषा के अध्यापक को ही लगाने तथा जिन उर्दू अध्यापकों को ऐसे विद्यालयों में लगा दिया गया है जहां उर्दू विषय ही नहीं है उन्हें पुनः उर्दू भाषा विषय वाले विद्यालयों में लगाने की मांग करता हूं।

मन्त्री जी यह तो कहें कि लगा दिए जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

पंचायत मुख्यालय रायथल को सड़क से जोड़ने सम्बन्धी

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखना चाहता हूं। महोदय, बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुख्यालय रायथल को सड़क से जोड़ने हेतु 1971 से विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य करवाया जाता रहा है। सर्वप्रथम क्रेश प्रोग्राम में, उसके पश्चात काम के बदले अनाज योजना में, उसके बाद अकाल राहत कार्य में एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्य के अधीन तथा जवाहर रोजगार योजना में, किन्तु अभी तक भी मंडीत्या से रायथल तक की सात किलोमीटर लम्बाई की इस सड़क को पूरा नहीं करवाया गया है। इस सड़क को राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजना वर्ष 1983–84–85 में मुख्य जिला सड़क मानते हुए खटकड केशवरायपाटन रोड से रायथल तक सात किलोमीटर लम्बाई तक निर्माण करवाए जाने के लिए 21 लाख रुपए स्वीकृत किए जाकर निविदाएं आमन्त्रित करके कार्य भी करवाया गया था किन्तु विभागीय उदासीनता तथा ठेकेदार की लापरवाही के कारण कार्य अधूरा रह गया था। रेफरेन्स नम्बर 965/537/एन.एन.पी/प्लान/84–85 है।

इस सड़क का निर्माण होने के पश्चात ग्राम गुवाडी, पीपल्या, मंडीत्या, रायथल, एवरा, बम्बोरी, बनकाखेडा, नन्दपुरा, झुबासा, कानीहेडा सहित पन्द्रह गांवों को लाभ मिल सकेगा।

मंडीत्या से रायथल नामक इस सड़क के मध्य आने वाले मुख्य नालों पर पुलियाओं का निर्माण विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में ही करवाया जा चुका है। कुछ स्थान पर मिट्टी भी डाली जा चुकी है। इस सड़क के रास्ते पर सन् 1958 से 1965 तक परिवहन विभाग के परमिट से बसों का संचालन भी लाखेरी कालियान बहुधन्धी सहकारी समिति एवं मोटर व्यवसायी यूनियन द्वारा किया गया था। किन्तु चम्बल की नहरों की वजह से रास्ते खराब हो जाने से बसों का संचालन बन्द हो गया। जब से ही इस क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है।

अतः इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग मंडीत्या से रायथल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करवाए जाने हेतु नवीन स्वीकृति जारी की जावे अथवा सन् 1983 से 1985 हेतु स्वीकृत किए गए प्लान के तहत ही दुबारा

(श्री रामनारायण वर्मा)

से कार्य प्रारम्भ किए जाने की व्यवस्था किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे। ताकि इस महत्वपूर्ण एवं लम्बित जन समस्या का निदान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिव किशोर जी सनाढ्य।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को डिग्री स्तर पर क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार का ध्यान प्राद्योगिकी एवं कृषि अभियान्त्रिकी कालेज के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को डिग्री स्तर में क्रमोन्नत करना एवं कालेज को कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर स्थानान्तरण करने बाबत।

महोदय, उदयपुर स्थित पालिटेक्नीक कालेज, जो कि सुखाडिया विश्वविद्यालय का ही एक अंग था, इसे 1973 में स्थानान्तरण कर, प्राद्योगिकी एवं कृषि अभियान्त्रिकी कालेज में मिलाया गया, जो कि स्वयं भी सुखाडिया विश्वविद्यालय का ही एक कालेज था। कालेज कृषि अभियान्त्रिकी में डिग्री पाठ्यक्रम एवं मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल व माइनिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चल रहे हैं। सुखाडिया विश्वविद्यालय को सन् 1987 में दो भागों में विभक्त किया गया। उस समय प्राद्योगिकी एवं कृषि अभियान्त्रिकी कालेज को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में मिला दिया गया।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, कृषि आधारित पाठ्यक्रमों एवं अनुसन्धान पर विशेष महत्व दे रहा है। इस कारण अभियान्त्रिकी पाठ्यक्रमों को समुचित महत्व नहीं मिल रहा है। इसका ताजा उदाहरण विश्वविद्यालय द्वारा कृषि अभियान्त्रिकी में प्रवेश को पी.ई.टी. से अलग कर के विश्वविद्यालय की अलग जे.ई.टी. परीक्षा से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस कारण अभी कालेज के छात्र आन्दोलन भी कर रहे हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय इस कालेज में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को बन्द करने की भी सोच रहे हैं। इन सब कारणों से क्षेत्र में प्रोद्योगिकी शिक्षा के विकास में बाधा उत्पन्न होगी।

उदयपुर क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है एवं यहां पर कृषि अभियान्त्रिकी के अलावा कोई दूसरा डिग्री स्तर का पाठ्यक्रम नहीं चल रहा है। परिणामस्वरूप यहां के गरीब छात्रों को अभियान्त्रिकी शिक्षा के लिए जोधपुर, कोटा, जयपुर अथवा पिलानी जैसी दूर के कालेजों में जाना पड़ता है जो यहां के गरीब आदिवासी छात्रों के लिए मुश्किल ही नहीं असम्भव है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में इन्जीनियरिंग कालेज है परन्तु दुर्भाग्य है कि मात्र उदयपुर क्षेत्र इस सुविधा से वंचित है। अतः यहां पर प्राद्योगिकी एवं कृषि अभियान्त्रिकी महाविद्यालय को पूर्ण इन्जीनियरिंग कालेज में क्रमोन्मत करना राज्य सरकार की एक महान उपलब्धि होगी और क्षेत्रीय असन्तुलन भी दूर होगा।

अभी यहां पर जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम चल रहे हैं (मैकेनिकल, माइनिंग एवं इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग) इनको डिग्री स्तर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

तक क्रमोन्नत करने के लिए मात्र सत्तर लाख रुपए अगले पांच वर्षों में व्यय करना होगा। जबकि किसी नए इंजीनियरिंग कालेज को बनाने में कम से कम पांच करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं।

इस महाविद्यालय को सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ट्रान्सफर करने से दोनों विश्वविद्यालयों का सम्पत्ति के बंटवारे का विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा एवं एक ही परिसर में दो विश्वविद्यालय होने की असंगत व विचित्र स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। इससे, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्तर में भी सुधार होगा।

उदयपुर क्षेत्र खनिज बहुल क्षेत्र है एवं यहां पर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के अनेक उपक्रम हैं। अतः इस क्षेत्र में डिग्रीधारी इंजीनियरों के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर भी पर्याप्त हैं। यहां पर एक पूर्ण अभियान्त्रिक महाविद्यालय निश्चित रूप से इस क्षेत्र के और तीव्र औद्योगीकरण में एक महत्वपूर्ण प्रेरक का कार्य करेगा।

अतः इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग शिक्षा की आवश्यकता, क्षेत्रीय सन्तुलन एवं विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए, कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियान्त्रिकी महाविद्यालय को पूर्ण इंजीनियरिंग कालेज में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव अत्यन्त महत्वपूर्ण, आवश्यक तथा उचित है। साथ ही यह कम व्यय का कार्य भी है। अतः इस क्षेत्र के विकास में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति इसको कार्यान्वित करने की मांग करते रहे हैं। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि सरकार इस पर विचार करे। इस मांग को पूरा करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री उपाध्यक्ष : सचिव, विधान सभा विधेयक का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिस पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

सचिव, राजस्थान विधान सभा : महोदय, मैं सचिव, राजस्थान विधान सभा दिनांक 11 अप्रेल, 1984 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984 जिस पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिग्विजय सिंह, गृह मन्त्री एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के क्रमशः 31 मार्च, 1988 एवं 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

(82)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चतुर्भुज वर्मा, सहकारिता मंत्री, प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था अधिनियम, 1962 की धारा 31(11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987–88 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री अचला राम।

श्री अचलाराम (देसूरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाली जिले के रायपुर बांध से रायपुर के गणेश तालाब तक नहर का निर्माण कराये जाने विषयक एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर नगर परिवहन सेवा को प्रारम्भ कराने संबंधी

माननीय श्री कमलेन्द्र सिंह (अनुपस्थित) नियम 131 के अन्तर्गत श्री कालीचरण सराफ, श्री राजपाल सिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा जयपुर शहर में नगरीय परि–वहन सेवा पुन: शुरू करवाये जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 के अन्त-र्गत जयपुर शहर में 1983 से जो नगर परिवहन सेवा बंद पड़ी है उसके बारे में उसे पुन: प्रारम्भ किया जाय इस ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहना चाहता हूं कि 1972 तक....

श्री उपाध्यक्ष : आपको एक चान्स मिलेगा परम्परा के अनुसार।

श्री कालीचरण सराफ : ब्रीफ कर दूं साहब थोड़ा सा।

श्री उपाध्यक्ष : ब्रीफ हो जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ : पहले ब्रीफ करूं उसके बाद मंत्रीजी जवाब देंगे, फिर उस पर प्रश्न पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : फिर नई परम्परा बन जायेगी। ऐसा नहीं है वास्तव में, already you have briefed the case.

श्री कालीचरण सराफ : क्या प्राब्लम आ रही है, क्यों सी. टी. एस. की बसें चलाना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : बाद में पूछ लीजिये। यातायात मंत्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित किया गया है उसके सम्बन्ध में निम्न प्रकार जानकारी दे रहा हूं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में जुलाई 1972 से जयपुर शहर में नगरीय सेवा के सब संचालन का दायित्व सौंपा गया था लेकिन परिवहन निगम को

(श्री दिग्विजय सिंह)

नगरीय बस सेवाओं से होने वाले आर्थिक घाटे को देखते हुए 1979 में यह निर्णय लिया गया कि निगम की बसों के साथ निजी मिनी बस सब सेवा चालू की जा सकती है तथा शनैः शनैः निगम बसों को नगरीय परिवहन सेवा से हटा दिया जावे जिसके फलस्वरूप मई, 1983 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने जयपुर शहर के समस्त मार्गों से अपनी सेवायें समाप्त कर ली उसके पश्चात आम जनता व जन प्रतिनिधियों द्वारा जयपुर शहर में परिवहन निगम ने सिटी बस सर्विस को पुनः चालू करने की मांग की जाती रही। अतः वर्ष 1987 में जयपुर नगरीय सेवा निगम की भूमिका स्थापित करने की दृष्टि से 11 मार्गों पर निगम से वाहन संचालित करने हेतु खोले गये तथा 22-1-91 को चार नये मार्ग खोले गये जिसका उद्देश्य शहर विभिन्न मार्गों पर राजस्थान विश्वविद्यालय एवं अन्य मार्गों पर निगम की बसें उपलब्ध कराना है। इन मार्गों पर दिनांक 26-1-91 को निगम की 17 बसों के द्वारा परिवहन सेवायें उपलब्ध करायी गई। जगतपुरा, सोडाला, मानसरोवर, गांधीनगर, सेठी कलोनी, जोरावर सिंह गेट, खातीपुरा मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, सांगानेर के निवासियों को रेल्वे स्टेशन से सीधी बस सेवा उपलब्ध कराने के ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए ? निजी मार्ग निगम के वाहन संचालन के लिए खोले गये तथा एक मार्ग चांदपोल से भांकरोटा खोला गया है। संसाधनों की कमी एवं नगरीय सेवा संचालन से होने वाली आर्थिक हानि के कारण सभी मार्गों पर बसों का संचालन करना संभव नहीं है। निजी मिनी बसों के ड्राइवरों के लाइसेंस की चैकिंग परिवहन विभाग द्वारा की जाती है। निजी मिनी बसों में क्षमता से अधिक सवारियां होने का मुख्य कारण जयपुर शहर में यातायात आवश्यकता की तुलना में निजी मिनी बसों की काफी कम संख्या होना है। 650 निजी बसों की आवश्यकता के मुकाबले सिर्फ 326 निजी मिनी बसें चल रही हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा भी स्वीकृत 24 मार्गों में से 10 मार्ग ही संचालित किये जा रहे हैं। यह सत्य है कि मिनी बसों के संचालन से, दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है और इसका कारण निजी बसों का, अधिक गति से संचालन है। जिसका एक कारण यह भी है कि मिनी बसों पर चालकों का स्थायित्व नहीं रहता है। वह अक्सर बदलते रहते हैं। जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश क्रमांक न्याय/3/क/ब/92/6 दिनांक 6/1-92 के द्वारा मिनी बसों की गति सीमा 40 कि.मी. प्रति घंटा निर्धारित कर दी है।

महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है वर्ष 1991 में 3348 चालान बनाये गये। छात्रों को निजी मालिकों द्वारा रियायती दर पर टिकिट देने की सुविधा नहीं है। राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक 5/प/7/58/रूल्स/मुअ/परि/दिनांक 23.11-91 के द्वारा मंजिली वाहनों द्वारा वसूल किये जाने वाले किराये की दरें निर्धारित की हैं जिसके अनुसार निगम, निजी बसों का किराया समान है।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया मैं तो यह आशा करता था कि मंत्री जी बतायेंगे परिवहन सेवा जयपुर में कब से प्रारम्भ हो रही है। परन्तु मुझे जो जवाब दिया उससे मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह नगर परिवहन सेवा जयपुर में प्रारम्भ करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1972 तक एक निजी कम्पनी, कमल एण्ड कम्पनी, जयपुर शहर में सी. टी. एस. बसें संचालित करती थी और वह प्रोफिट में भी रहती थी परन्तु राष्ट्रीयकरण के नाम पर 1972 में राज्य सरकार ने निगम की जो बसें चलती थी उनको बन्द कर दिया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सी. टी. एस. बसें चलाई जाये यह इन्होंने अलाऊ कर दिया उसके बाद घाटे का बहाना बनाकर, कि साहब निगम घाटे में चलता है, 1983 से निगम की बसें यहां पर बंद कर दी और निजी मिनी बसों के माध्यम से जनता को लूटने की खुली छूट दे दी। यह बसें बन्द क्यों हुई निजी बसें क्यों चली यह तो तत्कालीन यातायात मंत्री थे, वही बता सकते हैं परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि उस समय जबरदस्त घोटाला हुआ उसमें गबन हुआ और सी. टी. एस. बसें जयपुर नगर के लिए बन्द करने का जबरदस्त षड़यन्त्र रचा गया। आज हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसा शहर नहीं है, कोई महानगर सा नहीं है जहां सी. टी.एस. बसें नहीं, चलती। कलकत्ता हो बम्बई हो, मद्रास हो चाहे कोई और शहर हो। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है पूरे हिन्दुस्तान में कि जहां सी.टी.एस. बसें बन्द करके मिनी बसें चालू की गई हो। मिनी बसें जयपुर में चालू कर दी। मिनी बसों पर स्पीड का कोई कन्ट्रोल नहीं और दुर्घटनाओं की यह स्थिति हैं कि कल ही जवाब आया है यहां पर राजस्थान सरकार का कि जनवरी, 1990 से फरवरी, 1992 तक, दो साल में, 192 दुर्घटनायें मिनी बसों से, जयपुर शहर में हुई हैं उसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई। तो राज्य सरकार आखिर क्या सोचती है कि इसी प्रकार से लोग मरते रहें उसके बावजूद कोई कन्ट्रोल नहीं मिनी बसों पर, बीस की कैपेसिटी है, 50-50 लोग उसके अन्दर चलते हैं।

महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के लिए मंत्री जी ने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ की कोई सूचना नहीं दी गई है। आप सोचें कि महिला उसके साथ छेड़-छाड़ की सूचना थाने में दे, मेरे ख्याल से आप इस बात को मानेंगे कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसी प्रकार से जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको जब सी.टी.एस. की बसें चलती थी, रियायती दर पर टिकिट मिलते थे। आज अगर किसी के चार बच्चे हैं और झोटवाड़ा से यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में मिनी बसों में उसको 15 से 20 रुपए के बीच खर्च करना पड़ता है। माननीय यातायात मंत्री जी, रियायतों की कोई गुंजाइश नहीं है कोई कन्सेशन उनको मिलता नहीं है मिनी बसों में, इसलिए उनको बड़ी परेशानी होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर की स्थिति को देखते हुए नगर

(श्री कालीचरण सराफ)

परिवहन की सेवा पुनः जयपुर में चालू की जाये। घाटे का बहाना बना कर यह कह दिया कि साहब निगम की बसें चालू नहीं हो सकती हैं। अब अस्पताल भी घाटे में चलते हैं तो क्या हम अस्पतालों को भी बन्द कर देंगे ? आज नगरपरिषद में सफाई व्यवस्था घाटे में चलती है तो क्या सफाई व्यवस्था करना बन्द कर देंगे ? यह तो आवश्यक चीज है। सी.टी.एस. की बसें चालू हों। इनके न चलने से जयपुर की जनता को जितनी असुविधा हो रही है, माननीय विधायकगण भी बसों में चलते हैं, उनको भी यह पता होगा कि किस प्रकार अव्यवस्था और शोषण का शिकार माननीय विधायक हो रहे हैं। इससे यह अनुमान लगता है कि जयपुर की जनता इससे कितनी पीड़ित है। मिनी बसों में कोई ट्रेण्ड ड्राइ-वर नहीं, आटो वाले भी इससे लूट पाट करते हैं। इस प्रकार से जयपुर की जनता इससे परेशान है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह संवेदनशील सरकार है और आपने जनता में भी यह कहा है कि हमने कुछ मार्गों में सी.टी.एस. की बसें चालू की हैं, परन्तु पूर्ण रूप से जयपुर शहर में सी.टी.एस. बसें चलें, इसके बारे में भी आश्वासन दें। आपने जवाब में भी कहा है कि 650 मिनी बसों की जयपुर शहर में आवश्यकता है और केवल 326 मिनी बस चल रही हैं। अब 326 मिनी बसों से 650 मिनी बसों की आवश्यकता कैसे पूरी होगी, यह तो आप खुद ही इस बात को मानते हैं। साथ ही इनकी 20 की केपेसिटी है और 50-50 लोग मिनी बसों में जायेंगे तो किस प्रकार से यह व्यवस्था होगी और घाटे का बहाना बनाकर यह सरकार इसको टाले नहीं और मंत्री जी यह कहें, सदन में आश्वासन दें कि हम सी.टी.एस बसें शीघ्र ही चालू करने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजपाल सिंह जी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1982 के आसपास जयपुर बढ़ने लगा और जयपुर के विकास के साथ साथ जो यातायात की सुविधा की जरूरत पड़ती रही, उसको ठीक करने की बजाय निगम के द्वारा अपनी बसेज को बन्द कर देना और मिनी बसों के द्वारा लोगों को लूटने की खुली छूट दे देना लोक कल्याणकारी राज्य के अन्दर घाटे का बहाना लेकर इस सामाजिक व्य-वस्था से लोगों को वंचित करना, मैं सोचता हूं, ठीक नहीं है। मेरी समझ में यह भी नहीं आया कि घाटे का बहाना, जैसाकि माननीय कालीचरण जी बता रहे थे, कि मैसर्स कमल एण्ड कम्पनी प्रोफिट में चल रही थी। मिनी बसों के लोग आर.एफ.सी. से लोन लेते हैं। आर. एफ. सी. की लोन की किश्त को चुकता करते हैं, उसका ब्याज भी चुकता करते हैं एस.आर.टी. को 625 रुपये महीना देते हैं, टोकन टैक्स के नाम पर 325 रुपये क्वार्टरली देते हैं और पर-मिट की फीस अलग से देते हैं। उसके बावजूद बसें बाइबल हैं। उसके बावजूद भी अपने घर का खर्चा चलाते हैं, एक कंडक्टर रखते हैं, एक ड्राइवर रखते हैं लेकिन ये सेवायें जब निगम के पास आ जाती हैं तो निगम कहता है कि हमें 10 साल में 5 करोड़ 29 लाख रुपये का घाटा हुआ। यानी निगम की अकुशलता का परिणाम

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जनता भोगे, ऐसी स्थिति अगर होती है तो मैं समझता हूं कि यह सरकार का उत्तर–दायित्व है कि अपने निगम की अकुशलता के कारण जनता को इस बात के लिए मोहताज नहीं करें। जयपुर के, दूर इलाके के अन्दर 64 बसें रोड़वेज की चल रही हैं सबर्ब्ज में। यह भी सही है कि निगम की बसों को यहां लगाने से जो मिनी बसें चल रही हैं, वे लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

मिनी बसों के एक्सीडेंट का रीजन एक तो इस इलाके के अन्दर तेजी से चलना है। अगर सबर्ब्ज के इलाके के अन्दर 64 बसें चलती हैं और उन 64 बसों को तो जयपुर में सी. टी. एस. के रूप में इस्तेमाल किया जाय और इतनी बसों के परमिट इन्हें जयपुर शहर में दे रखे हैं, उनक सबर्ब्ज के लिए, चौमूं के लिए, आसपास के गांवों के लिए परमिट देकर के उन सब बसों को जयपुर में शिफ्ट किया जाय तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 360 के करीब बसों को परमिट है, लेकिन सिर्फ 175 बसें आपरेट हो रही हैं। 64 बसें सबर्ब्ज में निगम की लगी हुई हैं। मिनी बसों की केपेसिटी 20 की होती है, निगम की बसों की केपेसिटी लगभग 60 होती है। अगर इन 64 बसों को यहां ला दिया जाय तो जो ट्रेफिक कैरिंग केपेसिटी है, मैं समझता हूं 64 बसों की और 175 बसों की बराबर होगी। सबर्ब्ज में इलाके के अन्दर मिनी बसों को भेज करके उनका रोजगार भी नहीं छोड़ा जाय और 64 सबर्ब्ज बसों को सी. टी. एस. के रूप में लगा करके सरकार इस बात की घोषणा करे कि यहां के नागरिक जो 1982 के बाद, जिनको यातायात की सुविधा नहीं मिल रही है, और यातायात की सुविधा की जरूरत पड़ने के बावजूद भी नहीं मिल रही है, उसको ठीक करने की सरकार घोषणा करे। एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कि निगम घाटे में चल रहा है, यह बात टालमटोल की चलेगी नहीं। सोशल सर्विसेज में 430 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं जबकि रोड़वेज वाले कह रहे थे कि हमने सब्सिडी की मांग की, सरकार ने हमें सब्सिडी नहीं दी। इसलिए सरकार से कहें कि आप मिनी बस लाइये उस वक्त के मंत्री महोदय ने क्या सोच करके प्राइवेट के लोगों से क्या सांठ-गांठ करके मिनी बसों को चलाया, यह समझ में नहीं आया लेकिन सब्सिडी की जरूरत भी पड़ती है तो सरकार को सब्सिडी का इंतजाम करना पड़ता है। मैं सोचता हूं जहां पर और प्राइवेट इलाके के लोग अपनी बसों को वाइबल बना सकते हैं तो निगम अपनी बसों को वाइबल क्यों नहीं बना सकता। सवाल एफिशियेंसी को बढ़ाने का है। अपनी अकुशलता का परिणाय लोगों को भोगने के लिए खुला छोड़ने का नहीं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइंटेड प्रश्न पूछ लीजिये। आप सवाल पूछिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2–3 बात कहकर बैठ जाती हूं। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो मिनी बसें हैं, आपने जांच कराई है क्या कि ये बेनामी चल रही है और इसमें आगे की सीट निकाल कर जो भी स्त्री-पुरुष बैठते हैं भेड़-बकरियों की तरह। उसमें 22 सीटें होती हैं और इसमें 40 से कम नहीं भराते। दुर्घटनाएं कितनी हुई है, यह तो आपको प्राप्त सूचना के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आधार पर आपने कहा। कितने मरे हैं अस्पतालों में, इसको गणना आपके पास नहीं होगी। जयपुर नगर में नगरीय बस सेवा का होना कितना आवश्यकता है। आप जयपुर में रहते हैं, आप जानते हैं कि कितनी दिक्कत होती है। आप बसों की गति को कितना ही कम करदें, लेकिन ये ऐसे छोड़ते हैं कि धड़ल्ले से साइकिल वाले को गिराया, स्कूटर वाले के टक्कर मारी। मैं समझती हूं बस सेवा में परिवर्तन करना नितांत आवश्यक है। क्या आप इसको देखेंगे कि जहां तक आपने 650 बसों की आवश्यकता को आधार बनाया वहीं 320 मिनी बसें चल रही हैं और अगर यहां पर केवल 300 एकल सेवा सी. टी. एस. में दे दें तो यहां के निवासियों को कितनी सुविधा होगी? क्या आपने इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है? मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो सुविधा मिल रही थी मासिक पास की, आने–जाने की, वह भी इसमें कम हो गई, बढ़ाने की तो बात ही नहीं। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप कितनी जल्दी और कब यह घोषणा करने वाले हैं। आप घोषणा करें कि कितनी जल्दी इस नगरीय सेवा में परिवर्तन कर दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री बिरदा राम चौधरी। सवाल पूछिये।

श्री बिरदा राम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न लगाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो मिनी बसें चल रही हैं और इससे पहले कमल एण्ड कम्पनी की बसें चल रही थी, उस समय के मुकाबले आज मिनी बसें चलने के बाद भी दुर्घटनाएं ज्यादा हुई हैं? मेरा यह निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर की जो व्यवस्था है, ज्यादातर माननीय सदस्य कारों–जीपों से जाते होंगे, हम लोग तो मिनी बसों में जाते हैं। बसों में भेड़–बकरियों की तरह भरते हैं औरतों की तो यह हालत होती है। मैं एक उदाहरण बताऊं, अभी 3–4 दिन पहले की बात है, बस में एक औरत ने कहा कि मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो। मैं बोरी थोड़े ही हूं। इस पर कंडक्टर ने कहा आप दूसरी बस में आइये। बस वाले रास्ते में उतार देते हैं. जहां रास्ते में ठेले वाले चलते हैं, वहां पर कोई रिक्शा चल रहा है, बस के चलते–चलते धक्के देकर उतार देते हैं। मैं समझता हूं कि यह जो आंकड़े दिये हैं दुर्घटनाएं होने के, इनसे करीब–करीब चार गुना दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके मुकदमें दर्ज नहीं होते। बच्चों के साथ भी मैंने देखा कई बार, कालेज के लड़के हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वे आइडेन्टिटी कार्ड बताते हैं फिर भी उनको धक्के देकर नीचे उतार दिया जाता है और आये दिन झगड़े होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जहां तक ये मिनी बसे हैं, उनकी जगह अविलम्ब, यदि यातायात को सुचारू रूप से चलाना है तो, सी. टी. एस. बसे चलाई चलाई जाय। आपसे व्यवस्था टैम्पू की भी नहीं हो रही है। कई बार....

श्री उपाध्यक्ष : यह हो चुका है। यह तो जनरल रिपीटीशन है। माननीय यातायात मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप यातायात मंत्रीजी को उत्तर देने दीजिये। इसे जनरल डिबेट नहीं बनाया जा सकता। बिराजिये। (व्यवधान) एक मिनट आप बैठिये। बिराजिये। सवाल तो सुनिये आप।

श्री सुनील बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री दिग्विजय सिंह : आपकी चिंता का जवाब मैं दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। आप जवाब आने दीजिये।

श्री सुनील बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक प्रश्न है। चाहे आप मिनी बस चलाओ ? चाहे आप सी.टी.एस. बस चलाओ, जब से पास से निकलती है तो इतना धुआं छोड़ती हैं कि इससे बहुत प्रदूषण फैल रहा है। इसके लिए भी कुछ करने की जरूरत है। इसमें कोई रेक्टिफिकेशन करने की कोई योजना है क्या ? आपकी जितनी मिनी बसें चल रही हैं, उनके सबके इंजिन बैठे हुए है, आयल भी पूरा नहीं होता है। धुआं ऐसे निकालते हैं जैसे रेल्वे का इंजिन धुआं निकालता है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। बिराजिये आप।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जयपुर शहर में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की सेवा के चलते हुए अपनी चिन्ता एवं अपने विचार व्यक्त किये और जो मिनी बसें चल रही हैं, उसके सम्बन्ध में भी आपने बताया, मैं आपकी जानकारी के लिए एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये 1983 में बंद की गई और 1987 में हमने पुन: चालू की और उसके बाद में आज भी इसमें इजाफा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर मिनी बसों के चलने से एक्सीडेंट्स काफी होते हैं और इनकी चैकिंग के लिए भी हमने व्यवस्था की है और अभी मैंने एक मीटिंग भी की थी और हमने निर्देश दिये हैं कि इन मिनी बसों में गवर्नर बांध दिया जावे ताकि इनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे नहीं बढ़े। उसके आदेश भी हो चुके है। इतना ही नहीं, प्रश्न इस बात का है कि हम मिनी बसों को बंद करके और यहां पर सी. टी. एस. बसें चलावें। अब हमें सी. टी. एस. बस चलाने के लिए इमिजियटली लगभग 17 करोड़ रुपये इसके अन्दर इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे जिसके लिए इस वक्त निगम इस परिस्थिति में नहीं है कि सारी की सारी बसों को रूट्स पर इसमें लगा लें और इस समय जो 70 बसें चल रही हैं और 70 के अलावा जैसा राजपाल सिंह जी ने कहा कि आफ रूट की करीब 67 बसे हैं, उनको भी इसमें लगा दें तो काम पूरा हो जायेगा। वो बात नहीं है। हमको कुल मिलाकर 400 वाहन और लगाने पड़ेंगे तब जाकर सिटी बस की सेवायें जयपुर को पूरी तरह से दे सकेंगे। आज तो इस स्थिति में हैं नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में निश्चित तौर से विचार कर रही है और मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम इस प्रोग्राम को शहर के जॉन में ले करके जयपुर शहर में बस सेवायें चले, परिवहन निगम की सेवायें चले, सिटी बस

(श्री दिग्विजयसिंह)

चलें यह पूरा प्रयास करेंगे इतना ही मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रयास का तो पता नहीं लेकिन इस साल कितनी चलायेंगे यह तो घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सराफ साहब, आश्वासन काफी होता है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जितने महानगर हैं उन सभी महानगरों की यही स्थिति पैदा हो गई है। जहां–जहां सिटी बस चलती थी, उदयपुर में भी सिटी बस चलती थी और वो बन्द हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : यह जयपुर नगर का मामला था माननीय सनाढ्य साहब, बिराजिए आप। आपको अलाउ नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : जयपुर में रहने वाले जो टेम्परेरी हैं उन पर भी असर पड़ता है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : असर पड़ता है उनकी उन छोटी–छोटी बसों में जेबें कट जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावना का जहां तक सवाल है मैं समझता हूं इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। यातायात की व्यवस्था सम्पूर्ण होनी चाहिए और सुविधाजनक होनी चाहिए। लेकिन इस बात को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है यह प्रश्न मोटे रूप से हमारे सामने आया है। अभी राजपाल सिंह जी बोल रहे थे कि जितनी भी प्राइवेट बसें चलती हैं वो सब लाभ में चलती हैं और सरकारी बसें सब घाटे में चलती हैं और यह अव्यवस्था का एक कारण है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्राइवेट बसेज में कोई सर्विस रूल्स नहीं है वहां हायर एण्ड फायर का सिस्टम है। एक आदमी पर संदेह हो गया कि इसने 5 टिकट की चोरी कर ली तो शाम को उसकी छुट्टी कर दी जाती है। यहां छुट्टी देने का प्रश्न आया तो यहां जुलूस निकलते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और ऊपर से यह कहा जाता है कि जो कुछ भी मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। उस समय कोई नहीं बोलता कि इस मजबूरी का अर्थ क्या है और मांग पूरी होने का खर्चा कितना होगा। आज यही प्रश्न नहीं है दूसरा प्रश्न है जयपुर शहर का। जयपुर शहर में आज जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है उसके बारे में कई शिकायतें हो सकती हैं, कई शिकायतें सही भी हो सकती है और कई शिकायतें धारणाओं के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर हो सकती हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और प्राइवेट गाड़ियां दोनों जो चल रही हैं, जैसा मंत्री जी ने कहा कि 17 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और 17 करोड़ रुपया एक साथ हम नहीं दे सकते लेकिन इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि प्राइवेट और दोनों को मिलाकर शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके इस प्रकार की योजना बनाकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसको लागू किया जाय। आप यह चाहते हैं कि आज से लागू कर दिया जाय, मैं आज आपसे एक गारण्टी लेना चाहता हूं कि कल सुबह से लागू कर देऊंगा लेकिन जितने भी कन्सेसन्स हैं वो नहीं दिए जाय। नहीं दिए जाय तो आज आप तो कहते हैं कि नहीं दिए जाय और कल जब स्टूडेंटस बस को रोककर खड़े हो जायेंगे उस समय किसी एम.एल.ए. के दर्शन नहीं होंगे। एम.एल.ए. का लिखा हुआ यह आयेगा कि इनको कन्सेशन्स दिए जाय। मैं अधिकृत रूप से तो नहीं कह सकता लेकिन मेरी पुरानी जानकारी है कि राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में लगभग 17,000 कन्सेशनल टिकट हैं। अब आप घाटे का अनुमान लगा सकते हैं। हम एफिसिएंसी की तो बातें करें लेकिन कन्सेशन देते हैं। अब आप यह कहेंगे कि कन्सेशन को सरकार रिएम्बर्स करे। यह सिद्धान्त तो बहुत अच्छा है कि सरकार को रिएम्बर्स करना चाहिए लेकिन रिएम्बर्स करेंगे तो जो कन्सेशन ले रहे हैं उनसे तो कोस्ट वसूल नहीं होगी लेकिन जो बस में बैठते ही नहीं है उनको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस बात पर विचार करना चाहिए और उस विचार के आधार पर मैं इस पक्ष में हूं कि यातायात की व्यवस्था ठीक रूप से हो लेकिन उस व्यवस्था में सरकारी आधार पर ही व्यवस्था ठीक होगी तो फिर आप कहेंगे कि इसमें तो अव्यवस्था है। आज अभी दो बार आप कह गए बाकी के मेम्बर्स जो बोले हैं वे सब यह कह गए कि आर.एस.आर.टी.सी. की व्यवस्था बहुत खराब है। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो व्यवस्था खराब मानते हैं वो ही व्यवस्था लागू करने की आप मांग कर रहे हैं। यह तरीका मेरी समझ में नहीं आया। जिस चीज को आप कहते हैं कि अच्छी नहीं है वो ही कहते हैं कि हमको देओ। भई ऐसी क्या बात है कि अच्छी भी नहीं है और वह हमको देओ। इसके पीछे कारण क्या है उन कारणों के ऊपर जाइये। हम चाहते हैं अच्छी यातायात व्यवस्था हो, लोगों को सुविधा मिले और उस सुविधा की दृष्टि से आज आप कह रहे है कि जितनी भी मिनी बसेज चल रही हैं आपने भी कहा और कई मेम्बर्स ने कहा कि उससे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब मैं एक बार रोजगार खत्म कर देऊं उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल बेकार साबित कर देऊं यह नहीं होगा लेकिन दोनों की मिल-जुलकर कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि आखिर शिकायतों का निराकरण हो सकेगा।

शासकीय वक्तव्य

खीरा-जयपुर व मावली-डबोक मार्ग के बीच जीप-ट्रक दुर्घटना

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री दिग्विजय सिंह, गृह मंत्री दिनांक 8 मार्च, 1992 को सीकर-जयपुर मार्ग पर बांडी नदी पुल के पार एवं उदयपुर जिले के मावली-डबोक के बीच जीप व ट्रक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 मार्च, 1992 को सायंकाल 5.30 पी.एम. जयपुर से चौमूं

(श्री दिग्विजय सिंह)

जाते हुए ट्रक नं. डी.एल. 5325 ने चौमूं से जयपुर आते हुए जीप आर.एस.टी. 1958 को गांव टांटियावास के पास दुर्घटना में टक्कर मारी। जीप में कई सवारियां बैठी हुई थीं तथा इस दुर्घटना में 7 पुरुष, एक महिला व 2 बच्चियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 8 अन्य घायल व्यक्तियों को सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया जिसमें से 3 अन्य की मृत्यु हो गई बाकी 5 घायल व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति इलाज हेतु भर्ती है व दो को प्राथमिक चिकित्सा के बाद भेज दिया गया। इस घटना की सूचना थाने पर 5.45 पी एम. पर प्राप्त होने पर एस.एच.ओ. मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे। वहां पर इकट्ठी भीड़ लगभग 1000 व्यक्तियों ने उन्हें मौके से पहले रोककर घटनास्थल पर जाने से रोका। रोकने वाली भीड़ को समझाने का प्रयास किया गया तथा मौके की कार्यवाही की गई। घायल व्यक्तियों को चिकित्सालय पहुंचाया गया तथा मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु सवाईमानसिंह चिकित्सालय भेजा गया। घटनास्थल की फोटोग्राफी एवं मृतकों के फोटोग्राफ लिए गए। उत्तेजित भीड़ द्वारा अवरूद्ध किए गए रास्ते को खुलाया गया। इस दुर्घटना के संबंध में थाना चौमूं पर अपराध संख्या 102/92 अन्तर्गत धारा 289, 337, 304-ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया गया जो कि श्री बृजमोहन पुत्र गोपाल सुक्खा की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। ट्रक ड्राइवर की मालूमात करने हेतु दिनांक 9.3.92 को एक व्यक्ति को ट्रक मालिक के पास रवाना किया है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि ट्रक ड्राइवर मृतकों में से एक हो। कुल 13 मृतकों में से 7 व्यक्तियों की पहचान अब तक हो चुकी है। उनके नाम इस प्रकार हैं। सुरेश पुत्र गंगाराम जाट, निवासी दुल्लीसिंह की ढाणी, चौमूं, गुलाबचंद पुत्र श्री छीतरमल माली निवासी धानोता, थाना शाहपुरा, हरफूल पुत्र श्योलाल जाट निवासी हाड़ोता, चौमू, गोपाल लाल बुनकर निवासी साहू, थाना गोविन्दगढ़, मीरां कुमावत पत्नी शंकरलाल उम्र 20 निवासी चौमूं, मंजु पुत्री शंकर लाल उम्र 3 वर्ष चौमू, मंगल पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी नांगल तुर्कान हैं। घायल व्यक्तियों के नाम हैं मनाराम पुत्र श्री छोटूराम निवासी तिगरिया थाना गोविंदगढ़, रामसहाय पुत्र गोकुल जाति यादव निवासी उदयपुरिया चौमू, सुरेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल यादव निवासी झोटवाड़ा, पंजाब नेशनल बैंक के पास जयपुर, बृजमोहन पुत्र श्री गोयल, शंकर लाल पुत्र मोहनलाल नाई ढाणी जोरावरसिंह थाना श्रीमाधोपुर एवं प्राथमिक चिकित्सा के बाद भेज दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा जोर से बोलिए।

श्री रामकिशन : मंत्री जी कोई वक्तव्य पढ़ रहे हैं या मंत्र पढ़ रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : दिनांक 8-3-92 को एक अन्य ट्रक-जीप दुर्घटना डबोक जिला उदयपुर में सुबह के समय थाना डबोक में घटित हुई। 8-3-92 को प्रातः 7 बजे कांस्टेबल नं. 1847 श्री गुलाबसिंह थाना डबोक ने सूचना दी की प्रातः 6.30 बजे ट्रक नं एचआर-26-4882 उदयपुर से डबोक की तरफ आ रहा था एवं एक जीप नं. आर.एन.ओ-6954 जिसमें सवारियां बैठी हुई थी डबोक से उदयपुर की

(श्री दिग्विजय सिंह)

तरफ जा रही थी। इस ट्रक व जीप की भिड़ंत मधुकला के पास हुई जिस कारण बैठी 6 सवारियों की मृत्यु हो गई व 4 सवारियां घायल हो गई। घायल व्यक्तियों में श्री मदनलाल जैन निवासी सरेसवा ने अपनी साथी दूसरे घायल का नाम मोहरसिंह निवासी चौबे जी का खेड़ा थाना डबोक एवं चुन्नी बाई कुमावत निवासी खड़दाना एवं शांति बाई कुमावत होना बताया। जो व्यक्ति मृत हुए उनके नाम इस प्रकार हैं। खुमान सिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत निवासी बिमल थाना डबोक, श्री रमेश चंद पुत्र हीरालाल लुहार निवासी धोला डबेरिया थाना फतेहनगर, श्री चुन्नीलाल पुत्र हीरालाल निवासी फतेहपुर थाना मावली, श्री मोहनलाल पुत्र उदयलाल निवासी छावनी की खेरी थाना फतेहनगर जो कि जीप में चालक था। श्रीमती गुलाबी पत्नी भीवाराम प्रजापत निवासी खरताना थाना मावली है। श्री भगवान सिंह पुत्र धर्म सिंह राजपूत निवासी मोहेणा थाना मावली को पहचाना बताया। पुलिस जाब्ते द्वारा घायलों को अविलम्ब अस्पताल डबोक में उपचार हेतु पहुंचाया गया। घायल व्यक्तियों में श्री मदनलाल, श्रीमती चुन्नी बाई एवं श्रीमती शांति बाई के साधारण चोटें होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। एक अन्य घायल व्यक्ति मोहरसिंह का उपचार किया जा रहा है जिसकी स्थिति खतरे से बाहर होकर सामान्य बताई जा रही है। चूंकि मृतकों की शिनाख्त हो चुकी है अतः उनकी लाशों को उनके परिवारजनों को अन्तिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दी गई। कांस्टेबल गुलाब सिंह द्वारा दी गई दुर्घटना की सूचना के आधार पर अपराध संख्या 47/92 अन्तर्गत धारा 304 ए, 289 एवं 337 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 8.3.92 डबोक पर दर्ज किया गया। इस दुर्घटना में जीप चालक मोहनलाल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई एवं ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया जिसकी तत्परता से तलाश की जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं खेदजनक हैं तथा राज्य सरकार की ओर से ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि यातायात विभाग को सुदृढ़ बना कर जीपों की ओवरलोडिंग को रोका जाय तथा अन्य रास्ते अपनाये जायें जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने एक मंत्र सा पढ़ कर पूरा विवरण दे दिया कि वहां यह आदमी मर गये, वहां वह पड़ा रहा, वहां वह बैठा रहा, वहां उठ गया, असल में राज्य सरकार को स्टेटमेंट इस बात का देना चाहिए था कि जीप किस तरह से आती है, जीप का नियमन जिस तरह से राज्य सरकार का यातायात विभाग करता है, एक तो उन्होंने कोशिश की छिपाने की, उसमें संख्या 26 थी, अखबार वहां के कहते हैं, वहां के नागरिक कहते हैं, दूसरी जगह छपी है कि 26 सवारियां थीं और आपने उसमें गिनाई है 18, 13 तो मर गये और 5 बची हुई हैं। मैं समझता हूं कि उनमें भी उन्होंने ट्रक वाले शामिल कर दिये कि ट्रक वाले भी मरे होंगे। ट्रक वाले भाग गये या मरे, क्या हुआ, राज्य सरकार को अभी तक इस बात की सूचना नहीं है....

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि भाग गये। मैंने यह कहा कि ट्रक ड्राइवर का पता नहीं लग रहा है। मैंने यह कहा कि वह व्यक्ति अनआइडेन्टिफाइड बॉडीज में से कोई एक हो। मैं यह डिनाई नहीं कर रहा हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप पता लगा कर बयान देते ना। मैं यही कह रहा हूं। मंत्रीजी, मैं यही कह रहा हूं कि आपने फिर बयान जो दिया, राज्य सरकार ने क्या खोजबीन की कि ट्रक वाले भाग गये या ट्रक छोड़ कर, कोई ट्रक वाला मरा या नहीं मरा या साथ ही मर गया, एक्सीडेंट हो गया, असल में लोगों की यह थी, अखबार में भी छपी है कि ट्रक को छोड़ कर ट्रक वाला भाग गया और आपने यहां यह आपकी....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यही तो कहा गया है कि ट्रक वाले भाग गये।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, यह नहीं आया है।

श्री दिग्विजय सिंह : और उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा है कि उसकी तत्परता से हम तलाश भी कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कह रहे हैं, यह भी हो सकता है कि भाग भी गये और मर भी गये।

श्री उपाध्यक्ष : मरना एक और बात है जी, नहीं तो कैसे मर गया होगा....

श्री दिग्विजय सिंह : अब आप बहस में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दोनों में से कौन सी अच्छी समझते हैं? मर गया वह अच्छी या भाग गया वह अच्छी?

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं तो मरना अच्छा नहीं समझता। मैं अच्छी की बात नहीं कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कौन मर गया या कौन नहीं मरा। मैं तो यह बात कर रहा हूं कि अभी तक, चौमूं में एक्सीडेंट हुआ, हम आइडेन्टीफाई नहीं कर पाये कि वह आदमी कौन है मरने वाले और यह भी नहीं कर पाये कि किस वजह से किस तरह से एक्सीडेंट हुआ। ट्रक गलती पर था, जीप गलती पर थी, यह कोई सूचना हमारे पास नहीं है। हमको चाहिए था, हम सारे राजस्थान के प्रतिनिधियों को सूचित कर रहे हैं, कि किस की गलती थी ताकि हम इस बात पर विचार करते कि उसका इलाज क्या होना चाहिए। आज स्थिति यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो एक्सीडेंट एक दिन में हुए, यह बात नहीं है, राजस्थान में एक साल के अन्दर हजारों नागरिक और जितने मरने वाले हैं उनमें से 90 प्रतिशत छोटे लाइट व्हिकल्स के होते हैं, जीपों पर चलते हैं या कारों पर चलते हैं, बड़े ट्रक जो हमारे चलते हैं सड़कों पर, उनसे एक्सीडेंट होकर मरते हैं और पूरी की पूरी फेमिली, 15-15 आदमी एक-एक साथ मरते हैं। उसकी वजह यह है कि राजस्थान पूरे में यातायात विभाग, जो जीपें चलती हैं, जो स्टेट रोड़वेज है, इसका बहुत ही कटु अनुभव है, स्टेट रोड़वेज ने बड़ी कोशिश की कि यातायात विभाग से मिलकर और पुलिस विभाग से मिलकर, कि अवैध वाहन बंद हो जाय। आखिर वह थक गये और अवैध वाहन बंद नहीं हुए। तो अवैध वाहन इस

(श्री हेतराम बेनीवाल)

रफ्तार से चल रहे हैं, वह ही बात नहीं है, उनके अन्दर सवारियां भी इतनी भरी जाती हैं कि कन्ट्रोल नहीं कर सकते और इस वजह से इन्सीडेंट होते हैं। तो इसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि यातायात विभाग के इन्स-पेक्टर और डी.टी.ओ. पूरे तौर से व्यवस्थित वसूली लेते हैं। जितनी भी जीपें उस इलाके में चलती हैं, पूरी जीपों के उनके पास नम्बर हैं, पूरी जीपों का महीना उनके पास आता है और जब माहवारी उनके पास पूरी आती है तो इस बात की वह परवाह नहीं करते कि वह किस तरह चले....

श्री उपाध्यक्ष : एक हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है उसकी जानकारी नहीं है क्या आपको।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने इस पर थोड़े दे रखा है कि 26 सवारी चलाओ। हाई कोर्ट का स्टे यह नहीं है कि आप उसमें, उसकी कन्डीशन क्या होगी जीप की, यह राज्य सरकार पर निर्भर है। उस जीप के अन्दर उन्होंने सिर्फ वाहन का दे रखा है, उस वाहन को किस तरह चलाया जाय, यह नियन्त्रण यातायात विभाग करेगा। हम उसको बंद कर सकते हैं अगर उसकी पांच-पांच, छह-छह सवारी हो, हम उसको बंद कर सकते हैं अगर जीप के ब्रेक ठीक न हो, हम बंद कर सकते हैं अगर जीप टूटी हुई हो। जो पुराना मॉडल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में अस्सी प्रतिशत जीपें वह है ही नहीं, जीप का इंजन कोई है, बॉडी किसी की है और गियर किसी का है। इस तरह का जुगाड़ सारे राजस्थान में चल रहा है। तो यह सारी की सारी जो व्यवस्था है उस वजह से यह है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह दूसरा मुझे यह कहना है कि राज्य में ट्रक्स का जो भार है, जो ट्रकों पर भार लादा जाता है, निश्चित तौर पर इस बारे, में जो ट्रक यूनियन है उन्होंने भी तय किया था कि हम भार तय करेंगे और उन्होंने अपनी तरफ से नियंत्रण, कोशिश की थी पर वह उस वक्त की थी जब यातायात विभाग से उनकी बातचीत हुई पर बाद में पता नहीं, क्या सौदेबाजी हुई, वह दो-चार महीने तो चला ट्रक के भार का, कि नौ टन से कम का भार रखेंगे, अब वही स्थिति है कि दस टन, बारह टन, पन्द्रह टन भार चलता है। इस वजह से वह कन्ट्रोल नहीं हो पाते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ इस बात की लीपा-पोती से बात नहीं चलेगी कि यातायात विभाग कोशिश करेगा, यातायात विभाग प्रयत्न करेगा, कान्करीट आप हमको प्रोग्राम बतायें कि यातायात विभाग इन जीपों को चलाने के बारे में क्या व्यवस्था करेगा और जो जीपें प्राइवेट इस तरह से चलेंगी, उनकी किस तरह से व्यवस्था की जायेगी, किस तरह से उनका चालान किया जायेगा। और जिन अधिकारियों ने इसमें उपेक्षा, मैं तो चाहूंगा कि आज हम सदन के अन्दर यह तय करें कि जिस क्षेत्र में यह दुर्घटनाएं हुई हैं, वहां के डी.टी.ओ. ने कब चैक की थी? सिर्फ यह तय कर लें कि उन्होंने सड़कों पर जाकर गाड़ियां कब चैक की थी, आज से महीना पहले, दो महीना पहले या कब की थी और नहीं की थी, सिर्फ वसूली की थी तो उनके खिलाफ भी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

एक्शन लिया जाय। यह मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, प्रश्न पूछे हैं उनके अलावा मोटे तौर पर तो कोई बात पूछने को है नहीं, सारा झगड़ा सिस्टम का बन गया है, अब 26-26 आदमी जीपों में भरे जायें भेड़-बकरियों की तरह तो एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा। आगे की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा चलता है, फ्रंट सीट के ऊपर ड्राइवर और चार-चार, पांच-पांच आदमी, ड्राइवर का आधा हिस्सा बाहर निकला रहता है, आपने स्वयं देखा है, सभी माननीय सदस्यों ने देखा है। और तो और, आपके पुलिस अधिकारी और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के अवैध वाहन चल रहे हैं और आज, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी यह बात कही थी 70 करोड़ रुपये साल का रोड़ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन को इन अवैध वाहनों से घाटा हो रहा है। यह उनके अधिकारियों ने स्वीकार किया है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। अब आपरेटर्स की जेब में पैसा जाता है, आपने सबने देखा है, सब की निगाह में है, आप इसको रोकने के लिए, आप यह कह देंगे कि टैक्सी परमिट था इस गाड़ी के पास, टैक्सी परमिट का मतलब यह तो नहीं है कि 26-26 आदमी भरे जायं। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इस सिस्टम को आपको रोकने के लिए, क्योंकि आप जान रहे हैं, आज अवैध वाहन दिल्ली से उदयपुर तक जा रहे हैं, एक-एक हजार किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर रहे हैं, चार-चार सौ किलोमीटर की दूरी पर चल रहे हैं, सबकी निगाह में चल रहे हैं। रोड़वेज तो थक कर बैठ ही गई, अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप बता दें। वैसे कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर आपने कठोर कदम नहीं उठाये तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति निश्चित है। जयपुर के अन्दर आप हाल देख लीजिए। बच्चों के लिए रिक्शों के अन्दर, ऑटोज के तीन-तीन, दो-दो खण बना रखे हैं। दो-दो खण बनाकर बच्चों को बैठा कर, उसमें भी छोटे-छोटे बच्चों को ठूंस-ठूंस कर भर कर ले जा रहे हैं। भगवान न करे किसी दिन दुर्घटना हो गई तो क्या होगा उन बच्चों का, किस का क्या होगा। पूरे सिस्टम की जब तक आप ओवर हालिंग नहीं करेंगे, एक्सीडेंट हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, पहले भी हुए थे....

हम इसको नहीं कहते, लेकिन अब चिंता सभी की है कि इसको रोका जाना चाहिए और इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं हांलाकि हालात आपकी यह हो रही है कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट की कोई सुनता नही है। आपने यहां पर जयपुर में मीटर लगाने की बात की थी, माननीय मुख्य मंत्री जी फेल हो गए, नहीं लगा पाये। यात्रियों से मनमाने किराये वसूल किये जा रहे हैं। तो जहां सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हो, बिल नहीं हो और इस सैक्टर के आगे सरकार झुक रही हो, +++ तो

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वहां आखिर क्या होगा। इसके लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्यथा इन चीजों की पुनरावृति को आप नहीं रोक पायेंगे, यही मेरी चिंता है, यही मेरी जिज्ञासा है। इस पर प्रकाश डालें तो बहुत कृपा होगी।

(2.00 म. प.)

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी ये जानना चाहता हूं कि जब यह सवाल सदन में आया था तो एक सवाल यह भी था कि वहां की जनता में आक्रोश इसलिए था कि चौमूं की पुलिस समय पर नहीं पहुंची। काफी देरी से पहुंची। अभी आपने कहा है कि वहां पर लोगों ने उसको रोक लिया। तो मैं जानना चाहूंगा कि कब तो यह एक्सीडेन्ट हुआ और चौमूं की पुलिस कब पहुंची ? इस एक्सीडेन्ट के कितनी देर बाद पहुंची ? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि अभी जो माननीय सदस्यों ने कहा कि गम्भीर चिन्ता है और हम तो रोज इस राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर, 11 से आते हैं जीपों में पच्चीस, पच्चीस और तीस, तीस सवारियां भरी जाती हैं। यहां भी 26 और 18 का विवाद है लेकिन 13 मौतें यहां हुई, तेज रफ्तार में हो गयी और 6 उदयपुर में हो गयीं—एक दिन में 19 मौतें हो गयी उसके बाद भी हमारी सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है। क्या आप यातायात विभाग को कुछ निर्देश देंगे कि इस संबंध में कुछ कहे। यह समस्या तो आपके सामने रोज आ रही है, रोज एक्सीडेन्ट हो रहे हैं। एक दिन में 20 हो गए। निर्देश क्या देंगे ? आज सदन के सामने आना चाहिए कि हमने यह व्यवस्था की है कि आइन्दा अवैध वाहन इतनी सवारियां भरकार नहीं चल पायेंगे। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आपने एक जीप चलाई है जो कि सुरक्षा के नाम पर जिप्सी चलती है। यह नहीं है कि पैसा वसूल हो। आप उनको अधिकार दीजियेगा फिर एक्सीडेन्ट होता हैं तो उनको भी लायेबल ठहराइये कि वह उनको चैक कर और उनमें ज्यादा सवारियां नहीं भरी जायें। ऐसी व्यवस्था कीजिए। ऐसे उपाय करेंगे तभी रुकेंगे नहीं तो नहीं रुकेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक्सीडेन्ट्स बहुत हो रहे हैं और इसका मुख्य कारण, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, तेज रफ्तार में वाहनों को चलाना और उनको ओवरलोडिंग करना। कुछ दिन पहले सुरक्षा वीक मनाया था पुलिस ने और बंदिश डाली थी कि फलां तरह के वाहन की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, किसी की 30 और किसी की 40 होगी। इस कानून को कोई नहीं मानता और इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप मोबाइल मजिस्ट्रेट रखिये। तत्काल वहीं पर जुर्माना। तेज रफ्तार हो, ओवर–लोडेड हो तो उस समय जुर्माना या सजा दीजिए। 5–6 दल होंगे तो एकदम कम आ जायेंगे। यह तेज रफ्तार से हुए एक्सी–डेन्ट्स। मैं कोई अभिमान नहीं करता 45 साल हो गए मुझे गाड़ी में बैठते और चलाते और खुद चलाते। मेरे बैठे मैंने गाड़ी को खरोंच नहीं आने दी या किसी आदमी को खरोंच नहीं आने दी। हालांकि ड्राइवर भी नाराज होते हैं कि आप बार–बार

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

टोकते रहते हैं लेकिन वैसे दुर्घटना है लेकिन अगर सतर्कता बरती जाये तो दुर्घटना से बच सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपने पुलिस ट्रैफिक अभी लगाई है हाइवेज पर, बहुत अच्छा काम किया है लेकिन साथ ही साथ आप मजिस्ट्रेट को लगाइये सिटीज के अन्दर और हाइवेज पर। ज्योंही तेज रफ्तार देखें जीप की या किसी भी वाहन की, मोटर साइकिल वाले भी बहुत तेज चलाते हैं शहर में और उनके ऊपर तत्काल चालान हो रहे हैं, यह नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट मौके पर रहें और महीने की या 15 दिन की या 500 रुपये जुर्माना कीजिए तब यह एक्सीडेन्ट्स आधे हो जायेंगे, यह मैं आपको निवेदन करता हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जब यह प्रश्न उठाया तो इसके पीछे मूल भावना यह थी कि इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो पाये। माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं वह जिक्र नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ही विशेष स्थान ऐसे हैं कि जहां पर बड़ी मात्रा में इस तरीके से अवैध वाहन चलते हैं दिल्ली रोड, आगरा रोड, बीकानेर रोड, और अजमेर रोड। अपने यातायात विभाग की पहले जो चैक पोस्टें थीं उनको समाप्त कर दी और उनकी जगह आपने हाइवे ट्रैफिक पुलिस लगा दी। क्या आप इन रोड पर, इन मार्गों पर जहां बहुतायत से अवैध वाहन चल रहे हैं इस तरह की चौकियां कायम करने का विचार रखते हैं? या इस संबंध में आप क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यहां तक है और यह वास्तविक स्थिति का मैं आपके सामने चित्रण कर रहा हूं कि कई अवैध वाहन जो भी रोडवेज के बस स्टेण्ड्स हैं उनके बाहर खड़े रहते हैं और रोडवेज के कर्मचारी कहते हैं कि बस तो जायेगी साढ़े तीन बजे और वह जीप जा रही है उससे चले जाना। यह स्थिति भी है। खुद बस स्टैण्डों के बाहर अवैध वाहन खड़े रहते हैं। आप घाटगेट से कभी भी गुजरिये, घाटगेट बस स्टैण्ट के पास आपको पचासों जीपें 'एट ए टाइम' खड़ी हुई मिलेंगी जो कि जयपुर दौसा रोड पर चलती हैं। तो इसको गम्भीरता से लेकर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने मृत्यु दर को कम करने के लिए ही यह विचार कर लिया हो कि यह अच्छा तरीका है तो बात दूसरी है वरना लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो इसके लिए आपको आवश्यक सुधार एवं प्रबन्ध करने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यातायात मंत्री जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मिनट। क्या यह सही है और क्या गृह मंत्री जी और यातायात मंत्री जी बतायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें तो हेतराम जी बेनीवाल और बी. डी. कल्ला का नाम था और वह भी उनका स्थगन प्रस्ताव था....

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो वाहन चलते हैं वह निश्चित रूप से यह कहते हैं कि 20 मिनट में जयपुर और जयपुर नहीं तो ऊपर। इस प्रकार का खुले आम नारा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

देते हैं और इतने निर्भीक होकर नारा लगाते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना नारा लगाने के बाद भी महावीर प्रसाद जी उसी जीप में बैठकर आ गए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो बस से आया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं तो सुन रहा था इसलिए मुझे बैठने का मौका नहीं मिला है। जहां तक इसका सवाल है हर आदमी जानता है खुले अवैध वाहन इतने निर्भीक हो रहे हैं उनके लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो मैं समझता हूं कि जानमाल की हम रक्षा नहीं कर पायेंगे।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा सुझाव यह है कि पहले जो ड्राइविंग लाइसेंसिंग की पोलिसी थी देने की वह पुलिस विभाग के पास थी और अच्छी तरह से पुलिस विभाग उनका टेस्ट कर लेने के बाद लाइसेंस देते थे। अब एजेन्ट के पास घर बैठे लाइसेंस मिल जाते हैं इसलिए ड्राइविंग सही नहीं होता और उसकी वजह से भी कई तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि जो पहले की पद्धति थी उसको वापिस रखा जाये। अगर वह पद्धति अच्छी थी तो उसको वापस अपनाई जाये।

एक और है, स्टेट केरेज और कान्ट्रेक्ट केरेज के लाइसेन्स राजस्थान में दे रखे हैं तो अवैध वाहन कौनसा है इसको भी देखा जाये। अगर एक जीप में 5 आदमी या 6 आदमी के लिए परमिट देते हैं जब कि उसमें केपेसिटी 8 और 9 की है तो अगर 9 की परमीशन दे देंगे तो कम से कम वह ज्यादा लालच नहीं करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाये। इससे इस पर कन्ट्रोल हो सकता है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मान्यवर अवैध वाहनों की बड़ी विकट प्राब्लम है और खासकर महुआ, हिन्डौन और भरतपुर में। जो महुआ–दौसा रोड है, मेरे यहां महुआ में चौबीसों घंटे अवैध वाहन खड़े रहते हैं। वहां से चलते हैं 250 अवैध वाहन। मान्यवर हर पुलिस स्टेशन पर 250 रुपये जीप के और 500 रुपये बस के बंधे हुए हैं और पुलिस की यदि इच्छा शक्ति है तो यह निश्चित रूप से बन्द हो जायेंगे। मैं हमारे भरतपुर के एस. पी. की तारीफ करूंगा कि एक भी अवैध वाहन इस समय भरतपुर में नहीं चल रहा हैं। पिछले 15 दिनों से इतनी सख्त कार्यवाही उन्होंने की है। अगर भरतपुर के एस. पी. का अनुकरण करके हर जिले का एस. पी. इसी ढंग से अवैध वाहनों को रोकने की व्यवस्था करें तो अवैध वाहन रुक सकते हैं। इसके बाद मान्यवर मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगाकि जो लोग एक्सीडेन्ट में हताहत हुए हैं उनके परिवारों को बहुत बड़ी राशि से कम्पन्सेट किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चर्चा चल रही है उसमें मैं माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुझाव के लिए कहूंगा। सुझाव दीजिए आप। चर्चा तो बहुत हो चुकी है पहले।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं सुझाव ही दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछ लीजिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : पहले तो आपने सुझाव के लिए कह दिया अब चर्चा के लिए ....(व्यवधान)....आपने अपनी जो व्यवस्था दी है उसी के अनुरूप पूछ रहा हूं।

मैं गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो इस तरह से अवैध वाहन जिनको आप भी और सदन भी मानता है अवैध, रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं। परसों की दुर्घटना में अभी तक 6 व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं हो पाई। यानि घर वालों को भी पता नहीं कि वे कहां गये, कैसे दुर्घटना हुई? मेरा सुझाव है कि नेशनल हाई वे पर, कम से कम आपके जो परमिट-धारी जीपें हैं, या तो उनको अलाऊ ही नहीं किया जाय। इसको स्ट्रिक्टली अडोप किया जाय, और अगर कानून की दृष्टि से अलाऊ करते हैं तो अगर कोई भी परमिट धारी सवारी से ज्यादा पाये जाते हैं तो उस जीप का या उस वाहन का परमिट निश्चित तौर से रद्द करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो चौमूं से जयपुर के बीच में वाहन चलते हैं उसमें सारे वाहन 6 थानों को क्रास करके चांदपोल पहुंचते हैं। आपने हरमाड़ा के आगे एक पुलिस असिसटेंस चौकी भी कायम कर रखी है। माननीय गृह मंत्रीजी आपके पास यातायात विभाग भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, लोगों में इस तरह की चर्चा है और चर्चा में काफी वजन भी है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि आपका गृह विभाग और आपके यातायात विभाग के जितने अधिकारी हैं वे इन अवैध वाहन चलाने वालों से माहवारी पैसा वसूल करते हैं और इसी वजह है कि थाने के सामने से एक जीप के पीछे 5-5 आदमी लदकर के और 35-35, 40-40 सवारियां जाय और वहां का सी. आई. केडर का या सब इंस्पेक्टर केडर का आपका इन्चार्ज है वह उसको खड़ा-खड़ा देखता रहे। हरमाड़ा के आगे एक पुलिस असिसटेंस है वहां से हर वाहन गुजरता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब होली-दिवाली का त्यौहार आता है उस वक्त आपके पुलिस के अधिकारी निश्चित तौर से डायरी लेकर, यातायात विभाग और पुलिस विभाग, दोनों के अधिकारियों की बात कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : यादव साहब, अब आप बिराजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : एक डायरी लेकर हर नुक्कड़ पर खड़े रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, आप कह चुके हैं। रिपीटेशन हो रहा है यह.... (व्यवधान)....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : रिपीटेशन नहीं है यह।

श्री उपाध्यक्ष : अभी डिबेट शुरू करनी है। जवाब जायेगा सरकार की ओर से।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह 20 व्यक्तियों की एक दिन में मृत्यु हुई है। जिसके एक लड़का था उसके लड़का नहीं

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

है. जिस औरत के पति था आज उसका सुहाग छिन गया है। मेरे क्षेत्र का मामला है। मैं आपको यह राय देना चाहता हूं कि जहां दिवाली और होली के पर्व में आपके विभाग के अधिकारी और कर्मचारी चौराहे पर खड़े होकर जब उस गाड़ी की एण्ट्री करते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं। आप इस पर क्यों नहीं स्ट्रिक्टली एक्शन लेते ? कानून के दायरे में 6 या 7 सवारी का दे रखा है। मेरी यह राय है कि अगर वाहन पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर से उसके परमिट को निरस्त कीजिए। इस हादसे में जो मरे हैं, माननीय मुख्यमंत्रीजी भी यहां बिराजे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि पीड़ित परिवार वालों को राहत देने के लिए निश्चित तौर से कुछ कहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री बंशीलाल पटवा : एक सुझाव, डिफ्रेंट बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, प्लीज। यातायात मंत्रीजी। नहीं सुझाव का कोई अंत नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं अतिरिक्त बोलूंगा। डिफ्रेंट बात कहना चाहता हूं मैं। मेरा यह निवेदन है कि यह जितनी भी दुर्घटनायें होती हैं और जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं उनके साथ मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा इतना-सा निवेदन है कि यह जितनी भी दुर्घटनायें हैं, यह क्यों घटती हैं ? अवैध वाहन क्यों चल रहे हैं ? इस पर यदि गम्भीरता से विचार करेंगे तो मेरा निवेदन है कि अरबन एरिया में अधिकतर अवैधानिक तरीके से वाहन चलते हैं, तो या तो यह विचार किया जाय कि 10 किलोमीटर या जो कुछ है, जितनी भी इसकी सीमायें हैं, क्योंकि आखिर में अरबन एरिया में क्या है उनको परमिट नहीं मिलते हैं। कई दिक्कतें आती हैं और चैकिंग की दृष्टि से तो कारगर करें लेकिन कलक्टर को यदि हम अवैध वाहन की रोकथाम की दृष्टि से कि यह आसानी से न चलें और उनको परमिट की दृष्टि से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के एरिया में यदि हम अलाऊ कर देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत-कुछ इसकी रोकथाम होगी और अवैध वाहन भी नहीं चलेंगे और सरकार को इसकी आमदनी भी होगी। रोकथाम की दृष्टि से कारगर व्यवस्था करें क्योंकि कोई भी सिटी बस के रूप में बस नहीं चलाना चाहता। मिनी बस, जीप, लम्बे टैम्पो हैं जो अवैध वाहन चलते हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के एरिया में....

श्री उपाध्यक्ष : पटवा साहब, बिराजिये। माननीय यातायात मंत्रीजी।

श्री बंशीलाल पटवा : व्यवस्था करें तो अच्छा होगा।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अवैध वाहन चलने के खिलाफ, जो दुर्घटनायें होती हैं और उसमें जो निर्दोष व्यक्ति मृत्यु के शिकार होते हैं, इस पर अपने सुझाव दिये। वह सुझाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं उनसे सहमत हूं कि कोई कारगर तरीका इस प्रकार का हम निकालें कि यह अवैध वाहन जहां भी चल रहे हों,

(श्री दिग्विजय सिंह)

उनकी स्ट्रिक्टली पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग, दोनों मिलकर स्ट्रिक्टली चैकिंग करें....(व्यवधान)....एक मिनट, आप सुन लें....

श्री प्रद्युम्न सिंह : भरतपुर में एक वाहन नहीं चल रहा है (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आपने कल मुझे भरतपुर की बात कही थी और कल मैंने कहा था कि वहां व्यवस्था करवा दूंगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि इस वक्त चैकिंग भी करते हैं और पुलिस पैट्रोलिंग भी कर रही है। हमारे पास अभी, हाई-वे पुलिस पैट्रोलिंग जयपुर-दिल्ली, जयपुर-अजमेर और आगरा रोड पर, 3 रूट पर ही है। माननीय सदस्य, श्री पूनम चंदजी ने एक सुझाव दिया वह वाकई में विचारणीय है कि पैट्रोलिंग पार्टी के साथ हाई-वे के लिये अगर मोबाइल मजिस्ट्रेट को लगा दें तो साथ ही साथ उसका भी एक इमिजियेटली इफैक्ट होगा और हम कोई सार्थक कदम इस पर उठा सकेंगे।

यहां ओवर लोडिंग के बारे में भी कहा गया, तो निश्चित रूप से मैंने स्वयं ने भी ओवर लोडिंग जीपों में देखी है। मैं वापस आया और मैंने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिये और पुलिस ने चैकिंग शुरू की। जब भरतपुर रोड पर दूसरी बार गया तो मुझे ओवर लोडिंग कम मिली। तो अगर हम सक्रियता से पुलिस को हिदायत देंगें और देने जा रहे हैं मेरा तो यह भी सुझाव है और हम यह डायरेक्शन दे रहे है कि जिस थाने के सामने से कोई व्हिकल निकल गयी हो और ओवर लोडिंग हो तो थानेदार उसको वहीं चैक करके कार्यवाही करे और उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करे और चैक करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह भी हमारे लिए उपयोगी होगा। कोई नहीं चाहता कि इस तरह से ओवर लोडिंग होकर व्हिकल चलें पर एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य की प्रवृत्ति भी ऐसी हो गयी है कि आप चौमूं से जयपुर आने वाले को, चौमूं से जयपुर जो शटल बसेज चल रही हैं और जो बीकानेर से और रूट से आ रही हैं, हर 6 मिनट में एक बस आती हैं पर आज यात्राओं का हमारा खुद का यह स्वभाव हो गया है कि एक मिनट भी रुकना हम नहीं चाहते। गाड़ी दिखाई दी और उसमें बैठकर हम रवाना होना चाहते हैं और उसमें यही है कि अगर 10 बैठे हों तो 11वां भी बैठ जायगा, 12वां बैठना चाहेगा तो 13वां भी उसके पीछे रहेगा और पीछे लटके हुए आते हैं। तो यह जो एक्सीडेण्ट वर्ड है यह वर्ड एक्सीडेण्ट आपके और हमारे बस का नहीं रहता है और जब भी हम चाहें, हम इसको फिर भी रोज नियंत्रण करना चाहते हैं। मैं आपको इसके सन्दर्भ में विश्वास दिलाता हूं कि ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस विभाग दोनों मिलकर इसका अभियान चलायेंगे और ओवर लोडिंग के मामले निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और जैसा हेतरामजी ने ट्रक्स के बारे में कहा कि ट्रक्स की ओवर लोडिंग के बारे में चैकिंग नहीं हुई, तो मैंने कहा मेरे से डेलीगेशन मिला था मैंने उनको आश्वस्त किया है और डिपार्टमेण्ट को निर्देश भी दे दिये हैं कि जहां ट्रक्स का निर्धारित है 9 टन का और उससे अधिक जहां कहीं भी उन पर लोड पाया गया तो तुरन्त चैक कर के वे उसे वहीं उतार लें ताकि इससे यही

(श्री दिग्विजय सिंह)

होगा कि जो ओवर लोडिंग करते हैं उनको भी एक सबक मिलेगा। यह चिन्ता का विषय है। सरकार इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से प्रभावी कदम उठायेगी। दुर्घटनायें नहीं हो और इस चैकिंग को हम और भी सशक्त और इफेक्टिव बनाने का पूरा–पूरा प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। आय-व्ययक बजट 1992-93 मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि (व्यवधान) क्या है, फरमाइये।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी अपनी बात कह रहे थे, हम यह सब चैकिंग करेंगे। क्या आप यह महसूस करते हो कि आपके पास ट्रांसपोर्ट विभाग में इस काम को करने के लिए पूरा स्टॉफ है ? आप ऐसा महसूस करते हो कि स्टॉफ की कमी है ? क्या आपके पास स्टॉफ है ?

डा. चन्द्रभान : इनके पास तो पुलिस भी है (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने टेम्पो और मीटर के बारे में कहा था और कम से कम (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वाद-विवाद (व्यवधान) श्री रामकरण सिंह जी, बिराजिये आप। श्रीमती उजला अरोड़ा (व्यवधान)....

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी इसके बारे में आश्वस्त करें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री रामकरण सिंह : मैं पूछना चाहता हूं, टेम्पों के मीटर के बारे में सरकार फेल हुई है। या तो हां करें और या उसकी व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये अब आप।

श्री रामकरण सिंह : इस बारे में मुझे इतना आश्वासन दिला दीजिये आप या हां दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। रामकरण सिंहजी, बिराजिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेम्पों के बारे में पत्रकारों ने लिखा सब पेपर्स में आ गया....

श्री उपाध्यक्ष : रामकरण सिंहजी, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन।

श्री रामकरण सिंह : अब माननीय सदस्यों ने कर लिया, जनता ने मांग करली और उसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर सकी। या तो इस बारे में फेल है सरकार।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बड़ी चिन्ता है, मैं एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं, सरकार

(श्री दिग्विजयसिंह)

कोई फेल नहीं हुई है और आपको इसका नतीजा अगले माह में मिल जायगा।

आय-व्ययक 1992–93 पर सामान्य वाद–विवाद

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा। मुझे निवेदन करना है कि अपने भाषण को दस मिनट तक सीमित रखें, सभी जितने वक्ता बोलने वाले हैं। उजला जी, मैं दूसरा नाम पुकार लूंगा। प्रारम्भ कीजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं घड़ी देख रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : घड़ी सब मैं देख लूंगा, आप चिन्ता मत कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने दो बार रुपये का अवमूल्यन किया और उस स्थिति में जिस तरह केन्द्र की नीतियों से महंगाई बढ़ी, आम आदमी दुखी है, उस समय में राज्य के बजट में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह की आयोजना दी सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, उनको राहत देने की यहां घोषणा की, चाहे वह किसान वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे छात्र वर्ग हो, इसी प्रकार से चाहे शिल्पी हो, जिस तरह की योजना बनायी गयी है वास्तव में जितनी राहत दी है, मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देती हूं, आभार व्यक्त करती हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह की योजना बनायी है पिछले वर्ष के मुकाबले, उससे पिछले वर्ष के मुकाबले, तीन वर्षों में जिस तरह योजना का आकार बढ़ाकर उसके लिये पैसे का विनियोजन करने का विचार किया है यह वास्तव में एक प्रमाणित चीज है, मैं पुन: धन्यवाद देती हूं, बधाई देती हूं।

मैं आंकड़ों में यों नहीं जाऊंगी कि आपने मुझे समय सीमा में बांध दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह सारी दिक्कतें सामने हैं, राज्य का वार्षिक बजट है और सीमित पैसा है। इसी पैसे में यदि योजना चलानी है और आय का चिन्तन नहीं करना है तो निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहेगी। खर्च करना चाहिये। हम लोग भी घर में जैसा बजट बनाते हैं, खर्च की चिन्ता करते हैं लेकिन उसके साथ-साथ आमदनी बढ़ाने की भी चिन्ता करते हैं। मैं चाहूंगी, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आय के स्रोत तलाश करें, अर्थ शास्त्रियों को इकट्ठा करें और यह देखें कि किस तरह से प्रदेश की आय बढ़ा कर, और कुछ जो मैं आगे सुझाव दूंगी, उन विषयों में कार्य करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमें हमारे अन्तर–राज्यीय क्षेत्र में पानी–बिजली के सम्बन्ध में जो विवाद चल रहे हैं वह इस बार इस वर्ष से अन्दर समाप्त होकर, अगर राहत मिले तो निश्चित रूप से आम आदमी को राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी। बिजली की राहत मिलेगी तो किसान ज्यादा पैदा करेगा। पानी की राहत मिलेगी तो निश्चित रूप से हरियाली ज्यादा होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी, मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्र में 61 प्रतिशत बजट का देंगे। उसकी योजना बनायें। निश्चित रूप से यह अच्छी शुरूआत है कि ग्रामीण क्षेत्र की

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ओर इतना ध्यान पहली बार दिया गया है। गावों में चाहिये क्या ? पानी चाहिये, बिजली चाहिये, सड़क चाहिये और आपात स्थिति, बरसात अधिक हो, बांध टूट गये हों उनका निर्माण चाहिये। इतनी सारी चीजों में और साथ में ही जो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है उसका शहर की ओर जो पलायन है उसको रोकने के लिये जो स्थानीय उद्योग हैं उनमें सर्वे करवा कर विनियोजन किया जावे। इन चीजों में अगर सरकार ने ध्यान दिया तो निश्चित रूप से अच्छी बात रहेगी। मैं चाहूंगी कि जो 61 प्रतिशत पैसा देने की बात कही है वह राशि ठीक प्रकार से उस क्षेत्र में खर्च हो, इस बात को भी आप ताईद से देखेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने एक बहुत अच्छी यहां घोषणा की थी पिछली बार कि जो भी सड़क मंदिर या धार्मिक संस्थान के करीब एक डेढ़ किलोमीटर, दो किलोमीटर दूर हो उसको वहां तक पहुंचा दिया जायेगा। इस बात को आगे भी चालू रखेंगे और इस सुविधा को देखेंगे। विशिष्ट योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आपने बालिका शिक्षा की ओर ध्यान दिया और साथ ही यहां यह भी घोषणा की कि प्राथमिक शालाओं में आप पचास प्रतिशत महिलाओं को नियुक्ति देंगे। मैं आपको इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन मेरी मांग तो कुछ और ही है। मैं चाहूंगी कि शत प्रतिशत प्राइमेरी शिक्षा में महिलाओं को शिक्षक लगाया जाय। जो वात्सल्य, जो संस्कार उन्हें उनसे मिल सकेंगे, जो देखरेख उनसे मिल सकेगी वह किसी पुरुष शिक्षक से नहीं मिल सकेगी। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब अपना जवाब देंगे तो मेरी इस बात पर भी उत्तर देंगे कि वह इस बात को मानने के लिये तैयार हैं क्या।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले दिनों यहां पर कैम्प लगा उससे पूर्व भी आबादी की जो समस्या हमारे लिये खड़ी हुई है, मैं चालीस साल पहले राजस्थान में यहां पर आयी थी, शादी होकर आयी थी तब जयपुर नगर में जब आयी तो देखते ही देखते आबादी का विस्तार बढ़ चला, इस पर नियंत्रण करने के लिये अलग से निदेशालय बनायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसमें जो जो सुविधा देने की बात है वह निश्चित रूप से देंगे, यह मेरी अपनी एक इच्छा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इसको चिकित्सा विभाग से अलग किये जाने की घोषणा करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नियुक्तियों में जो हमारे छात्र हैं या युवक हैं उनके समायोजन की कोई योजना यहां नहीं बतायी गयी। बहुत से लोग यहां पर ओवर ऐज होने जा रहे हैं। जब कि सरकार ने नियुक्ति की उम्र 33 साल कर दी। तो मैं कहना चाहूंगी कि प्राथमिकता के आधार पर अगर सभी को नियुक्ति न दे पायें तो उनको तो नियुक्ति दें जो ओवर ऐज होने जा रहे हैं, जो एक घर के लिये बोझ बने हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी यहां पर घोषणा करेंगे। बहुत से लोगों को यहां छंटनी के बतौर जैसे रोडवेज में कण्डक्टरों को निकाल

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दिया और अन्य लोगों को निकाल दिया, मान्यवर मुख्य मंत्रीजी, जो आप अन्य सेवाओं में औरों को लें, इन लोगों का समायोजन करें क्योंकि यह परमानेंट सर्विस के लोग हैं, इन लोगों को बेरोजगार कर देना कदापि ठीक नहीं होगा।

मैं जल्दी जल्दी में मेरी बात दो चार बिन्दुओं पर कहना चाहूंगी जेल में उच्च अधिकारियों की जांच कमेटियों की रिपोर्ट आने के बाद और इसी प्रकार अन्य विभागों की जो रिपोर्ट आयी हैं, जिन लोगों के चालान किये जाने थे वह अपनी सेवा निवृत्ति पा चुके, अब आप किस प्रकार से उनको सजा दे पायेंगे। इस प्रकार से देरी करना कदापि ठीक नहीं है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं यदि उन्हें दंड नहीं मिला तो अन्य लोगों का इस तरफ झुकाव होगा। जो अच्छा काम करें उनको प्रोत्साहन दें। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको इस प्रकार का दंड मिलना चाहिये जिसके वह काबिल हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में, उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में और उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में गांव-गांव तक विस्तार होना चाहिये। यहां नर्सेज और दाई केवल शहरों के लिये हैं। यहां दस-दस, बीस-बीस अस्पताल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति और पंचायत वाइज जो दाई और नर्सें हैं उन तक की भी नियुक्तियां नहीं हैं। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से आप इस पर ध्यान देंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, वर्षों से चली आ रही जयपुर की समस्या का इस बजट में कोई उल्लेख मुझे दृष्टिगत नहीं होता। कृषि भूमि पर बने मकानों के नियमन की बात कही थी, लेकिन खेद है कि सारी निर्मित कालोनी के नियमन की कोई बात यहां पर नहीं हुई। कुछ एक अगर होती हैं, तो यह बात ठीक नहीं है। 4 लाख बने हुए आवासीय मकानों को कोई तोड़ नहीं सकता। जब तोड़ नहीं सकता तो वहां विकास करें तो, नियमन के पैसे और मिलेंगे, विकास शुल्क भी मिलेगा। 25 रुपये दर करने की बात थी, मुख्य मंत्रीजी आप घोषणा करेंगे, अखबारों में जब आता है, इसकी चर्चा होती है, उससे हमें शांति नहीं मिल सकती। यहां के आवासीय लोग परेशान हैं, उनको इस परेशानी से मुक्ति दिलाना निश्चित रूप से सरकार का कर्तव्य है। यह राज्य पहले मीणों का राज्य था। यहां की अधिकांशतः भूमियां मीणों की हैं, जिन्होंने अपने खेतों को बेचा और कालोनीज यहां बनी हैं, उनके नियमन की कोई बात नहीं कही गई। पिछली सरकार ने, जब भैरोंसिह जी की सरकार थी, उन्होंने इनको सोसायटी माना था और मीणा क्षेत्र या हरिजन क्षेत्र को अलग-अलग करके विकास की कल्पना की थी। इसी प्रकार से इसे पुनः अपने हाथ में लेकर मामले को निपटाया जाये, जिससे शहर की समस्या का समाधान हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट और आपका टाइम लेती हूं। कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में मैंने खुद ने, माननीय मंत्री महोदय ने, उस समय, मुख्य मंत्रीजी ने भी आन्दोलन किया था

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

21.8.71 को जो घोषणा की गई थी, वह अभी तक अधूरी है। माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्रीजी यहां पर हैं, मैं चाहूंगी कि बस्तीवाइज शिविर लगाकर जिनके 71 के सर्वे हैं, उनको 110 गज और जितनी भूमि बाकी बचे तो उनमें उनको 50 गज तक भी, जितनी भी दे सकें, या अन्य स्थान पर जो भी आवासीय योजना बने, उनमें उनको रखकर इस मामले को निपटायेंगे, निश्चित रूप से शिविर लगाने की घोषणा यहां करेंगे, जिससे बार बार, किसी के जन्म दिन पर पट्टे दे दिये, कभी किसी शुभ अवसर पर 10 पट्टे दे दिये, इस सारे मजाक से उन लोगों को छुटकारा दिलायेंगे। उन बस्तियों में 4 लाख आदमी निवास करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि केवल पांच नगरों में वाणिज्यिक कर पानी और बिजली पर लगाया हुआ है। अगर वकील ने अपना बोर्ड टांग दिया तो उसकी दर वाणिज्यिक हो गई। मैं कहना चाहूंगी पानी, बिजली पर अलग से, अधिक खपत पर, सरकार ने ज्यादा पैसा लगाया है और सैल्स टैक्स और इनकम टैक्स की तरह से अलग से वसूली करते हैं। तो इस मल्टी टैक्स में लोगों को डालकर परेशान करने की कौनसी बात है ? केवल पांच नगरों ने क्या बिगाड़ा है ? या तो आप अगर इसको बहुत उचित समझते हैं तो सारे नगरों और गांवों में लगायें और अगर उचित नहीं समझते हैं तो इन पांचों नगरों से हटाने की घोषणा करेंगे, यह मेरा आपसे आग्रह है। जयपुर नगर में बहुत गरीब लोग निवास करते हैं। मैंने उनकी गरीबी को नजदीक से देखा है। कोई फुटपाथ पर बैठकर काम करता है, कोई किसी जगह पर बैठकर काम करता है। इनक्रोचमैण्ट के नाम पर उनको अलग से हटाया जाना कदापि उचित नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने यहां घोषणा की थी वह इसके लिए कोई समय देंगे, कोई मीटिंग रखेंगे, कोई व्यवस्था देंगे, मंत्री महोदय शायद उस बात को भूल गये हैं कि यह समस्या मुंह बाये खड़ी है कि सुबह कमायेगा शाम को खायेगा। वह आदमी क्या करे ? इसके लिए आप या तो कोई अलग से बाजार बना दें जिसको हम कबाड़ी बाजार या फुटपाथी बाजार मान लें।

श्री उपाध्यक्ष : अपना कथन पूरा कीजिए। माननीय श्री गोपाल सिंह जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा सुझाव यह है कि इन बर्निंग समस्याओं पर सरकार ध्यान देगी। जितनी उसने अच्छाईयां की, मैं उसकी प्रशंसा करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह जी।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के बजट पर बहस चल रही है और मैं सबसे पहले तो अपना एक सुझाव ही यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जिस तरह से हिन्दुस्तान सरकार के या हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री महोदय ने वित्तमंत्री के रूप में इकोनोमिस्ट को खड़ा किया है, ला कर के, और उन्होंने अपने नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड के आधार पर जो बजट हिन्दुस्तान का प्रस्तुत किया है, उसी आधार पर करीब-करीब हर स्टेट का बजट इकोनोमिस्ट द्वारा ही प्रस्तुत किया जाये।

(श्री गोपाल सिंह)

वह फाइनेंस मिनिस्टर इकोनोमिस्ट ही हो और उसका पोलिटिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे उन्हें कहीं टैक्स लगाने में, कहीं टैक्स इरेज करने में इन बातों का लिहाज, या इन बातों का उन्हें डर, या फायदा उठाने के हिसाब से नहीं आये। जिससे कि प्रदेश की या देश की इकोनोमी पर उसका कुप्रभाव पड़े। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो कि अभी वित्तमंत्री का भी काम कर रहे हैं, उनको यह सुझाव दूंगा कि हमारे राजस्थान के प्रवासी नागरिक, जो कि उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, उन्हें ऐसे इनसेंटिव दिये जायें जिससे कि राजस्थान के अन्दर वह लोग कलकत्ता से घूमकर लौट आते हैं, राजस्थान में बसने लगे हैं वे यहां पर अपने उद्योगो को लगायें। बोम्बे में हजारों, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं, जो राजस्थान के प्रवासी हैं। वह राजस्थान से बाहर जाकर अपना धंधा कर रहे हैं और इसमें मुख्य बात, जो तकलीफ उन लोगों को आती है, उन लोगों के लिए बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने अपनी कोशिशें की हैं। वह जाते हैं, कलकत्ता, वह जाते हैं बोम्बे, वह जाते हैं अलग-अलग शहरों में, दिल्ली वगैरह। जहां पर भी हमारे प्रवासी लोग हैं और जिनके बहुत बड़े बड़े उद्योग वहां पर चल रहे हैं, बड़ा अच्छा मुनाफा ले रहे हैं, उसका सैल्स टैक्स, इनकम टैक्स या उससे जो कुछ भी अगर उस प्रदेश को, जहां पर वह काम कर रहे हैं, वहां बेरोजगारी की जो कमी है, वह भी उस स्टेट की कर रहे हैं। वहां पर उनकी मिल में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। अगर वह प्रवासी केवल हमारे यहां पर आ जाते हैं और राजस्थान में वह उसी तरह से कुछ बिजनेस यहां लगा पाते हैं तो यहां की नेचुरल सम्पदा का, जो भी जिस रूप में है, उसका दोहन अच्छी तरह से हो सकता है। वह ओप्टिमम तरीके से उसका जो भी फायदा है, वह इस प्रदेश की जो भी हमारी सम्पदा है, उससे ले पाते। उसके साथ साथ बेरोजगारी पर एक बहुत अच्छा असर पड़ता और इसमें राजस्थान सरकार को भी आधा फायदा या काफी आराम उन प्रवासियों को यहां लाने से मिलता। मैं इसमें यही सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे यहां की जो उद्योग नीति है और यहां पर जो उद्योग धंधे खुलवाने के जो आफिसेज हैं, उनका जो तरीका है उसमें सुधार की आवश्यकता है। उसमें एक प्रवासी जाता है। वह दस, बीस, पच्चीस दिन, महीने भर रहकर के अपनी कोशिशें करता है, उसके बाद में उसे यह समझ में आता है कि यह बात हमारे बस की नहीं है और इसे हमें यहां लाने से ज्यादा तकलीफ होगी। वनिस्पत मैं गुजरात जाता हूं, गुजरात के अन्दर मेरे जो क्षेत्र हैं, वहां के जितने उद्योगपति हैं, ज्यादातर वह दक्षिण की तरफ के हैं, जो अहमदाबाद के आगे अपना धंधा कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। उन लोगों से मैं खुद निवेदन करता हूं कि आप क्यों नहीं राजस्थान में आकर के अपने इस व्यवसाय का फायदा हमें देते हैं ? दोनों रूप में फायदा आपको मिल रहा है। यहां अहमदाबाद में मिल रहा है, वह जयपुर में मिल सकता है, बीकानेर में मिल सकता है, किसी बड़े शहर में मिल सकता है, तो उनका कहना यह है कि हम गुजरात में इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैण्ट में जाते हैं तो वहां

(श्री गोपाल सिंह)

पर एक एप्लीकेशन देने के बाद हम घर जाकर बैठ जाते हैं और हमारे पास अपने आप इत्तला आती है कि आपकी सारी कार्यवाही, सारी फाइल कम्पलीट हो चुकी है और आप जाइये और अपनी जो सबसीडी या पैसा है, उसे लीजिए। लोन उठाइये और अपना काम शुरू कीजिए। जबकि यहां पर हमको एक मेज से दूसरी मेज तक और दूसरी मेज से तीसरी टेबिल तक अपनी फाइल को या अपने कागजों को पहुंचाने के लिए खुद को खड़ा रहना पड़ता है और चार चार जेबें भर कर आना पड़ता है और हर मेज से उसको आगे खिसकाने के लिए, हमें मदद की जरूरत होती है। दूसरा, राज्य सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां मिडिल ईस्ट के अन्दर काफी लोग यहां से बाहर जाकर के अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : what is point of order ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक माननीय सदस्य सो रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नियमों में पढ़िये। मैं बताऊं सोना मना नहीं है, खर्राटे लेना मना है।

श्री उपाध्यक्ष : न तो सोना अलाऊ है, न खर्राटे लेना अलाऊ है।

श्री हीरालाल इन्दोरा : एक तो लाउड स्पीकर सामने है....

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महावीर जी की तरह जोर-जोर से बोला करूंगा ताकि उनको भ्रम न हो कि मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय गोपाल सिंह जी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था....

श्री उपाध्यक्ष : रामकरणसिंह जी विराजिये।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय महावीरजी गलत जगह बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय रामकरण सिंहजी।

श्री रामकरण सिंह : मुख्य मंत्रीजी की जगह पर....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये माननीय रामकरणसिंहजी। आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल इन्दोरा : होम मिनिस्टर का भी चार्ज ले लिया क्या आपने।

श्री गोपाल सिंह : मेरा निवेदन यह है उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि यहां पर....

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, या तो इजाजत आपसे ले ली इन्होंने या मुख्य मंत्रीजी ने उनको अपना प्रतिनिधि बना लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : रामकरणसिंहजी इसको बार बार मत उठाइये। आप विराजिये।

श्री गोपालसिंह : मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा....

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो व्यवस्था चाहता हूं बड़े विनम्र शब्दों में कि कम से कम हाउस की कुछ व्यवस्थाएं हैं। चाहे जो जगह पर बैठ जाय, यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, कोई अपना भाषण नहीं पढ़ रहे हैं। आसन को निवेदन किया है, सूचना दी है। आप विराजिये। माननीय गोपालसिंह जी।

श्री रामकरण सिंह : निवेदन करूं कि आपने व्यवस्था दे दी कि उनको बैठने की छूट है या फिर उसको ताड़ना देकर वहां बैठाइये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी व्यवस्था को....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान पैदा करने वाले की कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती।

एक माननीय सदस्य : यह तो व्यवधान मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री रामकरण सिंह : यह व्यवधान नहीं हो रहा ? नेता की सीट पर बैठे हैं। आप कह दीजिये मैं व्यवधान कर रहा हूं या वे व्यवधान कर रहे हैं जो नेता की सीट पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। वह भविष्य में नहीं बैठेंगे।

श्री रामकरण सिंह : मेरा आपसे आग्रह है कि उनको आप आदेश दें और ताड़ना के साथ दें कि वह अपनी जगह पर, नेता पद की जगह छोड़कर अपनी जगह पर जायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंहजी आप विराजिये।

श्री रामकरण सिंह : बहुत विनम्रता-पूर्वक निवेदन करता हूं कि उन्हें उठना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : रामकरणसिंहजी विराजिये आप।

श्री रामकरण सिंह : हां, वह अब उठ गये हैं, मैं बैठ जाता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवधान इस प्रकार का उत्पन्न करते हैं इसलिये उनको बाहर निकाला जाय। केवल प्रताड़ित करने से नहीं चलेगा। यह साधारण प्रताड़ित करने से मानते नहीं है। रामकरणसिंहजी आपको जानकारी नहीं है मुझे बहुत सारी जानकारियां है।

श्री उपाध्यक्ष : महावीरजी, विराजिये।

श्री रामकरण सिंह : आपको शायद जानकारी नहीं है और मैं देख चुका हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण सिंह जी बोलने की व्यवस्था होती है। आप बैठ जाइये। प्लीज सिट डाउन।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरे ऊपर लांछन लगाया है। मेरे बारे में क्या जानकारी है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। रामकरणसिंह जी, प्लीज सिट डाउन। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। प्लीज।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके नाम से पुकार चुका हूं। प्लीज सिट डाउन।

श्री रामकरण सिंह : मेरे बारे में क्या जानकारी है जो आरोप मेरे ऊपर लगाया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम यह देखें कि एक माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर लाछंन लगाया है कि उनको जानकारी है। उनको जानकारी है वह कहे या मुझे आप छूट दें मैं उनकी जानकारियां....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सदस्य को बाहर निकालने के लिये कहा है। उनका यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। माननीय सदस्य को बाहर निकालने के लिये कह दिया उन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : इन्दौरा साहब आप विराजिये।

श्री गोपालसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सुझाव यह है कि इस इलाके से, राजस्थान के पूरे इलाके में से, मिडल ईस्ट से काफी लोग अपने रोजगार की तलाश में जाते हैं। यहां जयपुर में एक पासपोर्ट आफिस है। पहले करीब 70–80 हजार पासपोर्ट के लिये लाइसेंस मांगा जाता था और 70–80 हजार से ज्यादा लोग उस वक्त थे ही नहीं। उस वक्त तक यह पासपोर्ट आफिस दे सकता था लेकिन आज डेढ़ लाख से दो लाख के आसपास एप्लीकेण्ट्स हो गये हैं और वह पासपोर्ट, उसमें उतने ही लोग जो पासपोर्ट देने वाला स्टाफ है वह उतना ही है। इसलिये मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह भारत सरकार से अपनी मांग करें जिससे राजस्थान में, जहां से ज्यादा पासपोर्ट की एप्लीकेशन्स आती हैं, वहां या जहां आवश्यक समझें कि आफिस की आवश्यकता है वहां और खोल दिया जाय तो इससे ज्यादा लोगों को आसानी होगी। आज बहुत से लोग तो हताश होकर अपनी पासपोर्ट की एप्लीकेशन को छोड़ कर घर चले जाते हैं और वापस बेरोजगारों के रूप में सरकार के सामने खड़े होते हैं। कभी धरना, कभी जुलूस निकाल कर, कभी वह निकाल कर घूमते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस तरह से अगर राज्य सरकार से मांग कर लें और वहां पर एक या दो पासपोर्ट आफिस और खोल दिये जाय तो उससे काफी लोगों को फायदा मिलेगा और रोजगार के ऊपर एक बहुत बड़ा अपने को फायदा होगा और वे लौट कर आयेंगे वहां से। अब जबकि भारत सरकार की नीति इतनी सुलभ और आसान हो गयी है वह फोरेन एक्सचेंज ले आयेंगे, वह सोना ले आयेंगे। सोने को, आपके संचित सोना है उसके साथ रखने के बाद जिन चीजों की कमी है हिन्दुस्तान सरकार के पास, उनको आप बाहर से कभी इम्पोर्ट कर सकते हैं। फोरेन एक्सचेंज के लिये और कीमतों में कमी लाने के अन्दर बहुत आसानी हो सकती है।

किसी भी प्रदेश के विकास में एज्युकेशन बहुत इम्पोर्टेण्ट है। पढ़ाई या शिक्षा का

(श्री गोपालसिंह)

अपना महत्व है। उसमें मैं यही निवेदन करूंगा कि जो शिक्षा नीति इस वक्त हमारे यहां चल रही है वह शिक्षा नीति पर बेरोगारी पैदा करने की शिक्षा नीति के रूप में चल रही है। हम आर्ट्स के अन्दर एम. ए और बी. ए. निकाल रहे हैं साइंस के अलावा। मैं यह निवेदन करूंगा कि वोकेशनल इन्स्टीट्यूशन के बारे में हमारे वित्त मंत्री महोदय, जो मुख्य मंत्री भी है, ने अपना सुझाव दिया लेकिन उसके साथ मैं यह चाहूंगा कि करीब-करीब एक नीति बन जानी चाहिये और नीतिगत के साथ में, मैं यह कहूंगा कि एज्युकेशन को कम्पलीटली जिस तरह से जिला परिषद और पंचायत समिति से आपने अलग किया है, मैं चाहूंगा राज्य सरकार से कि एज्युकेशन भी अलग से होनी चाहिये। होता यह है कि पढ़ाई को हम एक्सपेरीमेण्ट के रूप में 40 साल से कर रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि 10+2 आ गया, कभी हायर सैकण्डरी आती है, प्री डिग्री या ऐसे कुछ आ जाता है। तो मैं चाहती हूं कि काफी एक्सपेरीमेण्ट हो चुका है एज्युकेशनल के साथ में। अब राज्य सरकार के पास से हटा कर, इसका भी एक ऐसे एज्युकेशनिस्ट, चाहे केन्द्रीय सरकार की तरफ से, चाहे राज्य सरकार नोमीनी का नाम देकर, पूरे भारत वर्ष के लिये एक ऐसी एज्युकेशन नीति तय कर लें जहां पर किसी भी नयी सरकार हटने वाली, आने वाला, किसी भी प्रदेश में या देश में, उसका सीधा असर न पड़े। वह अपनी नीति और रीति के हिसाब से चलता रहे। उसमें किसी तरह यह नहीं हो कि आज बी. जे. पी. की सरकार हैं इसलिये इस तरह की गीति चल रही है, कल कांग्रेस की सरकार आती है तो उसमें, नीति में बदलाव आ गया। कहीं स्कूल बढ़ जाते हैं तो कहीं स्कूल घट जाते हैं। जहां स्कूलें खुलनी चाहिये वहां खोलते नहीं है और जहां आवश्यकता नहीं है वहां खोलते जा रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि पढ़ाई हमारे लिये बहुत आवश्यक चीज है उसके साथ में हमें इस रूप में पॉलिटिक्स के रूप में खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिये और पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में ही लिया जाना चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जो वित्त मंत्री भी हैं, यह निवेदन करूंगा कि गर्ल्स कालेज बहुत कम हैं हमारे यहां पर। लड़कियों की कालेज ज्यादा होना बहुत जरूरी है। लड़कों के लिये एज्युकेशन है लेकिन गर्ल्स कालेज कम से कम हर हैड क्वार्टर पर, हर जिले में होनी चाहिये। आज बच्चों की पढ़ाई प्रेप से, प्राइमरी स्कूल, किंडर गार्टन से शुरू नहीं होती। बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है पैदाइश के साथ में, उसकी मां के द्वारा। अगर मां अनपढ़ है, अगर वह लड़की या औरत अनपढ़ है तो वह अपने बच्चे को जिस रूप में तैयार करती है, उसका बड़ा असर उस बच्चे पर रहता है। पहले 5 साल या 4 साल की पढ़ाई हैं जो मां के द्वारा दी जाती है। पढ़ाई का मतलब अक्षर ज्ञान नहीं है। वह हर चीज को पढ़ाती है। कई अनपढ़ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे को हर काम तमीज से सिखाती हैं। बहुत सी पढ़ी लिखी और समझदार होंगी, वह अपने बच्चे को तमीज से, सही सांचे में ढालने की कोशिश करती हैं और जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में पहुंचता है या अच्छे स्कूल में जाता है तो वहां पर

(श्री गोपालसिंह)

उस बच्चे को उस स्कूल में एडजस्ट होने में कोई तकलीफ नहीं आती है। तो मैं यह मांग करूंगा कि हर जिले में कम से कम एक गर्ल्स कालेज खोलना बहुत ही आवश्यक है।

उसके बाद बिजली में जो आपकी एक जान है प्रदेश के लिये और देश के लिये जिसमें हर बात बिजली से जुड़ी हुई है। अगर बिजली नहीं है तो मैं समझता हूं आज हमारा 10 पर्सेण्ट से ज्यादा काम नहीं चल सकता, 90 पर्सेण्ट काम रुक जायेगा। इसलिये मैं यह चाहूंगा, बिजली के जो स्रोतों के अन्दर अभी हमारे पास बिजली उपलब्ध नहीं हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूं। बिजली के लिये हमारे पास में सूर्य की किरण और रोशनी इतनी ज्यादा मिल रही है कि उस सोलर एलर्जी का हमें पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिये। इसके लिये टेक्नोलोजी को अगर इम्पोर्ट करना हो, चाहे फ्रांस से करें, अमेरिका से करें, हमको टैक्नोलोजी इम्पोर्ट हो सके तो उसको इम्पोर्ट करके हमें सबसे पहले इसका फायदा उठाना चाहिये। उसके साथ हमारे यहां भू-गर्भ के अन्दर जैसे जैसलमेर जिले में जहां पर डीप बोरिंग करते हैं वहां पर कई जगह अगर आयल नहीं मिलता है और गैस मिलती है तो उस गैस को हम टरबाइन्स में घुमाकर काम में लें जिस तरह आज न्यूजीलैंड में आप देखेंगे। तो उन टरबाइन्स को आप घुमाकर बगैर खर्चे के, साथ में आपकी इतनी बिजली पैदा हो जायेगी कि आपका बिजली कार्पोरेशन इस वक्त नुकसान में चल रहा है उसको नुकसान होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि कास्ट आफ प्रोडक्शन घट जाने से आप लोगों को बिजली सस्ती दे पायेंगे।

एक टूरिज्म का महकमा ऐसा है जो राजस्थान को बहुत कुछ दे सकता है। फोरेन एक्सचैंज और इन्कम के रूप में। उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अभी हम बहुत कम कर रहे हैं। मैं यह चाहूंगा कि होटल बिजनेस को आपको बढ़ाना पड़ेगा उसके लिये कोई इन्सेन्टिव्ज देना पड़ेगा और जहां रोड नहीं है, हमें सड़कें बनानी पड़ेगी जहां-जहां टूरिस्ट जाते हैं, सैलानी लोग जाते हैं। बाहर से घूमने वाले लोग आते है इसलिए उन स्थानों की एप्रोच हमको बहुत आसान और सीधी बनानी होगी। चाहे हेलीकॉप्टर के रूप में, चाहे छोटे हवाई जहाज के रूप में, चाहे रेलवे स्टेशन के रूप में, चाहे अच्छी रोड्स के रूप में, जिससे वह ड्राइव कर सकें। आजकल तो वह मोटर साइकिल पर इधर उधर घूमते हैं, साइकिल पर घूमते हैं, अपनी कार लाकर कार से घूमते हैं तो उनको ऐसी सड़कों पर चलाया जाय जिससे उन्हें आनन्द आये और समय कम लगे और गाड़ियों के रखरखाव पर खर्च कम हो।

साथ में जो गांवों के अन्दर सैलानियों की जाने की इच्छा बढ़ रही है, उसमें हमें यह देखना है कि ऐसे कई गांव हैं जो कि सैलानियों को आकर्षित कर सकते हैं और उन गांवों को, हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। कई पुरानी हवेलियां हैं, कई पुराने किले हैं और कई गांवों की स्थितिगत विशेषता है कि उसकी वजह से वह जाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनकी व्यवस्था करें ताकि इसमें ज्यादा पैसा मिल सके और

(श्री गोपालसिंह)

नशाबंदी करना चाहें तो ट्यूरिज्म को बढ़ावा दे दें तो शराब की आमदनी को खत्म कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोपालसिंहजी विराजें। माननीय जीतमल जैन।

श्री गोपालसिंह : एक ही पाइंट और है।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनिट दे चुका हूं। एक एक मिनिट से समय बढ़ रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सदन के स्पीकर रहे हैं और हमारी पार्टी का समय ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह मुझे मालूम है सदन के स्पीकर रहे हुए हैं आपका टाइम 35 मिनिट हैं। दूसरे कई माननीय सदस्य बोलेंगे। घासीरामजी हैं, हीरालालजी का नाम है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विषय के पास तो बोलने का ही अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग दीजिए। प्लीज कल्ला साहब।

श्री गोपाल सिंह : मेरा एक निवेदन और था कि हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पानी की कमी है और अगर है तो बहुत खारा है। उस खारे पानी को काम में लाने का तरीका करें। मैं निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर हम साल्ट वाटर फिश ब्रिडिंग कर सकते हैं। इसके अन्दर ट्रायबल के लोगों को, कास्ट के लोगों को और नोन वेजिटेरियन लोग जो हैं वह वहां फिश ब्रिडिंग कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात आरम्भ करूं उससे पहले मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत कम बोलता हूं और इस सत्र में पहली बार खड़ा हुआ हूं। इसलिए यदि दो चार मिनट ज्यादा समय ले जाऊं तो बीच में घण्टी मत बजाइयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक 15 मिनट बाद घण्टी बजाऊंगा।

श्री जीतमल जैन : गत चार दिन से 92–93 के बजट पर बहस चल रही है। सत्ता पक्ष से जो बोलने वाले हैं उन्होंने बजट का हृदय से समर्थन किया और विपक्ष के बोलने वाले, अभी गोपालसिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने लीक से हटकर बात की है। बाकी विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने बजट का विरोध किया है। यह शायद एक राजनैतिक धर्म बन गया है कि सत्ता में रहने वाले सदस्यों को बजट का समर्थन करना चाहिए और विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों को इसका विरोध करना चाहिए। हर बजट किसी राजनैतिक विचारधारा का प्रतिबिम्ब होता है। अपने आप में कोई भी विचारधारा पूर्ण नहीं होती है। चाहे पूंजीवादी विचारधारा हो, चाहे समाजवादी हो, दोनों विचारधाराओं की अपनी अपनी कमियां हैं और अच्छाइयां

(श्री जीतमल जैन)

भी हैं। जब बजट आता है तो जिस विचार-धारा के लोग दल के लोग सत्ता में होते हैं उसकी छाया परिलक्षित होती है। जिस प्रकार व्यक्ति के अन्दर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं उसी प्रकार हर बजट के अन्दर न तो सारी बुराइयां होती हैं न सारी अच्छाइयां होती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बजट की आलोचना करें या समर्थन करें। हमें समालोचना का रुख अपनाना चाहिए। हम इस प्रकार के सुझाव देवें कि राजस्थान के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। यह लक्ष्य रहे तो हम आने वाले माननीय सदस्य राजस्थान की अच्छी प्रकार से सेवा कर सकेंगे।

जैसा निवेदन किया माननीय गोपाल–सिंह ने अपवाद रूप में बहुत सुन्दर सुझाव इस सदन में रखे हैं। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य यहां बिराजमान नहीं है। उन्होंने एक बात कही हमें कन्सेन्सस के आधार पर समर्थन करना चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग बाते करें कि जो प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, हमारा सबका एक मात्र लक्ष्य है किस तरह से राजस्थान का विकास हो और विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। कल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात को दोहराया है लेकिन मैं तारा–नगर से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा, आज विपक्ष के अन्दर बैठे हैं तब ही इनको यह बात क्यों उजागर हुई है। आज किस कारण से यह बात दिखी कि कन्सेन्सस के आधार पर राज चलाना चाहिए। 44 वर्ष की आजादी के काल में चार वर्ष का काल रहा है जब वह सत्ता में नहीं रहे पर उन्होंने कभी यह बात नहीं की। राजस्थान का शासन चलाया है, वित्त मंत्री के पद को कई बार सुशोभित कर चुके हैं लेकिन यह बात नहीं हुई। जैसे श्मशान में जाते हैं तो उसको लगता है और वैराग्य की सोचता है लेकिन घर पर आने के बाद उसी मोह जाल में फंस जाता है। ठीक वही स्थिति तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ध्यान रखें तो ठीक होगी। जब बहुमत हमारे पास होता है तो फिर हम कन्सेन्सस की बात नहीं करते हैं। दिल्ली के अन्दर आज जो वर्तमान सरकार है प्रारम्भ में तो इस आधार पर राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर एक दूसरे से सलाह करती थी लेकिन जैसे ही पंजाब के चुनाव परिणाम आये, बहुमत बनने लगा अब वह कन्सेन्सस की बात खत्म होती जा रही है और जैसा कल लोकसभा में वाजपेयीजी ने दोहराया, प्रधानमंत्री कन्सेन्सस की बात करें। बहुमत किसी भी दल के पास होता है तो वह कन्सेन्सस की बात भूल जाता है। यह बात सही है कि यह बहुत जरूरी है। वर्तमान के अन्दर जब राज्यों में मिलीजुली सरकारें बनने का युग आ गया है और केन्द्र में भी मिलीजुली सरकार बनेगी। हम चाहते हैं देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, हमें महत्वपूर्ण समस्याओं पर आपस में में विचार करें, यह एक बहुत अच्छा सुझाव है।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पिछली बार जब जनता पार्टी की सरकार आयी थी और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आयी

(श्री जीतमल जैन)

तो जनता की सरकार ने जो शराबबंदी कर दी थी वह लगभग पूर्ण होने की स्थिति में थी लेकिन क्यों उन्होंने कन्सेन्सस के आधार पर शराबबंदी खोल दी। तो क्या उस समय यह ध्यान नहीं आया कि इस प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं लेकिन जब बहुमत होता है, प्रचण्ड बहुमत होता है तो हम सारी बात भूल जाते हैं।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही है कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने केन्द्र की अब तक की सरकारें हैं उनके संबंध में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं। उन्हें शायद बातें अच्छी नहीं लगी। मैंने जैसा प्रारम्भ में कहीं हमको समालोचना करनी चाहिए आज आर्थिक स्थिति के अन्दर देश संकट से गुजर रहा हैं यह एक दो दिन का परिणाम नहीं है यह पिछले चालीस सालों में, जो आर्थिक नीतियां हैं जो इस देश में प्रतिपादित हुई हैं उसका परिणाम है और हमें उसका फल भुगतना पड़ रहा है। आज देश के सब अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि हमने अनउत्पादक खर्च बढ़ाया और मुद्रास्फीति बढ़ी वही संकट का कारण है। हमने चार्वाक के उस सिद्धांत का पालन किया, ऋण लेकर घी पीयो। ऋण लेना और खर्च करना। अनउत्पादक खर्चा करते गये। मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं आंकड़ों में नहीं जाकर एक दो बात कहना चाहूंगा और घाटे की अर्थव्यवस्था का उदाहरण देना चाहूंगा जब 1978 में राजस्थान में संयुक्त राज्य सरकार का बजट था तो 4.2 करोड़ का बजट था और 1.3 अरब का घाटा था। 1980 में हमारे साधन थे वह 218 के थे और घाटा 9 करोड़ का हो गया। 1985 में यह घाटा 19.6 करोड़ और 1990 में यह घाटा 40 करोड़ तक पहुंच गया। केन्द्रीय सरकार की स्थिति और भी खराब है। 1970 में यह 2.8 अरब था 1980 में 25.8 अरब था, 1985 में यह 61.6 अरब तक पहुंच गया। इस प्रकार घाटा निरन्तर बढ़ रहा है।

(3.00 म.प.)

वर्तमान बजट की जो स्थिति है, 1984-85, में 27 करोड़ का घाटा और 1991-92 में तीन गुणा वृद्धि होकर घाटा 84 हजार करोड़ तक हो गया। इस प्रकार अनउत्पादक व्यय और मुद्रास्फीति है। यह संकट का कारण है। आज भी हम काफी अनउत्पादक खर्च करते हैं, किसी तरह से इस खर्च को रोकें लेकिन आज भी इस देश के अन्दर केन्द्रीय बजट का यह रास्ता दिखाने को तैयार नहीं है। हम अनउत्पादक व्यय को किसी भी प्रकार रोक नहीं पाये हैं। मुद्रास्फीति निश्चित रूप से नहीं रुक रही है और देश के सामने जो संकट है, वह आर्थिक संकट निरन्तर बढ़ रहा है।

एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जो माननीय सदस्य यहां विपक्ष में बैठे है वह अपने आपको किसान का प्रतिनिधि कहते है। मेरे दल के ऊपर, विशेष रूप से मैं, तो शहरी क्षेत्र से चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, यह कहते हैं कि आपकी पार्टी शहरियों की पार्टी है लेकिन कृषि के विकास के अन्दर इतना बड़ा जहां 70 प्रतिशत आबादी कृषि के ऊपर निर्भर रहती हो जहां आपके अधिकांश लोग गांवों में रहते हो उस

(श्री जीतमल जैन)

किसान के लिए और खेती के लिए हमने कितनी स्वच्छ ईमानदारी से काम किया है कि पिछले 40 सालों में आपने जितने बजट पेश किये हैं, आज गांव का कितना विकास हुआ है वह स्थिति आपके सामने है। मैं आपके सामने यह कहना चाहूंगा कि हमने आज तक कृषि को एक उद्योग नहीं माना अगर हमने कृषि को उद्योग मानकर सारी हमारी नीतियां निर्धारित की होती तो आज उद्योग हमारी इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी कृषि का उत्पादन बढ़े और उस पर आधारित जो उद्योग बने हैं तभी हम देश का सफलता पूर्वक विकास कर सकते है। क्योंकि कृषि के ऊपर ही हमारी सारी अर्थ व्यवस्था आधारित है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक हम कोई कृषि नीति तय नहीं कर पाये है। इसको हमने आज तक उद्योग नहीं बनाया। इसके जो परिणाम हमने देखे, कृषि के अन्दर जो राष्ट्रीय आमदनी बढ़ी उसमें 24 पर्सेंट आबादी केवल किसान वर्ग की बढ़ी और शहरी लोगों की 76 पर्सेंट बढ़ी। किसान जो अधिक रहता है उसको रास्ट्रीय आमदनी का 24 प्रतिशत गया है और शहरों में जो 30 प्रतिशत लोग रहते है उनको 76 पर्सेंट गया। यह पिछले बजटों व अर्थनीति का परिणाम है। जब हमने यह सारी चिन्ता नहीं की तो इसके सारे दुष्परिणाम आये। मैं संक्षेप में वह बात कहना चाहूंगा। गांवों से शहर की ओर पलायन निरन्तर होता जा रहा है। क्योंकि गांव के अन्दर रोजगार नहीं है। शहरों के अन्दर बेरोजगारी की समस्या निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। अपराध और दुर्घटनाओं की वृद्धि होती जा रही है। आवास की भयंकर समस्या खड़ी हो गई है। नागरिक सुविधाओं में कमी आ गई है। कुपोषण के हम लोग शिकार होते जा रहे हैं। यह सारा शहरीकरण के जो दुष्परिणाम है क्योंकि हमने गांवों का विकास नहीं किया। चाहे हम गांवों के प्रतिनिधि कहलाते रहे, हमारी सरकारें यह कहती रही कि हम गांव के प्रतिनिधि हैं पर हमने इस आधार पर गांव के विकास नहीं किये। हम यह देखते हैं कि आज शहरों की आबादी निरन्तर बढ़ रही है। कुपोषण की यह स्थिति है कि बंगाल के अन्दर 12 पर्सेंट लोग नारकीय जीवन बिताते हैं, पूना के अन्दर 17 पर्सेंट लोग नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, कुपोषण के शिकार हैं। हैदराबाद में 21 पर्सेंट, अहमदाबाद में 28 पर्सेंट, मद्रास में 30 पर्सेंट और दिल्ली में 30 पर्सेंट कुपोषण के शिकार है। यह सारा परिणाम है कि अगर हम गांवों का विकसित करते तो गांवों से आबादी का पलायन यहां नहीं होता और आज यह दुर्व्यवस्था नहीं होती। कृषि की उपेक्षा की जो बात थी, कृषि के लिए सिंचाई की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सिंचाई की हमने किस प्रकार से उपेक्षा की है। आज 246 सिंचाई की योजनायें केन्द्र सरकार के पास हैं इसमें से 65 प्रतिशत सिंचाई योजनायें पूरी हुई हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में। आज बाकी की योजनायें अधरझूल में लटक रही हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये....

श्री जीतमल जैन : अभी फाईनेंस मिनिस्टर ने बजट रखा है। आप हम सभी

(श्री जीतमल जैन)

जानते हैं कि राजस्थान की भाग्य रेखा यह इन्दिरा गांधी केनाल है। इसके लिए अगर केन्द्र सरकार चाहती तो इसके लिए हमें धन उपलब्ध कराती, आज योजना पूरी होती। तो एक हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष की आमदनी होती और दो सौ करोड़ रुपया केन्द्र और राज्य के कोषों में आता। सिंचाई जो किसान के लिए मूलभूत बात उसकी हमने उपेक्षा की है।

अब अन्त में एक बात कहकर कि अच्छा बजट क्या है, अच्छा बजट यह है कि उसमें टैक्स का कम से कम भार गरीब पर पड़े। दूसरी बात विकास के लिए उचित मात्रा में धन उपलब्ध हो। तीसरी सामाजिक सेवाओं में वृद्धि हो और चौथी बात है हमें सामाजिक न्याय मिले। इस दृष्टि से राजस्थान का बजट जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है उन्होंने सभी बातों का और सभी वर्गों का ध्यान रखा है। गरीब आदमी पर टैक्स तो लगाया ही नहीं है, उसको टैक्स से वंचित किया है। उन्होंने विकलांग को, उन्होंने महिलाओं को, आदिवासियों को सब प्रकार के लोगों को सीमित साधनों में राहत पहुंचाने की बात कही है। हमारी अपेक्षाएं बहुत हो सकती हैं हम उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री जी ने अपने सीमित साधनों में इतना सुन्दर बजट रखा है। केवल आलोचना के लिए आलोचना न करें मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहूंगा और इस बजट को सर्व सम्मति से पास करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : पं. राम किशन जी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1992–93 का बजट चाहे राज्य सरकार ने रखा हो, चाहे केन्द्र सरकार ने रखा हो, वह एक प्रकार का बजट है जिसे सामान्य तौर पर समझा नहीं जा सकता और इस बजट की अच्छाई और बुराई में विस्तार से जाने का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यह बजट विकास विरोधी है और आगे चलकर बेरोजगारी का बहुत बड़ा सवाल इनके साथ खड़ा होने वाला है। (व्यवधान)

मैं निवेदन यह करना चाहता था कि यह इस तरह का बजट आया है उस बजट से हम किसी प्रकार के विकास की और बेरोजगारी उन्मूलन की आशा नहीं कर सकते। हमारे देश की समस्या क्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट केवल पैसे धेले का हिसाब नहीं है, बजट के पीछे जो दर्शन है वह जिस समाज में जिन हालात में बजट पेश किया जाता है वह बजट समस्याओं का समाधान करने वाला है या नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में राज की करीब–करीब सभी समस्याओं का स्पर्श किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि उनके बजट भाषण में सारी समस्याओं की जानकारी है। बेरोजगारी का भी जिक्र किया है, राज्य के पिछड़ेपन का भी जिक्र किया है, साधनों की कमी की भी चर्चा की है। लेकिन अगर इस सारे बजट में कोई कमी है तो वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने समस्याओं का जिक्र तो कर दिया लेकिन समाधान के मामले में सदन के सदस्यों की राय के लिए छोड़ दिया है। अब उनकी जैसी प्रणाली है उनका अपना काम करने का जो तरीका है, भलाई खुद ले लेंगे और बुराई दे देंगे सदन के सुपुर्द। मुख्य

(श्री रामकिशन)

मंत्रीजी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या आपमें साहस नहीं था, क्या आप नहीं समझते थे कि राज्य का विकास कैसे होगा ? मैं यह नहीं मानकर चलता कि माननीय भैरोंसिंह शेखावत राज्य के विकास के लिए क्या चाहिये, उस बात को नहीं जानते है लेकिन उनमें साहस की कमी, उनमें अपनी एक बात है, वह प्रशंसा के लिए तो तैयार रहते हैं, कहीं माला होगी तो सबसे पहले पहिनेंगे मगर कहीं काला झण्डा होगा तो भाग जायेंगे, स्थिति उनकी यह बनी हुई है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने राज्य के विकास के लिए कौन से संसाधन जुटाये हैं ? आपने तीन बजट पेश किये हैं और मैं इस बात को आज नहीं कह रहा हूं, इन तीनों बजटों में आपने राजस्थान को पीछे रखने की कोशिश की है। इसका परिणाम यह होगा कि 8–10 साल बाद इतनी भयंकर बेरोजगारी होगी जिसका आप अन्दाज नहीं लगा सकते। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी या तो आप यह मानकर चल रहे हैं कि मुझे राज तो करना नहीं है, जो कुछ करना था मैंने कर लिया इसलिये राज का क्या बनेगा यह आपकी चिन्ता की बात नहीं है। अन्यथा मैं आपसे पूछना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात बता दीजिये, आप अगर संसाधन यही समझते हैं कि जनता पर टैक्स लगाया जाये तब तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं। लेकिन आप यह बता दीजिये कि तीनों वर्षों की वार्षिक योजनाओं में जो लगातार वृद्धि हुई है, क्या वह वृद्धि उस बात का सूचक नहीं है कि इसके कारण से डवलपमेंट के काफी संसाधन जुटाये गये हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप धारा प्रवाह को न तोड़े। आपको अवसर मिलेगा जवाब देने का।

श्री रामकिशन : मेरा धारा प्रवाह नहीं टूटेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही है मैं समझता हूं उसका जवाब मैं अपने आप दे दूंगा। वह नहीं भी कहते तो मैं आपके मन की बात का अपने आप जवाब देता। मैं केवल आपसे इतना सा कहना चाहता हूं कि आपने संसाधन जुटाने में जिस साहस की जरूरत थी उस साहस को आपने नहीं जुटाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या है ?

श्री रामकिशन : अभी आएगी, जरा ठहरने दें। आपका डेढ़ घण्टे का भाषण था, मुझ से शुरू में ही आप कहलवाना चाहते हैं ?

तो मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने समस्याओं का जिक्र किया, समाधान का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, व्यास कमेटी की चर्चा कर दी लेकिन राज की बेरोजगारी किस प्रकार मिटेगी, जानकारी होते हुए भी कोई बात आपने कही नहीं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पहले पैरा में ही, बजट भाषण शुरू करते हुए सबसे पहले केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, जो नतीजे उन्होंने

(श्री रामकिशन)

निकाले हैं उन नतीजों से पूरी तरह सहमत हूं। उन नीतियों का जिक्र मैं इस वक्त कर नहीं सकता, लेकिन उन नीतियों के जो नतीजे आये हैं, आज हमारे देश पर विदेशी कर्जा बढ़ गया है, विदेशी व्यापार का घाटा बढ़ रहा है। संसार में सबसे ज्यादा दरिद्र देशों में हमारी गिनती होती चली जा रही है। ब्याज का भार चुकाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कर्जा लेना पड़ रहा है। लेकिन, माननीय मुख्य मंत्रीजी, एकतरफा तो आप आलोचना कर रहे हैं केन्द्र की नीतियों की, लेकिन साथ-साथ आपके नेता श्री अडवाणी जी अब अमरीका में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं तब वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि यही नीतियां हैं जो देश को आगे ले जाएंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो कल वोट दिया है कि उन्होंने और आपकी पार्टी के लोग एब्सैण्ट रहे हैं।

श्री रामकिशन : मेरी पार्टी के नहीं रहे हैं, आपको खुद जानकारी है। मेरी पार्टी का कोई नहीं रहा है, आप जानते हो इस बात को। (व्यवधान)

मेरा निवेदन करना यह था कि आपके दल के श्री अडवाणी जी अमरीका में क्या कहते हैं। अमरीका वे किसके निमन्त्रण पर गये? जिस कार्पोरेशन के निमन्त्रण पर गये वह अमरीका का, संसार का सबसे बड़ा कंजरवेटर कार्पोरेशन है। संसार में सबसे बड़ा अमरीका कंजरवेटिव है आर्थिक मामलों में। लेकिन जिसके निमन्त्रण पर गये थे वहां, वह संसार में सबसे बड़ा कंजरवेटिव कार्पोरेशन हैं। उसमें अडवाणी जी ने यह कहा था कि ये आर्थिक नीतियां सही हैं, यह सरकार पांच साल चलेगी। पांच साल नहीं चलेगी और कोई गिराने की कोशिश करेगा तो हम सरकार का समर्थन करेंगे। यही बात उन्होंने जर्मनी में दोहरायी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के मुखिया की हैसियत से और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता की हैसियत से जब आप केन्द्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो आपको विकल्प भी पेश करना चाहिए। जब तक विकल्प नहीं होगा, मैं समझता हूं कि इन आलोचनाओं का कोई लाभ होने वाला है नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने समस्याओं का जिक्र किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी पार्टी के नेता को नरसिंह राव जी ने कहा कि हमारी इकानामिक पालिसी का कोई आल्टरनेटिव बता दीजिए। वे बता ही नहीं पाये।

श्री रामकिशन : आप में धीरज नहीं है। बुढ़ापे में थोड़ा–सा धीरज रखो, बैठो। अधीरता जवानी में होती है, थोड़ा धीरज रखो।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि आप कोई विकल्प पेश करते। लेकिन आपने विकल्प पेश करने की हिम्मत नहीं की। अन्त में आपने राजस्थान के कल्याण की बात कही। कल्याण की बात कहते वक्त आप इतनी बात कह गये कि मैंने किसानों को छूट दी है, मैंने मजदूर का कल्याण किया हैं, मैंने अपंगों का कल्याण किया, मैंने महिलाओं का भला किया है। यानी केवल पांच करोड़

(श्री रामकिशन)

के टैक्स का एडजैस्टमैण्ट और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले राजस्थान में 57 प्रतिशत आदमी, इन पांच करोड़ से आपने सबका कल्याण कर दिया ? मेहरबानी करके कम से कम शब्दों में तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी आपको, यथार्थ तो बोलना चाहिए था। जिस तरह आपने टैक्सों में थोड़ी बहुत छूट दी है तीनों बजटों में, टैक्सों का एडजैस्टमैण्ट किया, मैं उसे बुरा नहीं मानता। मैं मानता हूं आमदनी कम हो रही थी और लोगों को परेशानी ज्यादा थी। आप सीधी यह बात कहते तब तो मैं आपके तर्क को स्वीकार करने को तैयार था। लेकिन यह कल्याण की भावना से आपने किया है, इनसे लोगों का कल्याण हो गया है, गरीब को आपने गणेश मान लिया है। आप इन्हें चाहे विष्णु मानो, चाहे महादेव मानो, लेकिन इस बजट का इन पर असर पड़ने वाला है नहीं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी, कि केन्द्र और राज्य, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और कांग्रेस की नीतियां, दोनों समान हैं। हैं। इसलिए अबकी बार आपने देखा होगा कि केन्द्र ने जो बजट पेश किया है वही पैटर्न राज्य सरकार के बजट का है। विकास के मामले में दोनों सरकारों ने अपने खर्च में कमी कर दी है। केन्द्र के बारे में आप देख रहे होंगे कि विकास व्यय 02 प्रतिशत किया गया है कैपिटल एक्सपैण्डीचर, जब कि रेवेन्यू एक्सपैण्डीचर सेण्टर का सात प्रतिशत आ रहा है। वही स्थिति आपने की है। आपने सिचाई के मद में थोड़ी-सी बढ़ोतरी की है, समाज कल्याण सेवाओं पर खर्च में आपने कमी कर दी, उद्योगों का ट्रेनिंग का जो काम था उसमें आपने कमी कर दी, ऐसी सेवाओं के लिए खर्चा करने की जो बात थी उसमें आपने कमी कर दी। केन्द्रीय सरकार ने 700 करोड़ का प्रावधान समाज सेवाओं में कम किया है और पुलिस सेवा में करीब चार अरब की बढ़ोतरी की है। वही धारा आपकी है और वही धारा उनकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिहार और उड़ीसा की क्या धारा है ?

श्री रामकिशन : आपने पढ़ा है उड़ीसा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां।

श्री रामकिशन : लाओ, अभी की अभी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बता दीजिए, बिहार और उड़ीसा में आपकी सरकारों ने जो बजट पेश किया है उसकी धारा क्या है ?

श्री रामकिशन : आप ऐसा करिये, मेरे घर आइये और एक घण्टा ट्रेनिंग लीजिए। यह झांसेबाजी में तो मैं आने वाला हूं नहीं। या तो आप दे दें यहां या मुझे बताएं। आप जिस तरह इन कांग्रेस वालों को दबा लेते हो, मैं उस चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। आप आइये मेरे घर और जरा बैठिये। खाना आपका, पान खिलाऊंगा नहीं और बता दूंगा कि उड़ीसा ने क्या किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह

(श्री रामकिशन)

निवेदन कर रहा था कि आप लोगों ने अपने बजटों में जिस तरह की कमियां की हैं उनका नतीजा क्या निकलने वाला है। राजस्थान में समाज कल्याण पर पिछली साल जो व्यय था उसमें से आपने कमी कर दी। पिछली साल आपका व्यय था 4163 लाख और अबकी साल रख दिया 4173 लाख। इसी प्रकार आपने समाज कल्याण, पोषाहार वगैरह गरीबों से सम्बन्धित जो कार्यक्रम है उनमें भी कमी की है। पिछली साल आपका बजट 17858 लाख का था, अब की साल आपने कर दिया 17300 लाख। उद्योगों पर ट्रेनिंग वाला हिस्सा, खास तौर पर जिससे लोगों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, घटाकर आपने 29 लाख से 28 लाख कर दिया। इसी प्रकार दूसरी जितनी सामाजिक सेवाएं हैं उनमें भी आपने निरन्तर कमी की है। केन्द्र सरकार की भी स्थिति यही रही है। केन्द्र सरकार ने खास तौर पर समाज सेवाओं में पिछले साल जो उनका 27 अरब का बजट था उसको घटाकर 21 अरब का कर दिया। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बात कर रहे थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि आपकी सरकार की नीतियां और कांग्रेस सरकार की नीतियां समान हैं। अगर आप उड़ीसा और बिहार की बात कहते हो तो मैं उनकी गारण्टी लेने वाला नहीं हूं। मैं उनके बारे में आपसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना–सा कह सकता हूं कि आज के वर्तमान सन्दर्भ में जब तक नयी आर्थिक नीतियों को आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं।

अब राज्य के लिए आपको करना क्या चाहिए, सवाल यह उठता है। आप कहते हो मेरी योजना का आकार बढ़ गया है। यह सही है कि राज्य की योजना का आकार बढ़ा है। इसके लिए सदन ने आपकी तारीफ भी की है। प्रतिपक्ष में बैठने वाले माननीय चन्दन मल जी ने भी आपको धन्यवाद दिया हैं। अबकी साल 1400 करोड़ की योजना जो आप लाये हैं, मैं भी आपको एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार, जितनी बार कहो धन्यवाद दे दूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि इसमें आपका क्या है ? केन्द्र में जब जनता दल की सरकार बनी तब आपकी योजना का आकार बढ़ना शुरू हुआ। जिस सरकार ने आपकी हैसियत बढ़ायी उसी सरकार को आपने गिरा दिया। आप जैसा गुणमंता इस देश में कोई है क्या, आप जरा बताइये। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहता हूं कि जो व्यवहार हमारे साथ किया है वही व्यवहार आपके साथ करने वाले हैं।+++मित्रता में फंसकर एहसान मानने वाले हैं नहीं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कल देख लिया न।

श्री रामकिशन : कल नहीं किया है, अभी तो नहीं किया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, केन्द्र सरकार ने आपको मदद की है। नवें वित्त आयोग से

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामकिशन)

जो आपको ज्यादा पैसा मिलने वाला था, उसका लाभ आपको मिला है। अब सवाल यह उठता है, जैसा आपने शुरू में कहा कि मैं टैक्स तो बढ़ाऊंगा नहीं, और तरीका बता दो। आप समझदार हैं, मैंने तो पहले ही कहा है। जितना योजनाओं का आकार बढ़ा है उससे किन्हीं लोगों की आमदनी तो बढ़ी ही होगी। अगर आपमें साहस नहीं है तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि अर्थ–शास्त्रियों की एक कमेटी बनाएं और अगले बजट से पहले इन योजनाओं से किनको लाभ हुआ है उन लाभान्वित वर्गों पर वजन डालने की कोशिश करें। यह बात मैंने अबकी साल ही नहीं की, मैंने पिछले साल भी कहा था, डाक्टर चन्द्रभान जी ने भी कहा था। कांग्रेस दल के नेता माननीय विश्नोई जी ने भी आपको सुझाव दिया है कि जिन वर्गों को लाभ हुआ है, मेहरबानी करके उन वर्गों पर आप वजन डालिये और उस पैसे से गरीब लोगों के डवलपमैण्ट की कोशिश कीजिए। वैसे आप खुद जानते हैं किन-किन वर्गों को लाभ होने वाला है, आज सम्पत्ति किस तरह से बढ़ रही है। केन्द्र सरकार ने जिस तरह धन कर में छूट दी है और पूंजी-पतियों को फायदा पहुंचाया है, खास तौर पर शेयर बाजार में काम करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाया हैं, अगर आपके पास उनकी सूची हो तो आप बहुत बड़ी धनराशि राज्य के विकास के लिए प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका मन नहीं है, आपकी तबीयत नहीं है। आपका मन और तबीयत इसलिए नहीं है कि आपका दल जिस विचार-धारा को रिप्रजैण्ट करता है वही विचार-धारा कांग्रेस पार्टी की है। इसलिए दोनों वर्ग केवल गरीबों पर वजन डालते हैं।

बड़ी चर्चा हो रही है केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों की कि बड़ी सफल नीति है। शायद संसार में पहली सरकार है, संसार में पहली सरकार है, संसार में कह रहा हूं मैं, जहां सोना सस्ता हो रहा और आटा तेज हो रहा है। यह सफलता है सरकार की नीतियों की कि सोना सस्ता आटा तेज, फिर भी कांग्रेस के माननीय सदस्य कहते रहते हैं कि क्रान्तिकारी बजट दिया है, इससे ज्यादा क्रान्तिकारी बजट दुनिया में कभी आने वाला नहीं है। जो उनकी नीतियां हैं वे आपकी नीतियां हैं। विकास के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है वही आपका दृष्टिकोण है। दोनों के जब दृष्टि-कोण समान हैं तो फिर आपको सारे सन्दर्भों को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको निश्चित सुझाव देना चाहता हूं कि जिन वर्गों को लाभ हुआ है मेहरबानी करके उन वर्गों पर वजन डालने की कोशिश करो। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन कौन से वर्ग हैं ?

श्री रामकिशन : आपको ज्ञान नहीं है ? आप सीधा कहो मुझे ज्ञान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सीधा कह रहा हूं कि आपमें बोलने का साहस नहीं है।

श्री रामकिशन : आप सीधा कहें मुझे ज्ञान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिये, नाम लीजिए कि इन इन पर टैक्स लगेगा। मुझे तो कह रहे हैं कि इनमें साहस नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। आपमें इतनी कमजोरी है कि नाम लेने से घबराते हो।

श्री रामकिशन : आप मेहरबानी करके सदन के सामने कान पकड़कर खड़े हो जाओ, मैं बताता हूं क्या क्या जरूरत है। आप दोनों काम नहीं करा सकते मुझसे। आपमें साहस भी नहीं है और मुझसे बात कहलाना भी चाहते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कान पकड़कर खड़ा होऊं या नहीं होऊं, यह दूसरी बात है लेकिन आपने आरम्भ में यह कहा था कि मुझमें इस बात का साहस नहीं है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि कीजिए साहस और आप बता दीजिए।

श्री रामकिशन : मैंने तो कह दिया, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैंने तो आपसे कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि इन सारे मामलों पर आप कोशिश करें। अब सवाल यह उठता है कि आपने राजस्थान की बढ़ती हुई आमदनी का जिक्र किया और आपने यह भी स्वीकार किया है कि अब के साल बरसात कम हुई है तो राज्य की आमदनी घट गई। तो इसका मतलब है कि हमारे राज्य की जो इकानामी है, आज की तारीख तक वह खेती पर आश्रित है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं लेकिन खेती का उत्पादन कैसे बढ़े, इसके बारे में मैं समझता हूं मेरा आपका दृष्टिकोण समान है। यह जो हमने बड़ी-बड़ी योजनायें ले लीं, जिनके रिजल्ट्स बीस तीस सालों में आते हैं, इन योजनाओं की तरफ हमको ध्यान नहीं देना चाहिये। सारी दुनिया में जो विकासशील देश हैं, उन्होंने जब विकास आरम्भ किया है तो तत्कालिक परिणाम लाने वाली योजनाओं से ही शुरूआत की है। हमारी गलती यह हुई, मैं उसमें आपकी गलती नहीं मानता, हिन्दुस्तान के डवलपमेंट का पैटर्न जो हुआ है, हमने पश्चिम की नकल की। बड़े आकार की योजनाओं को शुरू किया और उनके रिजल्ट्स बड़ी देर से आ रहे हैं।

राजस्थान के संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज की तारीख में भी जितनी खेती हो रही है, उसमें 24 प्रतिशत इलाका सिंचाई वाला इलाका है, और उसमें नहरी इलाका है 30 या 31 प्रतिशत और बाकी इलाका है कुआ तालाब वगैरह का। तो मेरा आपसे सुझाव है खास तौर से पूर्वी राजस्थान के लिये, वहां पानी तो कोई है नहीं, बारह माह बहनेवाली नदी वहां है नहीं, जमुना का पानी वहां मिल सकता, वह सम्भव नहीं है, और चम्बल के पानी का उपयोग करने की आपकी तबीयत नहीं है, तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र के लिये, चाहे वह अलवर हो, धौलपुर हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, वहा पाताल तोड़ कुओं की लम्बी स्कीम चलाई जाये। राज्य सरकार उनको हाथ में नहीं ले, क्योंकि फिलहाल निजीकरण के तरफ बढ़ रहे हैं आप, इसलिये मैंने सुझाव दे भी दिया, तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इन कुओं पर लागत बहुत आती है, इसलिये उनमें कम से कम पाइप वगैरा का खर्च, सर्वे का का खर्च सरकार बर्दाश्त करे। अगर सरकार यह कर लेती है तो इससे हमारी पर केपीटा इनकम दो साल

(श्री रामकिशन)

में ड्योढ़ी हो सकती है, जो अन्दाज मैंने लगाया है अनाज के उत्पादन से।

आपने सरसों के उत्पादन का जिक्र किया। हमारा राज्य सरसों के उत्पादन में सब राज्यों से आगे चला गया, और भरतपुर सबसे आगे है। अब भरतपुर सरसों ज्यादा पैदा कर रहा है, राजस्व भी ज्यादा दे रहा है, लेकिन इनवेस्टमेंट के हिसाब से आप देखें तो भरतपुर में सबसे कम इन्वेस्टमेंट होता चला जा रहा है। आखिर इसको कब तक दुरुस्त करेंगे? क्षेत्रीय इम्बेलन्स की बात आप और मैं निरन्तर सदन में करते रहे हैं। लेकिन आपने वही पेटर्न शुरू कर दिया। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, मैं कोई विरोध की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, उन सबका नियोजन पश्चिमी राजस्थान में होता है और पूर्वी राजस्थान, जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है, सब से ज्यादा पैसा देता है, उसमें पर केपीटा इनवेस्टमेंट सबसे कम हो रहा है। इसलिये मेरा आपसे सुझाव है कि पाताल तोड़ कुओं के मार्फत आप किसानों को सीधी मदद कर सकते हैं और आमदनी कर सकते हैं और आमदनी को बढ़ा सकते हैं।

लघु उद्योगों की हालत यह है कि जितनी भी हमारी इकाइयां थी वह करीब-करीब सब बीमार पड़ी हुई हैं। क्यों बीमार पड़ गई, इस सम्बन्ध में मेरा आपसे एक निवेदन है। आज देश में कहा जाता है कि राज्य सेवाओं में हरिजन आ गये, पिछडे आ गये, इसलिये प्रशासन की हालत बिगड़ गई। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह जितनी भी प्राइवेट इकाइयां हैं, यह तो सारी ब्राह्मणों, और बनियों के पास थीं, यह सारी फिर क्यों सिक हो गई? अगर योग्यता ही कोई मापदण्ड था, तो यह इकाइयां योग्य लोगों के हाथों में हो कर भी सिक क्यों हो गई? इस पर आपको चिन्तन करना चाहिये और लघु उद्योगों की आप शृंखला बढ़ायें। लेकिन आप तो बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का समर्थन कर रहे हैं। आपकी सरकार की नीतियां भी वही हैं जो कांग्रेस सरकार की नीतियां थीं। हमारे यह छोटे-छोटे उद्योग नष्ट होने वाले हैं, आप इन छोटी-छोटी इकाइयों के लिये और खेती के विकास के लिये विशेष प्रकार से प्रावधान करें। खेती के विकास के लिये आपने बाईस तेईस करोड़ रुपये बढ़ाये हैं, लेकिन इनफ्लेशन से आप जोड़ेंगे, तो पिछले साल के मुकाबले खेती पर इनवेस्टमेंट कम होगा। इन सारे सवालों पर आपको चिन्तन करना चाहिये। आपको नये ढंग से कोशिश करनी चाहिये।

माननीय मुख्य मंत्री जी, मुझे आपसे एक निवेदन और करना है। आपने महिला कल्याण की बात कही और महिला कल्याण की बात करते वक्त आप यह कह गये कि आपने तवा, चलनी, छाजला आदि पर टैक्स माफ करके महिलाओं का कल्याण किया है (व्यवधान) महिलाओं का भला किया है। तो, माननीय मुख्य मंत्रीजी, पहले दो बजट्स में तो आपने महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश की, और अब इस बजट में आपने महिलाओं को धोखा देने की कोशिश की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे महिलाओं का क्या कल्याण होगा। अगर रोटी बनेगी तो तवे पर बनेगी, और पुरुष की डाइट और महिला की डाइट का आप हिसाब लगायेंगे, तो पुरुष को ही फायदा

(श्री रामकिशन)

होगा। महिला को तो केवल चूल्हा जलाने वाली बनाकर रख दिया है। अगर आपको महिलाओं का कल्याण करना था, तो राजस्थान की महिलाओं की दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो ग्रामीण महिलाओं के लिये सब से ज्यादा जरूरत है शौचालयों की। आप जानते हैं कितना बड़ा कष्ट है यह। सड़कों के सहारे, आप भी जब जाते होंगे, क्या स्थिति देखते हैं ? तो आपको इस बात को बताना चाहिये कि पूर्वी राजस्थान में, जहां जमीन कम है, महिलाओं को शौच जाने की जगह नहीं है, कम से कम राज्य सरकार को शौचालयों के लिये कोशिश करनी चाहिये। आप इस मामले पर चुप्पी लगा गये।

दूसरी महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत है धुआंदार चूल्हों का उपयोग। आप जानते हैं महिलाओं की सबसे सुन्दर चीज आंख होती हैं, और जब आंख ही नहीं रहेगी, उनकी रौनक ही नहीं रहेगी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी आप····(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : सुंदरता के बारे में आपको ही क्यों मालूम है ?

श्री राम किशन : आप आप क्यों बीच में बोलो ?

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महिलाओं की आंखें धुएं से खराब होती हैं। आज दुनियां में जब आदमी आकाश में पहुंच सकता है, तरह तरह के वैज्ञानिक प्रयोग कर सकता है, तो आप क्या धुआं रहित चूल्हे का निर्माण नहीं करा सकते ? लेकिन मैंने देखा है कि आपका जो प्रशिक्षण का बजट है, वह भी आपने कम कर दिया है। आपने इस तरह की बात करके कह दिया कि हमने···

निप्पल का टैक्स माफ कर दिया, दूध का टैक्स माफ कर दिया, दूध की बोतल पर टैक्स माफ कर दिया। यह अच्छे गुण हो सकते हैं। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन लोगों का ख्याल यह भी है कि दूध की बोतल की बजाय मां का प्राकृतिक दूध, अगर वह रोगी नहीं हो तो बच्चे के लिए ज्यादा स्वास्थ्यप्रद होता है, ऐसा कुछ डाक्टर्स का कहना है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता··· (व्यवधान)···आप क्या समझ रही हैं, अकेली महिलाओं का, मैं तो खुद ही यह कह रहा हूं कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए।

तीसरी बात मुझे आपसे यह निवेदन करनी है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया वक्तव्य पूरा कीजिए। 25 मिनट दे दिए आपको और औरों को 15 मिनट ही दिए हैं।....

श्री रामकिशन : अभी तो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह बात नहीं है।

श्री रामकिशन : माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपका बजट किसी प्रकार की दिशा देने वाला नहीं है, किसी प्रकार का उत्साह पैदा होने वाला नहीं है और कोई नाराजगी में या गुस्से में मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि राज्य के

(श्री रामकिशन)

हितों का आपको भी ख्याल है और हम लोग जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनको भी ख्याल है, हो सकता है कि आपका ख्याल कुछ ज्यादा हो लेकिन आपका जो तरीका है वह ख्याल के बिलकुल उल्टा है। मैं आपसे निवेदन इतना ही करना चाहूंगा कि जब तक विकास की गति को तेज नहीं करेंगे तब तक अन्य राज्यों के मुकाबले में आप राजस्थान को नहीं ला सकते हैं। अब आपने सुविधाएं तो कई गिनाई लेकिन राज्य को असुविधाएं भी हैं। हमारे यहां आबादी घनत्व कम है, जमीन का क्षेत्रफल ज्यादा है। यह दो हमारे पास सुविधाएं ऐसी हैं जो राजस्थान के अलावा देश के किसी राज्य को नहीं मिली हुई हैं लेकिन जो हमारा राजनैतिक ढांचा या हमारी राजनीति रही, चाहे वह कांग्रेस की राजनीति रही वह बिलकुल निकृष्ट राजनीति रही और आपकी राजनीति भी उससे श्रेष्ठ नहीं रही। नतीजा यह हुआ कि हम लोगों का जो चिन्तन होना चाहिए इन सवालों पर हम कुछ नहीं कर पाये। मैं आपसे इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि मुझे साधन और साधनों का दुरुपयोग कितना हो रहा है यह तो आप जानते ही हैं और जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो है, मैं स्वीकार करता हूं पर मुझे एकाध ईमानदार आफिसर तो बताओ। आप तो यह समस्या एप्रोच कर देते हैं। अब राजस्थान में कौन आफिसर ईमानदार है और कौन आफिसर बेईमान हैं, आपसे ज्यादा, कम से कम मुझे तो जानकारी नहीं है।

कई मामलों में मुझे आपसे ज्यादा जानकारी है लेकिन इस मामले में आप ही ज्यादा जानते हैं। इसे मैं स्वीकार करता हूं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितना भ्रष्टाचार इन दिनों पनपा है, मुख्य मंत्री जी उतना भ्रष्टाचार मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं आपको मिसाल के रूप में कहना चाहता हूं कि मैंने जब राजनीति शुरू की थी, मेरे गांव में कोई रिश्वत नहीं लेता था। एक बार एक पटवारी ने रिश्वत ले ली थी वह वापस हो गई और आज हालत यह हो गई कि मेरे घर वाले दफ्तर में जायेंगे तो उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। भ्रष्टाचार जिस सीमा तक बढ़ा है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं और भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा है कि आपने यह हवा बनाई थी कि भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान में जिस दिन आ जायेंगे उसी दिन भ्रष्टाचार खतम हो जायेगा। अब भ्रष्टाचार के बहुत से मामले आपके सामने आये, आपने किसी को सजा नहीं दी, चाहे वह सीमेन्ट का मामला हो, चाहे वह चने का मामले हों, चाहे प्रिमियर वैजेटेबल का मामला हों, सारे मामले आपके सामने हैं आप आई. ए. एस. के बारे में तो कह सकते हैं कि आई. ए. एस. को सजा देने में बड़ी कठिनाई होती है, मान रहा हूं कि कठिनाई होती है लेकिन सैल्स टैक्स के लोगों ने जो गड़बड़ी की चने के मामले में वह मामला कैसे दब गया या, उसका क्या हुआ ? प्रिमियर वैजेटेबल के मामले में आपने चालान कर दिया, चालान हो गया लेकिन इन दोनों कम्पनियों ने, प्रिमियर वैजेटबल और रामनगर शुगर फैक्टरी ने जिन टैक्सों की चोरी की केवल उनके आप 5 सालों के खातों की जांच करवा लो

(श्री रामकिशन)

उनसे आपको 12–15 करोड़ रुपये मिल जायेंगे। जिस तरह से यह फैक्टरीज लूट कर रही हैं हमारे राज्य की तेल मिलें हैं, आप जानते हैं उपाध्यक्ष महोदय, वह क्या कर रही हैं? तेल मिल सीधे किसानों से सरसों लेती हैं और उसको सीधे सीधे बेच देती हैं। आपके आफीसर जब जाते हैं तो जमा खर्च को देखकर चले आते हैं। इन आफिसर्स को यह देखना चाहिए कि एक क्विंटल सरसों को पेरने में आखिर कितनी बिजली खर्च होती है, उससे ज्यादा बिजली खर्च हुई है तो कुछ न कुछ इन्होंने दूसरा काम किया है। मैं केवल 2 आइटम आपको बताना चाहता हूं – राजस्थान की तेल मिलें और राजस्थान का वैजिटेबल उद्योग इन्होंने जिस तरह से घपला किया है उसकी आप जांच करवा लो और हर साल आपको 15-20 करोड़ के करीब राजस्व मिलेगा। यह सारे मामले आपके सामने हैं, आपकी खुद की नजर में हैं। इस सम्बन्ध में किसी को सजा तो नहीं हुई है। अब आपने केस तो रजिस्टर्ड करवा दिया लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया मालिकों को, जिन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया कि माल खरीदा राजस्थान से और दिखा दिया बाहर का, मोहर लगा दी नकली। केस रजिस्टर्ड किया गया लेकिन किसी उद्योगपति को आपने गिरफ्तार किया है? उद्योगपतियों को आप पकड़ें नहीं, आई.ए.एस. पर आप हाथ डाले नहीं और सेल्स टैक्स के आफिसर्स पर हाथ डालें नहीं और फिर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी आप कैसे भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अगर आपके भाषणों से भ्रष्टाचार मिटा होता तो अब तक राजस्थान में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रहता। क्योंकि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत भाषण दिये हैं लेकिन आप वाणी के मामले में शूर हैं, बहुत शुर हैं, बहुत वीर हैं लेकिन कर्म के मामले में आप बिल्कुल शून्य हैं। कर्म शून्य और वाणी वीर मुख्यमंत्री शायद राजस्थान को ही मिला है। आप काम कुछ करेंगे नहीं और भाषण लम्बा चौड़ा देते चले जाते हैं। मैं यह कर दूंगा, मैं यह कर दूंगा। 4 केस मैं आपको दुबारा गिना देता हूं। मामले मेरे पास बहुत हैं, कई बार मैं चर्चा भी उनकी करता रहता हूं लेकिन आप तो हाथ खड़े कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामकिशन : मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई.एस.एस. के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जिन राजेन्द्र जैन के मामले की बात की थी और भ्रष्टाचार तो आप छोड़ दें। आप उनका जरा ट्रंक काल के बिल का हिसाब देखिये साहब, उनका कोई लड़का विदेश में रहता है और जब वह लड़का यहां आ जाता है तब आपकी एस.टी.डी. का बिल घट जाता है और लड़का जब विदेश चला जाता है तो एस. टी. डी. का बिल बढ़ जाता है। यह तो बहुत छोटी–छोटी बातें हैं। प्रिमियर वैजीटेबल के मामले में जिस अधिकारी ने उस कम्पनी को पकड़ा था, छापा मारा था वह आपके सामने स्तीफा देकर चले गये हैं, कोई पी. डी. ठाकुर कमिश्नर थे, उन्होंने उन्हें मजबूर कर दिया और वह स्तीफा देकर चले गये। आपने इस भाषण में यह कहा है कि उन्हें आर्थिक

(श्री रामकिशन)

मामलों पर काम करना पड़ता है इसलिए मैं इनको प्रोत्साहन दूंगा। अब आप प्रोत्साहन देने की बात तो छोड़िये, जिस आफीसर ने 32 लाख की टैक्स की चोरी पकड़ी थी और कारखाने के मालिक ने यह कह दिया था कि हम 32 लाख देने को तैयार हैं। वह आदमी डर की वजह से स्तीफा देकर चला गया। और उनकी चिट्ठी जो चीफ सेक्रेटरी को लिखी है, उसकी कापी मेरे पास है, चाहेंगे तो मैं सदन की मेज पर रख दूंगा और वह आपके पास जरूर होगी। मैं इस पर बहस ही नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ऐसे मामलों में आप सबसे ज्यादा राजस्थान में रिकार्ड रखने वाले हैं और कोई नहीं है। लेकिन एक मामला आप मुझे बता दें जिसमें आपने कदम उठाया हो।

जब हमारा बजट पेश हुआ था तो आपने यह कहा था कि मैं लोकायुक्त के घेरे में अपने आप को ले रहा हूं। खूब तालियां बजवाई और मैंने भी ताली बजाई। मगर इन दो सालों में मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि आपने कोई भ्रष्टाचार किया है, या हम आपके खिलाफ कोई आरोप लगाने वाले थे, लेकिन दो साल पहले जिस कानून की आपने घोषणा की वह कानून आज तक बना क्यों नहीं? अगर वह कानून बन जाता तो आपके छोटे-छोटे मंत्रियों और आफिसर्स भी डर जाते लेकिन वह जानते हैं कि भैरोंसिंहजी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं इसलिए भ्रष्टाचार निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि दो साल आपको हो गए और कुछ समय बाकी है....(व्यवधान).... मेरे हिसाब से बाकी हैं तीन साल....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पंडितजी बिराजिए आप अब।

श्री रामकिशन : मैं तो लोकतांत्रिक दृष्टि से कहता हूं कि तीन साल आप रहें लेकिन तीन साल आप, दो साल का जो आपका परिणाम है अगर इसे ही आप दोहराते रहे तो राज्य को कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने जो आंकड़े और बजट की बहुत सी बातें छोड़ दी है, केन्द्रीय सरकार ने जो घपला किया है, जो केन्द्रीय सरकार का बजट आया है वह देश को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसकी कल्पना भी आप करें तो आप यह पायेंगे कि निश्चित तौर से इस सरकार को हटाना चाहिए, इस सरकार को गिराना चाहिए और हमें ऐसी आर्थिक नीति को अपनाना चाहिए जो समता मूलक हो, राजस्व प्राप्त कराने वाली हो और लोकतंत्र की रक्षा करने वाली हो लेकिन आप जो पहले दिन बोले तो आपने क्या कहा कि डा. मनमोहनसिंह ने समाजवाद और गोर्बाच्योव ने कम्युनिज्म को खतम कर दिया है—मैं बधाई देता हूं। आप खुश हो रहे हैं इस बात पर। आप जानते हैं कि अमेरिका सख्ती करने पर उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पंडितजी बिराजिए आप। माननीय श्री महावीर प्रसाद जी जैन।

श्री रामकिशन : उन सब बातों के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। 30 मिनट का टाइम हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : समय हमारा है, समय हमारी पार्टी का है।

श्री उपाध्यक्ष : समय की बात का सवाल नहीं है, व्यवस्था की बात है। माननीय श्री महावीर प्रसाद जी जैन।.... (व्यवधान) पंडितजी 15 मिनट दे दिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं, पार्टी का समय है, कंज्यूम कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई अच्छा बोलते हैं तो उनको आप समय ही नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय के अनुसार समय दिया जा चुका है। विराजिए आप।

श्री रामकिशन : तो मैं बैठ जाऊं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। बिराजिए आप। माननीय श्री महावीर प्रसादजी जैन।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारी पार्टी का समय अभी बाकी है, उपाध्यक्ष महोदय, आप उन्हें बोलने दीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे सचेतक कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं आप उन्हें पूरा कर लेने दीजिए। आपके पक्ष की बात कहें तो आपको पसन्द....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। श्री रामकिशनजी आप और बोल लीजिए।

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो आप मेरे से परिचित नहीं हैं मेरी दिक्कत यह है। हालांकि मेरी बगल में बैठते थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि वहां पर बिराजेंगे तो सुविधा मिलेगी लेकिन आप तो आसन पर जाने के बाद....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी बगल में तो आज तक कोई सुखी नहीं रहा।

श्री रामकिशन : आप तो रहे हो ना ? आप तो ईमानदारी से कह दें कि मेरे संग जेल में नहीं जाते तो क्या मुख्य मंत्री बन जाते ? आप ईमानदारी से कहें।

श्री केदारनाथ शर्मा : आप दोनों तो ठीक रहे जेल में पर मुझे इन्होंने अलग कर दिया था ?

श्री रामकिशन : मैं निवेदन यह कर रहा था कि एक बहुत बड़ी बात आपने कही और बड़ी बात यह कह गए कि कम्युनिज्म समाप्त कर दिया गोर्बाच्योव ने और डा. मनमोहनसिंह ने समाजवाद खत्म कर दिया, इसके लिए भैरोंसिहजी बधाई दे रहे हैं। माननीय श्री भैरोंसिंह जी, जब दुनिया में से लोकतंत्र समाप्त होगा, जब दुनिया में से समाजवाद समाप्त होगा उस समय खाचरियावास का मामूली किसान, राज्य का मुख्य मंत्री नहीं बनेगा। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप उस रहस्य को समझना नहीं चाहते हैं। कम्युनिज्म को कुछ धाराएं थीं, कुछ व्यवस्थाएं थीं वह फेल हो गई होंगी लेकिन समाजवाद फैल नहीं हुआ है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को तो शुरूआत हो रही है लेकिन आप कम्युनिज्म और सोशलिज्म को एक समझते हैं और फिर बधाई दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डा. मनमोहनसिंह ने जो कुछ रास्ता अपनाया है उससे देश का कल्याण किस तरह से और कैसे होगा ? बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जिस तरह से वह

(श्री रामकिशन)

ला रहे हैं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बात इन 6 महिनों में आपको पता होगा कि रेलवे में से 4 लाख लोगों को कम किया जा रहा है, 2 लाख कर्मचारी अब तक बेरोजगार हो गए हैं, लाक आउट शुरू हो गये हैं, तालाबन्दी शुरू हो गई है, मन्दी का दौर शुरु हो गया है। आय कर कम कर दिया गया है लेकिन उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है। इससे बाजार पर जो असर पड़ने वाला है उनसे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। आप अनभिज्ञ नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों की नीतियां समान रूप से, से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी यह दोनों पूंजीपादी के पुजारी हैं। दोनों पुजारियों में बड़ा कौन पुजारी है और कौन छोटा पुजारी है इसका फैसला तो आप करेंगे। क्योंकि आपको छोटा पुजारी हम कहेंगे नहीं और बड़ा पुजारी बनने को आप तैयार नहीं होंगे। इसका फैसला तो करेंगे आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विकास विहीन, दिशा विहीन, गरीब विरोधी

(3.38 म.प.)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

बजट है इसलिए इसके परिणाम जो होंगे वह इतने भयंकर होंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने जो 5 मिनट का समय दिया, मैं मामले बहुत लाया था, भ्रष्टाचार के बीसों मामले लाया था लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल पर जब मैं आपके सामने उन्हें रखूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पुनः चिन्तन करें, रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए हम आपको सहयोग करेंगे और जो पूंजीपति लोग हैं, मालदार लोग हैं, गांवों में जो धनवान लोग हैं जिनको आमदनी हुई है उन पर टैक्स लगाओ और राज्य के विकास के लिए रास्ता खोलो, बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें।

आपके बजट में आपने देखा होगा कि सरकारी सेवाओं में बजट आपका बढ़ गया है और सरकारी सेवाओं में कमी हो गई है। पिछले साल जितने आपके कर्मचारी थे उनमें से कर्मचारियों की संख्या घट गई है और उनका पैसा बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आपने कुछ आफिसर्स को जहां एक आई. जी. की जरूरत थी वहां 15 आई. जी. और जहां एक सैक्रेटरी की जरूरत थी वहां 10 सैक्रेटरी, यह जो आपने बनाये यह आपके राज्य को लाभ देने वाले नहीं है। आपको गद्दी पर बैठाने वाले न तो सैक्रेटरी हैं और न चीफ सैक्रेटरी हैं, न कोई आई. जी. हैं आपको गद्दी पर बैठाने वाला है राज्य का किसान, राज्य का मजदूर, राज्य का गरीब हैं। गद्दी पर बैठेंगे तो यह तो सलाम बाद में भी कर देंगे लेकिन उनके घेरे में आप ऐसे फंसे कि सरकारी सेवाओं पर पाबंदी लगा रखी हैं, क्लर्क भर्ती नहीं होंगे, ग्राम सेवक भर्ती नहीं होंगे, पटवारी भर्ती नहीं होंगे पर एक आफिसर के ऊपर आप लाख रुपये खर्च कर देते हैं। इसलिए आपका बजट अनबैलेंस और अनडेमोक्रेटिक है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना

(श्री रामकिशन)

चाहूंगा कि आप इन पर गम्भीरता से चिन्तन करें और चिन्तन करके कोई ऐसा रास्ता चुनें जिसमें हम आपको सहयोग दे सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : सभापति महोदय, मैं 1992–93 के बजट भाषण पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता था कि इस सदन में विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य उनका बहुत पुराना अनुभव है, उनका बहुत लम्बा कार्यकाल भी है, बहुत लम्बे समय तक इस प्रजातन्त्र में बह रहे हैं। कई बजट उन्होंने पेश किए हैं। मुख्य मन्त्री और विधान सभा अध्यक्ष और मंत्रिमण्डल के कई सहयोगी सदस्य के नाते यहां पर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं सोचता था यह कोई समालोचना या इस प्रकार की बात करेंगे जिससे हमको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिम मुझे कहते हुए दुःख है कि विपक्ष ने इतनी लचर दलीलें दी हैं और इतने लचर उनके भाषण हुए हैं कि पत्रकार गैलेरी में भी रोज इस प्रकार की चर्चाएं हुई कि किसी ने किसी प्रकार का साहस नहीं किया, किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया। समझ में आती है कि कुछ पुराने लोग जिसकी उम्र ज्यादा मेहनत करने की नहीं है लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि नए कई माननीय सदस्य आए हैं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि विपक्ष के लोगों ने यहां बड़े लचर भाषण दिए हैं। हमारे भाषण को चाहे जैसा कहें, इनको अधिकार है लेकिन इन्होंने साथ में यह कहा कि पत्रकार कक्ष में भी इस चीज की आलोचना हो रही थी क्या यह नियम संगत है ? मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने अखबार नहीं पढ़ा माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने विपक्ष के लिए कहा है आपके लिए थोड़े ही कहा है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : किसी भी सदस्य के लिए कही हो, इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : सभापति महोदय, यह प्रेस गैलेरी को या दर्शक दीर्घा को एड्रेस करके नहीं बोल सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एड्रेस मैंने किया नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं आपने किया है। आप नियमों के हिसाब से बोलिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए मैं यह नहीं समझता कि अब वह बुद्धि कहां से लाएं। पढ़ने का इनके पास समय नहीं। यह जो आज बजट भाषण पेश किया गया पिछले तीन बजट इसमें पेश किए गए हैं उसमें किसी ने पढ़ने की तकलीफ नहीं की।

सभापति महोदय, यह बजट इस राज्य

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

का एक दिशा निर्देश करने वाला, विकास की गंगा को आगे ले जाने वाला, गरीब और किसान और मजदूर को राहत देने वाला बजट है। मैं आंकड़ों से साबित करूंगा कि किस प्रकार हमने विकास में, प्रतिशत में किस प्रकार रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए हैं। किस प्रकार पुरानी परम्पराओं को तोड़ा है।

अभी कई माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि पांच करोड़ रुपए की हमने टैक्स में रिलीफ दी है, यह कोई ज्यादा रिलीफ नहीं है और इस प्रकार के आइटम गिनाकर मैं समझता हूं कि उनकी बुद्धि को क्या हो गया है। हमने टैक्स रिलीफ जहां पर दिया है हमने इस बजट में चर्चा की है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जिससे आम लोगों को राहत मिले। हमने भ्रष्टाचार की जड़े जहां पर हैं उस पर प्रहार किया है इस बजट में, हमने पांच करोड़ रुपए जिससे आमदनी होती थी लेकिन लाखों लोगों के ऊपर चाहे वह मजदूर हों, चाहे वह किसान हों, चाहे वह व्यापारी हों, छोटे व्यापारी हों, चाहे वनवासी हों, जो शहद लाता हो, वह हो, चाहे वह लकड़ी का काम करने वाला कारीगर हो, चाहे वह वहां परकाम करने वाला मजदूर हो, उन सब पर जिस प्रकार की जकड़ और राजनीति थी उसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ा उसके कारण भ्रष्टाचार की जड़ों में जो आपने पानी डाला है उस भ्रष्टाचार की जड़ों को हमने उखाड़ने का प्रयास किया है। पांच करोड़ का बजट आपको दिखाई देता है लेकिन 801 आइटम पर, जिस पर किसी न किसी रूप में टैक्स लगता था वह टैक्स हमने माफ किया है, उसको मुक्त किया है और यह कहा है, यह सन्देश दिया है सारे राजस्थान की जनता को जिस गरीब और किसान से, जिन लोगों से हमको टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए यह हमारे अधिकारी और कर्मचारी मिलकर आपके संरक्षण में, हो सकता है भ्रष्टाचार के जरिये आपको पाला-पोसा होगा लेकिन आपके उस पालन-पोषण को हमने बन्द किया, आपका दर्द हो सकता है लेकिन आप यह मानेंगे कि हमने सब प्रकार का लगातार तीन साल तक टैक्सों में छूट देने के बाद भी हमने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया है, नोन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया है, विकास खर्च में बढ़ोतरी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के इकलौते एकमात्र सदस्य हेतराम जी बेनीवाल कल बता रहे थे कि हमने सर्टिफाइड बीज केवल मूंग पर छूट दी है। अब वह पढ़े नहीं या उनकी समझ में नहीं आता है इसका तो कोई इलाज नहीं है। यह काश्तकार नहीं हैं या जिस प्रकार से उनकी आदत पड़ी हुई है मेन्युपलेशन की, मालिकों से मिल कर मजदूरों का शोषण किस प्रकार हो इस प्रकार का आयोजन करने की, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रमाणित बीज जिस पर आज तक टैक्स लगता था वह चाहे मूंग हो, ज्वार हो, उसके काम में आने वाला ग्वार हो, मूंगफली हो, जो भी प्रमाणित बीज है, धान हो, इन सारे प्रमाणित बीज को हमारी सरकार ने छूट देकर यह साहस किया है। ज्यों ही टैक्स कम हुआ, सभापति महोदय, वहां से जो लिमिटेड कम्पनियां हैं, जो भ्रष्टाचार की जड़ों से सींचे जा रहे हैं वह चिल्लाना शुरू करते हैं कि व्यापारियों को

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

फायदा दिया जा रहा है। किस व्यापारी को फायदा दिया है। व्यापारी यदि गड़बड़ करेगा, यदि वह टैक्स की चोरी करेगा तो उसके लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आर्थिक नीति का एक सर्वोपरि सिद्धान्त है कि कम टैक्स लगेगा या जितना सरल टैक्स लगेगा, डाइरेक्ट टैक्स लगेगा वह राज्य के विकास में और इन जटिलताओं को दूर करके एक साधारण नागरिक को राहत पहुंचाने वाला होगा।

मैं नहीं समझता कि 801, वह जो कारीगर हैं, लकड़ी का काम करते हैं उसके औजारों पर छूट दे दी आपको पता नहीं क्यों दर्द होता है, आप क्यों आलोचना का विषय बनाना चाहते हैं। चन्दनमल जी बैद तो कह गए कि उनसे टैक्स वसूल ही नहीं किया जाता था। वह जो तबा है, सिगड़ी है इन पर टैक्स वसूल नहीं किया जाता था, तो इसका मतलब चोरी करते थे। कोई प्रावधान ऐसा बता दो जिसमें टैक्स की छूट थी, टैक्स की छूट नहीं थी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपने तबा, चिमटा कभी टैक्स देकर खरीदा है क्या ? रसीद है क्या आपके पास ?

एक माननीय सदस्य : है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : है तो दिखा देना।

श्री डूंगरराम पंवार : चिमटा तो नाक पकड़ने के लिए है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज सारे जौहरी बाजार और त्रिपोलिया बाजार में....

श्री हीरालाल इन्दौरा : फुटपाथ पर बेचने वाली औरतें चिमटा, तबा सब बेचती हैं। वहां टैक्स कौन देगा ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने जिससे टैक्स वसूल नहीं हो सकता था ऐसे लोगों को आपने टैक्स लगाकर टैक्स भी वसूल नहीं हुआ, राज्य के खजाने को नुकसान भी पहुंचा और उसके बाद टैक्स चोरी करने का अवसर दिया। हमने इसके ऊपर चोट मारी है। मैं नहीं समझता कि आपको क्यों तकलीफ दे रहा है ?

अब मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल किसानों को, बागवानों को, मजदूरों को....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, 100 मिनट का बजट भाषण है इसका विश्लेषण करने में 200 मिनट तो चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको 10 मिनट बोलना है, सात मिनट हो गए तीन मिनट बाकी हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य जो आए हैं मैं यह चाहूंगा कि यदि उन्होंने पढ़ा नहीं है तो कम से कम जो मैंने पढ़ा है उनको लाभ तो दे दूं।

श्री सभापति : आप अपने विषय पर आ जाइए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इनका विषय ही नहीं है। इनका विषय तो व्यवधान है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, केवल किसान नहीं, महिलाएं, छात्र किस प्रकार का टैक्स का स्वरूप खड़ा कर रखा था। यदि निप्पल खरीदते हो, यदि दूध की बोतल खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगेगा, यदि छात्र पैन्सिल, स्लेट, बस्ता खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा अब हमने उसमें छूट दी है। हमने ऐसा कोई भी वर्ग चाहे वह छात्र हो, दूध पीता हुआ बच्चा हो या किसान हो या खेत में काम करने वाला मजदूर हो हमने उन सबको इस कर के दायरे से निकालने की कोशिश की है और मिल जुलकर उनको इस कर के नाम से लूटने की कोशिश की जा रही थी, इसको हटाने का प्रयास किया है। केवल यही नहीं, खिलाड़ियों को, विकलांग जो दया के पात्र हैं उससे ज्यादा दया के पात्र हैं जितना विपक्ष दया का पात्र हैं उनके काम में आने वाले यन्त्रों पर आपने टैक्स लगा रखा था....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : विपक्ष या विपक्ष के नेता ?

श्री महावीर प्रसाद जैन विपक्ष और विपक्ष के नेता को अलग-अलग नहीं किया जा सकता माननीय सदस्य। मैं निवेदन यह करना चाहता हू कि रजाई जो जयपुर का प्रमुख उद्योग है रजाइयां यहां पर बनती हैं, उस पर टैक्स भी नहीं मिलता था लेकिन टैक्स के नाम पर वसूल किया जाता था। चाहे रजाई हो या रजाई कवर हो उनको हमने टैक्स में बिल्कुल कर मुक्त कर दिया और इतना ही नहीं आप किसानों की बात करते हैं। 27 करोड़ रुपये के मुकाबले में, 87 करोड़ रुपये का कृषि कार्यों पर हमने बजट प्रावधान रखा है। आज बिजली का उत्पादन, रोज माननीय सदस्यों ने, 1980-85 तक मैं विधायक था, मुझे याद है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब पावर कटौती और किसानों के बारे में कि उसके खेत सूख रहे हैं उसकी चर्चा नहीं होती थी। आज बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। कहीं से भी लाकर के किसानों के खेतों को पूरा पानी पहुंचेगा, बिजली पूरी मिलेगी, इस प्रकार की व्यवस्था की गयी। बिजली की कटौती को समाप्त कर दिया। आज कुशल प्रशासन से, कुशल व्यवस्था से, कुशल देखभाल से सारी व्यवस्थायें ठीक हो सकती हैं। बिना कर के आय बढ़ाई जा सकती है यह कुशलता हरेक में नहीं है। यह विचार-धाराओं का सवाल है, यह विचारधाराओं की लड़ाई है कि आप भ्रष्टाचार से पनपना चाहते हैं और हम भ्रष्टाचार को दूर करके, जैसा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और बजट भाषण में मुख्य मत्रीजी ने घोषणा की कि....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

हम गरीब को गणेश मानते हैं। हम इस राज्य के मालिक नहीं है ट्रस्टी है। और वास्तव में हमने ट्रस्टी बनने की कोशिश की है। हमने जहां गड़बड़ी होती है उसका निकालने का प्रयास किया है और यही वजह है कि हमने 1400 करोड़ रुपये का, अब हम कहते हैं कि केन्द्र से हमको बहुत ज्यादा अनुदान नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिल जायेगा ऐसा कौनसा वर्ष है जो अनुपात के हिसाब से और जब जनता का शासन आया था उस समय यानी विकास में हम आगे बढ़े हैं। विकास का प्रारम्भ

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

यदि हुआ है तो मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कि पंच-वर्षीय योजनायें इस देश में चली। मैं शुरू से नहीं ले जाना चाहता बहुत समय लगेगा। जहां 64.50 करोड़ रुपये की पांच वर्ष की योजनायें प्रारम्भ हुई थी। मैं केवल उन सालों का जिक्र करना चाहता हूं जब उनके अन्तिम वर्षों में 1964 से 1974 का जो काल था उस पंचवर्षीय योजना में केवल 306 करोड़ का बजट प्रावधान था और 308.79 करोड़ रुपये आपने खर्च किये। उसके बाद 1974-79 का जो पीरियड जनता शासन का आया उसमें 847 करोड़ रुपये उस पंचवर्षीय योजना में खर्च किया और यहीं से हमारी विकास यात्रा प्रारम्भ थी।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा, मैं निवेदन कर रहा हूं कि अभी लेटेस्ट हम लें जो उनके 1989-90 का चुनावी वर्ष था सभापति महोदय, उसमें जिस प्रकार का इन्होंने जो राजस्व प्राप्तियां आदि है, जो यह कह सकते हैं कि इसके लिए चुनावों की दृष्टि से बड़ी तैयारी करके आपने खर्च किया और यह सारा बजट प्रावधान और वह किया है। उसकी तुलना में आज भी इससे करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जहां पर बजट राजस्व प्राप्ति में व्यय किया गया। 1989-90 में 2675 करोड़ रुपया वहां पर आज 4592 करोड़ रुपयों का किया है। सरकार ने....

श्री सभापति : समाप्त करें। डिमाण्ड्स पर बोलने का अवसर मिलेगा। माननीय सदस्य बिराज जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, किसी ने अध्ययन किया है ? केवल मैं अध्ययन करके आया हूं।

श्री सभापति : अध्ययन आपने किया है। आप डिमाण्ड्स पर बोलिये। आपने इतना अध्ययन किया है कि यह समय आपके लिए कम है। आपको फिर से डिमाण्ड्स पर बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जैसी आपकी मर्जी। मेरा अध्ययन मेरे काम आयेगा। मैं चाहता था सबके काम आये।

श्री सभापति : श्री घासीराम यादव।

श्री घासीराम यादव (मण्डावर) : सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैंने कर कम किये हैं किसानों के और लोगों के भी कर बढ़ा नहीं रहे हैं। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, कई बार ला भी चुका हूं कि यह जो स्टाम्प ड्यूटी है, दो बार मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं। अव्वल तो स्टाम्प ड्यूटी का कोई औचित्य नहीं है एक आदमी अपनी जमीन देता है, दूसरा लेता है आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हो, गवाही करते हो उसमें आप 20-20 हजार, 30-30 हजार, 10-10 हजार रुपया आप उससे रजिस्ट्रेशन के लेते हो यह बिल्कुल अनुचित है इसके अलावा अगर मान लो कर रखा है आपने तब भी आपको

(श्री घासीराम यादव)

यह क्या अधिकार है कि जो कानून में आपने बना रखा है कि एक कमेटी है, कलक्टर चेयरमेन है, एम.एल.एज. मेम्बर्स हैं और लोग भी हैं उनकी मीटिंग तो आप बुलाये नहीं और आई.जी. रजिस्ट्रेशन जो अजमेर में बैठता है, अपने आर्डर से उसकी रेट्स को, जो बढ़ा रखी है, उनको सवाई, ड्योडी दुगुनी बढ़ाते चले गये। आखिरकार हाई कोर्ट ने जब स्टे दिया तब वह रुका है बढाना, वरना बढ़ा ही बढ़ा रहे हैं।

आप टार्गेट लगा देते हैं कि इतना लगाओ, इसके पैसे वसूल करो वह बढ़ायेंगे यह बहुत अनुचित है। मैं आपके नोटिस में पहले भी ला चुका हूं और मैं जानता हूं कि जिन जमीनों की कीमत 10 हजार रुपये बीघा है उनसे आप 40 हजार रुपये बीघा ले रहे हो। हिसाब लगा कर उनसे पैसे वसूल करते हो, स्टाम्प ड्यूटी लेते हो, यह तो बहुत अनुचित है। इसको सरकार को देखना चाहिये। और आपने वायदा किया था पहले कि मैं इसको ठीक करूंगा। मुख्य मंत्री जी इसमें ध्यान देंगे मैं यह कहना चाहता हूं और कानून में यह लिख दिया आपने कि या तो जिला स्तरीय कमेटी निर्धारण करेगी स्टाम्प ड्यूटी को या आई. जी. रजिस्ट्रेशन निर्धारण करेगा या उस गांव में सबसे तेज भूमि जो बिकी है इसमें जो सबसे ज्यादा है वह रेट लगेगा। बताइये इसमें कि यह कितना उचित है? एक आदमी एक गांव में मान लीजिए नजदीक की जमीन है, वह 40 हजार रुपये बीघा ले ले तो आप सारे गांव के 40 हजार रुपये बीघा के पैसे लोगे, बहुत गलत बात है बहुत अनुचित है मैं कहता हूं करोड़ों रुपया आपके सामने वसूल कर रहे हैं। यह टैक्स जो आप खुद नहीं लगा रहे हो लेकिन आपका कानून लगा रहा है। बहुत गलत बात है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो है, यह लिखा है कानून में जो आपने धारा बनायी है, धारा तोड़ी है 24 अप्रेल, 1989 को कि या तो वह करेगा या वह करेगा या जो बिकेगी जमीन, और आपकी समिति बैठ ही नहीं रही है। बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। आई. जी. रजिस्ट्रेशन करे या पड़ौस की जमीन बिके उतने ही सारे गांव से वसूल करो, यह बिलकुल गलत है, अनुचित है। सरकार आखिर क्या चाहती है? क्या सरकार हमें यह कहेगी कि गलत कह रहे हैं आप। मैंने पहले भी इस बात को उठाया है। कोई कहता ही नहीं है कि गलत कह रहे हैं, क्या कह रहे हो, या कोई इसका औचित्य है? आखिर विधान सभा की उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। इसके लिए आखिर क्या करना चाहते हैं आप बताते नहीं, जवाब नहीं देते। कहते हैं और करते कुछ नहीं है। इससे जुड़ी हुई एक और बात, हमारे अलवर जिले में अलवर जिला ही क्या राजस्थान में ही सन् 1984 में राज्य सरकार ने हमारे आग्रह पर एक आदेश जारी किया था कि जो किसान अपनी जमीन को बदलते हैं, रजिस्ट्री नहीं कराते, करानी पड़ती है लेकिन बदलते हैं। मैंने एक खेत ले लिया और दूसरे को दे दिया। दरअसल में बेचते नहीं वह तो बदलते हैं। उनको जबरदस्ती मजबूर करते हैं कि तुम यह लिखो की बेचो और इतनी कीमत लगाओ बाजार भाव से। तो जो जमीनों को बदलते हैं तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिये

(श्री घासीराम यादव)

इस बात के राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिये थे और आपके आई.जी. रजिस्ट्रेशन ने उसको ओवर रूल कर दिया कि नहीं मैं इसको नहीं मानता। बताइये आपके राज्य सरकार का आदेश था । दिनांक 18.6.84 में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर लैण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा ऐसा ऐसा आदान प्रदान स्वीकृत कर दिया गया हो, स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा लेकिन आपके आई. जी. रजिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं मानता और कोई भी इस तरह से जो रजिस्ट्री आपस में करते हैं उनकी मन्जूरी नहीं दी जा रही है कोई पेश करता है तो उसको फेंक देते हैं तो यह क्या बात हुई। आप राज्य सरकार से बड़े हैं क्या ? अब उनको यह क्या अधिकार है यह लिखने का और चूंकि वह उनके कंट्रोल में काम करते हैं इसलिए उनकी बात मानेंगे। सभापति महोदय, इस बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह बात वैसे भी उचित है । हरियाणा में, पंजाब में सब जगह किसान जमीनों को बदलते हैं तो उसके ऊपर कोई रजिस्ट्री का टैक्स नहीं लगता। मतलब वहां का वहां तो म्यूटेशन ही हो जाता है । तहसीलदार जाकर पूछ लेता है कि तुमने जमीन बदली मैंने बदली, ठीक है म्यूटेशन हो जाता है रजिस्ट्री होती ही नही है वहां पर । इस बात को राज्य सरकार के कानून में कोई मानते नहीं। यह तो बहुत गलत बात है । मैं इसमें राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक बात मैं छोटी सी और कहना चाहता हूं कि जैसा पंडित रामकिशनजी कह रहे थे कि बेरोजगारी के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या मुख्य मंत्री जी को इस बात का पता है कि पिछले दो साल से एक भी चपरासी नहीं लगा है राजस्थान में। एक भी चपरासी गरीब से गरीब आदमी नहीं लगा और जो बैठे हैं, जगह होती है तो जो पहले बैठे हुए हैं उनको भेज देते हैं, +++ आदमी डोल रहे हैं । उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है। कोई क्लर्क्स नहीं लगा है दो साल में क्योंकि जो आपने पिछली बार एल. डी. सी. की परीक्षा ली थी, हाईकोर्ट ने इसका डिसीजन दे दिया कि....

(4.00 म. प.)

श्री मोतीलाल मीणा : चपरासी लगे हैं। एक चपरासी की कीमत 30,000 रुपये। 30,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेता है। चपरासी लगे बैठे हैं।

श्री सभापति : आप बैठिये। आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप बोलिये। हां बोलिये आप।

श्री घासीराम यादव : आखिर बेरोजगारों के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिये। डेली वेजेज पर भी जो लोग लग रहे थे उन सबको परमानेन्ट करके भेज दिया तो जगह हो कहां से, मैं कहता हूं एक भी चपरासी नहीं लगा है, डिविजनल कमिश्नर के यहां से एन. ओ. सी. लो । इनके

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

(श्री घासीराम यादव)

पास आदमी बैठे हैं, ये भेज देते हैं । एल. डी. सी. जो पहले लगे थे उनमें किसकी गलती से एक डिवीजन में कम लोअर पर्सेन्टज के लोग ले लिए तो हाई कोर्ट ने कहा दूसरे में भी इसी हिसाब से लो तो वे लग रहे हैं । तो परीक्षा लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी । अब वे पूरे लगेंगे तो आखिर बेरोजगारी को बढ़ा ही रहे हो न, यह बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है, आपने बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा ।

एक बात और मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि अभी लेब ब्वायज की जगह निकली अखबारों में, जयपुर में भी निकली, अलवर में भी निकली और भरत-पुर में भी निकली होंगी । अलवर में 16000 हजार फार्म भरे गये । लेब ब्वाय की जगह थी 7 । 7 जगह थी और 16000 फार्म भरे गये । जयपुर में भी शायद इतने ही फार्म भरे गये होंगे अंदाजन तो यह क्या बात हुई । आपने जब एम्प्लायमेंट एक्सचेंज बना रखा है तो क्यों डाइरेक्ट फार्म लेते हो, कितनी उनको तकलीफ होती है । न उनको बुला सकते हो, बुलाओगे तो उनको तकलीफ होगी । आपको 7 लड़के छांटने हैं । जो गरीब आदमी +++ फार्म ले गये, उन्होंने पैसा खर्च किया, उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, उन्हें इन्टरव्यू के लिए बुला नहीं पाये आप, इसका कारण क्या है ? इसका कारण है, यह जो सरकार है वह चाहती है कि हम चाहे जो आदमी लगे । एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम ले तो 60 की बजाय 500 नाम आ जाय । 600 में छांटने पड़े । राजस्थान सरकार ने कहा कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप एम्प्लायमेंट एक्सचेंज क्यों रखते हो । एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से लेने की जरूरत ही नहीं है, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में तो रजिस्ट्रेशन करवा लें, बस रजिस्ट्रेशन कराओ और हमारे यहां एप्लाई करो । मतलब यह है कि हम जो चाहे वह आदमी लगे । राज्य सरकार की यह मंशा है, यह बिल्कुल गलत है और बेरोज़गारी बढ़ाने वाला है और उन लोगों को बहुत दु:ख देने वाला है और गरीब लोगों के लिए बहुत बुरा हो रहा है और कोई रास्ता नहीं है इसका ।

मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं इस पर भी सरकार ध्यान दें....

श्री बाबूलाल खांडा (श्रम एवं नियोजन मंत्री) : मैं माननीय सदस्य को एक जान-कारी देना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि पिछले साल कोई चपरासी नहीं लगा, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जनवरी, 1991 से दिसम्बर 1991 तक 11182 लोगों को रोजगार दिया गया है (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : कौन-कौनसे जिले में और कौन-कौनसे विभाग में दिया गया है, यह बतावें तो हमें भी मालूम पड़े कि गंगानगर में क्या हुआ है ? (व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : कौन-कौनसे जिले और कौन-कौनसे विभाग में दिया

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री घासीराम यादव)

गया है, मेरे यहां तो एक भी चपरासी नहीं लगा है।। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : सभी विभाग और सभी जिलों में दिया गया है....(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप पर्टिकुलर जिले का बता दीजिये कि फलां जिले में फलां-फलां केटेगरीज में दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये । यादव साहब बोलिये।

श्री जुबेर खान : आपने एस. सी. और एस. टी. पर बेन लगा रखा है मंत्रीजी और आप वैसे ही सदन में असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : जो मैं सोचता हूं इन्होंने हो सकता है कुछ किया हो लेकिन मेरे अलवर जिले में तो मैं जानता हूं, एक भी चपरासी नहीं लगा।

श्री सभापति : हां, आप तो बोलिये।

श्री घासीराम यादव : और कहीं भी नहीं लगा, पता नहीं कौनसे फिगर्स दे रहे हैं। मैं इसमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। अभी महावीर प्रसाद जी, जो टौंक से आये हैं, यह कहते थे कि सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार को इस विभाग से खत्म कर दिया, उस विभाग से खत्म कर दिया।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, सारे सदन में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह तो किया है कि एंटी–करप्शन डिपार्टमेंट था उसको राज्य अन्वेषण ब्यूरो कर दिया, उसका नाम बदल दिया। इसके अलावा हो सकता है, एक-दो अफसरों पर कार्यवाही की हो लेकिन गांवों में क्या किया, गांवों के बारे में क्या कोई माननीय सदस्य कह सकता हैं कि गांव के किसानों का, गांव के गरीब आदमी का, हरिजन का, किसी का भी थाने में, तहसील में, बिजली बोर्ड में वहां या जहां रजिस्ट्री करवाई जाती है, वहां उसका बिना भेंट पूजा के काम चल सकता है। सबको पैसा देना पड़ता है। इसलिए आखिर मैं नहीं कहता कि कांग्रेस शासन में यह नहीं था....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

कांग्रेस के शासन में भी था लेकिन यह अब बढ़ गया है। बढ़ गया, इसको रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये। आप कहते हैं, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि इसको बंद करेंगे तो ऐसे कैसे बंद करेंगे ? आप 100 कदम चलना चाहते हो तो आप 5 कदम तो चलो, आप एक कदम भी नहीं चले। सुझाव है अगर भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हो तो उन लोगों की शिकायतें जो पैसे लेते हैं, एक विजिलेंस कमेटी इसकी जांच करें। उस विजिलेंस कमेटी में जन–प्रतिनिधि शामिल हों, उसकी जांच करने के लिए, तो कुछ हो सकता है ...

श्री सभापति : समाप्त करें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अब समाप्त करें।

श्री घासीराम यादव : मेरी आदत तो नहीं है कि घंटी बजने के बाद भी बोला

(श्री घासीराम यादव)

जाय, इसलिए आपकी बात मान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिनांक 4.3.1992 को जो बजट पेश किया, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज से दो साल पूर्व मुख्य मंत्री के रूप में शपथ लेने के वक्त यह कहा था कि मैं गरीब को गणेश समझकर कार्य करूंगा, दूसरा कहा था कि में ट्रस्टी की हैसियत से काम करूंगा और तीसरा कहा था कि जो भ्रष्टाचार 40 सालों में हुआ है, उसको जड़ से खत्म करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काफी प्रयत्न किया है परन्तु पिछले 40 सालों में जो भ्रष्टाचार पनपा है, उसको समाप्त करने में काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा एक सुझाव भी है, वो यह है कि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा तक पहुच गया है कि पैसे देने वाले को विश्वास ही नहीं होता है कि सरकारी कायालयों में जब तक पैसे नहीं देंगे, उसका काम नहीं होगा। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन है; इस सदन के अन्दर बैठकर ऐसा कानून बनाया जाय, कानून बनाकर जो काम के लिए फाइलें आती हैं उनकी समय सीमा निर्धारित कर दी जाय चाहे सरकार का एस. डी. ओ. हो, चाहे कलक्टर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे डिप्टी सेक्रेटरी हो, चाहे मंत्री हो, उसको इतने समय में उस फाइल को निपटाना अत्यन्त आवश्यक है तब ही आगे जाकर भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, बाकी भ्रष्टाचार खत्म होने में काफी समय लगेगा।

माननीय सभापति महोदय, गरीब को गणेश समझकर कार्य करने की बात के बारे में निवेदन करता हूं कि पिछले दो साल में योजना का आकार 76 प्रतिशत बढ़ा है; इससे साबित होता है कि विकास के कामों में प्रगति हुई है। माननीय सभापति महोदय, 1500 करोड़ रुपये की योजना बनी है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रदेश का विकास तभी सम्भव है जब प्रदेश में ऊर्जा पानी बिजली की सप्लाई पूर्ण रूप से हो और 24 घंटे बिजली चाहे कास्तकार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे मशीनरी क्षेत्र हो, जब तक उनको 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होगी तब तक किसी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आज इस प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है। काश्तकारों को 8–10 घंटे बिजली मिलती है तो मेरा निवेदन है कि जो बरसिंगसर और सूरतगढ़ की परियो–जनाएं शुरू की है, यह एक सराहनीय कदम है। इसमें अगर बिजली के रूप में अपन पूर्ण रूप से काश्तकारों को सप्लाई दे देंगे तो इस प्रदेश का विकास होगा।

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो पिछले साल में, जब देश आजाद हुआ, और उस समय मैकाले की शिक्षा पद्धति और हिप्पोक्रेट की चिकित्सा पद्धति आज तक वह ही चालू है, उस ढ़र्रे को चेंज करके ऐसी शिक्षा पद्धति और चिकित्सा पद्धति

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

ली जाय जिसमें आज के जो बेरोजगार छात्र हैं, वे पढ़ते वक्त ऐसा अनुभव करें कि हम किसी काम में उत्तीर्ण हुए हैं और किसी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। आज शिक्षा पद्धति ऐसी हो कि पढ़ने के बाद में जब वह व्यवसाय में जाता है तो उसको कोई नालिज नहीं होता है. 4–6–12–24 महीने इसमें अनुभव लेना पड़ता है तब जाकर के वह उस काम में सक्सेस होता है तो ऐसी शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये।

मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, माननीय सभापति महोदय, जो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें हैं उन पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में 96.33 करोड़ का जो बजट था उसको माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक साल के लिए 151.53 करोड़ रुपया खर्च करके यह साबित कर दिया है कि हम विकास कैसे करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश करते वक्त किसी व्यक्ति या लाइसेंसी द्वारा केपटिव पावर प्लांट लगाने के लिए प्रार्थना पत्र पर 15 दिन में स्वीकृत करने का आश्वासन दिया और जो निर्णय लिया यह बहुत ही सराहनीय कदम हैं। किसानों को आसानी से प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए 10 क्विंटल तक लाइसेंस मुक्ति की जो घोषणा की है यह भी एक सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, 67 पशु औषधालयों को चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की जो घोषणा की है यह भी एक बहुत सराहनीय कदम है।

शिक्षा के क्षेत्र में 2000 प्राथमिक विद्यालय खोलने, 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और 80 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में एवं 25 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है यह भी एक सराहनीय कदम है इससे प्रदेश का विकास होगा। तकनीकी शिक्षा के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण पर 3.70 करोड़ रुपया खर्च करने की घोषणा की है व बजट में प्रावधान किया है, यह भी एक सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, 40 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 15 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व 5 शहरी औषधालय खोलने का इस साल बजट में प्रावधान किया है यह भी एक सराहनीय कदम है।

माननीय मुख्यमंत्रीजी ने प्रदेश में जब से पदभार ग्रहण किया है तब से नई-नई योजनायें चाहे मैसिव कार्यक्रम हो, चाहे "अपना गांव अपना काम" योजना हो, चाहे निर्भर राशि का प्रोग्राम हो, चाहे तीस जिला तीस काम हो, चाहे गोपाल योजना हो इन पर खर्चा करके प्रदेश का विकास किया है और इस साल बजट में मैसिव कार्यक्रम पर 6 करोड़ रुपया, अपना गांव-अपना काम में 10 करोड़ रुपया, निर्भर कार्यक्रम में 15 करोड़ रुपया, तीस जिला-तीस काम में 20 करोड़ रुपया खर्च करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है और 10 लाख रुपए तक के विधायकगण को अधिकार दिए हैं कि वे

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में अपनी स्वेच्छा से खर्च कर सकते हैं तो यह भी एक सराहनीय कदम है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मेरा अंत में निवेदन है कि रायपुर बांध जो मेरे क्षेत्र में है, किसी भी सिंचाई के बांध का निर्माण करते वक्त यह देखा जाता है कि वहां के काश्तकार उससे लाभान्वित होंगे या नहीं। अभी 1982 के अंदर इस रायपुर बांध के ऊपर चार फुट का और निर्माण कर दिया गया जिससे न तो नदी का पानी बाहर आता है जिससे हजारों काश्तकार प्रभावित हुए हैं और वहां के कुओं का जल स्तर सूख गया है और इतना नीचे चला गया है कि वहां कोई भी काश्तकार खेती नहीं कर सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि 1982 में जो स्थिति बांध की थी उस स्थिति को यथावत रखने हेतु सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 132 के. बी. ग्रिड सब स्टेशन मेरे जैतारण क्षेत्र में अत्यावश्यक है। वहां के काश्तकारों को सिर्फ 3–4 घण्टे से ज्यादा बिजली सप्लाई नहीं मिलती है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन 1992-93 में जो स्वीकृत है उसका कार्य शुरू करवाकर किसानों को राहत पहुंचाई जाय।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय सभापति महोदय, अभी किसानों की फसल आ गई है

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

और भाव बहुत डाउन जा रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि यहां एक संकल्प पेश करके केन्द्रीय सरकार को भेजा जावे कि किसानों की जो फसल हुई है उसके भाव यथावत रहें। इतना ही मैं निवेदन करूंगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महीपाल यादव।

श्री महिपाल यादव (बहरोड़) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह गांव, गरीब और किसान विरोधी है और व्यापारियों का पोषक है। इस बजट की आर्थिक समीक्षा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वह कृषि है। लेकिन इस बजट में कहीं भी कृषि को रियायत देने का कोई ध्यान नहीं रखा। किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है और राष्ट्र की अर्थ–व्यवस्था का प्रमुख आधार उसी को मानते हैं लेकिन किसान को कहीं रियायत नहीं दी गई है। अभी मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसान अभी जमीनों को स्वयं कन्सोलिडेट करना चाहता है। वो एक्सचेंज ऑफ लेण्ड जो है स्वयं काश्तकार करके चकबंदी के कार्यक्रम को खुद करना चाहता है लेकिन उस पर शुल्क इतना है कि काश्तकार उसमें रजिस्ट्री करा ही नहीं सकता। पिछली बार, दो बार जब यह बात आई जब भी बजट मुख्य मंत्रीजी ने पेश

(श्री महिपाल यादव)

किया उस समय यह प्रस्ताव और यह सुझाव भी विपक्ष के लोगों की तरफ से आया कि किसानों को अगर सही मायने में रियायत देनी है तो कम से कम जो जमीन किसान अदला-बदली करता है उसके माध्यम से किसानों का 101 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में टैक्स के रूप में चला जाता है तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं और सदस्यों से यह कहते हैं कि आप अच्छे सुझाव दें।

जो सुझाव दिए जाते हैं उसका कोई महत्व इस विधान सभा में नहीं है क्योंकि किसान को एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है लेकिन दूसरी तरफ किसान की कमर तोड़ दी जाती है। तो किसान अपनी जमीनों को स्वयं चकबंदी करके छोटे-छोटे जो होल्डिंग्स हैं उनको इकट्ठा करके और उत्पादन को बढ़ाना चाहता है लेकिन हमारी सरकार नहीं चाहती कि किसान को उसका लाभ मिले। आज मैं मुख्य मंत्री जी के सामने सुझाव अपनी तरह से रखना चाहता हूं कि अगर आप किसान को जिन्दगी देना चाहते हैं और इस राज्य का भला चाहते हैं तो किसान पर यह जो टैक्स लगा दिया है आप उस पर मामूली 200-400 रुपया जो भी रजिस्ट्री की फीस है वह रख दें तो राजस्थान का किसान स्वयं अपनी जमीनों को कंसोलिडेट कर सकता है और किसानों पर जो 125 करोड़ रुपए सालाना का खर्चा है वह बच सकता है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं बीच में हस्तक्षेप करके निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने और आपने भी बताया कि एक्सचेंज ऑफ लैण्ड पर आई.जी. स्टाम्प कुछ ड्यूटी लगा देता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान टिनेंसी एक्ट में एक्सचेंज ऑफ लैण्ड का प्रावधान है और यह बात भी सही है कि किसी कानून में किसी एक्ट में कोई प्रावधान है तो रूल्स उसको प्रीवेल नहीं कर सकता और रूल्स में कोई प्रोविजन है तो उसमें किसी अधिकारी का कोई ऑफिस ऑर्डर उसको प्रीवेल नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस सदन के सामने यह मुद्दा इसलिए रख रहा हूं कि राजस्थान टिनेंसी एक्ट के अन्दर जो प्रावधान एक्सचेंज ऑफ लैण्ड का है वह कण्डीशन फुलफिल करने पर चाहे आई.जी. हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो उस एक्सचेंज ऑफ लैण्ड को किसी आर्डर से प्रीवेल नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई आई.जी. स्टाम्पस इस तरह का अवैधानिक आदेश देता है तो मेहरबानी करके उसको दुरूस्त कीजिए।

श्री महिपाल यादव : माननीय सभापति जी, जहां तक किसान के हित का सवाल है माननीय मुख्य मंत्री जी जनसभाओं में किसान, गांव व गरीब के लिए बहुत सी बातें कहते हैं और माननीय सदस्यों ने कहा 1977-78 में जो बजट था वह बहुत अच्छा था और उसका पैसा गांवों में खर्च किया गया। मैं कहना चाहता हूं उस समय भी केन्द्र में स्व. चरण सिंह जी थे जो गांवों की बात करते थे और पहली बार 50 फीसदी पैसा बजट का, गांवों में खर्च करने की योजना बनी थी लेकिन आज जो स्थिति

(१४४)

(श्री महिपाल यादव)

है माननीय मुख्य मंत्री जी सुझाव तो आमंत्रित करते हैं लेकिन उनको लागू नहीं करते। आज बारिश कम होती है, 10 साल से बारिश कम हो रही है। सिंचाई पर खर्चा होना चाहिए मेरा यह सुझाव है कि छोटे–छोटे जो बांध हैं, मैं मेरे अलवर जिले की बात बताना चाहता हूं। राजगढ़ में मलाना बांध है, उस एरिया को हम पंजाब कहते हैं क्योंकि उस बांध की व्यवस्था, देख-रेख इतनी बढ़िया हैं और उस बांध का रख–रखाव अच्छा होने से उस इलाके के कुओं का जो जलस्तर हैं वह बहुत अच्छा है और आवश्यकता जहां होती है वह नहर का पानी किसानों को मिलता है। जिस तरीके से पंजाब में गेहूं की पैदावार होती है उसी तरह से मलाना क्षेत्र में किसानों को पानी की समस्या आज तक नहीं हुई है। अलवर जिले में विजय मंदिर बांध है हरसोरा बांध है जो दस-पन्द्रह साल से टूटा हुआ है, उसके सिर्फ गेट पड़े हुए हैं, लाखों रुपये का सामान वहां गल गया है, जंग खा गई है उसको इसी तरह बावरिया का बांध है, बहरोज का बांध है, अलवर जिले में ऐसे कई बांध हैं, जीवाणे का बांध है, पन्द्रह–बीस ऐसे बांध है, अगर उनका रख–रखाव अच्छा हो तो अकेला अलवर जिला पूरे राजस्थान को गेहूं खिला सकता है। अगर बांधों का रख-रखाव अच्छा हो और माननीय मुख्य मंत्रीजी, अगर आप इन बांधों की व्यवस्था ठीक करा दें तो जितनी बारिश होती है, जितना पानी हमारी नदियों का बेकार चला जाता है, निश्चित तौर से आपने पूर्वी राजस्थान की जो उपेक्षा की है, हमेशा से पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा रही है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन सारे जिले का जो पानी है वह व्यर्थ जा रहा है। अगर इनके बांधों का रख–रखाव सही हो तो राजस्थान को यह चारों जिले सम्पन्न कर सकते हैं। लेकिन आज आपकी मंशा नहीं है कि इन बांधों को हम जल्दी ठीक करें। सिंचाई व्यवस्था के बजट में आपने ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा कि हम इन बांधों को तुरन्त ठीक करेंगे या इनके रख–रखाव की कोई व्यवस्था करेंगे।

दूसरा सवाल है बिजली का, तुरन्त योजना के अन्दर काश्तकारों ने जो फाइलें जमा कराई हैं, एक साल हो गया, बीस–बीस हजार रुपये जमा है लेकिन आज तक उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है। पिछली बार विधान सभा में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि ऐसे काश्तकारों को, जिनके पैसे जमा है, एक या दो महीने में कनेक्शन दे दिये जायेंगे। मेरे अलवर जिले के अन्दर आज भी सैकड़ों काश्तकार है जिन्होंने पच्चीस–पच्चीस, तीस–तीस हजार रुपये जमा करा रखे हैं एक साल से, आज तक उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है। यह स्थिति किसान की है। आप कह रहे हैं कि हम इतने कनेक्शन दे रहे है लेकिन काश्तकारों की फाइलें 85 से आज तक जमा है, सात साल उसको इंतजार करते हो गये, उसका कोई प्रावधान आपने नहीं रखा, सात साल से जो आदमी इनवेस्ट करके जिसने कुआ बना दिया, ट्यूब वैल खोद दिया, वह सात साल से इंतजार कर रहा है। लेकिन आपकी इस कनेक्शन की घोषणा से तो वह काश्तकार इस साल भी लाभान्वित नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी संख्या कुछ

(श्री महिपाल यादव)

बढ़ाओ। कम से कम 1986 का साल तो इसमें काउन्ट करिये आप कि हम सन् 1986 तक की फाइलों का निपटारा करेंगे और सन् 1986 तक जो काश्तकार अपनी फाइलें जमा करा चुके हैं उनको तो कम से कम आप कनेक्शन देने की व्यवस्था करें। इसके अलावा, काश्तकार जो संयंत्र खरीदता है, विदेशों के अन्दर एक–एक लाख, पचास-पचास हजार रुपये में फोर्ड क्वालिटी का ट्रैक्टर मिलता है, वह हम बाहर से तो मंगा नहीं सकते। लेकिन हमारे यहां का जो काश्तकार है, वह छोटे छोटे संयंत्र जैसे डीजल इंजन ट्यूब वैल के लिए खरीदता है, नाबार्ड की जो टीम होती है वह रेट्स तय करती है। जब हम नकद में बाजार से इंजन लाते हैं वो हमको पांच–छः हजार रुपये में मिल जाता है और लोन पर जब लेते हैं तो नाबार्ड में जितने भी आई.ए.एस. अधिकारी बैठते हैं वह रेट्स तैयार करते हैं तो नौ और दस हजार रुपये से भी ज्यादा काश्तकार को देना पड़ता है। यह उसकी जो मिलीभगत होती है इससे काश्तकारों को साल में करोड़ों का चूना लगता है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि नाबार्ड की जो टीम इसमें रेट निर्धारित करती है, जब हम नकद में लाते हैं तो हमको पांच–छः हजार में इंजन क्यों मिल जाता है और जब लोन पर आपकी व्यवस्था है उसमें नौ और दस हजार रुपये लिये जाते हैं यानि किसानों से डबल रकम ली जा रही है। इससे हम पर करोड़ों रुपये का बोझ पड़ता है। चौथा मेरा सुझाव यह है कि काश्तकार कोई भी ऋण लेता है तो उसको बैंक का एक नोटिस जो जाता है वही कुर्की का आदेश बन जाता है जबकि जो उद्योगपति करोड़ों रुपये लेकर डकार जाते हैं, जो सब्सीडी खाकर फरार हो जाते हैं उनका कोई अता-पता नहीं है, करोड़ों रुपये का घाटा हर साल होता है। लेकिन काश्तकार को बैंक की एक चिट्ठी पर ही कुर्की के आदेश हो जाते हैं, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वह कहीं अपील कर सके। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि काश्तकारों को जो आपने दो नम्बर का आदमी बना रखा है, कम से कम उन उद्योगपतियों के, उन व्यापारियों के समान, जो लोन लेकर सिविल कोर्ट्स में कई सालों तक अपने मुकदमे चलाते हैं, कोई उनकी कुर्की नहीं होती है, रखें। काश्तकारों की बैंक के नोटिस पर कुर्की हो जाती है इसलिए मेरा यह सुझाव है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप इसमें कुछ संशोधन करें।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महिपाल यादव : सभापति जी, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जहां तक किसानों को खाद की समस्या है, माननीय अडवाणी जी ने त्रिवेन्द्रम में यह घोषणा की कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां खाद वही पुरानी रेट पर देगी। रात को सारे व्यापारी पहुंच गये और बोले कि हमने तो मंदिर के नाम पर इतना चंदा दिया है, सारे हमने गोदाम भर रखे हैं, आपने तो मरवा दिया हमको, दूसरे ही दिन अडवाणीजी ने बयान बदल दिये और पूरे राजस्थान में किसानों को ढाई सौ और तीन सौ रुपये में डी. ए. पी. का खाद खरीदना पड़ा है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप कहां आर्थिक आधार, कृषि

(श्री महिपाल यादव)

का जो है, आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा प्रमुख जो बेस हैं वह कृषि है। आपने कृषि को, किसानों को और गांवों को कौनसी राहत दी ?

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महिपाल यादव : आधा मिनट में खत्म करता हूं। दूसरी जो बीज के मामले में आपने बात कही है, आज बाजरे का बीज राजस्थान में आपने तैयार नहीं कराया है। अब फसल जब आयेगी, आपके पास राजस्थान में एक भी क्विटल अगर सर्टिफाइड बीज बाजरे का हो, आपने कहीं तैयार कराया हो, तो बतायें। आपको दूसरे प्रदेशों से भीख मांगनी पड़ेगी। कोई व्यवस्था नहीं है बाजरे के बीज की और दूसरे प्रदेशों से जैसा नकली बीज आयेगा, राजस्थान का किसान लुटेगा और बरबाद होगा इसमें। इसलिए मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें भी कुछ सुधार करें। जहां तक....

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महिपाल यादव : जहां तक चिकित्सा का सवाल है, माननीय मुख्य मंत्री जी, आज तक राजधानी के अन्दर कोबाल्ट मशीन नहीं आई....

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री महिपाल यादव : प्रदेश में जो कैंसर के रोगी हैं उनको या तो बीकानेर जाना पड़ता है और यदि बीकानेर में मशीन खराब है तो उनको जाना पड़ेगा दिल्ली। आज गांवों में न तो सब सेन्टरों पर दवाई है, न कोई चिकित्सा का हिसाब है। जो गांवों में एड पोस्ट थी वह भी आपने समाप्त कर दी, कोई नई एड पोस्ट नहीं खोली। उस एड पोस्ट के बहाने गांव में सब सेन्टर क्रमोन्नत होते थे वह भी आज बंद कर दिये गये हैं। उसके माध्यम से कुछ पैसा चला जाता था।

श्री सभापति : श्री रामेश्वर भारद्वाज। समाप्त करें।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

श्री महिपाल यादव : माननीय सभापति जी, एक मिनट, दूसरा जो....

श्री हेमराज मीणा : नये पचास खोले हैं, सब सेन्टर क्रमोन्नत किये हैं पचास, चालीस और करेंगे, चालीस और।

श्री महिपाल यादव : जहां तक शिक्षा का सवाल है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आज जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं....

श्री सभापति : इन पर अनुदान मांगे आने वाली हैं, माननीय सदस्य, उन पर बोलिये। आपको समय काफी हो गया है, कृपया आप बिराज जायें।

श्री महिपाल यादव : मैं एक मिनट आपकी इजाजत लेकर बोल रहा हूं, सिर्फ एक मिनट। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि गांवों की शिक्षा तो चौपट हो चुकी है। आज हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं वह ईमानदारी से स्वीकार करेंगे कि जितने भी राजकीय

(श्री महिपाल यादव)

उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें दो या तीन अध्यापकों से ज्यादा नहीं है। इसलिए आप इस व्यवस्था को ठीक करायें। माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी बिराजे हुए हैं और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है उस पर चर्चा करना व्यर्थ हैं क्योंकि....

श्री सभापति : अब वह सब बाद में कर देना आप।

श्री महिपाल यादव : प्रदेश की जनता, चपरासी से लेकर कलक्टर तक भी यह जान गया है कि यह सरकार किस पर चल रही है और अब तो····

श्री सभापति : अब समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री महिपाल यादव : दफ्तरों में एक स्लोगन लगा देना चाहिए कि रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसा पीछे काम, बस। इसलिए भ्रष्टाचार की चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि यह सरकार ही इस पर चल रही हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : अब आप बिराज जायं। अब चर्चा ही बंद कर दो आप।

श्री रामेश्वर भारद्वाज।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सन् 1992–93 का जो बजट प्रस्तुत किया है मैं ऐसा मानता हूं कि सब ओर इसकी प्रशंसा हुई है इसलिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। सभी विषयों में जिस प्रकार की छूट उन्होंने दी है वह चाहे स्कूल का क्षेत्र हो, चाहे बालिकाओं के विकास की बात हो, उनकी शिक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं के विकास की बात हो, बालकों के विकास की बात हो, खेलों को प्रोत्साहन देने की बात हो, इसी के साथ-साथ मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी सभी आंकड़ों सहित उनकी प्रशंसा की है। जैसा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनेक प्रकार की घोषणायें कर किसानों को राहत दी है इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। छोटे–छोटे उद्योगों को भी सब प्रकार की राहत इस बजट में मिली है इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। प्रत्येक क्षेत्र के विकास को देखते हुए शहरों के विकास की ओर भी मैं समझता हूं कि इस बजट में काफी प्रावधान रखे हैं। पिछले दो सालों से सभी शहरों की यदि तुलनात्मक विवेचना की जाये तो पहले के वर्षों की तुलना में विकास के काफी काम हुए हैं। मैं जयपुर का निवासी होने के नाते जयपुर के बारे में कह सकता हूं माननीय सदस्य यहां जयपुर में अधिकांश समय रहते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि जयपुर की काया पलटती सी दिखाई दे रही है। चाहे बाजारों का रंग हो, चाहे शहर के चारों ओर को जाने वाले रास्ते हों, उनकी सड़कों का विकास हो और जयपुर को एकमात्र पानी देने के लिए रामगढ़ बांध था और उसी पर जयपुर कभी निर्भर करता था। आज पानी की दृष्टि से जयपुर को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार के

(148)

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

पानी का अभाव होगा तो दूसरे क्षेत्र से पानी देकर उस क्षेत्र में पूर्ति की जा सकती है। इसलिए शहरों के विकास में भी काफी बड़ा योगदान इस बार सरकार ने किया है।

इसी के साथ साथ स्कूलों का जिस प्रकार से सुधार किया है, मैं समझता हूं कि अनेक विद्यालय ऐसे थे जो कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे उन विद्यालयों में भी शिक्षा विभाग ने अनुदान देकर और सहयोग देकर उनके भवन अच्छे बनें और ठीक प्रकार से बालक वहां बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकें इसका भी बहुत सुन्दर प्रयास हुआ है।

(समय 4.32 म.प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

इसी प्रकार खनिज विभाग में भी जो मूल स्रोत हैं इस प्रदेश का उस ओर भी सरकार ने काफी ध्यान दिया है और उससे ठीक प्रकार की आय अर्जित हो इस प्रकार का काम सरकार ने करके दिखाया है। ऐसे अनेक विषयों पर बात की जाये तो मैं समझता हूं कि कोई शायद ही ऐसा विषय उन्होंने अपने इस बजट भाषण में नहीं छोड़ा है जिस की यहां चर्चा की जाये।

हस्त शिल्पियों के सम्बन्ध में भी जिस प्रकार की राहत उन्होंने प्रदान की है और ऐसे छोटे-छोटे कारीगर जिस प्रकार परिवार के काम में आने वाले सामान के बनाने वाले थे उनको भी राहत देकर उनका भी उत्साहवर्धन किया है। छोटे-छोटे सामान बनाने के लिए जो केन्द्र की व्यवस्था होनी चाहिए उस प्रकार का एक अभाव जरूर लगता है। छोटे कारीगरों को उनके बनाने के लिए उनको कच्चा माल उपलब्ध हो इसका भी प्रबन्ध ठीक प्रकार से हो तो वह कारीगर भी अपने स्वयं का विकास कर हमारे देश के विकास की दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के कारीगरों का यहां बजट में समावेश किया है चाहे वह चमड़े का काम करने वाले हों, चाहे लाख की चूड़ियां बनाने वाले हों, या लाख पर और किसी प्रकार का काम करने वाले हों, कशीदे का काम करने वाले हों और किसी प्रकार का काम जो कि हस्तशिल्प से संबंधित काम है उस पर भी सरकार ने कुछ राहत दी है। इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने जवाहरात के क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को राहत प्रदान की है और आपने इसको 200 रुपये की सीमा तक बांधा है, मेरा यह मत है कि यह 200 रुपये की सीमा भी तोड़कर उनको पूरी छूट दी जाये ताकि वह अपना विकास कर सकें और अपनी मेहनत से काम का पूरा अर्जित कर सकें, ऐसा मेरा यह माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक जो यह इमारती काम हम जिसको कहते हैं उसका बहुत स्कोप है। आज मैं समझता हूं कि सरकारी आंकड़े निकालकर देखेंगे तो एक हमारा, हाथकर्घा उद्योग है जिसका बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। मैं भी इसी काम को करने वाला हूं इसलिए जिन लोगों से मेरा सम्पर्क और संबंध होता है मैं समझता हूं कि पिछले कई वर्षों में इसका काफी चलन हुआ है और हमारे यहां से निर्मित वस्तुएं जो हाथ से बनाई जाती हैं, मशीनें

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

तो विदेशों में भी बहुत सारी हैं जिससे लोग अच्छा-अच्छा समान बनाते हैं लेकिन हाथ से बनी हुई चीज का जो रुझान विदेशों में बढ़ा है, मैं यह चाहूंगा कि उस ओर भी ध्यान देकर उस कारीगरी के काम को भी कर से मुक्ति दिलाई जाये तो उन कारीगरों का उत्साहवर्धन होगा और हमारे इस देश में बनने वाली हाथ कर्घा की चीजों का विदेशों में और अधिक निर्यात हो सकेगा जिससे हमें विदेशी पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है, उसकी भी पूर्ति हो सकेगी।

इसी तरह से मकराना से मूर्ति बनाने का पत्थर आता है उसके सम्बन्ध में भी मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि मकराना एक ऐसा स्थान है जो कि इसके लिए पत्थर उपलब्ध कराता है। मकराना में पत्थर की धीरे-धीरे खानें इतनी गहरी हो गई हैं कि सफेद पत्थर का मिलना अब काफी कठिन सा हो गया है और मूर्ति बनाने के लिए वही पत्थर काम में आता है। तो मैं सुझाव दूंगा कि कुछ खानों को इस काम के लिए रिजर्व करने का कोई न कोई प्रावधान इसमें रखें ताकि यह काम भी अपनी गति से चलता रहे।

एक और बात इस संबंध में कहना चाहूंगा कि जो पत्थर कला और कारीगरी के काम के लिए आता है उस पत्थर पर भी टैक्स लगता है जब कि मूर्ति पर सब प्रकार के टैक्स से छुटकारा है। इस कला क्षेत्र की भी मैं आपसे मांग करूंगा कि उसमें बहुत थोड़ा सा पैसा सरकार को मिल पाता है यदि इस ओर राहत दी जाये तो उन कारीगरों को भी बल मिलेगा और अनायास सरकारी दफ्तरों के चक्करों से भी उनको मुक्ति मिलेगी।

इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शहरों के विकास में कच्ची बस्तियों का एक बहुत बड़ा भाग है। कच्ची बस्तियों में कई प्रकार की समस्यायें हैं। कुछ 1971 के सर्वेधारी लोग हैं, कुछ 1981 के सर्वेधारी लोग हैं और कुछ लोग 1981 के बाद जो अब तक बसे हैं उनका सर्वे नहीं हुआ है। कुछ ऐसी भी बस्तियां हैं जयपुर शहर में जो जयपुर शहर बसा उससे पहले की बसी हुई हैं और जिनको हम कभी गांव कहा करते थे। जैसे स्टेशन के सामने बड़ोदिया बस्ती है वह जयपुर से पहले की बस्ती है। यहां सीकर रोड जायेंगे तो बस्ती सीतारामपुरा है जो बहुत पहले की बस्ती है या शास्त्री नगर में भी बस्तियां थीं वह बस्तियां आज भी ऐसी की ऐसी ही हैं जैसे पहले थीं। उन बस्तियों की ओर भी एक बार ध्यान देकर केवल उसके डिमार्केशन का काम वह यदि युद्धस्तर पर हो तो ऐसी बस्तियों का भी समुचित विकास हो सकता है और जो अन्य कालोनीज बसी हुई हैं वह अपने कानून के पचड़े से मुक्त हों तो मैं समझता हूं अपने इस शहर के विकास में भी एक सुन्दर काम हो सकता है। कुछ कामों में निश्चित रूप से कठिनाइयां आती हैं उस ओर मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो सरकारी कामकाज की प्रक्रिया है हम सभी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं सभापति महोदय, मैं उस ओर आपका ध्यान जरूर इंगित करना चाहूंगा उस काम की जटिलताओं में किस प्रकार से कम किया जाये। एक व्यक्ति किसी भी काम के लिए सरकारी

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

दफ्तर में जाता है तो वह सीधे काम करा–कर ले आये, यह शायद बहुत मुश्किल काम लगता है। एक व्यक्ति एक आफिस में जायेगा तो उसको दूसरे आफिस में भेज देते हैं, दूसरे आफिस में जायेगा तो उसको कोई बहाना बनाकर तीसरे आफिस में भेज देते हैं। यदि हम वास्तव में जनता को राहत देना चाहते हैं तो इन कामों में कहीं गम्भीरता से सोचकर कोई सरलीकरण करना पड़ेगा और मैं यदि उसका हकदार हूं तो उसके लिए मुझे सीधा सहयोग मिले। केवल उलझन वहां हो सकती है कि मैं किसी गलत व्यक्ति के नाम पर उसका दुरुपयोग कर रहा हूं, वहां तो निश्चित रूप से कानून उसको उसमें सजा दे परन्तु जो सीधा व्यक्ति है और सीधे उससे सहायता की अपेक्षा करते है जहां उसका अधिकार है, उसके अधिकार की रक्षा हो। यह मैं सर–कार से निश्चित रूप से अपेक्षा करूंगा कि इस प्रकार के आफिसों में अपने काम–काज के लिए कुछ न कुछ ऐसे प्रावधान हों, मैं एक ऐसा भी सुझाव उसमें रखना चाहूंगा कि किसी काम को करने के लिए उसके जो नियम बनायें जायें उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई एक ऐसी कमेटी जो उस काम को समझती हो। यदि कृषि का काम है तो कृषि को समझने वाले व्यक्ति को लिया जाये, यदि कोई लोहे का काम हो तो लोहे के काम को समझने वाले व्यक्ति को इसमें लिया जाये, यदि अन्य किसी प्रकार के काम हैं, कई बार उद्योगों के प्रति तरह तरह के कानून बनाये जाते हैं परन्तु उद्योगपतियों का कोई सहयोग नहीं लिया जाता है। एक उदाहरण सभापति महोदय, मैं देना चाहूंगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : पिछली बार हमने टैण्ट व्यवसाय करने वालों का कुछ समाधान किया था कि उनसे टैक्स न लेकर किसी और रूप में वसूल किया जाय। मैं समझता हूं कि वे सब व्यवसायी बहुत प्रसन्न थे। उनके साथ बैठकर के एक बार निर्णय हुआ, सरकार की आय में कुछ घाटा नहीं हुआ और उन व्यवसायियों को राहत मिली। इस प्रकार के कोई न कोई उदा–हरण हमको प्रस्तुत करने चाहिए, ऐसी सरकार से अपेक्षा करता हुआ, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, भले थोड़ा सा ही दिया हो, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं।

श्री सभापति : श्री गोपीराम जाट।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महो-दय के द्वारा जो 1992–93 का बजट रखा गया है, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस बजट पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। हम राजस्थान की जनता के हितों के उत्तरदायी सभी माननीय सदस्य राजस्थान के विकास के प्रति चिंतित हैं और इस बजट में जो भी व्यवस्था राजस्थान के विकास के लिए रखी गयी है उसके ऊपर हमने सभी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। विपक्ष के सदस्यों ने बजट के कुछ मुद्दों पर अपने विपक्षी विचार रखे हैं और सत्तापक्ष के लोगों ने बजट की अच्छाइयों की चर्चा की है लेकिन मैं, जैसाकि

(श्री गोपीराम जाट)

माननीय गोपालसिंहजी साहब ने बजट के अन्दर जो सुझाव दिये हैं मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, दो साल पूर्व माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब से मुख्य मंत्री पद संभाला है उसके पहले पूरे राजस्थान के किसान कभी सब-स्टेशन का घेराव करते थे, कभी विद्युत कार्यालयों का घेराव करते थे और आये दिन इन दिनों में परेशान होकर हमेशा इस चिन्ता से ग्रसित रहते थे कि बिजली नहीं मिल रही है हमारी फसल का क्या होगा, हमारी मेहनत का क्या होगा? लेकिन पिछले दो साल से, जब से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह पद संभाला है बिजली मिली है चाहे कम समय के लिए मिली हो। 8 और 10 घण्टे तक और फिर बिना किसी भी रुकावट के जो बिजली हमको मिली है उसी का परिणाम है कि गत वर्ष हमारी कृषि का उत्पादन बढ़ा है यह निश्चित रूप से सराहनीय है। वर्तमान में 10–15 दिन से जरूर रुकावटें आ रही है, इस बात के लिए मैं मना नहीं करता लेकिन पिछले 4–5 दिनों से जो बिजली की सप्लाई में सुधार हुआ है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस वक्त जो फसल पकाई है और अगर इन दिनों में भी विद्युत सप्लाई में सुधार नहीं हुआ तो हमारे काश्तकारों को काफी नुकसान हो सकता है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी मुद्दों को बहुत ही गहराई से देखा है। जैसे कृषि में समग्र कृषि विकास योजनायें। दस क्विटल तक बीज रखने वाले काश्तकार को लाइसेंस फ्री, सामूहिक ट्यूबवैल योजना इस तरह की कई जो घोषणायें इस बजट में की है यह कृषि विकास के लिए निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। केन्द्र सरकार ने महंगाई कम करने की जो घोषणा की थी उसमें कुछ सफलता भी हासिल करने का प्रयास किया है और इस मुद्दे पर आयातित खाद्य तेल मंगाकर जो खाद्य तेलों के दामों में गिरावट हुई है उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के किसानों को एक निराशा हुई है। फसल के टाइम पर जो मुंगफली के दाम थे 1200 से 1400 रुपए क्विटल जो बिकती थी आज उसके दाम 700–800 रुपए क्विटल रह गये है। सरसों के दाम 600 पर आकर के रुके हैं। हालांकि महंगाई कम करने का प्रयास हुआ, मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यह किसानों के ऊपर सीधा एक आघात है, सीधा एक आक्रमण है, किसान के उत्पादन पर एक साथ दाम गिरे हैं बाकी अन्य किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी दूसरे उद्योगों में उत्पादन में किसी तरह की गिरावट नहीं आयी, तो मैं केन्द्र सरकार की महंगाई कम करने की नीति है उसका विरोध करता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तिलम संघ के माध्यम से तिलहन का रिजर्व स्टाक के ऊपर ढ़ाई सौ करोड़ रुपए की जो व्यवस्था दी है, मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूं कि जिस तरह से महंगाई कम करने और आयातित तेल से जो तिलहन के दाम गिरेंगे और हमारे किसान उससे प्रभावित होंगे। इस ढ़ाई सौ करोड़ रुपए कि जो तिलहन खरीदने की योजना है इससे हमारे किसानों को राहत मिलेगी।

जीवनधारा और इंदिरा आवास जैसी महत्वपूर्ण योजनायें जो ग्रामीण क्षेत्र में

(श्री गोपीराम जाट)

लागू करने की इस बजट में घोषणा की गयी है, गांव में रहने वाले गरीब लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी और कमजोर काश्तकार, छोटी जोत के किसानों को जीवनधारा के माध्यम से जो कुए बनायेंगे उससे उनको अपने जीवन पालन में सहयोग मिलेगा। इस नीति की मैं सराहना करता हूं लेकिन इसी के साथ-साथ एक निवेदन भी है कि जीवनधारा में जिन काश्तकारों के कुए बनायें जाते हैं, विद्युत कनेक्शन में उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे जो उद्देश्य हमारा जीवनधारा में कुए बनाने का है वह और सार्थक साबित हो सके। इसी के साथ-साथ विधवा महिलाओं के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो अपने बजट में प्रावधान किया है, नौकरी में प्राथमिकता देने का, यह भी एक प्रशंसनीय कदम है। इसी तरह से प्रतियोगी प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर और....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यह एक सुविधा उपलब्ध कराई है यह भी माननीय मुख्य मंत्रीजी की एस.टी., एस.सी. के लोगों के प्रति जो सोच हैं वह इस कदम से उधृत होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आमेर विधान सभा क्षेत्र में पिछली 8 सालों से सेटलमैण्ट का कार्य चल रहा है। आज भी उससे काश्तकारों को मुक्ति नहीं मिली है और सेटलमैण्ट के कर्मचारी आये दिन काश्तकारों को परेशान करते रहते हैं और कभी किस की खातेदारी बदलते हैं और कभी किसी दूसरे की खातेदारी में फर्क डालते हैं और इस तरह से काश्तकार सेटलमैण्ट के दफ्तर को चक्कर लगा-लगाकर काफी परेशानी महसूस कर रहा है। इसी के साथ-साथ सरकारी कार्यों हेतु जो मिलिट्री फायरिंग रेंज के लिए भूमि एक्वायर की गयी है उसके लिए सरकार ने उनका मुआवजा तय किया है उसके लिए भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जयपुर से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर निवारू में करीब 800 बीघा जमीन एक्वायर की गयी है। 1982 में जो जमीन एक्वायर हो गयी थी वहां काश्तकार को आज हजार से लेकर और 1500 रुपए बीघा का मुआवजा दिया जा रहा है जबकि वहां पर वर्तमान में एक लाख रुपए बीघा के जमीनों के दाम हैं, तो मेरा आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार किया जाय।

इसी तरह से आमेर तहसील में एक मुण्डता गांव में मिलिट्री फायरिंग रेंज के लिए जमीन एक्वायर की जा रही है। उसमें भी बारानी जमीन को छोड़ कर उपजाऊ जमीन एक्वायर करने की योजना जो चल रही है, मेरा आग्रह है कि उसमें बारानी जमीन को एक्वायर करनी चाहिए और काश्तकारों की जो उपजाऊ जमीन है, जिसमें अच्छी फसल, दो-दो, तीन-तीन फसलें पैदा होती है उनको इसमें से निकाला जाना जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ आमेर एक महत्वपूर्ण सिटी है और पर्यटन की दृष्टि से उसका काफी बड़ा महत्व है। वर्तमान में सरकार ने आमेर अलेब चौक में वन-वे का

(श्री गोपीराम जाट)

जो काम शुरू करवा रखा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं लेकिन पर्यटक वहां पर जाते हैं और खाली महल देखकर के लौट कर आ जाते हैं। वहां पर और भी ऐसी कई जगह हैं, केन्द्र हैं जिनको विकसित किया जा सकता हैं। जैसे भारमल की छतरियां हमारी प्राचीन कलाकृतियों का प्रदर्शन करती हैं, इसका विकास किया जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ केसर क्यारी में केफेटेरिया भी बनाया जा सकता है। पर्यटक यहां से जाते हैं, आमेर महल देखते हैं और घूमते हैं, उसके साथ- विश्राम करने के लिए कोई जगह नहीं है। यदि केसर क्यारी में केफेटेरिया बना दिया जाय तो वहां पर्यटकों को विश्राम करने का समय भी मिलेगा। इसके साथ-साथ उनको जलपान की सुविधा भी वहां उपलब्ध हो जायगी।

इसी के साथ मैं आमेर विधान सभा क्षेत्र में जो कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनायी गयी सड़कें हैं उसकी तरफ माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से वह सड़कें बनी हैं उनकी किसी तरह की कोई मरम्मत नहीं हुई है। मेरा आग्रह है कि उन सड़कों की मरम्मत जल्दी से जल्दी करा दें। ग्रामीण क्षेत्र के लोग दस–बीस हजार के करीब रोजाना जयपुर सिटी में अपने रोजगार की तलाश के लिये और रोजगार के लिये आते हैं, उन लोगों को जो परेशानी होती है उस परेशानी से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे।

इसी के साथ मेरे को आपने समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री हीरालाल इन्दौरा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापतिजी, बजट प्रस्तावों पर हुई बहस का माननीय मुख्य मंत्रीजी उत्तर देंगे, अतः मेरा प्रस्ताव है कि उनके उत्तर भाषण तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्रीजी के उत्तर तक के लिये समय बढ़ाने की आज्ञा है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

आय व्ययक पर सामान्य वाद–विवाद

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह तीसरा बजट भाषण इस सदन में पेश किया है। मैं समझता हूं, तीनों बजट भाषण इस तरह के हैं कि एक परम्परा सी बन गयी कि बजट को बढ़ा कर, आंकड़े दिखा कर, यह पेश किया जायगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो बजट मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है 1992–93 का, यह नीरस बजट है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बजट भाषण में कोई सार नहीं है। कहने का मतलब यह है कि लेन देन में खाक, और मुहब्बत पाक। कहने का मतलब इस बजट में दे भी दिया और कुछ मिला भी नहीं। यह अस्पष्ट बजट है।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

न इसमें कोई दिशा है, न कोई निर्देश है। चार मार्च को बजट पेश हुआ उसके बाद आज तक न इस बजट की कोई प्रशंसा हुई है और न इस बजट पर कोई डिबेट आज तक हुई है। इसी तरह के तीनों बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किये हैं। यह ह्यूमन टेण्डेन्सी बन गयी है, माननीय सभापति महोदय, बजट बढ़ेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, बजट प्लान बढ़ा कर 1400 करोड़ रुपये का कर दिया। स्वाभाविक है जिस प्रकार से समय बढ़ेगा उसमें उस प्रकार से बजट भी बढ़ेगा और बजट का आकार भी बढ़ेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी को तीन बजट पेश करने का इस सदन में मौका मिला और तीनों बजट में उन्होंने एक रेश्यों के हिसाब से बजट प्लान बढ़ाया और यह आगे भी बढ़ता रहेगा। आज तक यह तो हुआ नहीं कि आगे आने वाले सालों में बजट का प्लान पिछले सालों के बराबर चला जाय। इस प्रकार से इस बजट के आकड़े दे करके वाहवाही लूटना और मेरे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य तालियां बजाकर वाहवाही ले लें लेकिन अपोजिशन के लोग तो यह मानने वाले नहीं, और न इस देश की जनता मानती है, न राजस्थान की जनता मानती है।

बजट पेश करते दफा यह खयाल बिल्कुल नहीं रखा गया है कि राजस्थान की जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और गांव का विकास, कृषि का उत्पादन बढ़ता है तो सबका भला होता है। "एक ही साधे सब सधे" तो माननीय सभापति महोदय, किसानों के प्रति इस बजट को निराशा की दृष्टि से देखना पड़ता है। मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह सहज ग्रामीण न होकर शहरी बजट है, शहरी राहत का बजट है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट जो पेश किये हैं उसमें भी एक मजाक सा किया है। छूट देने का जो सिलसिला उनका चालू है लिस्ट इनकी लम्बी होती है लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्री जी खुद को मालूम नहीं है। 1991 और 1992 में जो उन्होंने रिबेट दी थी लेडीज की टिकिया पर, लेडीज की यह सुई लगाती हैं उस पर, सुइयों पर, उस मिस्त्री की गुरमाला पर, खुरपे पर और ऐसे आइटम हण्ड्रेड आइटम गिना दिये, इसी प्रकार से इस बजट में मुरमुरा, गजक, रेवड़ी, खुरपाणा गुरमी पता नहीं क्या–क्या दे दिया, यह सब चीजें मैं पूछने वाला हूं ट्रेजरी बैंच पर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने क्या कभी टैक्स देकर ब्यावर में तिलपट्टी खायी है ? क्या इन्होंने रेवड़ी टैक्स देकर कभी खायी है, क्या गजक खायी है क्या ? माननीय मुख्य मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 1991 और 1992 के बजट में... (व्यवधान) सौ आइटमों पर इस तरह का मजाक किया है। तो, माननीय सभापति महोदय, इसके आंकड़े तो बतायें कि इससे कितनी बजट की रिलीफ मिलेगी, कितना अमाउण्ट इसमें आपने लैप्स किया है। कहीं नहीं है कुछ भी। छूट दे दी है, वाहवाही लूट ली है लेकिन यह मालूम नहीं है कि यह जो रिबेट 1991 और 1992 में आपने दी थी इन छोटी छोटी चीजों पर और 1992–93 में अब देने जा रहे हैं इसमें अनुमानित बजट

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

की कितनी बचत हुई। यह आंकड़े नहीं हैं, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह का यह बजट पेश किया गया है, मैं मानता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सिंचाई के लिए नोहर और सिद्धमुख का जिक्र किया है उसके लिये बजट भी दिया है उसका मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन, माननीय सभापति, महोदय, उस बात को भी नहीं भूलना चाहिये जो हमारी प्राचीन योजनाएं हैं, आजादी से पहले की योजनाएं हैं, जो अब विकसित हो चुकी हैं, जिन्होंने क्षेत्र को विकसित किया है। अनूपगढ़, उदाहरण के तौर पर राजस्थान की सबसे पुरानी गंग नहर जो टूट चुकी है, जिसके सिस्टम को रि-माडलिंग करने की जरूरत है उस पर तीन करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपया उन्होंने रख दिया। ज्यादा होना चाहिये था। मोतीराम कमेटी की सिफारिश के मुताबिक गंग कैनाल की टेल पर जो किसान पड़ते हैं उनको इंदिरा गांधी नहर से जोड़ कर राहत दिलायी जाय लेकिन इसमें ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है बल्कि रि-माडलिंग के नाम पर पैसा कम किया गया है। इससे जो सिंचित क्षेत्र था वह उजड़ने जा रहा है, अविकसित होने जा रहा है। दस-दस बीघा में पचास से साठ क्विटल नरमा होना चाहिये, माननीय सभापति महोदय, इस साल पता है क्या नरमा हुआ है? दस बीघा में पांच क्विटल। पांच क्विटल के मायने 6 हजार रुपये। 6 हजार रुपये में, माननीय सभापति महोदय, खाद भी नहीं डलती है। तो सिंचाई के नाम पर दूसरी सुविधाएं लें, छोटी योजनाएं लें, फव्वारा योजना लें, हमें कोई एतराज नहीं है।

(4 57 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन मुड़कर पीछे यह भी देखना है आपको कि पुरानी जो योजनाएं हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं, जिन्होंने क्षेत्र का विकास किया है, जिन्होंने उत्पादन बढ़ाया है वह हमारी खत्म नहीं हो जाय, वहां का किसान नहीं मर जाय। इसलिये गंग कैनाल के रि-माडलिंग पर और मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट पर वे ध्यान दे करके उनकी सिफारिशों को लागू करके....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कभी-कभी तो बोलता हूं और बोलता हूं तो आपकी घंटी बजा देते हैं, मुझे अटपटा लगता है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना काम करिये, मैं अपना काम कर रहा हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : तो, एक तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, गंग नहर में जो टेल का क्षेत्र पड़ता है, अनूपगढ़ के क्षेत्र में उन जीवीयों को इंदिरा गांधी नहर से पानी दिया जाय।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का 1200-1300 किलोमीटर का क्षेत्र जो हमारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है वहां लाखों किसान रहते हैं, जहां पर बहुतायत हरिजनों, पिछड़ी जाति के लोगों की है, आज तक कोई राहत की

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

बात इन तीन बजटों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नहीं की है जबकि हमारे सीमावर्ती राज्य पंजाब में सीमा क्षेत्र में रहने वाले किसानों से कृषि पर कोई ऋण नहीं लिया जाता, कोई लगान नहीं लिया जाता। इस तरह की छूट आप देंगे तो यह 1200-1300 किलोमीटर पर रहने वाले, जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले किसान हैं, वह राहत महसूस करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फल विकास की बात कही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। अच्छी बात है क्योंकि राजस्थान में फल बहुत कम होते हैं। इसलिये फल का विकास हो, फल ज्यादा पैदा हों उसके लिये उन्होंने 4700 हैक्टेयर जमीन पर बगीचे लगाने की बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात कहना चाहता हूं, पिछले तो खा गये+++और आगे डली नहीं। यह कौनसी बात है ? गंगानगर में सबसे ज्यादा फल और हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध इनू, माल्टा इतना पैदा हुआ उसकी क्रय शक्ति इतनी कम हो गयी कि आठ आने किलो के भाव में कोई नहीं खरीद रहा। किसानों ने जो बगीचें में पानी लगाया, किसानों ने जो खेतों में खाद दी और किसने किस प्रकार से वहां फल पैदा किया। उसको उसका पैसा मिला नहीं। कौड़ियों के भाव वहां के फल को जो हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध फल, किन्नू, माल्टा और रैड ब्लड उनको कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा और इसके लिए कोई योजना नहीं, कोई प्रोसेसिंग प्लाण्ट नहीं तो इस तरह की योजना देनी चाहिए। जहां फल पैदा होते हैं, उन फलों की सुरक्षा हो, उन बगीचों की सुरक्षा हो। हम आगे तो बात करते हैं लेकिन पीछे वाली बात नहीं संभालते। इसलिए मुख्य मंत्री महोदय गंगानगर में माल्टा, रैड ब्लड, किन्नू होता है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके ज्यूस के लिए कोई सरकारी स्तर पर कोई प्लाण्ट लगाने की बात करिये जैसे कि पंजाब में प्लाण्ट लगाये हुए हैं ज्यूस के, हिमाचल में आपने एपल ज्यूस के प्लाण्ट लगाये हुए हैं। आप बोलते हो 47 सौ हैक्टेयर जमीन में बगीचा लगाकर पानी दे देंगे। पानी है कहां ? एक तरफ आप अंडर ग्राउंड वाटर नीचे जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पानी निकालने की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने की बात है।

मंडावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी के तीन तरीके हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेबल पर डिस्ट्रिक्ट कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। एक बाजार भाव क्या है ? उस पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, बाजार भाव शहर के पास वाली जमीन यदि एक लाख रुपये बीघा बिकी है तो वही रेट शहर से 10 किलोमीटर पर स्टाम्प ड्यूटी लगाते हैं। यह अन्याय है। किसान के साथ सरासर अन्याय है। शहर की जमीन की कीमत वास्तव में ज्यादा होगी, लेकिन अधिकारी उसको एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक लाख रुपये बीघा में तो कल बिकी है। मैं उस कमेटी में बैठा था। मैंने पूछा, एक लाख रुपये बीघा तो शहर के पास वाली

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

जमीन बिकी है, यहां से 10 किलोमीटर वाली के क्या भाव ? वह कहते हैं नहीं साहब जो रेट फिक्स हो गया, वह लेंगे ।

दूसरी बात, हरिजनों को इसमें कोई रियायत नहीं दी । आप जानते हो हरिजनों की जमीन थोक भाव में बिकती है । यदि सवर्ण की जमीन 25 हजार रुपये बीघा की बिकती होगी तो हरिजनों की जमीन 6 हजार रुपये बीघा बिकेगी और स्टाम्प ड्यूटी उसी 25 हजार बीघा पर लगेगी । तो हरिजनों को क्या राहत देंगे आप ? मुख्यमंत्री महोदय हरिजनों को राहत देने के लिए यह प्रोवीजन डालिये कि उनकी जो, हरिजनों की जो जमीनें वहां बिकती हैं, उसी पर स्टाम्प ड्यूटी ली जाये । स्वर्ण की जो जमीन बिकती है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाये ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कार्पोरेशन के बारे में । खनिज और उद्योग के बारे में मुख्यमंत्रीजी ने बात की । ठीक है, राजस्थान में खनिज का विकास होना चाहिए, उद्योग का विकास होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सी खामियां हैं और खामियां क्या हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने खनिज के बारे में कह दिया कि खनिज डवलप करने के लिए जो पार्टी 50 प्रतिशत रुपया देगी, 50 प्रतिशत सरकार देगी और सड़क बन जायेगी । रायल्टी चेयरमैनों ने 25 गुना उसको कर दिया । ठीक है, लेकिन उसकी दूसरी बहुत सी अड़चनें और हैं । एक ही खनिज विभाग के एम.एल. देने के बारे में । चारनोट की जमीन पर खातेदारी की जमीन, जो हमारे जमाने में रोक रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा कि यह सरकार खातेदारी एग्रीकल्चर लैंड को एम.एल. खान विभाग को देकर खेती को नुकसान पहुंचा रही है, खेती के प्रोडक्शन को कम करना चाहती है और इन्होंने इस सरकार ने खातेदारी लैंड पर छूट देकर हजारों एकड़ भूमि, जहां पर खेती थी, वहां उस पर खनिज की एम.एल. दे दी गई है । दूसरा सवाल कि खनिज विभाग में कोई रूल नहीं है । खनिज विभाग में यह डिपार्टमैण्ट के 76 से लेकर के 85 तक के आर्डर हैं, अलग अलग । खनिज विभाग का अलग आर्डर है, वन विभाग का अलग आर्डर है, पंचायत विभाग का अलग आर्डर है । सब आर्डर क्लैश होते हैं । अधिकारी चाहे जिस आर्डर का उपयोग करके एम.एल., लीज दे दें और किसी का भला कर सकते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह दुकानदारी बंद कीजिए । यह जो पैसा लेते हैं, इसको बंद कीजिए और इसका सीधा सा सोल्यूशन है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि तीनों डिपार्टमैण्ट की एक कमेटी फोर्म की जाये जिसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी, माइन्स सेक्रेटरी और फोरेस्ट सेक्रेटरी, तीनों बैठें और यह जो नक्शे हैं, तीनों के वह मिलान करें और एक फाइनल स्टेज पर लाकर उसको खड़ा करें कि यह भूमि वन क्षेत्र में आती है, यह भूमि खनिज क्षेत्र में आती है और यह रेवेन्यू क्षेत्र में आती है । अध्यक्ष महोदय, बहुत से टकराव है । कोई पालिसी खोल देते हैं । पालिसी के नाम पर पालिसी है नहीं । इसलिए पालिसी बनाने के लिए एक निश्चित पालिसी खनिज विभाग के बारे में बनानी

(158)

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

चाहिए। जहां तक उद्योग का सवाल है, हमें एक बड़ी योजना उद्योग की बनानी चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने भिवाडी क्षेत्र में जमीन ली है विकसित करने के लिए। बड़ी खुशी की बात है। भिवाड़ी क्षेत्र दिल्ली से लगा हुआ है, हरियाणा से लगा हुआ है और जो हरमाड़ा ...

श्री अध्यक्ष : अब आपकी पार्टी का टाइम भी समाप्त हो गया है। मैंने पूरा एहतियात कर दिया है। अब जो बोल रहे हैं, एक मिनट भी ज्यादा बोल रहे हैं, आप चाहें तो मैं गिना दूं आपको।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं कभी कभी बोलता हूं। जब जोश में आता हूं, बोलने नहीं देते हैं तो मैं बोलता ही नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : 42 मिनट थे आपके। इसलिए अब आप जल्दी समाप्त करें।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनका तो अंदाजा था इनकी पार्टी का समय अब आया है, आप कह रहे हो समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष : हो गया। मेरा हाउस से सम्बन्ध है। अब आप कहां अक्ल लगा रहे हो

श्री हीरालाल इन्दौरा : इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में मुख्यमंत्रीजी एक बात मान लें कि जगह जगह पर रीको ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं। जहां जाओ इण्डस्ट्रियल एरिया है, रीको एरिया है और सब जगह खाली पड़ी है। करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, दफ्तर बन चुके हैं, लेकिन एक सिंगल फैक्टरी वहां नहीं है। मुख्यमंत्रीजी बड़ी योजना बनाइये, भिवंडी को डवलप कीजिए, कोटा को डवलप कीजिए, लेकिन लालसोट के एक कोने में इण्डस्ट्रियल एरिया खोल देवें, सरदारशहर के एक कोने में इण्डस्ट्रियल एरिया खोल देवें, जहां अनोपयोगी क्षेत्र हो, जहां इण्डस्ट्रीज डवलप नहीं कर सकता हो, उसको रोकिये और उसको कंसीडर कीजिए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रामकरण सिंह जी। अब समाप्त हो गया। आप देखिये पांच मिनट अधिक बोल चुके हैं। देखिये अब जवाब शुरू करना है, अभी और बोलने वाले हैं। मुझे सबको काटना पड़ेगा। मैं रामकरण सिंह जी को इसलिए बुला रहा हूं कि अब यह आखिरी वक्ता हैं। दो वक्ता रहेंगे। यदि पार्टी के लोग बोलना चाहें तो मुझे पता नहीं, बाकी आखिरी वक्ता हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : अब आप एक मिनट में कर दीजिए। मैंने आपको····

श्री हीरालाल इन्दौरा : हां एक मिनट दे दीजिए। मैं बोल दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी एक बात कहना चाहता हूं कि कि जब राजस्थान के यह मुख्य मंत्री बने तो सबने पहले....

श्री डूंगरराम पंवार : आपने 40 साल में कुछ नहीं किया, एक मिनट में क्या होगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : 22 साल में तो हमने बहुत कुछ किया है। तभी तो आप वहां बैठे हैं, नहीं तो आप वहां कहां बैठते और आपकी बात ही नहीं आती। मुख्य मंत्री जब

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

सरकार में बैठे, मुख्य मंत्री बने, तब इन्होंने यह घोषणा की कि आफिशियल एफीसियेंसी को बढ़ावा देंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को, सक्षम अधिकारी को बताया कि आप जाइये, दफ्तरों में देखिए कि कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी समय पर आता है कि नहीं आता है। दो तीन महीने तक यह सिलसिला चला और टांय टांय फिस हो गई। कहां गई फिर आपकी एफीसियेंसी ? तो यह आफिशियल एफीशियेंसी घटी है। कोई अधिकारी आफिस में बैठता नहीं है और इस तरह की आफिशियल एफीशियेंसी यदि नहीं है तो जनता को राहत नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रामकरण सिंह जी। देखिये आपका टाइम 5 मिनट है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में बड़ी अव्यवस्था है। यह गति, यह अवरोधक जो हैं, वैसे ही मुख्य मंत्रीजी को समझ पाना मुश्किल है इन किताबों की वजह से तो और भी नहीं देख पाते हैं, उनको समझने में बड़ी कठिनाई होती है। इसे हटवा दीजिए श्रीमान।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हटाइये मत। यह मेरे ऊपर नजर लगाना चाहते हैं, इसी कारण से हटवा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, आप इसको हटवा दीजिए। पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : क्या हटवा दूं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह किताबें हैं ना। यह बुक्स, यह किताबें हैं ना सामने। यह रैक जो लगी हुई है। पहले भी आपसे निवेदन किया था और आपने आदेश दे दिये थे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है मैं कल मुख्यमंत्री जी की फोटो यहां लगवा दूंगा, ताकि निरन्तर आपको उनके दर्शन होते रहेंगे। श्री रामकरण सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फोटो से काम नहीं चल रहा।

श्री अध्यक्ष : भई वह तो बैठे ही हैं। बाकी ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, यह बात बहुत सीरियसली कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह हमारी बड़ी कठिनाई है।

श्री अध्यक्ष : कल कर देंगे व्यवस्था। हां बोलिये।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्षजी, टाइम केवल पांच मिनट का, तो मैं तो नाम भी नहीं ले सकूंगा। जो कुछ कहना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष जी, जब यह फ्लोर का पजेशन लेंगे उस वक्त तो दिख जायेंगे इनको। यह आंख मिलाना चाहते हैं क्या उनसे। काहे के लिए एग्जास्ट हो रहे हैं, मुझे तो नहीं हो रहा है।

(श्री परसराम मदेरणा)

When he will be in the possession of the floor of the House, naturally he would be with the height.

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप । ठीक है ।

श्री परसराम मदेरणा : अब यह बैठे बैठे इनसे आंख मिलाते रहना चाहते हैं तो····

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं फोटो की कह रहा था ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्षजी, मैं जो चार दिन से बहस हो रही है उन मुद्दों के अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी और जो राजस्थान के वित्त मंत्री भी हैं उनसे अर्ज करना चाहूंगा । आपने जो कुछ बचत की है और करने जा रहे हो उसमें मेरे कुछ सुझाव हैं और वह सुझाव यह हैं कि बिना परमिट से चलने वाले वाहन राजस्थान में इतने अधिक हैं कि उन पर यदि टैक्स लगाया जाय तो एक अरब रुपये सालाना आपके पास आ सकते हैं । (व्यवधान) जो अवैधानिक चल रहे हैं उन वाहनों के लिए मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप मजे लेओगे तो पांच मिनट मजे में ही चले जायेंगे । जो बोलना है जल्दी जल्दी बोल लें नहीं तो रह जायेंगे ।

श्री रामकरण सिंह : उद्योग लगाने की जो व्यवस्था है आज राजस्थान का उद्योगपति कलकत्ता पर छाया हुआ है, बिहार में बैठा है, गुजरात में अरबों की फैक्टरी लगा रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है लेकिन आप उनको यहां आकर्षित करके और लालफीताशाही से बचा कर अगर उनकी फैक्टरी यहां लगाना चाहें तो आपको बहुत पैसा उद्योगों से और उनके ट्रान्जेक्शन से मिल सकता है ।

इसके अलावा खनन कार्य में एक-एक व्यक्ति अरबों, खरबों रुपयों का फायदा उठा रहा है और मीलों का, सैकड़ों मीलों के, दर्जनों मीलों के खान के प्लाट के प्लाट उनको दे रखे हैं, अनाप सनाप चोरी होती है । वास्तव में दोहन का जो उपयोग होना चाहिये वह नहीं हो सकता । इसलिए बहुत बड़े राजस्व का नुकसान होता है । उनके छोटे–छोटे टुकड़े करके माननीय मुख्य मंत्री जी सबको जो मजदूर हैं, देहाती ग्रामीण किसान हैं उनको दीजिये । आपको पैसा मिलेगा और रायल्टी की वे चोरी करना भी नहीं जानते । जितना अधिक आदमी चतुर होता है वही ज्यादा चोरी करता है ।

इसके अलावा बिजली की वसूली । किसानों को आप नोटिस देकर उनका कनेक्शन काट देते हैं लेकिन करोड़ों और लाखों रुपये बड़े-बड़े हाथियों का, उद्योग–पतियों का एक्स रूलर्स का, और मुझे कहना नहीं चाहिये राजनेताओं के ऊपर बकाया है उसको वसूल कीजिये, आपके बजट में काफी फायदा होगा ।

इसके अलावा राज्य सरकार के हर हिस्से में जितने भी खानें हैं उनका दोहन का, सर्वे जो किया जाता है वह अधूरा है उसको पूरा कराकर उनसे अपने राजस्थान

(श्री रामकरण सिंह)

का राजस्व को बढ़ाया जाना चाहिये। यह मेरा सुझाव आपको है कि किस तरह से अपना पैसा बढ़ाया जाय।

इसके अलावा अकाल के बारे में जो खर्च होता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी अरबों और खरबों रुपये खर्च होते हैं हर साल और उन रुपयों का परमानेण्ट फायदा नहीं टेम्परेरी फायदा होता है, थोड़ी देर के लिए। मजदूरी में, राजीव जी आये थे, उन्होंने कहा था कि 85 पैसे जाते हैं अन्य लोगों के हाथों में और 15 पैसे जाते हैं वास्तव में काम करने वाले के हाथ में। वास्तव में उनकी सच्चाई की दाद देता हूं कि ऐसी सच्चाई उन्होंने कही तो सही। इसलिये आप किसान वर्ग से हैं इसलिए आपको इस बारे में सोचना चाहिये और आपको हर चीज का अनुभव है कि किस तरह से विकास के काम में यह लालफीता–शाही दखल देती है और किस तरह से अपने हिसाब से मस्टररोल फर्जी बनाने में, दूसरे ठेकेदारों से कमीशन खाते हैं इसके लिये आपको परमानेण्ट काम करना चाहिये और जो अधिकारी किसी प्रकार से कोई कोताई करें उसको न बख्शा जाना चाहिए जैसे आप भाषण में कहते थे और आज भी कहते हैं लेकिन करनी और कथनी में फर्क आ गया है। यह मैं तो इनकी कमजोरी मानता हूं और राज्य के मुख्य मंत्री होने के नाते यह आपकी कमोजरी आई है। अपोजीशन के नेता थे तब आपमें यह कम–जोरी नहीं थी।

मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े अफसोस +++ के साथ कहना पड़ता है। एक जवाब मेरे स्थगन प्रस्ताव पर भी दिया था मास्टर के रूप में एक-एक और दो दो मिडिल स्कूलों में मास्टर हैं और तीन साल से यही हाल चल रहा है। आप क्या ग्रामीणों का फायदा करेंगे? क्या ग्रामीणों की बात कर रहे हैं। जिन किसानों और देहात के ग्रामीण लोगों ने आपको यहां राज करने के लिए भेजा है उनकी यह सुन-वाई की। बच्चे और बच्चियां अपना टाइम बरबाद करते हैं, उनका पैसा खर्च होता है और वहां पर अध्यापक उनको कोई देखने वाला नहीं है। यह बहुत ही गम्भीर +++ बात है।

सड़क निर्माण के लिए। बहुत अच्छी बात है कि माननीय निर्माण मंत्रीजी ने कुछ स्टेप उठाया है। मगर माननीय निर्माण मंत्रीजी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि नीचे के लोग इतना पक्षपात रूप से पैसे को खर्च करते हैं कि जहां सड़कें बननी चाहिये वहां नहीं बनाते हैं। और जिस जगह उचित रूप से वितरण होना चाहिये वह नहीं करते हैं। मेरे जयपुर जिले में 18 सड़कें मन्जूर हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोटपूतली में एक भी सड़क नहीं दी और पूरी की पूरी एक दो तहसीलों में दे दी गई बाकी तह–सीलें वंचित रह गयीं। तो इससे आपको अपने काम में प्रगति की है, जो दिलचस्पी ली है उसमें बाधा आई है। लोगों का मानस इसलिए बिगड़ा है ....(व्यवधान) यह टिकिट कटना मेरे लिये बहुत अच्छा रहता

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(162)

(श्री रामकरण सिंह)

है क्योंकि मैं दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करवा देता हूं ।

विद्युत सहकारी समिति । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन में मैं बार–बार कह चुका हूं, माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि राजस्थान में तीन दुर्भाग्य की ऐसी तहसीलें हैं जहां विद्युत सहकारी समिति है, लोग कहते हैं कि 1986 तक के कनेक्शन हो गये, लोग कहते है कि किसानों को इतने घंटे बिजली मिलती है तो हमें बड़ा अचरज होता है कि हम कहीं इंगलैण्ड से तो नहीं आ रहे हैं । यह हिन्दुस्तान की बात कह रहे हैं । आप आश्चर्य करेंगे, मंत्रीजी ने जब सुमित्रा जी विद्युत मंत्री थीं तो इन्होंने भी आश्वासन दिया और विश्नोई जी ने भी पिछले बजट सैशन में आश्वासन दिया, माननीय मुख्य मंत्री जी से जब मिले तो उन्होंने भी कहा लेकिन न जाने कौन लोग किस तरह से उनको भंग नहीं होने देते और वहां के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं । उनकी फसलें सूख रही हैं । आपको आश्चर्य होगा कि अगर एक ट्रांसफार्मर जल जाता है तो तीन-तीन महीने तक नहीं लगता है और तीन–तीन महीने तक उनकी फसल का क्या हाल होता है । वे अपने बच्चों के कपड़े, लत्ते, गहने रख कर कनेक्शन लेते हैं और फसल से वंचित रह जाते हैं, । इसलिए, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप आज यह कृपा करेंगे उन तीन तहसीलों पर, कि किसी भी तरह से आप घोषणा करेंगे कि वे भंग कर दी गई हैं ।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो गये आपको । अब आप बिराजें ।

श्री रामकरण सिंह : एक मिनट में । माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहला पशु चिकित्सालय के बारे में है । आज किसान की हम बात करते हैं । आपकी स्कीम इस बजट में यह होनी चाहिये कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर पशु चिकित्सालय हो, वह चाहे हैड पोस्ट हो या सब सेन्टर हो । किसी भी तरह से उनको राहत देने की बात होनी चाहिये । मगर उससे उल्टा होता क्या है कि बड़े बड़े शहर हैं जिसके अन्दर केवल जर्सी गाय हैं, बहुत बड़े आदमी या कुत्तों के इलाज के लिये आप अस्पताल बनाते हैं । आदमियों के अस्पताल बनें वह तो ठीक है । आदमी कहीं भी बस से आ–जा सकता है लेकिन पशु बस से नहीं आ सकता, भेड़, ऊंट बस से नहीं आ सकती । इसलिये आपको देहाती क्षेत्र में बड़े अस्पताल बनाने चाहिये, यह मेरी आपसे बहुत ही करबद्ध प्रार्थना है ।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा जो सब के लिए, माननीय अध्यक्ष जी, फायदे की बात है । सबके लिये भी फायदे का है माननीय सब सदस्यों के लिए भी फायदे का है और अधिकारियों के लिए भी फायदे का है । जो विधान सभा भवन जिसके बारे में हम यह आशा कर रहे थे, डंडा, उसका परकोटा तो माननीय अध्यक्षजी किसी तरह से राज्य सरकार से बनवा रहे हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी इस बजट भाषण में कहीं भी प्रोविजन करेंगे कि यह विधान सभा भवन बहुत जल्दी बन जाय । ताकि अभी जो विधान सभा बनी हुई है,

(श्री रामकरण सिंह)

मैं कह सकता हूं कि यहां की विधान सभा बहुत अच्छी है।

श्री अध्यक्ष : आप अकेले ही बोल रहे हैं यह बात।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, सब कह रहे हैं।

श्री रामकरण सिंह : एक बात मैं कहना चाहूंगा, चारों तरफ शहर के बीच में हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में किसी हिस्से में ऐसी जगह नहीं है जो हर्ट आफ दी सिटी में विधान सभा हो। आने-जाने में दिक्कत होती है और लोगों को हर तरह से परेशानी होती है। अध्यक्षजी, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : इस चर्चा में 52 सदस्यों ने भाग लिया है और 15 घण्टे से ऊपर चर्चा हुई है। औसतन एक सदस्य 19 मिनट 30 सैकण्ड बोला है।

अब माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने बजट के सामान्य वाद विवाद में भाग लेकर कुछ रचनात्मक सुझाव दिये, कुछ आलोचना की। लेकिन मोटे रूप से मैं कह सकता हूं कि सदस्यों ने इस बजट में काफी रुचि दिखायी है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट ने निश्चित रूप से मेरे सामने एक समस्या पैदा कर दी है। जिन कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इस पर आलोचना की उसका स्टीक उत्तर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने दे दिया। मेरी समस्या यही है कि मैं अब किस बात का उत्तर देऊं। कोई उत्तर देने का विषय भी नहीं रहा और यही एक सबसे बड़ी समस्या है ....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उन्होंने कांग्रेसी सदस्यों का जवाब दिया है बाकी सदस्यों के बारे में आप कह दें।

श्री यदुनाथसिंह : टीम तो बाकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां। एक बिखरी हुई टीम भी मेरे सामने बैठी हुई है उस टीम ने भी सुझाव दिये हैं लेकिन उस टीम के नेता मुझसे तो यह कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी में साहस का अभाव है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साहस के अभाव का आरोप मुझ पर लगाने वाले माननीय सदस्य बहुत ही कायर हैं। वह यहां यह भी कह गये कि जो मैं कहता हूं उसको पूरा नहीं करता हूं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं हिप्पोक्रेट नहीं हूं, ढोंगी नहीं हूं।

श्री नत्थीसिंह : वह हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको मैंने नहीं कहा।

श्री नत्थीसिंह : ये आप को कह रहे हैं, आप इनको कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उन को कहलवाना चाहते हैं क्या ? मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और आप में भी कायरता है। यदि वह ऐसे हैं तो आपको कहना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : आप जैसे हो वह उन्होंने कह दिया। बाकी आप दोनों जानें। दूसरे ज्यादा जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मन में है वही वाणी में है और जो वाणी से कहता हूं, मैं यह नहीं मानता कि शत प्रतिशत उसकी पालना होती है लेकिन इतना मैं स्वीकार करता हूं कि उसकी पालना करने की पूरी कोशिश, चेष्टा करता हूं। मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं कि मन से तो मैं पूंजीवादी हूं, वाणी से समाजवादी हूं और कर्म से हिप्पोक्रेट हूं। यह बात सही है, हो सकती है कई बातें कहने के बाद भी जब उसको इम्प्लीमेण्ट करने का प्रश्न आता है तो उसमें प्रशासनिक और वित्तीय कई समस्याएँ आती हैं। समय पर मैं उनको पूरा नहीं कर पाता, यह सम्भव हो सकता है और इसको मैं क्लेम नहीं करता हूं कि जो कुछ कहा वह समय पर पूरा हो गया हो। अधिकांश बातें पूरी हुई हैं लेकिन कुछ बातों की कमी हो सकती है लेकिन इस सीमा तक कोई आलोचना करे तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, अभी पण्डितजी ने कहा, कई बातें कहीं और करप्शन का मामला उठाया। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि चार बातें उन्होंने लगातार तीन सेशन में उठायी हैं। एक बात दो वेजीटेबल कम्पनियों के बारे में उठायी थी तो पिछली विधान सभा में श्रीमान् माणक चन्द जी सुराणा ने, लेकिन पण्डितजी उसी परम्परा पर चलते रहे और उस मसले को उठाते रहे। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि उन दो कम्पनियों पर 25 लाख का कर देय था....

श्री रामकिशन : 32 लाख।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 32 लाख नहीं 25 लाख। जुर्माना जो उन पर इम्पोज किया गया वह 50–साढ़े पचास लाख। और ब्याज हुआ 6 लाख 9 हजार कुल मिलाकर 81 लाख 54 हजार की उन पर देनदारी बनती थी। इस देनदारी के अगेंस्ट में 45 लाख रुपया वसूल हो चुका है मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं आप ज्ञानवान बनते हो, आप एक उदाहरण बता दीजिए राजस्थान में कि इस प्रकार के टैक्स की अदायगी किसी और दूसरे मसले में हुई हो और इसके उपरान्त भी उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। अब आप आज कह दो कि मैं केस रजिस्टर करने वालों को कह दूं कि गिरफ्तार कर लो तो आखिर मामला अनुसंधान में है। अनुसंधान की ज्योंहि पूर्ति होगी और वह दोषी होंगे तो किसी भी रूप में बच नहीं सकते हैं इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। अब चर्चा चली अध्यक्ष महोदय, तालियां मत बजाइये। पण्डितजी चिढ़ते हैं....

डा. चन्द्रभान : पण्डितजी सुनते नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने खुद ने ही मना कर दिया कि पण्डितजी नाराज होते हैं तालियां मत बजाओ। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के विकास की जितनी चिन्ता आपको है उतनी हमको भी है। चाहे विपक्ष में बैठे हों चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हों राजस्थान का विकास होना चाहिए इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है लेकिन विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हुआ है इस प्रकार की बात करने वाले माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि चालीस वर्षों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तक इस राजस्थान में उन्होंने भी शासन किया है....

श्री यदुनाथसिंह : साढ़े पैंतीस साल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बहुत लम्बे समय तक राज किया और उसके बाद राजस्थान यदि पीछे रह गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी दो वर्ष शासन करने वाले मुख्य मंत्री पर थोपी जाय यह कहां तक उचित है इसका आप अनुमान लगा लें। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में तीन वार्षिक योजनाएं बनीं और उसमें 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसके कारण से राजस्थान के विकास के कामों में और गति आये यह चेष्टा की गयी। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। कोई आज यह कहे कि दो वर्षों में राजस्थान चौपट हो गया, विकास की दृष्टि से पीछे चला गया। मैं उन आइटम्स के ऊपर भी चर्चा करना चाहूंगा कि राजस्थान पीछे था और आगे बढ़ रहा है। मैं यह नहीं कहता कि दूसरे राज्यों की तुलना में पहुंच गया और यह इसलिए मैं नहीं कहता कि राजस्थान में एक तरफ आय के साधन सीमित हैं। दूसरी ओर राजस्थान सदा प्राकृतिक आपदा से घिरा हुआ रहता है। वह चाहे कांग्रेस पार्टी का राज था, चाहे हमारा राज था। अकाल के कारण जो राजस्थान को खर्च करना पड़ रहा है उस खर्चों के कारण विकास के कामों में धन की कमी रहती है और यदि वह कमी नहीं रहती तो मैं मानता हूं राजस्थान देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना में आगे बढ़ जाता। अब इस प्रसंग में जब मैं यह बात कहता हूं कि राजस्थान को साधन चाहिये, मैंने जब भारत सरकार के सामने निवेदन किया कि राजस्थान पिछड़ा राज्य है, राजस्थान अपने साधनों से आगे आकर दूसरे राज्यों की तुलना में बराबर पहुंच जाये, यह निकट भविष्ट में अपने साधनों से संभव नहीं है। इसलिये मैंने एक बार यह भी कहा कि केन्द्र शासित राज्यों को जिस प्रकार से अनुदान मिलता है, राजस्थान को भी बैकवर्ड स्टेट मानकर उसी प्रकार के साधन या उसी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाये। आप यह सब जानते हैं कि राजस्थान टैक्स स्ट्रक्चर में एक सेचुरेशन पाइंट पर पहुंच गया है। आज अगर मैं किसी के ऊपर टैक्स लगाता हूं तो आय तो नहीं बढ़ेगी लेकिन जनता का शोषण होगा, उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा और इस दृष्टि से अगर टैक्सेस की बात आती है और कई लोग कहते हैं कि मैं साहस नहीं कर पाया। मैं विश्नोई साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, बिरधाराम जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि जितनी भी सर्विसेज राज्य सरकार उपलब्ध कराती है उसकी कास्ट वसूल की जाये और उस कास्ट से राजस्थान का विकास किया जाये। मैं ऐसा समझता था, पन्डित जी, मैं आपसे भी आशा करता था।

श्री रामकिशन : मैंने भी कहा है...

(5.30 सायं)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने दबकर कही है....

श्री रामकिशन : यह इसका कमाल है कि शायद उम्र की वजह से आप सुन कम

(श्री रामकिशन)

पाते हों। दिक्कत यह हो गई। मैंने यह कहा था कि उन सुझावों को मैं नहीं दोहराऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बड़ी खुशी की बात है कि मेरा भ्रम निकल गया। मतलब आप यह चाहते हैं कि बिजली की टैरिफ बढ़े, आप यह चाहते हैं कि सिंचाई शुल्क लगे....

श्री रामकिशन : सम्पन्न लोगों के।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सम्पन लोगों की परिभाषा क्या होगी ?

श्री रामकिशन : आप मुझ से पूछ लेना, जब आओगे समझ लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं यह समझ गया अध्यक्ष महोदय, कि पन्डित जी ने पूनमचंद जी विश्नोई का नाम लेकर यह बात कही लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह साहस नहीं कर सके। आपकी आड़ लेने की आदत है और आड़ लेकर आप बोलते हैं। मैं इसी दृष्टिकोण से कह रहा था कि केन्द्रीय सरकार से हमको ज्यादा से ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हों। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन्होंने बजट स्पीच पर अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने एक बात पर आपत्ति की कि ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार को बदनाम करना चाहती है या केन्द्र सरकार को इस प्रकार से उलझन में डालना चाहती है, विवाद खड़ा करना चाहती है जिससे केन्द्र कमजोर हो जाये और राज्य सरकारें मजबूत हों। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी और मेरी मान्यता में बहुत भारी अन्तर है। मैं यह मानता हूं कि जितनी राज्य सरकारें मजबूत होंगी उतना ही केन्द्र मजबूत होगा। आपका मानना है कि केन्द्र जितना मजबूत होगा, उतना ही अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों की मजबूती से जो केन्द्र मजबूत होगा वह मजबूती से देश की समस्याओं का समाधान कर सकेगा। पिछले दस वर्षों में एमरजेंसी से लेकर अब तक केन्द्र ने राज्यों के अधिकार अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। सारे अधिकार केन्द्रित करने की कोशिश की है और उसी का परिणाम है कि राज्य सरकारों के पास साधन नहीं रहे, राज्य सरकारों के पास शक्ति नहीं है। शक्ति और साधन जिस राज्य के पास नहीं होंगे वह राज्य ज्यादा विकास कर सके इसकी आशा नहीं करनी चाहिये। राज्य के साधन बहुत सीमित हैं। सीमित साधनों से जितना बड़ा राजस्थान है और राजस्थान की जितनी बड़ी समस्यायें हैं उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकारी होगी कि इसी बात को सामने रखकर कि राज्य सरकार और केन्द्र के संबंध किस प्रकार के होने चाहिये, सन् 1983 में सरकारिया कमीशन नियुक्त किया गया। सरकारिया कमीशन ने सन् 1987 के अन्दर अपना प्रतिवेदन दे दिया। चार वर्ष में प्रतिवेदन मिला और पांच वर्ष निकल गये उनकी अनुसंशाओं पर अभी तक पालन नहीं किया गया। अब केवल विचार शुरू हुआ है और इस विचार की सारी प्रक्रिया में मै एक निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट का ही यह एक एकस्ट्रेक्ट है जिसे अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, मैं आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

Since for reasons explained elsewhere in the Report, there is a general tendency towards greater centralisation of powers. There is a special need in a country like India for a conscious purposive effort to counter it all the time. There is considerable truth in saying that, undue centralisation leads to blood-pressure at the Centre and anaemia at the provinces. The inevitable result is morbidity and inefficiency. Indeed, centralisation does not solve but aggravate the problems of the people."

यह सरकारिया कमीशन ने कहा है। इससे आप अन्दाजा लगा लें कि जितनी शक्तियां केन्द्रित होंगी और जितने साधन केन्द्रित होंगे उतनी ही राज्यों की तो क्या स्थिति बनने वाली है और केन्द्र की क्या स्थिति बनने वाली है? इसी आधार पर मैंने निवेदन किया था।

अब अध्यक्ष महोदय, पिछले दस वर्षों का इतिहास ले लो। पन्डित जी और हम तो जेल में थे। एमरजेंसी के दिनों में हमें जेल मिली या लोगों को स्वतंत्रता पर आघात हुआ लेकिन राज्यों के अधिकार छीनने का भी बहुत बड़ा सुनहरा पीरियड उस समय की सरकार के लिये था। अध्यक्ष महोदय, न्याय विभाग का पूरा केन्द्रीकरण कर लिया गया। वन विभाग का पूरा केन्द्रीकरण कर लिया गया। फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, 1976 उसी समय बना, पापुलेशन कन्ट्रोल में फैमिली प्लानिंग का काम यह भारत सरकार ने अपने हाथ में लें लिया। एज्युकेशन अपने हाथ में ले लीं। वेट्स एण्ड मैजर्स एक्ट अपने हाथ में ले लिया। अरबन सीलिंग का कानून बना लिया और इसी प्रकार से एन्वायर्नमेंट का एक्ट बना। अब मैं पूछना चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग का काम भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया उससे क्या परिणाम निकले? क्या जनसंख्या घट गई? जनसंख्या बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बनाया और बनाने के बाद क्या वनों की कटाई बन्द हो गई? क्या नये वन लगने लग गये? यह संभव नहीं है कि अधिकार तो हो भारत सरकार के हाथ में और उसका इम्पलीमेंटेशन करे राज्य सरकार। राज्य सरकार इम्पलीमेंटेशन करे तो केन्द्रीय सरकार को यह तो भरोसा होगा कि जिस राज्य सरकार से हम इम्पलीमेंटेशन कराना चाहते है उसको अधिकार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अरबन सीलिंग का कानून बना। मैं इतना कह सकता हूं कि आज से दो दिन पहले दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने स्वीकार किया कि इसके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे वह हम अचीव नहीं कर पाये। फारेस्ट में हम अचीव नहीं कर पाये, एज्युकेशन में हम अचीव नहीं कर पाये, फेमिली प्लानिंग में हम अचीव नहीं कर पाये, अरबन सीलिंग में हम वह डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाये, वेट्स एण्ड मैजर्स में वह हम अचीव नहीं कर पाये, तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विचार यह करना पड़ेगा कि आपने अधिकार तो ले लिये, अधिकारों से आपके टारगेट्स पूरे नहीं हुए। जिस लक्ष्य से आपने अधिकार लिये थे वह लक्ष्य आपने पूरे नहीं किये तो क्या ऐसी स्थिति में ये अधिकार आपके पास रहने चाहिये ? आपके पास अधिकार रहते हुए भी जब डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आये तो आज यह चिन्ता का विषय नहीं बनता है, यह राज्य सरकारों के लिए मांग का विषय बनता है कि यह अधिकार हमें वापिस दिये जाएं। आप लेकर असफल हुए हैं और राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल गये तो निश्चित रूप से राज्य सरकारें सफल होंगी और इसलिए मैं वह एक झगड़ा करने की दृष्टि से यह बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज कई विषय ऐसे हैं, कई टैक्स के मामले हैं। उन टैक्से के मामले में हम विचार करें तो भारत सरकार ने हमारे पास छोड़ा क्या है ? मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत सरकार ने हमारे पास छोड़ा है सेल्स टैक्स, उसमें भी कुछ आइटम्स एडीशनल ड्यूटी के रूप में ले गये आज सेल्स टैक्स में जितनी वृद्धि हो रही है उस अनुपात में एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जिन आइटम्स के ऊपर लगती है उनमें वृद्धि नहीं होगी। फिर भी भारत सरकार की इच्छा है कि और आइटम्स इसमें शामिल किये जाये। अब आप अन्दाजा लगा लीजिए कि यदि बिक्री कर की राजस्थान की आय नहीं हो तो हमारे पास मेजर सोर्स आफ रेवेन्यू क्या रहता है ? कोई मेजर सोर्स आफ रेवेन्यू नहीं रहता। इसी आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि कार्पोरेशन टैक्स पहले नहीं लगता था। शायद 1959 से यह लागू हुआ है।

श्री रामकिशन : बिक्री कर का तो आपके दल ने शुरू से ही विरोध किया है, जिसका आप कह रहे हो कि राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। सही भी है, लेकिन आपके दल की नीति क्या थी जब टैक्स लगा था ? आपने जुलूस और हड़ताल की थी, आपको ध्यान होगा, आप खुद उसमें शामिल थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पण्डित जी, आप या तो भूलते हैं। भूलते नहीं हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने समाजवादी पार्टी का अध्ययन कर उसकी जो हालत कर रखी है, वह सब जानते हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : व्यापक हो गयी।

श्री नत्थीसिंह : आपने गांधीवादी समाजवाद अपना लिया था बम्बई में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके 1977 के मैनीफैस्टो में था यह। तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में यही कहा था कि झा कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद इस पर कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कब मना कर रहा हूं ? मैं मना नहीं कर रहा। अगर सेल्स टैक्स खत्म होता है तो कौन पागल होगा कि आज 800 करोड़ की आमदनी खत्म कर दे और उसका अल्टरनेटिव नहीं हो। यह डिपैण्ड करता है कि हम उसका विकल्प क्या तैयार कर रहे हैं। विकल्प तैयार नहीं हो और मैं 800 करोड़ के लात मार देऊं तो कल ही लोग पानी के लिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

त्राहि त्राहि करने लगेंगे । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आय का साधन है सेल्स टैक्स । इसी आधार पर हमको कहा कि कार्पोरेशन टैक्स में हमारा शेयर होना चाहिए । एक व्यक्ति पर इन्कम टैक्स लगे उस इन्कम टैक्स की आय में हमारा शेयर है लेकिन एक कम्पनी पर कार्पोरेट टैक्स लगे, उसमें हमारा शेयर नहीं है । यदि मैं यह मांग करता हूं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मैं समझता हूं कि सारे सदन का इसमें सहयोग है ।

इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस साल मनमोहन सिंह जी ने जो बजट पेश किया है, यह पहला बजट होगा जिस बजट में सरचार्ज नहीं लगा और मैंने उनकी अपने बजट भाषण में प्रशंसा की है । लेकिन पिछले 13 वर्षों का इतिहास उठाकर आप देखें, कि 13 वर्षों में केन्द्र सरकार ने एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज के आधार पर अपने रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाये हैं । एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज से जो भी भारत सरकार की आय होती है वह शेयरेबल नहीं है, उसमें राज्य सरकारों का कुछ नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : Surcharge on Income-Tax ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, इनकम टैक्स । वह शेयरेबल नहीं है । इसलिए हम यदि यह मांग करें कि एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज नहीं होनी चाहिए तो मैं समझता हूं कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इस बार नहीं लगाया तो मैंने उनकी प्रशंसा की है ।

जहां तक स्माल सेविंग्स का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक दूसरा सोर्स है स्माल सेविंग्स । उसका 76 प्रतिशत रुपया हमको मिलता है लोन के रूप में और बाकी रुपया भारत सरकार के पास रहता है । भारत सरकार ने अब एक सेल्स टैक्स में जो एग्ज़ेम्पशन था इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का, वह एग्जेम्पशन उन्होंने विथड्रा कर लिया । वह विथड्रा करने का रिजल्ट यह निकलेगा कि जो हम चार सौ करोड़ का एस्टिमेट करके चलते हैं उसमें लगभग 60 करोड़ की कमी होगी । मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि भारत सरकार इस मामले में इसी प्रकार से रिजिड रही तो कमी 60 करोड़ की नहीं रहेगी, यह कमी बढ़ भी सकती है । मैं आज यदि भारत सरकार से यह मांग करूं कि स्माल सेविंग्स का जो अब तक इनकम टैक्स का एग्जम्पशन था वह एग्जेम्पशन बरकरार रखा जाय, तो भारत सरकार इससे कमजोर नहीं होगी । इस प्रकार के प्रसंग जब मैं उठा रहा हूं तब माननीय सदस्यों को यदि यह चिन्ता हो कि भारत सरकार से लड़ाई मोल ली जा रही है, भारत सरकार से लड़ाई मोल लेने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि सरकारिया कमीशन 1983 में अपाइण्ट हुआ था, आज 10 वर्ष निकल गये । 10 वर्षों में पोलिटिकल हालात बदल गये । यह पहला मौका होगा हिन्दुस्तान में कि केन्द्र सरकार कांग्रेस पार्टी की हो या जिस सरकार की पार्टी केन्द्र में हो उसकी केवल 3-4 राज्यों में सरकार हो और बाकी में विभिन्न दलों की सरकार हो । आज आवश्यकता इस बात की है कि हम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक दूसरा कमीशन अपाइण्ट करें, नये परिपेक्ष्य में सारी स्थिति को देखें। देखकर राज्यों के जो अधिकार हैं वे राज्यों को दें, राज्यों के जो साधन हैं वे राज्यों को मिलें। सरकारिया कमीशन 1983 में जिस पृष्ठभूमि में नियुक्त हुआ था और आज किस प्रकार की पृष्ठभूमि है, मैं ऐसा समझता हूं, जब मनमोहनसिंह जी और भारत सरकार इकोनामिक फैडरलिज्म की बात करते हैं, आज इकोनामिक फैडरलिज्म के साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि पोलिटिकल फैडरलिज्म के बारे में विचार किया जाय। यही मेरा बिन्दु था, सरकार से संघर्ष करना नहीं है।

आप सब लोग जानते हैं, आज बिजली बोर्ड की बातें हो रही थीं। भारत सरकार के एन.टी.पी.सी. की बकाया बिजली बोर्ड के ऊपर थी। यह पहला मौका है कि उस बकाया के सम्बन्ध में जैसे पठान लट्ठ लेकर गांवों में चला जाता था वैसे ही भारत सरकार की एन.टी.पी.सी. यहां आकर बैठ गयी, कि हमारा रुपया जमा नहीं कराओगे तो एन.टी.पी.सी. बिजली नहीं देगी, कल से अंधेरा हो जाएगा। हमने व्यवस्था की। हमें चिन्ता थी कि इनको रुपए नहीं दिये तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि भारत सरकार की ओर से जो सहायता राशि हमें योजना में मिलती थी, उसमें सीधे कटौती कर दी। सीधे कटौती करने का अधिकार नहीं है, सीधे कटौती करने का आर्थिक दृष्टि से शिष्टाचार भी नहीं है लेकिन भारत सरकार ने इस प्रकार करके जो प्लान असिस्टैंस हमें मिलने वाली थी उस प्लान असिस्टैंस की कमी कर दी।

माननीय बैद जी जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि राज्यों में यू.टी.आई. का इन्वैस्टमैण्ट होता है। यू.टी.आई. के उस इन्वैस्टमैण्ट में से भी हमें प्लान रिसोर्सेज के अन्दर एक प्रकार से बहुत अच्छी सहायता मिलती है। भारत सरकार ने यू.टी.आई. का इन्वैस्टमैण्ट भी बन्द कर दिया। अब आप मुझे बताइये कि यू.टी.आई. का इन्वैस्टमैण्ट बन्द हो, भारत सरकार पठान की तरह अपना कर्जा वसूल करने में लग जाय और हमारे आय के साधन सारे के सारे भारत सरकार अपने हाथों में केन्द्रित कर ले तो फिर राजस्थान का विकास किस प्रकार से होगा, इसकी चिन्ता करने का प्रश्न है और इसीलिए मैंने माननीय सदस्यों के सामने रखा था कि आप जो सुझाव देंगे मैं उन सुझावों के आधार पर चलूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कई माननीय सदस्यों ने साहस करके इस प्रकार के सुझाव दिये हैं। मैं उनको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि उन सुझावों और जो माननीय सदस्यों ने आलोचना की है उन दोनों का सामंजस्य बैठाकर क्या कार्यवाही कर सकता हूं, मैं उसका प्रयत्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी चर्चा की गयी और पण्डित जी ने तो यह कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उन्होंने एक कहां कर दी। अडवाणी जी का उन्होंने रैफरेंस दिया। अडवाणी जी विदेश गये थे उस समय भारत सरकार की प्रशंसा की। पण्डित जी, आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में और मेरे में इतना ही अन्तर है। भारतीय संस्कृति का तकाजा है कि हम दुश्मन के सामने जायें तो एक होकर जायें। वह संस्कृति आपकी नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : कौनसे दुश्मन के पास ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह समझते हैं कि विदेश जाकर अडवाणी जी भारत सरकार की निन्दा करें ? और किन मामलों पर निन्दा करें ? अगर निन्दा करने की बात थी तो आज से दो दिन पहले नरसिंह राव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आपके नेताओं को चुनौती दी है कि मैंने आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार के सुझाव दिये हैं या योजना बनायी है, उसका आपके पास कोई विकल्प है क्या ?

श्री रामकिशन : है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिया क्यों नहीं ? मैं आज प्रधान मन्त्री जी को लिखूंगा कि बाकी के नेता विकल्प नहीं दे सकते हमारे यहां एक हीरो है उस हीरो को बुला लो, वह विकल्प देगा।

श्री रामकिशन : दे दिया है, श्रीमान जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में It was a decade of disaster. जितना कर्जा हमने लिया, जिस कर्जे की हम अदायगी करना चाहते हैं, अदायगी हम अपने रिसोर्सेज से कर नहीं पाते। उस अदायगी के लिये हम कर्जा लेना चाहते हैं। कर्जा देने वाला जो होता है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। प्रश्न यह आता है कि हिन्दुस्तान की आर्थिक स्वायत्तता को कोई आदमी गिरवी नहीं रखे।

देश में आर्थिक संकट है तो सोना गिरवी रखा जा सकता है, देश में आर्थिक संकट हो तो हम और कई प्रकार के कड़े उपाय कर सकते हैं लेकिन हमें इस बात की चिन्ता है कि अर्थ के साथ–साथ देश की स्वायत्तता गिरवी नहीं रखी जाय। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि बार-बार यह बात कहना कि हम आर्थिक स्वायत्तता किसी को गिरवी रख रहे हैं, देश का भला नहीं कर रहे हैं। यह देश का भला नहीं है। हिन्दुस्तान में चाहे नरसिंह राव हो, चाहे कोई और हो, चाहे चन्द्र शेखर हो, मैं उनको ऐसा घटिया नहीं मानता कि वे हिन्दुस्तान की आर्थिक स्वायत्तता को अमेरिका के सामने गिरवी रख दें। आप लोगों का यह मानस हो सकता है। आप लोग विकल्प नहीं बताना चाहते हैं, वोट देने के लिए आप चुनौती देना चाहते हैं और 45 आदमी आपके अनुपस्थित हो जाते हैं।

श्री रामकिशन : किनके ? बोलो तो रिकार्ड पर तो बोलो मेहरबानी करके। केवल आपको पानी पीना है और सदन को मिस गाइड करना है तो आप कर सकते हो। आपको अधिकार है। आप मुझे चुनौती दे रहे हो। श्रीमान्‌जी, हमने तो आर्थिक प्रस्ताव रख दिये हैं सामने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंडित जी, आपको चुनौती देने का मेरे में साहस नहीं है।

श्री रामकिशन : अब मान गये ठीक है।

172

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं मान गया आप तो घर में ही चुनौती से घबराकर यहां भागते हो। बाकी कोई चुनौती आप पर असर नहीं करती।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार यह सोवेरेनिटी का क्वेश्चन उठाना इस देश को कमजोर करना है। मैं समझता हूं कि आर्थिक पेकेज से आपको विरोध हो सकता है, मुझे भी बहुत विरोध है। मैं नहीं मानता कि जो आर्थिक पेकेज गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने रखा है, वह कोई रिवोल्यूशनरी है। मैं यह नहीं मानता कि उसके कारण से देश में किसी प्रकार की समस्या खड़ी नहीं होगी। मैं आज भी सदन को कहना चाहता हूं कि मेरी मान्यता है कि जो भी इकोनमिक रिफोर्म्स किये गये हैं, कम से कम दो वर्ष उनका जेस्टेशन पीरियड है कि दो वर्ष इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, इन दो वर्षों में रेसेशन आयेगा, बेकारी बढ़ेगी। इन दो वर्षों के अन्दर देश में और कई प्रकार के और संकट खड़े होंगे। आप यह मत समझिये कि संकट खड़े नहीं होंगे। मैं उसकी प्रसंसा नहीं कर रहा हूं लेकिन आज जो सरकार है, वह किन मजबूरियों में है। उन मजबूरियों को तो सरकार जाने लेकिन उसकी नीयत पर यह सन्देह कर लिया जाय कि स्वायत्तता गिरवी रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह अतिश्योक्ति होगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप इन्हें मरवाना चाहते हो ?

श्री प्रद्युम्न सिह : आप चिन्ता मत करिये। न हम आपकी बात में आने वाले हैं और न इनकी बातों में आने वाले हैं। आप चिन्ता मत कीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह कहता हूं कि "यों बोलकर मरवाना चाहता हूं", आपने यही कहा न ? तो पंडितजी की बात का तो खण्डन हो ही गया कि जो पण्डितजी कह रहे थे कि हम दोनों एक हैं। अब एक किस नीयत से हैं, वह नीयत इन्होंने बता दी, हेतरामजी ने। इसलिये कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं इस आधार पर निवेदन कर रहा हूं कि आज जो केन्द्र सरकार ने बजट पेश किया है, उस बजट में, अध्यक्ष महोदय, ड्रिंकिंग वाटर में कटौती की गई, कृषि के क्षेत्र में कटौती की गई, ग्रामीण विकास में कटौती की गई, सिंचाई में कमी, पावर में कमी। सबमें कमी की गई। यह कमी जो की गई है, उसका राजस्थान पर परिणाम पड़ेगा, राज्यों पर पड़ेगा। इन्हीं साधनों से हमको साधन मिलते थे। जितने बजट का प्रावधान रहता है, उसी प्रावधान में से राजस्थान को हिस्सा मिलता। राजस्थान को जब हिस्सा मिलता, आज यदि उस हिस्से में कमी आती है तो कमी आने के कारण हमें निश्चित रूप से हानि होगी। मैं इसलिये उस बजट की प्रशंसा नहीं करता और न उनकी आर्थिक नीतियों की प्रशंसा करता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी व्यवस्थायें रखी हैं, उन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में हम इतना कुप्रचार कर दें कि दुनिया यह मानकर चले कि उस कुप्रचार के कारण से तो हिन्दुस्तान में स्वतंत्रता नाम की किसी प्रकार की चीज नहीं रही, यह देश के हित में नहीं है। आज भी हमने विरोध किया है। लोक सभा में भी हमने विरोध

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया है। हमने पूरी ताकत के साथ वोट दिये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : कम्युनिस्टों के साथ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपके खिलाफ दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी हो, उसमें दिक्कत नहीं है। आपके खिलाफ हम दोनों ने मिलकर वोट दिये हैं। कम्युनिस्टों ने पूरी स्ट्रैंथ में दिये हैं। और इनका जो नेशनल फ्रंट बना हुआ है, भगवान जाने उनमें कहां पंक्चर हुआ कि जो कोई मिला ही नहीं। अब यह पंडितजी जानते हैं कि किसने, किस तरह से पंक्चर किया है।

श्री रामकिशन : आप दिल्ली में थे। आपने तय कर लिया था कि सरकार को गिराना भी नहीं और क्रान्तिकारी चेहरा भी दिखाना है। आप दिल्ली में दो दिन यही कर रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है लेकिन आप मुझे अगर इतना ताकतवर समझते हो कि आपके ब्लेडर में मैं पंक्चर कर सकता हूं तो मैं समझता हूं......

श्री रामकिशन : आपने हजारों घर बिगाड़े हैं, यह तो मैं जानता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी दृष्टि से निवेदन कर रहा था कि आज हम सब मिलकर इस बात की व्यवस्था करें, इस बात की चिन्ता करें कि हमें किस प्रकार से वे साधन उपलब्ध हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया कि कई मदों के अन्दर कटौती हो गई, कई मदों में कटौती नहीं हुई और एक माननीय सदस्य तो यह कह गये कि जो करों में रियायत दी गई है, उन पर कर ही नहीं लगता। अब कर नहीं लगता था तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकारों ने भी इस प्रकार के निर्णय लिये हैं जो मैं आपको सुना दूं। चकला और बेलन को 25-8-80 को कर मुक्त किया गया। अब चकला और बेलन लिस्ट में हैं या नहीं, आप जानें।

श्री चन्दनमल बैद : आप बताइये, वित्त मंत्री आप हैं। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं। लिस्ट में नहीं हैं, आप भी जानते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं हैं ना, यही बात कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं सारा उत्तर दे देता हूं, उसके बाद में आप बोल लेना। अध्यक्ष महोदय, चकला और बेलन को 20-5-80 को कर मुक्त किया गया। चूड़ी को 2-7-85 को कर मुक्त किया गया और तुर्रा और किलंगी को 8-3-81 को कर मुक्त किया गया। अब मेरी समझ में नहीं आता, बैदजी, कि मैंने ऊखल और मूसल को अगर कर मुक्त कर दिया तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है ? मेरी समझ में नहीं आता कि मूसल वर्जनी हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने जिन चीजों पर टैक्स हटाया, उन पर टैक्स लगाया किसने ? जितने भी आइटम्स पर टैक्स लगे हैं, वह लगाये तो पूर्व सरकार

(174)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने। अब वह टैक्स जो लगाये गये हैं, उन टैक्सेज को मैंने खत्म किया। मैंने टैक्स एक नहीं कई चीजों पर खत्म किये हैं और मैं अधिकृत रूप से तो नहीं कह सकता लेकिन कुछ लोगों ने कल ही मुझे एक लिस्ट बनाकर दी है कि सारे टैक्सेशन की रियायत देने से लगभग 700-800 आइटम्स ऐसे हैं जो टैक्स मुक्त हो गये और जिसके कारण से दस्तकार, जिसके कारण से छोटे व्यापारी, मजदूर और किसान इस कर मुक्ति के कारण से आज यह महसूस कर रहे हैं कि इन चीजों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये था, कई वर्षों बाद इस सरकार ने टैक्स मुक्त कर दिया, बहुत अच्छा किया।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी प्रश्न उठाया गया कि राजस्थान में कई मामले ऐसे हैं जिन पर राजस्थान सरकार अभी तक कुछ कर नहीं पाई। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य बहुत जोर-शोर से बोले हैं। बोलकर कहने लगे कि 1981 के एग्रीमेंट पर मैं हैडवर्क्स पर अभी तक कण्ट्रोल नहीं करा सका, 1984 के एग्रीमेंट के मामले को मैं सुप्रीम कोर्ट में रैफर नहीं करा सका, यमुना वाटर में राजस्थान का हिस्सा नहीं ले पाया, नर्मदा के पानी का हिस्सा नहीं ले पाया और न मालूम कितनी बातें उन्होंने कहीं। मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि इन अन्तर्राज्यीय विवादों में जहां खून-खच्चर भी हुआ है, अभी कावेरी के मामले को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में जिस प्रकार का युद्ध चला, हत्याएं हुई, आगजनी हुई, उसके उपरान्त भी कावेरी का मामला अभी तक लटका हुआ है। आज आप यह चाहते हैं। 1981 में जो हालत खराब कर दी, 10 वर्षों तक हम सहन करते रहे। 1984 में समझौता कर बिजली दूसरों को दे दी। यमुना के मामले में 20 वर्षों से मामला चलता चला आ रहा है नर्मदा के मामले में पिछली सरकार ने ऐसी भूल की, जिस भूल का हम आज भी परिणाम भोग रहे हैं। अब भूल तो करे कोई और भूल करने के बाद में 10-10 वर्ष निकल जाएं....

श्री चन्दनमल बैद : 10 साल हमने भी आपकी गलतियों को भुगता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे ?

श्री चन्दनमल बैद : फाइनेंस कमीशन को जो रिपोर्ट दी उसकी गलतियों को हमने भी 10 साल भुगता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फाइनेंस कमीशन के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि गलती किसने की है और किसने नहीं की। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भारत सरकार के ऊपर मैं अपनी ओर से दबाव डाल सकता था, जितना भारत सरकार को कनविन्स कर सकता था, कनविन्स करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अन्त में मैंने यह फैसला भी किया कि अगर भारत सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर नहीं करती है, 1981 के एग्रीमेंट के अनुसार, चाहे पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार यदि हैड वर्क्स बी. बी. एम. बी. को ट्रांसफर नहीं करती है तो राजस्थान सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में जाया जाय। हमने पूरी तैयारी कर रखी है लेकिन मेरे सामने एक समस्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है और उस समस्या पर यदि आज गम्भीरता से चिन्तन करें कि पंजाब में पहले राज्यपाल थे, चुनी हुई सरकार नहीं थी। अब चुनी हुई सरकार आ गई है और 15-20 दिन पहले सरकार आई है उस सरकार से एक बार बात-चीत करूंगा। उस सरकार से बात-चीत कर उस समस्या का समाधान इस सरकार, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में बैठकर हम किस प्रकार से करा सकते हैं उसकी कोशिश करूंगा। बाकी सब तरह से ड्राफ्ट तैयार है, एडवोकेट तैयार हैं और यदि इसका समाधान नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाने में मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मामले तो 1981 के हैं और हमारे नर्मदा का मामला उससे भी पहले का है, यमुना का मामला 20 वर्षों से विचाराधीन चल रहा है। यमुना के मामले में भारत सरकार को मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर भारत सरकार निर्णय लेना चाहे तो 1.38 एम.सी.एफ टी. पानी राजस्थान को पीने के लिए दे और पीने के पानी के लिए अगर हरियाणा की डिमाण्ड है तो पीने का पानी उनको भी दे, पीने के पानी के लिए यू.पी. की डिमाण्ड है तो यू. पी. को भी दे दें। पीने के पानी के लिए बंटवारा एडहाक बेसिस पर कर लिया जाय और बाकी सारे मामले को इन्टर स्टेट रिवरट्रिब्यूनल में भेज दिया जाय। जब मुझे कहा गया कि हथनी कुण्ड और दूसरा जिसका नाम आप जानते हैं वह दोनों कुण्ड बनाने की अनुमति दी जाय। मैंने कहा कि जब तक पानी का फैसला नहीं होगा और पीने के पानी का फैसला नहीं होगा तब तक इन दोनों कुण्डों के निर्माण के बारे में राजस्थान सरकार अपनी ओर से कमिट नहीं करेगी। नर्मदा के मामले का विवाद था। पिछले 20 वर्षों से पेंडिंग पडा हुआ था, शायद 1956 या 1966 में समझौता हुआ था। उस समझौते में हमने एक भूल कर दी और उस भूल का फायदा गुजरात ने उठाया। गुजरात ने उठाया, उसका नतीजा यह है कि नर्मदा में हमारे पानी का तो हिस्सा हो गया लेकिन नर्मदा का पानी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में कैसे लाया जाय, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और यह व्यवस्था इसलिए नहीं है। कि गुजरात गवर्नमेंट यदि चाहे कि इनको पानी नहीं देना है तो मैं समझता हूं कि कोई आकाश गंगा से हम पानी ले आयें तो मैं कह नहीं सकता बाकी कोई पानी लाने का रास्ता बैठता नहीं है। इसलिए मैंने गुजरात के मुख्य मंत्री जी से लगातार इस सम्बन्ध में चर्चा की, चर्चा करने के बाद उनको यहां आमंत्रित किया और आमंत्रित कर यह तय किया कि नर्मदा कैनाल जिस प्रकार बनानी है उस प्रकार की कैनाल दोनों जांइट मिल कर बनायें और जितना इस सारे पर खर्चा आता है उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर हम भारत सरकार के माध्यम से वर्ल्ड बैंक को या किसी दूसरी फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन को दें ताकि हमें साधन मिल जायं। अब मेरी तरफ से आप क्या कमी समझते हैं? अब आप यह चाहें कि थीन डेम में बिजली पैदा होने वाली है। मैं वहां जाऊं और तीन कमाण्डोज को साथ लेकर बिजली पकड़ लाऊं, यह सम्भव नहीं है। और यदि कमाण्डोज बिजली ला सकते हैं तो श्री यदु-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नाथ सिंह जी, मैं आपको 51 कमाण्डोज दूंगा, आप जाइए और थीन डेम में बिजली पैदा हो रही है उसको ले आइए। यह आसान बात नहीं है। अगर हम शुरू में गल्ती नहीं करते, हम 1981 में समझौता नहीं करते, हम 1984 में समझौता नहीं करते, हम 1966 में समझौता नहीं करते और हम यमुना के बारे में शुरू में ही इन्टर स्टेट रिवर' ट्रिब्यूनल के सामने चले जाते तो राजस्थान की समस्या का समाधान भी होता और पानी भी मिलता, बिजली भी मिलती और उस बिजली के कारण से उद्योग, कारखाने भी चलते और किसानों को बिजली की भी सप्लाई होती।

मुझे यह कहते हुए खुशी है, अध्यक्ष महोदय, यहां पर पहली बार विधान सभा का ऐसा अधिवेशन है जिसमें बिजली की ज्यादा आलोचना नहीं हुई। कई माननीय सदस्यों ने कमियां बताई हैं. उन कमियों को दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। कमियां होंगी लेकिन आम तौर पर ऐसा लगता था कि बिजली के मामले में ज्यादा चिन्ता नहीं है। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि पीक आवर्स में यदि 8 घण्टे की जगह 10 घण्टे बिजली मिल जाय तो काश्तकारों का बहुत भला भी हो सकता है और देश का उत्पादन भी बढ़ सकता है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पास जितने भी साधन हैं उन साधनों के आधार पर यदि 10 घण्टे बिजली दी जा सकती है तो मैं देने की चेष्टा करूंगा लेकिन आपको एक स्थिति और बता देता हूं कि माननीय श्री चन्दनमल जी बैद जानते हैं कि आर.ए.पी.पी. की फर्स्ट यूनिट को तो हम पहले ही राइट आफ कर चुके हैं लेकिन अभी हालत ऐसी हो रही है कि कहीं सेकण्ड यूनिट को भी हमें राइट आफ करना पड़ेगा। अब आर.ए.पी.पी. मेरे हाथ में नहीं है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार के हाथ में है। भारत सरकार के नियंत्रण में रहते हुए एक यूनिट बिल्कुल डेड हो जाय और दूसरी डेड होने की तैयारी में चले, तो बिजली का संकट आयेगा। इस संकट का समाधान केवल एक ही बात से हो सकता था कि भारत सरकार की जितनी भी विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें राजस्थान को ज्यादा हिस्सा मिले।

अध्यक्ष महोदय, 1984 का हमने समझौता किया, उस समझौते के अन्दर प्रावधान है कि जब तक इन चीजों का फैसला नहीं होगा तब तक राजस्थान को केन्द्रीय परियोजनाओं से बिजली मिलती रहेगी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा यह सुनकर कि एक तरफ 1981 में समझौता किया, दूसरा 1984 में या 1985 में, 1985 में पूर्व मुख्य मंत्री, श्री शिवचरण जी माथुर ने यह स्वीकार कर लिया कि जिस राज्य में जितनी पर कैपिटा कंजम्पशन और जितना परकैपिटा प्लान इन्वेस्टमेंट है वह बिजली के बंटवारे का आधार बनेगा। हमारा परकैपिटा प्लान इन्वेस्टमेंट कम, हमारा परकैपिटा पावर का कंजम्पशन कम और इस कारण से उनमें जितना हिस्सा हमको मिलना चाहिए वह हिस्सा हम नहीं ले पा रहे हैं। आज वह कमजोरियां हैं जो कमजोरियां हमें खा रही हैं।

मैं कोई पाइन्ट स्कोर करने के लिए नहीं कहना चाहता हूं, मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूं कि इस सदन के सभी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय सदस्य मिल कर जहां इस बात की चिन्ता करें, अपने अपने क्षेत्र में दबाव डालें, अपने अपने क्षेत्र में पहुंच कर राजस्थान को ज्यादा बिजली उपलब्ध हो, इसकी चिन्ता करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि इस बार रेलवे का बजट पेश हुआ, उस रेलवे बजट से 1366 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय रेलवे को होगी। अब, अध्यक्ष महोदय, उस अतिरिक्त आय में कोयले के ऊपर जो फेयर चार्ज बढ़े हैं उनसे राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लगभग 37 करोड़ रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। आज राजस्थान के और जो डवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वह इस रेलवे फेयर चार्जेज के कारण से भारत सरकार ने पिछले एक वर्ष में जहां एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज लगाई हैं उन एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज के कारण हमारे प्रोजेक्ट्स की कीमत बढ़ गई, हमने भारत सरकार से कहा कि आपने एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज करके इन सारी प्रोजेक्ट्स कास्ट एसकेलेशन के कारण से ऐसी समस्या खड़ी कर दी कि हमारे ओरिजनल प्लान और ओरिजनल प्रोजेक्शन वह प्रोजेक्शन तो पीछे रह गए और खर्चा हमारे सामने ज्यादा आ गया।

अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैंने भारत सरकार से कहा है, और अब की चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेंस जो होने वाली है, जो पहले 15 तारीख तय की थी, शायद उसको पोस्टपोन किया है। मैं वहां भी यह मसला उठाने वाला हूं कि रेल्वे के 1366 करोड़ रुपये में, जिसके कारण से राजस्थान के प्रोजेक्ट्स की कीमत बढ़ी है, राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर अतिरिक्त भार चढ़ा है उन सारे 1366 करोड़ रुपये में से या रेलवे की इन्कम में से राज्यों को भी हिस्सा दिया जाय।

आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि 1366 करोड़ रुपये में नाइंथ फाइनेंस कमीशन ने और एट्थ फाइनेंस कमीशन ने, एट्थ फाइनेंस कमीशन ने तो 1.5 करोड़ रुपये का फिक्स अमाउन्ट रख दिया और नाइंथ फाइनेंस कमीशन ने सारा केलकुलेशन करने के बाद 6.87 करोड़ रुपये यह हमारे लिए फिक्स कर दिया। वह 1366 करोड़ रुपये बढ़ाए और हम 6.87 करोड़ रुपये ही लें और रेलवे के किराये भाड़े के कारण से हमारे प्रोजेक्ट्स की कीमत सवाई-डेढी हो जाय। और फिर भी मैं भारत सरकार को निवेदन नहीं करूं और मैं भारत सरकार से आग्रह नहीं करूं कि रेल्वे का जो भाड़ा बढ़ा है, फ्रेट चार्जेज बढ़े हैं उनमें राजस्थान का हिस्सा बढ़ाया जाए। मांग तो यही कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कि आज के कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन अलवर के मामले में निकला। आप कहेंगे औद्योगीकरण राजस्थान का किया जाए और मैं यह कहना चाहता हूं कि औद्योगिकरण में भारत सरकार किस प्रकार से इम्पेडीमेन्ट्स क्रिएट करती जा रही है मैं इस सदन में चाहूंगा कि सदन इसका समर्थन करे और भारत सरकार से संयुक्त रूप से आग्रह करे कि राजस्थान के इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट को रोका नहीं जाए।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन जानता है कि राजस्थान के तीस जिलों में से बीस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिले अरावली श्रृंखला में आते हैं। अलवर से शुरू होकर माउण्ट आबू तक हम एक ही श्रृंखला में जाते हैं। यदि अरावली के कारण से हम उस क्षेत्र में बिजली नहीं ला सकें, उस क्षेत्र में हम सड़क नहीं बना सकें, उस क्षेत्र में हम बांध नहीं बना सकें, उस क्षेत्र में हम टेलीफोन के खम्बे नहीं लगा सकें, तो मेरे यह समझ में नहीं आता कि अरावली के पास और अरावली की तलहटी में रहने वाले लोगों ने कौनसा पाप किया है कि उनको सड़क नहीं मिले, पानी नहीं मिले और बिजली नहीं मिले। उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार ने अभी एक नोटिफिकेशन इश्यु किया है। नोटिफिकेशन इश्यु किया है 9 जनवरी, 1992 को। अलवर जिले का कुल क्षेत्र 7 लाख 66 हजार 528 हैक्टेयर इसमें माइनिंग का एरिया है, चार हजार तीन सौ हैक्टेयर और इण्डिस्ट्रियल एरिया है 0.28 अब यह दोनों मिलकर 0.85 होता है एक प्रतिशत भी नहीं होता लेकिन उस नोटिफिकेशन में व्यवस्था क्या की है कि जो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें कोई इण्डस्ट्री का लोकेशन नहीं हो सकता, उसमें माइनिंग आपरेशन नहीं हो सकते, उसमें पेड़ों को काटा नहीं जा सकता, जानवरों को चराया नहीं जा सकता, उसमें कोई घर नहीं बना सकता, मकान नहीं बना सकता, जानवरों के लिए छाया नहीं बना सकता, कम्युनिटी सैण्टर्स नहीं बना सकता, इन्फारमेशन सैण्टर्स कायम नहीं कर सकता, रोड्स नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सकता। अब आप अन्दाज लगाइए यदि भारत सरकार से जो कुछ भी आदेश निकला है इस आदेश को लेकर मैं चुपचाप बैठा रहूं और भारत सरकार से मैं संघर्ष नहीं करूं तो आज तो जा रहा है अलवर और कल रणथम्भौर के कारण से जाएगा पूरा सवाई माधोपुर, वर्ड सैन्चुरी के कारण से पूरा जाएगा भरतपुर और चम्बल के कारण से पूरा जाएगा धौलपुर और अरावली के कारण से जाएगें 17 जिले। इसका मतलब राजस्थान में एक इस प्रकार की स्थिति हम पैदा कर रहे हैं कि राजस्थान में उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, अब उस नोटिफिकेशन में यह लिख दिया कि यह जंगल है, यह नहीं है इसकी चिन्ता नहीं है। गैर मुमकिन पहाड़, राड़ा, बीहड़, बंजर, बीहड़ और रूण इनमें किसी प्रकार का काम नहीं हो सकता। मैं अब इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में सबने अभी भिवाड़ी का जिक्र किया। मैं इतना कह सकता हूं कि रीको ने जमीन लगभग दो हजार एक सौ बीस हैक्टेयर एक्वायर की, 1670 हैक्टेयर का डवलपमेंट किया। अब वह डवलपमेंट किया है तो कास्ट लगी है, जिस जमीन का एक्विजीशन किया है उसकी कोस्ट देनी पड़ी है आज उस जमीन में मैं इण्डस्ट्री नहीं लगा सकता, तो मैं कहा लगाऊंगा? नेशनल कैपिटल रीजन, उसने कुछ फण्ड्स दिए। दिल्ली की सरकार और भारत सरकार चाहती है कि दिल्ली की कामर्शियल और इण्डस्ट्रियल एक्टीविटीज यह दिल्ली के बाहर जाएं ताकि दिल्ली के ऊपर प्रेशर कम हो। एक योजना बनी इस केपिटल रीजन में कई स्तर के ऊपर व्यवस्थाएं की गई और व्यवस्थाएं करने के कारण लोग आज भिवाड़ी को डवलप्ड एरिया के रूप में देखना चाहते

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं, शाहजहांपुर को डवलप करना चाहते हैं, बहरोड़ को डवलप करना चाहते हैं, एक इण्डस्ट्रियल बैल्ट बनाना चाहते हैं और भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके सारी इण्डस्ट्रीज के दिमाग में एक संशय पैदा कर दिया कि तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वह इन्वेस्टमेंट बेकार जा सकता है, तुम्हें भविष्य में कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। भारत सरकार ने अब कह दिया कि इसका जब तक आप जवाब नहीं दोगे कोई टाइम तय किया है, उस टाइम के अन्दर आप जवाब दीजिए और जवाब देने के बाद फैसला करेगी भारत सरकार।

अब मैं यह कहना चाहता हूं सड़क कहां बननी चाहिए उसकी इजाजत मैं भारत सरकार से लेऊंगा, बिजली के खम्बे कहां लगने चाहिए उसकी इजाजत मैं भारत सरकार से लेऊंगा, कहां पर सड़क बननी चाहिए, कहां पर कम्युनिटी सैण्टर बनना चाहिए, कहां तार और खम्बे लगने चाहिए, कहां हैण्ड पम्प लगने चाहिए उसकी इजाजत मैं भारत सरकार से लेऊंगा। तो मैं समझता हूं राजस्थान सरकार को मैं अमेरिका के नहीं, मैं भारत सरकार के गिरवी रख दूंगा लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार से पूरी ताकत के साथ लडूंगा और राजस्थान को गिरवी नहीं रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह इसी प्रकार के प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के आधार पर कई बार चिन्ता होती है कि भारत सरकार का मुंह यह सुरसा की तरह क्यों बढ़ रहा है, राज्य सरकार के साधन भारत सरकार क्यों लेना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, यहां प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडीचर की बात की गई, आंकड़े मेरे पास हैं, मैं आंकड़ों के आधार पर नहीं जाना चाहता लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं माननीय बैद जी को कि 1983-84 तक राजस्थान में जितना रेवेन्यु एक्सपेंडीचर होता था उससे ज्यादा रेवेन्यु की आय होती थी और 1983 में रेवेन्यु के अन्दर जो सरप्लस था वह कैपिटल के खाते में जमा हो गया। इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन 1983 के बाद यह स्थिति बदली और बदलते-बदलते हालत यह हो गए कि रेवेन्यु एक्सपेंडीचर बढ़ता गया और रेवेन्यु की आय कम होती गई और कैपिटल में से लेकर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडीचर को मीट करने की कोशिश की है। मैं इसका कभी भी प्रशंसक नहीं हूं, मैं इसका कभी भी समर्थक नहीं हूं। बार-बार यह कहा जाए कि डवलपमेंट एक्सपेंडीचर और नोन डवलपमेंट एक्सपेंडीचर इसके रेश्यों में अन्तर आ रहा है। मैं इस सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि आज जो नोन डवलपमेंट एक्सपेंडीचर बढ़ रहा है उसका कारण क्या है उसका कारण यही हो....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बड़ा मन्त्री मण्डल हो ना....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यह नोन डवलपमेंट एक्सपेंडीचर क्यों बढ़ रहा है। सन् 1980-81 में हमारे ऊपर ऋण भार था केवल 80 करोड़ रुपए और 1992-93 में ऋण की अदायगी के खाते में मैंने प्रोवीजन रखा है 735 करोड़ रुपए। अब जिस बजट के अन्दर 735 करोड़ रुपए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का कर्जा चुकाना है। अब यह कर्जा तो नोन डवलपमेंट एक्सपेंडीचर है मैं इसको कम नहीं कर सकता और सदन एक प्रस्ताव पास कर दे कि कर्जे का भुगतान एक पैसा ही नहीं किया जाए, मैं तो सदन का गुलाम हूं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो विकास के कार्य किए हैं उसकी कैपिटल का ब्याज है। इसको आप यह कैसे मान रहे हो कि यह नान डवलपमेंट एक्सपेंडीचर है ? जो पूंजी में लिया है बांध बनाए हैं और काम किए हैं उसका ब्याज है तो आप नोन प्लान कैसे मानते हो ? ब्याज तो देना पड़ेगा ही साहब।'

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं जो परेशानियां हैं वह बता रहा हूं। इसी प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट की कोस्ट है इसी प्रकार से पेन्शन अब इन चीजों को तो कोई कम नहीं कर सकता। पेन्शन के बारे में इतना कह सकता हूं आपको कि पहले पेन्शन की प्रत्ययगी 1980-81 में 3.5 परसेण्ट थी अब 4.6 परसेण्ट है और इसी प्रकार से ऋण के भुगतान के मामले में पहले ग्यारह पर्सेण्ट था आज 15 परसेण्ट है कुल राज्य के व्यय का। अब यह चीजें बढ़ रही हैं। यहां पर यह बात बार-बार कही गई है कि नान प्लान एक्सपेंडीचर पर कटौती की जाए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बात पर गम्भीरता से विचार कर लें। यहां पर बेकारी का नाम लेकर यह कहा जाए कि लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएं, यहां बार-बार यह कहा जाए कि इन लोगों को परमानेंट किया जाए, यहां बार-बार यह कहा जाए कि इनका वेतन बढ़ाया जाए, इनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो आप ही ज्यादा कहते थे जब इधर बिराजते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बताया ना मेरे तो आज समझ में आ गई, आपके चालीस वर्षों में भी नहीं आई इसका मैं क्या कर सकता हूं। उधर बैठते थे चाहे इधर बैठते थे, समझ इधर हो चाहे उधर हो दिमाग तो एक ही है लेकिन नहीं समझ में आए यह दुर्भाग्य है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम फंसे हुए हैं। महंगाई भत्ता भी देना पड़ेगा। वेतन भी बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार भी देने पड़ेंगे....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसीलिए इधर बैठना बहुत आसान काम था। इधर आ जाओ तो सबसे मुश्किल मिल जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि विश्नोई साहब जिनको 40 वर्षों में कोई जानकारी नहीं मिली वे दो वर्ष और बैठते तो राजस्थान का ऐसा खाता डूब जाता कि उसको निकालना ही मुश्किल था। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज एक मामले में, मैं आज नहीं कहता लेकिन इस सदन को चिन्ता करनी पड़ेगी और वह है ओर्गेनाइज्ड सैक्टर। सदन के सब माननीय सदस्य बैठे हैं, ये ईमानदारी से विचार कर लें कि हम किसके वोटों से यहां जीत करके आये हैं। किसके वोट पर हम जीत कर आये हैं और किसके घेरे में हम खड़े हैं। अगर इस बात का असेसमेंट आप कर लें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं कि एक बहुत बड़ी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार देना है। रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है। केन्द्रीय सरकार भी है, भारत सरकार भी है लेकिन आपने प्रधान मंत्रीजी का भाषण सुना होगा उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार कोई धर्मशाला नहीं है। मैं नहीं मानता कि धर्मशाला है या नहीं है। मैं अपना उत्तरदायित्व मानता हूं कि बेकारी की समस्या का समाधान किया जाय। मैं आज यही कहना चाहता हूं जितने बेकार हैं उनको मैं काम देने को तैयार हूं लेकिन सरकारी नौकरियों के माध्यम से नहीं, उद्योग और बाकी के धन्धों से मैं देने को तैयार हूं इसमें जितनी भी पूंजी लगे, राजस्थान सरकार पूंजी लगाने के लिए तैयार है। लोन या अनुदान जो कुछ भी देने की व्यवस्था हो....

श्री नत्थीसिंह : कब देओगे, दो वर्ष निकल गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए निवेदन कर रहा था कि नौकरी देना, नौकरी देओ या मत देओ लेकिन रोजगार देने के मामले में आपके भी कोई सुझाव होंगे कि किस प्रकार से स्टेट सर्विसेज को छोड़ कर हम रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। मेरे सामने तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है 40-50 लड़के मुझे मिले कि नौकरी देओ। मैंने कहा नौकरी तो नहीं मैं आपको मदद कर सकता हूं। क्या मदद करेंगे, मैं आपको कर्जा देऊंगा, अनुदान देऊंगा आप जाकर आर.एफ.सी. में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट देख लीजिए और देख करके जो उद्योग लगाना चाहें उसके लिए जमीन भी देऊंगा। कहने लगे कि यदि उद्योग ही लगाना होता तो हम पढ़ते क्यों। अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं इस प्रवृत्ति के ऊपर आपको सोच विचार कर आपको इस प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना पड़ेगा और परिवर्तन लाकर हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सरकार के ऊपर ही पूरा भार पड़े इसके बजाय लोग स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा...

(6.20 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमने 40 साल तक यह वजन सहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पूनमचन्द जी साहब इतना ही कह सकता हूं कि इज्जतदार आदमी दो वर्ष के अन्दर ही परेशान होता है और जिसके नाक नहीं हो वह चालीस वर्षों तक यूं ही चलता रहता है।

श्री चन्दनमल बैद : इज्जतदार को परेशान होने में तो एक घंटा ही लगता है। आपने दो साल ले तो लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 40 वर्षों के मुकाबले में दो वर्ष एक घंटे के बराबर ही है।

श्री रामकिशन : आज ऐसी कोई गाली बाकी रह गयी है क्या जिसका आप अगली बार सदन में उपयोग करेंगे? केवल

(श्री रामकिशन)

जानकारी के लिए कि कोई बाकी रह गयी हो जिससे हम आगे सुनने के लिए धीरज रखें। बाकी रह गयी है क्या कोई गाली ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पण्डितजी, इसकी गिनती आपने की है कि मैंने क्या–क्या कहा। और यदि अभी तक आपने यही समझा है कि मैंने गालियां दी हैं तो मेरा भी दुर्भाग्य है और आपको जिन्होंने चुन कर भेजा उनका तो बहुत बड़ा भारी दुर्भाग्य है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा....

श्री रामकिशन : आप भरतपुर के वोटर को गाली दे रहे हो ना ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अगर यही मानते हैं कि मैंने भरतपुर के हित में जो बात कही वह आपको गाली है तो उनका दुर्भाग्य है। मैं उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)....आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। आप जयपुर उद्योग के बारे में ही कह रहे हैं ना। जयपुर उद्योग के मामले में बी.आई.एफ.आर. के समक्ष मामला है। यहां बी.आई.एफ.आर. के सम्बन्ध में भी चर्चा आई। मैं उसमें भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज उद्योगपतियों को एक छूट मिल गयी है कि उनका उद्योग बीमार हो तो बी.आई.एफ.आर. के सामने जाये। बी.आई.एफ.आर. के सामने जाने में वह तकाजा करते हैं। वह तकाजा नहीं करें तो सैक्शन 29 के अन्तर्गत हम उनके उद्योग को, सरकार अपने अधिकार में ले सकती है। उससे बचने के लिए बी.आई.एफ.आर. में चले गये। बी.आई.एफ.आर. में जाकर वह पेकेज डील करना चाहते हैं, उससे विलम्ब होता है। बी.आई.एफ.आर के सामने कोई इस तरह के कानून में प्रावधान नहीं हैं कि वह सख्ती से डील कर सके। केवल एक प्रावधान है कि अगर पेकेज डील नहीं होता तो उसको वाइंड-अप कर देते और वाइंड-अप करने में मेरा अपना अनुमान है I may be wrong. लेकिन मेरा जो अनुमान है वह यह है कि उससे राज्य सरकार को बड़ा घाटा होगा। वाइंड-अप होने से बेकारी बढ़ेगी। वाइंड-अप करने से राजस्थान सरकार की जो वसूल करने योग्य राशि है वह नहीं मिलेगी, उद्योग नहीं पनपेगा। और इसलिए जिस व्यवस्था में राज्य सरकारें फसी हुई हैं बी.आई.एफ.आर. के कारण से और वाइंड-अप करने की धमकी के आगे। सवाईमाधोपुर का मामला भी इसी प्रकार से है। हमने अपनी तरफ से भारत सरकार को बी.आई.एफ.आर. के समक्ष रख दिया। जब हमने रखा तो उस समय हमें विश्वास दिया गया था कि इस पेकेज के अनुसार बैंक भी पूरी सहायता करेगी। वह बैंक पीछे हट गयी। अभी कुछ दिन पहले बात हुई है बैंक शायद मंजूर कर ले और पेकेज को मन्जूर करने के बाद में इस उद्योग को चालू किया जा सके। यह कृष्णा मिल्स का मामला है। कई वर्षों से पीछे पड़ा हुआ है। हमारे एक मंत्री महोदय जो कपड़ा राज्य मंत्री हैं वह भाषण देते हैं। मैंने उनको चिट्ठी लिखी जयपुर उद्योग के मामले में ही वह बोले। मैंने उनको चिट्ठी लिखी और प्रधान मंत्रीजी को भी चिट्ठी लिखी कि जयपुर उद्योग का नेशनलाइजेशन कर लिया जाये। कृष्णा मिल्स के बारे में मैंने कपड़ा राज्य मंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप और दूसरे राज्यों की इस प्रकार की कम्पनियों को ले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहे हैं, राजस्थान में इस कृष्णा मिल को भी ले लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसी राज्य में किसी मिल का अधिग्रहण नहीं किया गया है माननीय मुख्य मंत्री जी। आप किसी एक राज्य की एक मिल का नाम बता दें। (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह केन्द्रीय मंत्री बोलते क्यों हैं तो ?

श्री चन्दनमल बैद : उनका बोलना भी बन्द कर दो। उनकी बोलती बन्द करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उनको तो बोलना बन्द नहीं कर रहे हो और मेरे को बोलना क्यों बन्द कर रहे हो।

श्री चन्दनमल बैद : आप चार घंटे बोलिये हम तो सुनने के लिए तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार घंटे सुनिये, दस घंटे सुनिये इसमें क्या है।... (व्यवधान) मैं उपाध्यक्ष महोदय इतना निवेदन करना चाहता हूं....

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर कैनाल के मामले में बोलना बन्द कर दिया आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा सोचता हूं कि जिनकी आदत बोलने की पड़ गयी है वह आदमी चुप नहीं रह सकता। बोलेंगे ही।

श्री हरिसिंह महुआ : आप भी नहीं रह पायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो बोलूंगा ही। सही बात कहने में मैं चुप नहीं रहूंगा। समझदारी की भी बात करूंगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह समस्या है और इस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार भी चिन्तित है, भारत सरकार भी अपनी ओर से शायद प्रयास कर रही है कि किसी न किसी प्रकार से इस स्थिति से निकला जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी चर्चा की गई कि राज्य सरकार के जितने भी उद्योग हैं, कार्पोरेशन हैं, बोर्ड्स हैं ये सब घाटे में चल रहे हैं। इसके लिए मैंने पहले जिक्र कर दिया कि एक कमेटी अपाइंट की है उस कमेटी की शीघ्र ही रिपोर्ट आयेगी। यहां पर भ्रष्टाचार का भी जिक्र हुआ कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी ऑफिसर को सजा देने से ही भ्रष्टाचार खतम हो जाये, माना कि असर होता है, मानता हूं। इसलिए कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि पिछले दो वर्षों में किसी भी आई.ए.एस. ऑफिसर के ऊपर, आर.ए.एस. ऑफिसर के ऊपर कोंकरीट बातें इस सदन में नहीं कही गयी।

श्री चन्दनमल बैद : कोंकरीट शब्द वेरी इम्पारटेंट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यूं तो आप स्विंपिग रिमार्क्स लगा दें, स्विपिंग चार्ज लगा दें उसकी तो सबको छूट है मैं कह नहीं सकता।....(व्यवधान) मुझे मालूम है या आपको मालूम है।

श्री हरिसिंह : बेरी कमेटी की घोषणा की। और बेरी कमेटी चार माह पहले अपनी रिपोर्ट दे चुकी है वह आप सदन से क्यों छिपा रहे हैं ? उसको आप उजागर क्यों नहीं करते । उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं यह बता दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूं कि पहले भी बेरी समिति का जिक्र आया था उस समय भी मैंने कह दिया कि यह एड–मिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, यह सरकार को एडवाइज करने के लिए है, यह कोई स्टेटु–अरी कमेटी नहीं है, यह स्टेटुअरी बोर्ड नहीं है....

श्री चन्दनमल बैद : इसकी घोषणा विधान सभा में कीजिये और उन बातों के लिए की थी जिसके चार्जेज आपने लगाये थे, कांक्रीट चार्जेज आपने लगाये थे। उन कांक्रीट चार्जेज की जांच इन्होंने की है, वह हमको बताते क्यों नहीं हैं कि कितने कांक्रीट चार्जेज आपके थे और कितनों में क्या नतीजा निकला ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको एक बता दूं कि जिस समय कमेटी की घोषणा की थी, उस समय ही मैंने कह दिया कि यह एडमिनिस्ट्रेशन में सुझाव देने के लिए कमेटी है, यह कोई स्टेटुअरी कमेटी नहीं है इसको हाउस की टेबल पर नहीं रखा जा सकता। अब प्रश्न यह आता है कि आप कहेंगे कि उनकी रिकमण्डेशन....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 20 लाख रुपया खर्चा हुआ है इस पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो तो आपको पूछकर खर्च किया है मैंने।

श्री हरिसिंह (महुआ) :....और चूंकि अब शक्तिशाली लोग इसमें फंसे हुए हैं, उनको आप छूना नहीं चाहते। उनको आप छू नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे दुःख ही इसी बात का है। अगर मैं किसी को पकड़ता हूं तो जाति का आधार बना लेते हैं। अगर किसी के खिलाफ एक्शन लेता हूं तो जाति के आधार पर उसकी सारी मीमांसा और विश्लेषण करने लग जाते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि पैसा खाने वाले की कोई जाति नहीं होती है। वह न राजपूत है, न ब्राह्मण है, न मीणा है न गुर्जर है। वह केवल पैसा खाने वाला है और पैसा खाने वाला है तो उसके खिलाफ जितनी भी नियमित कार्यवाही हो सकती है, करनी चाहिये । इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कार्यवाही कर रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं कि इसका प्रोसीजर इतना कम्बरसम है कि इमीजियेटली आप किसी के खिलाफ एक्शन ले लें, यह संभव नहीं है । लेकिन आप पण्डितजी, यह कह रहे थे कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया। मैं आप सारे सदन के सदस्यों को निमंत्रित कर रहा हूं मेरे में विश्वास नहीं हो तो आप अध्यक्ष महोदय, को ज्ञापन दे दें और ज्ञापन देने के बाद में मैं जो इन्क्वायरी कराऊंगा, अध्यक्ष महोदय को इससे संतोष कराऊंगा लेकिन आप बार–बार यह कहें कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया,....

श्री महीपाल सिंह यादव : राजनैतिक भ्रष्टाचार की बात करो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाओ मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं। कि आज जो माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के बारे में बोले हैं, मैंने कब मना किया कि कोई कांक्रीट मामला मेरे सामने रखे और मैं उसको छोड़ दूं लेकिन मामला तो रखा नहीं....

श्री परसादीलाल मीणा : मुख्य मंत्री महोदय, मैंने आपके सामने रखा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने दिया है मुझे मालूम है। मैं एक्शन ले रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : ....उसमें एक भी अफसर के खिलाफ कार्यवाही नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि प्रोसीजर इतना कम्बर्सम है, उस प्रोसीजर से निकलने के बाद में मैं कार्यवाही कर सकता हूं लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि मैंने उसकी जांच नहीं कराई है और जो जांच रिपोर्ट आयी है उसके खिलाफ एक्शन भी लूंगा, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। इस सदन में तो आपको छूट है, प्रीविलेज है, इस सदन में आप कुछ बोलें नहीं। केवल एक ही बोले भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। पण्डितजी बोले भ्रष्टाचार सब जगह फैल गया। मेरी समझ में नहीं आता सब जगह फैल गया तो यहां भ्रष्टाचार की बात करके भ्रष्टाचार क्यों फैला रहे हो? इसकी क्या आवश्यकता है? आप कांक्रीट बात मुझे नहीं कहें, आप लोकायुक्त को कहें। यहां पर मेरे बारे में कहा कि मैंने लोकायुक्त के बारे में घोषणा की थी, मैंने की। इसका इन्तजार मैं केवल इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मालूम है कि भारत सरकार में एक कानून पेश किया जा रहा है जिसमें मुख्य मंत्री वहां के लोकपाल उसके अधिकार क्षेत्र में लिये जाने वाले हैं। आप यदि मेरे ऊपर कोई चार्ज लगाना चाहें तो मैं ऐसा समझता हूं कोई लोकपाल की आवश्यकता नहीं कोई लोकायुक्त की आवश्यकता नहीं। इस सदन के तीन माननीय सदस्य जिसके चैयरमैन माननीय चंदनमल जी बने, और आप बन जायं और मेरे खिलाफ आरोप लगा दें। मैं इस सदन में एक दिन भी बैठने को तैयार नहीं हूं। मैं सदन में ईमानदारी से आया हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि रिश्वत के रूप में आज तक मैंने पान नहीं खाया और मैं मानता हूं कि रिश्वत के रूप में खाना, यह गौ रक्त पीने के बराबर है, मैं इतना ही आपको कह सकता हूं और फिर आप इस प्रकार की बातें कहें, भ्रष्टाचार रोकें, मैं भ्रष्टाचार रोकने को तैयार हूं। आप शिकायत करें, मैं जांच करने को तैयार हूं। आप कहें अमुक आदमी से जांच कराई जाय, मैं जांच करवाने को तैयार हूं लेकिन भगवान की कृपा से आप इस प्रकार का वातावरण नहीं बनायें कि दुनिया यह समझे कि विधान सभा ने कह दिया कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। खूब खाओ और खूब कमाओ और गरीबों का शोषण करो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं करें....

श्री गोपाल सिंह खण्डेला : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप नहीं जानते कि इस देश में रिश्वत हर तहसीलदार लेता है, आपकी

(श्री गोपाल सिंह खण्डेला)

आत्मा नहीं बोलती कि हर तहसीलदार रिश्वत नहीं लेता। नहीं आपकी आत्मा क्या कहती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे एक तहसीलदार का नाम बता दें....(व्यवधान)

श्री गोपालसिंह खण्डेला : आपकी आत्मा क्या कहती है ?

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष जी,....

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई जनरल डिबेट नहीं है। बिराजिये आप।

डा. चन्द्रभान : मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि यह बेरी कमेटी आपने बैठाई, बेरी कमेटी की रिपोर्ट आपके पास आ गई, उसमें कुछ निकला भी है क्या ? प्रदेश की जनता यह तो जाने और यदि नहीं निकला है तो इस तरह की कमेटी बैठाने का कोई मकसद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान जी, आप बिराजिये। बेरी कमेटी के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। बिराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष, महोदय, हर आदमी को और हर अधिकारी को चोर बताना, हर आदमी को भ्रष्टाचारी बताना। हर तहसीलदार के बारे में कह दिया कि कोई ईमानदार हो तो नाम बताओ। पूरे तहसीलदारों को बेईमान बताना पूरे अधिकारी और कर्मचारियों को बेईमान बताना या रिश्वतखोर बताना। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन आप अपना आत्म-विलोचन कर विचार करें कि क्या राजस्थान में ईमानदारी मर गई ? क्या राजस्थान में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कोई ईमानदार नहीं है ? क्या कोई पटवारी और तहसीलदार ईमानदार नहीं है ? क्या आर.ए.एस. और आई.ए.एस. ईमानदार नहीं है ? और जैसा महीपाल जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सारे तहसीलदार चोर है। भगवान इस राजस्थान को बचायेगा और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आखिर ईमानदार अधिकारी हैं। मैं उसका एक प्रमाण आपके सामने रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में कई उद्योग हमारे चल रहे हैं। आज तक लगातार घाटे में चलते थे। राजफैड में 88-89 में 2 लाख रुपये का प्रोफिट था, 90-91 में 83 लाख रुपये का हो गया और 91-92 में 130 लाख रुपये का प्रोफिट हो गया जो कि पहले घाटे में चलते थे। अब आप इसकी क्रेडिट मुझे देना चाहो, मैं नहीं लूंगा लेकिन जिन जवान अफसरों ने अपना वहां खून पानी लगा करके, मेहनत करके ईमानदारी से जो काम किया, मैं क्रेडिट उनको देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, तिलम संघ में 90-91 में 341 लाख का फायदा हुआ, 91-92 में 500 लाख का फायदा हुआ। इसी तरह से कोआपरेटिव काटन मिल्स, गंगापुर में 88-89 में 4 लाख का फायदा था, और 90-91 में 209 लाख का फायदा हुआ। काटन स्पिनिंग मिल, हनुमानगढ़ में जहां 140 लाख रुपये का घाटा था, वहां 90-91 में 373 लाख रुपये का प्रोफिट हुआ। राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन में जहां 800

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लाख रुपये का घाटा था, वो आज 90-91 में 117 लाख रुपये के फायदे में चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यही स्थिति कैंशोरांथपोंटन मिल की है। आखिर कोई यह कहे कि हमने कर दिया, मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिन अधिकारियों ने इन मिल्स में, इन कार्पोरेशन में काम किया, ईमानदारी से काम किया है और मैं ईमानदारी से काम करने वाले की सदन में प्रशंसा करना चाहता हूं कि घाटे में चलने वाले कारखाने और उद्योगों को वो प्रोफिट में ले आए। आज उनको एनकरेज करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता नहीं है कि उनको चोर बता दिया जाय, आज आवश्यकता नहीं है कि उनको बेईमान बताया जाय। आपको चोर और बेईमान के अन्दर भेद करना पड़ेगा। बेईमान को ताड़ना देनी पड़ेगी और ईमानदार की प्रशंसा करनी पड़ेगी तभी जाकर यह शासन चलेगा। आप और हम सब मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान कर पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ····

श्री पूनमचन्द विश्नोई : भ्रष्टाचार का मुद्दा हुजुर आपने ही बनाया था कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। हमने तो कभी इतने जोर से कहा नहीं था भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार के बारे में दो दफे जब आप बिराजमान हुए, तब आपने यह मुद्दा उठाया था और आज बिल्कुल उलट गये। आप मेहरबानी करके इतने दिन जो बहस की है, उसका जवाब तो फरमाओ आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 1977 में आपने नाक के नथनों में से भ्रष्टाचार निकालने की बात कही थी इसी सदन के अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि विश्नोई साहब ने कहा कि हम तो कभी बोलते ही नहीं थे और मैं बोल गया। आप तो बोले ही नहीं हैं न कभी ? भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले ही नहीं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्यों नहीं बोले ? बिल्कुल बोले। निश्चित रूप से बोले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे निराश करने की आवश्यकता नहीं, मेरी पीठ थपथपाने की आवश्यकता है। और आप बोले नहीं। अब इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस बात का प्रयास करें, वातावरण बनायें और वातावरण बना करके जो भ्रष्ट हैं, जो जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं उन लोगों को किसी न किसी रूप में सजा मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी आधार पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों का मैंने स्वागत किया है, आलोचना की है उसका भी मैं स्वागत करता हूं। जो मुख्य बिन्दु इस सारी चर्चा में आये हैं उनका मैंने कुछ का जवाब दिया है लेकिन बहुत बाकी रह गए हैं। जिनका मैं उत्तर नहीं दे पाया कोशिश यह करूंगा कि उन सारे बिन्दुओं पर जिस समय डिमाण्ड्स रखी जांय, कट मोशन आयें उस समय उस विषय पर चर्चा उठायें उसमें उसका समाधान किया जाय और इसके उपरांत भी रहेंगे तो मैं

(188)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

निश्चित रूप से जो सुझाव आये हैं उनके ऊपर विचार करूंगा, जो आलोचनाएं आई हैं उसकी सत्य-असत्यता की परख करके उनका जवाब देऊंगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 11 मार्च, 1992 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.42 बजे कल दिनांक 11 मार्च, 1992 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 249 का विवरण

क्र. सं.	नाम वस्तु	दिनांक 1.1.91 के बाजार भाव		वर्तमान बाजार भाव		प्रतिशत वृद्धि
1.	गेहूं	275/- से 400/- रु. प्रति क्वि.		460/- से 500/- प्र. क्वि.		42.2%
2.	चावल	450/- से 1700/-	,,	400/- से 2300/-	,,	25.6%
3.	दालें (मूंग)	870/- से 880/-	,,	1125/- से 1150/-	,,	30.0%
4.	दालें (चना)	800/- से 850/-	,,	730/- से 750/-	,,	कमी 10.3% (–)
5.	दालें (अरहर)	1400/-से 1500/-	,,	1550/-से 1600/-	,,	8,6%
6.	तेल	30/- से 35/- रु. प्रति किग्रा		38/- रु. किलोग्राम		10.8%
7.	घी	70/- से75/-	,,	70/- से 75/-	,,	—
8.	वनस्पति घी	40/-	,,	40/-	,,	—
9.	चाय	50/- से 70/-	,,	50/- से 70/-	,,	—
10.	मिट्टी का तेल	3/13 प्रति लिटर		2/88 रु. लीटर		7.9 (–)

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 253 की सूची

परिशिष्ट "क"

दिनांक 31.12.91 को जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर एवं झुन्झुनू कारागृहों में निरूद्ध बंदियों की सूची ।

क्रमांक	कारागृह	न्यायालयों द्वारा दंडित बंदी	न्यायिक अभिरक्षा में रखे बंदी	टाडा के अन्तर्गत निरूद्ध बंदी	अन्य श्रेणी के बंदी	योग
1.	जयपुर	576	404	—	4	984
2.	कोटा	35	320	—	5	360
3.	उदयपुर	305	216	—	4	525
4.	जोधपुर	276	167	14	66	523
5.	अजमेर	116	201	213	7	537
6.	अलवर	163	255	—	—	418
7.	झुन्झुनू	4	69	—	—	73
	योग	1475	1632	227	86	3420

परिशिष्ट—3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जैसलमेर एवं बाड़मेर के भूमिहीन कृषकों को इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भू-खण्डों का आवंटन

255. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार जिला जैसलमेर एवं बाड़मेर के भूमिहीन किसानों को इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में कब तक भूमि आवंटित करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार भूमि आवंटन में सन् 1955 से मतदाता सूचियां चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के मंत्रियों को इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में विशेष तौर से भूमि का आवंटन हुआ है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में जैसलमेर जिले के 7007 भूमिहीनों को आवंटन कर दिया गया है और आवंटन कार्य अभी चालू है। बाडमेर जिले के भूमिहीनों को इस क्षेत्र में प्राथमिकता की बारी आने पर आवंटन किया जावेगा।

(2) जी नहीं। सन् 1955 की मतदाता सूची आवेदकों से नहीं मांगी जाती, बल्कि आवेदक के नाम सन् 1955 की मतदाता सूची में है या नहीं, यह देखने की कार्यवाही विभाग द्वारा ही की जाती है।

(3) जी नहीं, विशेष तौर से भूमि का आवंटन किसी मंत्री को नहीं दिया गया है, बल्कि एक राज्य मंत्री माननीय श्री उम्मेदसिंह को उनके मंत्रीकाल से पूर्व में दिनांक 25.3.76 को नागौर जिले के भूमिहीन के नाते आवंटित 17 बीघा भूमि को संशोधित कर चक नं. 6 एसजीएम (ए) में राज्यादेश दिनांक 22.7.91 से भूमि आवंटन की है।

राजस्थान सहकारी संघ जिला सवाई माधोपुर

256. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)** : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ अपने स्तर पर प्लान्टों में क्या-क्या दुग्ध पदार्थों का उत्पादन कितनी-कितनी मात्रा में करता है और उसके विपणन की क्या व्यवस्था है ?

(2) इस वर्ष राजस्थान सहकारी संघ जिला सवाई माधोपुर ने कितना दुग्ध कौन-कौन सी डेयरी से इकट्ठा किया और उसमें घाटा एवं मुनाफा कितना हुआ ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन से सम्बन्धित डेयरी संयंत्रों/संघों पर घी, वसा रहित एवं वसायुक्त दुग्ध चूर्ण मक्खन, पनीर, रसगुल्ला, श्रीखण्ड, टैट्रापैक दूध, छाछ, लस्सी, एवं फ्लेवर्ड दूध का उत्पादन किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादों की मात्रा का निर्धारण फैडरेशन स्तर पर आयोजित उच्च स्तरीय प्रोग्रेमिंग कमेटी द्वारा किया जाता है। वर्ष 1991-92 (अप्रेल से फरवरी, 92) तक में हुये दुग्ध पदार्थों का उत्पादन निम्न प्रकार है—

दुग्ध पदार्थ	उत्पादन की मात्रा (मै. टन में)
घी	1534
वसा रहित दुग्ध चूर्ण	1536
वसा युक्त दुग्ध चूर्ण	30
पनीर	11
मक्खन	136
रसगुल्ला	5
छाछ/लस्सी	68
फ्लेवर्ड दूध	16
टैट्रापैक दूध	2113
श्रीखण्ड	5

उक्त दुग्ध पदार्थों का विपणन निम्न माध्यमों से किया जाता है—

1. दुग्ध बूथों/मिल्क बार
2. ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा
3. थोक विक्रेताओं द्वारा
4. उपभोक्ता संघ द्वारा
5. भारतीय सेनाओं को।

(2) इस वर्ष सवाईमाधोपुर–टौंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने विभिन्न डेयरियों से एकत्रित दूध की मात्रा का विवरण परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत हैं। संघ ने दुग्ध व्यापार में इस वर्ष (अप्रेल, 71 से फरवरी, 92 तक) कुल सकल लाभ 8.65 लाख रुपये अर्जित किया है।

परिशिष्ट "क"

सवाईमाधोपुर–टौंक जिला दुग्ध संघ में डेयरी अवशीतन केन्द्रों से एकत्रित दूध का विवरण :

क्र. सं.	डेयरी/अवशीतन केन्द्र का नाम	दुग्ध संकलन वर्ष 1991–92 (अप्रेल से फरवरी, 92 प्रतिदिन लीटर में)
1	2	3
1,	मालपुरा	5347

P 193

1	2	3
2.	गंगापुर	825
3.	टोंक	681
4.	सवाईमाधोपुर इन्स्टेन्ट चीलर	516
	कुल :	7369

तारांकित प्रश्न संख्या 257

(स्थगित)

सतर्कता शाखा (वाणिज्यिक कर) द्वारा कर चोरी के पकड़े गए मामले

258. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) एवं श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय को सतर्कता शाखा द्वारा वर्ष 1990–91 तथा 1991–92 में कितने ट्रक वाणिज्य कर की चोरी के मामले में पकड़े गये हैं तथा उनसे कितनी राशि वसूल की गयी है ?

(2) उपरोक्त पकड़े गये ट्रक किन-किन वाणिज्य कर चौकियों से प्रवेश कर आये थे ? कृपया वाणिज्य कर चौकी वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने ऐसे कर–वंचना के मामलों में नाका अधिकारियों के खिलाफ जांच कार्यवाही की ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के खिलाफ जांच कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) वाणिज्यिक कर आयुक्त कार्यालय की एन्टीइवेजन शाखा द्वारा वर्ष 1990-91 तथा 1991–92 में अब तक 678 ट्रक वाणिज्यिक कर की चोरी के मामले में पकड़े गये हैं और उनसे रु. 132.85 लाख की राशि वसूल की गई है।

(2) उपरोक्त पकड़े गये ट्रकों में से दोनों वित्तीय वर्ष में 321 ट्रक वाणिज्यिक कर की चौकियों से प्रवेश कर राज्य के बाहर से आये थे। चैक-पोस्ट वार सूची संलग्न है।

(3) वर्ष 1990–91 और 1991–92 में बनाये गये ऐसे करावंचन के मामलों में नाका अधिकारियों के खिलाफ कोई मामला सामने नहीं आया है अतः कोई जांच कार्यवाही नहीं कराई गई है।

पकड़े गये ट्रकों की जांच चौकियों वार सूची

क्र.सं.	जांच चौकी का नाम	पकड़े गये मामले 90–91	91–92	योग
1	2	3	4	5
1.	शाहजहांपुर	134	107	241
2.	गोनेडा	3	4	7
3.	रतनपुर	13	11	24
4.	अकलेरा	1	—	1
5.	मण्डार	1	—	1
6.	भिवाड़ी	4	1	5
7.	ऊंचानगला	7	23	30
8.	कच्चा रास्तों से	1	4	5
9.	निम्बाहेडा	—	1	1
10.	आबू रोड	—	1	1
11.	पहाड़ी	—	3	3
12.	खानवा	—	1	1
13.	नौगांवा	—	1	1
	योग	164	157	321

नव गठित जिलों में जिला स्तरीय सहकारी बैंकों का गठन

259. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में चार नए जिले गठित करने के बाद जिला-स्तरीय सहकारी बैंकों का गठन किया जाना जरूरी है ? यदि हां, तो क्या नवगठित जिलों में इन बैंकों का गठन न होने के कारण जिला स्तरीय बैंकों के चुनावों में कानूनी अड़चन पैदा होने की संभावना है ? यदि हां, तो गठन नहीं करने का क्या कारण है ?

(श्री परसादीलाल मीणा)

(2) क्या सरकार दौसा, राजसमन्द, बारां में जिला स्तरीय बैंक गठित करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नए जिलों के गठन से जिला स्तरीय बैंकों के चुनावों में कोई कानूनी अड़चन पैदा होने की संभावना नहीं है। केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर के उपनियमों में क्रमशः जिला दौसा, राजसमंद, बारां एवं धौलपुर के कार्यक्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संशोधन कर दिये गये हैं अतः उक्त बैंकों के चुनाव में कानूनी अड़चन पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) फिलहाल सरकार द्वारा इन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक के गठन का कोई इरादा नहीं है।

कालीसिंध बांध की नहरों की मरम्मत पर व्यय

260. **श्री प्रभुलाल (सपोटरा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार काली सिंध बांध के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिये नहरों को पक्का करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) नहरों की मरम्मत के लिये वर्ष 1985 से 1991 तक वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई ?

(3) क्या सरकार बांध के पानी की क्षमता को और अधिक बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, नहरों को पक्का कराने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि तथा आवश्यकता के अनुसार करवाया जा रहा है।

(2) काली सिन्ध की नहरों की मरम्मत/रख-रखाव के लिये वर्ष अप्रैल, 85 से वर्ष दिसम्बर, 91 तक व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय
1985–86	3.60 लाख
86–87	0.91 लाख
87–88	1.72 लाख
88–89	6.46 लाख
89–90	6.62 लाख
90–91	7.74 लाख
4/91 से 12/91	0.42 लाख
योग	27.57 लाख

(3) फिलहाल नहीं।

डीजल एवं पैट्रोल में मिलावट

261. **श्री हरिसिंह (महुआ) : एवं श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : एवं श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिसिंह)

(1) राज्य में डीजल एवं पैट्रोल में केरोसिन मिलावट के पिछले दो वर्ष में कितने मामले दर्ज किए गये हैं ? दर्ज किए गये मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त अवधि में राज्य के कितने पैट्रोल पम्पों से डीजल व पट्रोल के सेम्पल जांच हेतु भिजवाए गये और उनके क्या परिणाम निकले ?

(3) क्या डीजल एवं पैट्रोल में मिलावट की जांच करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राज्य में डीजल एवं पैट्रोल में केरोसिन मिलावट के दो वर्ष में जितने मामले दर्ज किये गये हैं, की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त अवधि में राज्य के 151 पैट्रोल पम्पों से डीजल व पैट्रोल के सैम्पल जांच हेतु भिजवाये गये। जिनमें 19 सैम्पल सही पाये गये, 3 में मिलावट पाई गई तथा 129 की जांच रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है।

(3) जी, हां। केन्द्र सरकार ने डीजल एवं पैट्रोल में मिलावट की रोकथाम के लिए मोटर स्प्रीट एण्ड हाइस्पीड डीजल (प्रिवेन्शन ऑफ माल प्रेक्टिसेज इन सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 1990 जारी किया है तथा राज्य सरकार ने राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापत्र तथा नियंत्रण) आदेश, 1990 जारी किया है। इन दोनों आदेशों के प्रावधानों की डीजल एवं पैट्रोल में मिलावट की जांच के लिए कड़ाई से अनुपालना करवाई जा रही है।

क्र. सं.	नाम जिला	कितने मामले दर्ज
1	2	3
1.	अलवर	1. मैसर्स गोयल आटो सर्विस, इण्डियन आयल, टपूकड़ा
		2. मैसर्स गुप्ता डीजल सर्विस स्टेशन, खोडली
		3. मैसर्स श्री राम सर्विस स्टेशन, खोडली
		4. मैसर्स गुप्ता सर्विस स्टेशन, कठूमर
		5. मैसर्स रामप्रकाश ओमप्रकाश, अलवर
		6. मैसर्स मोर्डन सर्विस स्टेशन, अलवर
		7. मैसर्स ओमप्रकाश अनिलकुमार, अलवर
		8. मैसर्स बिहारीराम सेवाराम, अलवर

1	2	3
2.	भरतपुर	1. मैसर्स दुबे आटो सर्विस, भरतपुर
		2. मैसर्स धर्मवृत आर्य एण्ड कं., भरतपुर
3.	चूरू	1. मैसर्स अर्जुनदास धनराज पैट्रोल पम्प, राजगढ़
		2. मैसर्स हनुमान प्रसाद रघुनाथ प्रसाद, चूरू
		3. मैसर्स नोलीराम एण्ड सन्स, चूरू
		4. मैसर्स कन्दोई ब्रादर्स, तारानगर
		5. मैसर्स श्याम सर्विस, श्रीडूंगरगढ़
		6. मैसर्स अशोककुमार महेशचन्द, बीदासर
		7. मैसर्स जेठमल गणपत राय, राजगढ़
		8. मैसर्स हनुमानप्रसाद रघुनाथ प्रसाद, चूरू
		9. मैसर्स कमल सर्विस सेन्टर, सरदारशहर
		10. मैसर्स रूपचन्द छगनलाल, सरदारशहर
		11. मैसर्स अर्जुनदास धनराज, राजगढ़
		12. मैसर्स गंगाराम जमनाधर, राजगढ़
		13. मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी, रतनगढ़
		14. बालाजी पैट्रोलियम, रतनगढ़
		15. मैसर्स डालचन्द एण्ड कं. बीदासर
		16. मैसर्स केजडीवाल ब्रादर्स, सुजानगढ़
		17. मैसर्स शिव फिलिंग स्टेशन, साहवा
4.	चित्तौडगढ़	1. मैसर्स सांवरिया फिलिंग स्टेशन, गंगरार
5.	जयपुर	1. नरसिंह आयल कं., कोटपूतली
		2. हरिओम शास्त्री सर्विस, स्टेशन, चन्दबाजी, तह. आमेर
		3. मैसर्स पिंकसिटी पैट्रोल पम्प, एम.आई. रोड, जयपुर
		4. मैसर्स आनन्द सर्विस स्टेशन, चौकी गोवर्धनपुरा, तह. कोटपूतली
		5. मैसर्स चौधरी सर्विस स्टेशन, तह. चाकसू
		6. मैसर्स मामोडिया ब्रादर्स, डीजल पम्पसेट, पावटा, तह. कोटपूतली

(198)

1	2	3
6.	जोधपुर	1. बासनी फिलिंग स्टेशन, बासनी
		2. मैसर्स पारख आटो मोबाइल, डांगियावास
		3. मैसर्स मण्डोर फिलिंग स्टेशन, भटियानाडी
		4. मैसर्स जयनारायण मोदी एण्ड सन्स
		5. मैसर्स दलेला एण्ड सन्स, सूरसागर
		6. मैसर्स मारवाड़ आटोमोबाइल्स
7.	झुन्झुनूं	1. मैसर्स जवान आटो मोबाइल्स, झुन्झुनूं
		2. मैसर्स रमेशचन्द सुरेशचन्द, झुन्झनूं
		3. मान सर्विस सैन्टर, मंडावा
8.	सवाईमाधोपुर	1. मैसर्स फतेहलाल रतनलाल, सवाईमाधोपुर
		2. मैसर्स डेरोलिया ब्रादर्स, श्री महावीरजी
		3. मैसर्स नथुवालाल महाजन, वजीरपुर
		4. मैसर्स महेशकुमार, वजीरपुर
		5. मैसर्स रमेशचन्द्र, वजीरपुर
		6. मैसर्स खटाना सर्विस स्टेशन, गुढाचन्द्रजी
		7. मैसर्स रमेश ओटोमोबाइल्स, कुडगांव
9.	उदयपुर	1. मैसर्स ललित सर्विस सैन्टर, डबोक
10.	दौसा	1. चौपाल्या मीणा, निवासी ठिकरिया, हाल करोडीमोड तह. सिकराय
		2. रामभरोसी मीणा, ठिकरिया
		3. मैसर्स उदयलाल महावीरप्रसाद, लालसोट
11.	राजसमन्द	1. मैसर्स मोहम्मद हुसैन एण्ड ब्रादर्स, नाथद्वारा
		2. मैसर्स हिन्दुस्तान डीजल फिलिंग स्टेशन, रेलमगरा
		3. मैसर्स वर्मा फिलिंग स्टेशन, कांकरोली
		4. मैसर्स विजयराम/भंवरलाल, बी.पी.सी. पैट्रोल पम्प, कामलीघाट
		5. व्यास पैट्रोलियम, प्रो. लहरूराम शर्मा, महेन्दुरिया

1	2	3
	राजसमन्द	6. चारभुजा फिलिंग स्टेशन, एच.एस.टी. पैट्रोल पम्प, गोमती चौराहा
		7. मैसर्स अहमद अली/कुर्बान अली, पैट्रोल पम्प, कांकरोली
		8. मैसर्स विजयराम/भंवरलाल, कामलीघाट, चौराहा पैट्रोल पम्प
		9. मैसर्स कुर्बान हुसैन एण्ड सन्स, पैट्रोल पम्प, कांकरोली।

राज्य की "अपना गांव-अपना काम" योजना

262. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में "अपना गांव-अपना काम" योजना कब शुरू की गई थी और यह योजना क्या है ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में कितनी-कितनी राशि जन सहयोग से व कितनी सरकार से व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना को यथावत चालू रखना चाहती है ? यदि हां, तो किस रूप में ?

उत्तर

(1) राज्य में "अपना गांव-अपना काम" योजना दिनांक 1 जनवरी, 91 से प्रारम्भ की गई। यह स्थानीय समुदाय एवं सरकार की भागीदारी से गांवों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन की योजना है, जिसके तहत सामुदायिक कार्यों के लिए निम्न प्रकार से संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं :—

1. जन सहयोग	30 प्रतिशत
2. राज्य आयोजना मद से	20 प्रतिशत
3. जवाहर रोजगार योजना मद से 50 प्रतिशत	
1. 35% राशि ग्राम पंचायतों को ज.रो.यो. की उपलब्ध कराई गई राशि/अतिरिक्त जन सहयोग/ग्राम पंचायतों की आय इत्यादि	35 प्रतिशत

(विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री)

2. 15% राशि जवाहर रोजगार योजना की अभिकरणों के पास उपलब्ध 20% रक्षित राशि में से अथवा अन्य योजना से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। 15 प्रतिशत

(2) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में जन सहयोग एवं सरकार द्वारा व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(3) जी हां। सरकार उक्त योजना को यथावत् चालू रखना चाहती है। सरकार वर्तमान में जिस रूप में योजना चल रही है उसी रूप में यह योजना चालू रखना चाहती है।

परिशिष्ट–अ

"अपना गांव-अपना काम" योजना के अन्तर्गत जन सहयोग एवं सरकार द्वारा व्यय राशि का विवरण वर्ष 1990-91 एवं 1991-92

क्र. सं.	नाम जिला	जन सहयोग	राज्य सरकार	कुल व्यय
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	13.92	32.47	46.39
2.	अलवर	25.77	60.12	85.89
3.	बांसवाड़ा	12.05	28.11	40.16
4.	बांरा	—	—	—
5.	बाड़मेर	6.95	16.23	23.18
6.	भरतपुर	10.65	24.84	35.49
7.	भीलवाड़ा	29.56	68.98	98.54
8.	बीकानेर	18.48	43.11	61.59

1	2	3	4	5
9.	बूंदी	2.69	6.27	8.96
10.	चित्तौड़	20.29	47.35	67.64
11.	चूरू	34.90	81.44	116.34
12.	दौसा	5.74	13.39	19.13
13.	धौलपुर	6.27	14.64	20.91
14.	डूंगरपुर	9.96	23.25	33.21
15.	गंगानगर	10.28	24.01	34.29
16.	जयपुर	20.52	47.88	68.40
17.	जैसलमेर	5.27	12.29	17.56
18.	जालौर	3.57	8.34	11.91
19.	झालावाड़	8.84	20.63	29.47
20.	झुंझुनू	9.59	22.39	31.98
21.	जोधपुर	19.77	46.13	65.90
22.	कोटा	7.51	17.53	25.04
23.	नागौर	17.55	40.96	58.51
24.	पाली	4.84	11.28	16.12
25.	राजसमंद	6.16	14.36	20.52
26.	सवाईमाधोपुर	11.84	27.63	39.47
27.	सीकर	16.97	39.61	56.58
28.	सिरोही	1.29	3.02	4.31
29.	टोंक	12.04	28.09	40.13
30.	उदयपुर	10.66	24.64	35.20
	योग	363.83	848.99	1212.82

202

तारांकित प्रश्न संख्या 263
(स्थगित)

उद्योगों से प्रदूषण

264. **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ा-मालानी) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर, पाली और बालोतरा के उद्योग उपजाऊ भूमि और भू-जल को तेजी से प्रदूषित करते जा रहे हैं और सरकार इस समस्या के प्रति उदासीन है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग ने इन उद्योगों के कारण प्रदूषित हुए भू-जल का गम्भीरता से अध्ययन किया है ?

(2) इन शहरों से कितनी दूरी तक और कौन-कौन से गांवों में भू-जल प्रदूषित हो चुका है ?

(3) सरकार इस भयंकर प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर, पाली और बालोतरा में स्थिति मुख्यत: लघु वस्त्र उद्योगों से निस्त्रावित प्रदूषित जल के कारण कृषि भूमि एवं भू-तल जल कुछ सीमा तक प्रभावित हुए हैं परन्तु राज्य सरकार इस समस्या के प्रति जागरुक है।

(2) (अ) उपरोक्त में से पाली शहर से 45 किलोमीटर तक के कुल 24 गांवों (सूची संलग्न है) के काश्तकारों की भूमि जो बांडी नदी के मध्य भाग से 1 किलोमीटर दोनों तरफ स्थित हैं उनके 564 कुओं का पानी प्रभावित हुआ है तथा बालोतरा के पूर्व की ओर बिठूजा की तरफ का 8-10 किलोमीटर तथा बालोतरा से जासोल की ओर दक्षिण-पश्चिम की तरफ 3-4 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित कुओं का भू-तल जल इससे प्रभावित हुआ है।

(ब) जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल से भू-गर्भीय जल के प्रदूषित होने के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है।

(3) सरकार द्वारा इस प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु निम्न मुख्यत: प्रभावी कार्यवाही की गई है।

1. पाली, जोधपुर व बालोतरा में जल प्रदूषण करने वाली इकाइयों की स्थापना पर रोक।

2. उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने हेतु जिलाधीश के माध्यम से कार्यवाही।

3. पाली में लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों से निस्त्रावित प्रदूषित जल के उपचार हेतु एक संयुक्त उपचार संयंत्र की स्थापना हो चुकी है एवं एक अतिरिक्त उपचार संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार बालोतरा में परिशोधन जल संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि की अवाप्ति की जा रही है। उक्त संयंत्र के स्थापना के सम्बन्ध में भौतिकी रिपोर्ट तैयार करने बाबत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान (नीरी) नागपुर को नगरपालिका बालोतरा के द्वारा 7.50 लाख रुपये देने की सहमति प्रदान की जा चुकी है।

(पर्यावरण मंत्री)

4. पाली की प्रदूषण समस्या के अध्यन हेतु मंडल द्वारा अनुबंधित सलाहकार के सुझावों के अनुरूप वस्त्र उद्योगों को अभियांत्रिकी सुधार करने को कहा गया है।

5. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही।

6. जल अधिनियम 1974 के अन्तर्गत उद्योगों के विरुद्ध दायर मुकदमों को शीघ्र निपटाने हेतु एक विशेष न्यायालय का गठन।

7. सम्पूर्ण समस्या को पूरे परिपेक्ष में अध्ययन कर कारगर सुझाव देने हेतु सचिव पर्यावरण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

बाण्डी नदी के मध्य भाग से 1 किलोमीटर दोनों तरफ जिनकी भूमि है और प्रदूषण से प्रभावित है, का विवरण

क्र. सं.	नाम ग्राम	प्रभावित काश्तकारों की संख्या	कुओं की संख्या	क्षेत्रफल (बीघा में) बीघा	बिस्वा
	तहसील पाली के ग्राम				
1.	सज्जनपुरा	93	14	1000	17
2.	सोनाई लाखा	52	10	1024	18
3.	चाटेलाव	152	39	1972	10
4.	साजो	8	3	389	09
5.	रूपावास	10	16	949	16
6.	मुलियावास	11	15	802	01
7.	केरला	15	25	1537	02
8.	पाली चक एक	25	15	187	08
9.	पाली चक दो	64	37	1875	04
10.	मालपुरा	7	3	451	19
11.	मण्डीया	18	16	702	10
12.	गिरादड़ा खा	33	27	1119	05

1	2	3	4	5	6
13.	गुलाबपुरा	45	24	1122	08
14.	पुनायता	82	50	761	04
15.	जवड़िया	152	50	2514	09
16.	गढवाड़ा	137	34	2380	03
17.	सुकरलाई	62	10	626	01
18.	जेतपुर	115	39	1489	04
19.	मुरडिया	45	19	1326	03
20.	दिवान्दी	80	36	1538	18
21.	फेकारिया	46	14	1501	08
22.	नेहड़ा	20	18	1502	14
23.	घोलेरिया जागीर	45	29	1319	16
24.	घोलेरिया सांसण	55	21	1587	00
	योग	1362	564	25682	07

Sd

प्रभारी अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर

265. श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरी-सिंह पुर), एवं

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर का केन्द्रीय जेल शहर के मध्य आबादी के बीच आ जाने से बीकानेर नगर निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ?

(2) उक्त केन्द्रीय जेल को बीकानेर शहर के बाहर कब तक शिफ्ट कर दिया जायेगा ?

(3) क्या इस हेतु नगर विकास न्यास बीकानेर ने जमीन का आवंटन कर दिया है ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त आवंटन विभाग द्वारा करवा लिया जायेगा ?

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(4) गत दो वर्षों में उक्त केन्द्रीय जेल को बीकानेर शहर से बाहर ले जाने हेतु क्या कदम उठाये ? उक्त सन्दर्भ में अब तक की गई कार्यवाही का सार संक्षेप में सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह स्वाभाविक है कि इसके कारण नागरिकों को कुछ असुविधा होती हो, नागरिकों से परेशानी संबंधी कोई शिकायत आना नहीं पाया जाता है।

(2) नवीन कारागृह भवन के निर्मित होने पर ही वर्तमान जेल को शिफ्ट किया जाना संभव होगा।

(3) जी नहीं। भूमि आवंटन के संबंध में जिलाधीश, बीकानेर, वरिष्ठ नगर नियोजक, तहसीलदार राजस्व एवं सचिव नगर विकास न्यास, के मध्य कार्यवाही चल रही है।

(4) गत दो वर्षों से केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर को शहर से बाहर ले जाने हेतु की गई कार्यवाही का संक्षिप्त सार परिशिष्ट "ए" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "ए"

दिनांक 25.5.89 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री बी. डी. कल्ला के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री (तत्कालीन) के अतिरिक्त माननीय जेल राज्य मंत्री श्री अश्कअली टांक (तत्कालीन) महानिदेशक, कारागार, जिला कलेक्टर, बीकानेर एवं उप शासन सचिव गृह जेल ने भाग लिया था इसमें निम्न निर्णय लिये गये थे :—

1. केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर शहर के मध्य में स्थित है जहाँ न केवल नागरिकों को असुविधा होती है बल्कि कारागृह भी इतनी सुरक्षित नहीं है। अतः इसे वर्तमान स्थान से शहर से अलग कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया।

2. जिलाधीश, बीकानेर केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर हेतु शहर से 4-6 किलोमीटर की दूरी पर भूमि तलाश करें जो जयपुर बीकानेर सड़क पर स्थित हो।

3. भवन हेतु अपेक्षित भूमि का माप तथा अनुमानित व्यय से डी. एम. बीकानेर तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय को अवगत करायेंगे इस संबंध में महानिदेशक कारागार गृह द्वारा तत्कालीन राज्य मंत्री कारागार को एक यू. ओ. नोट दिनांक 26.5.89 को भेजा गया।

राज्य सरकार ने अपने पत्रांक प. 11(18) गृह-12/कारा/90 दिनांक 11.7.90 के द्वारा केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के नये भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधीश,

बीकानेर से वार्ता करने हेतु कारागार विभाग को निर्देश दिये। महानिदेशक एवं महा-निरीक्षक कारागार द्वारा पत्र क्रमांक 28005–9 दिनांक 20.7.90 के द्वारा अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर को नये भवन हेतु 40 एकड़ भूमि जिला कलक्टर बीकानेर एवं नगर नियोजक, बीकानेर से सम्पर्क कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस पत्र की प्रति जिला कलक्टर, बीकानेर एवं नगर विकास न्यास, बीकानेर को भी दी गई। अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक 1994-96 दिनांक 4.8.90 से जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर को भूमि आवंटन करने हेतु निवेदन किया। जिला कलक्टर, बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक सं. भ./2–3/राजस्व/90/3027 दिनांक 27.12.90 से वरिष्ठ नगर नियोजक, प्रशासक नगर परिषद्, सचिव नगर विकास न्यास एवं तहसीलदार, बीकानेर को जेल भवन के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा।

सचिव नगर विकास न्यास ने अपने पत्रांक 953 दिनांक 31.1.91 को जिला कलक्टर, बीकानेर को संबोधित किया है तथा प्रति अधीक्षक जेल बीकानेर को दी है, के साथ वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र संख्या 121 दिनांक 17.1.91 को प्रति सहित भेजा है।

वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 17.1.91 से सूचित किया है कि कारागृह भवन निर्माण हेतु जयपुर सड़क व उदासर सड़क के जंक्शन बिन्दु पर 80 एकड़ भूमि प्रस्तावित है।

राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प. 25(ग) (1) गृह–2/89 दिनांक 1.2.91 से जिला कलक्टर, बीकानेर को नई जेल बनाने हेतु भूमि का आवंटन करने हेतु लिखा। जिला कलक्टर, बीकानेर ने अपने पत्र संख्या 263 दिनांक 11.2.91 से तहसीलदार बीकानेर को उक्त भू–खण्ड का राजस्व रिकार्ड के आधार पर मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट मय मौका नक्शा बनाकर भेजने हेतु लिखा तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर ने अपने अ.शा. पत्र क्रमांक एफ. 2(3) 389 दिनांक 22.2.91 तहसीलदार, बीकानेर को लिखा गया है।

केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर का नया भवन बनाने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता होगी के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से जानकारी चाही गई तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नये भवन का नक्शा चाहा गया। राजस्थान में केन्द्रीय कारागृहों के नये भवन आधुनिक डिजाइन पर बनवाये जाने का विचार है। आधुमिक डिजाइन पर कुछ वर्षों पहले उत्तर प्रदेश में आगरा में नया केन्द्रीय कारागृह भवन बनाया गया था। अतः मुख्यालय से एक अधिकारी को दिनांक 31.8.91 को आगरा भेजकर आगरा जेल का नक्शा प्राप्त किया गया। आगरा जेल का नक्शा प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक-निरी/भवन/147/89–90/32169 दिनांक 23.9.91 से नक्शा मुख्य वास्तुविद सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजते हुए निवेदन किया गया कि नये

केन्द्रीय कारागृह का स्टेण्डर्ड टाइप डिजाइन तैयार कर भिजवायें ताकि इसके खर्चे का आंकलन किया जा सके। इसके पश्चात् मुख्यालय के अ. शा. पत्रांक 38722 दिनांक 28.11.91 से भी मुख्य वास्तुविद जयपुर को निवेदन किया गया एवं व्यक्तिशः सम्पर्क भी किया गया। परन्तु अभी केन्द्रीय कारागृह भवन का टाइप डिजाइन प्राप्त नहीं हुआ है। संदर्भित टाइप डिजाइन मुख्य वास्तुविद से प्राप्त होने पर खर्चे एवं भूमि के संबंध में आंकलन कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय छात्रावास सरेरा (उदयपुर) का भवन निर्माण

266. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय छात्रावास सरेरा का भवन अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उसे पूरा कराने की क्या कार्यवाही चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उस अधूरे भवन के दरवाजे एवं खिड़कियां निकाल कर कोई ले गया है और भवन की स्थिति दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन का निर्माण अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कराया गया है इसलिए कोई विभाग इसे पूर्ण कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता है ?

उत्तर

(1) जी हां। भवन शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु अतिरिक्त राशि का प्रावधान टी. ए. डी. मद से ही शीघ्र उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

(2) प्राप्त सूचना के आधार पर सरेरा छात्रावास भवन में दरवाजे एवं खिड़कियां लगाना बाकी है। अतः इन्हें निकाल कर ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वैसे इस अपूर्ण भवन जिसका निर्माण पंचायत समिति, खैरवाड़ा द्वारा हुआ है, का हस्तान्तरण अभी तक विभाग को नहीं किया गया है।

(3) यद्यपि यह सही है कि उक्त भवन का निर्माण अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कराया गया है, लेकिन यह सही नहीं है कि कोई विभाग इसे पूर्ण कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता है। इस अधूरे भवन को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु विभाग द्वारा टी. ए. डी. मद से अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा दी जावेगी।

कालेज शिक्षा निदेशालय द्वारा व्याख्याताओं का स्थानान्तरण

267. **श्री मोहनलाल चित्तौड़िया** (कपासन) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा सत्र 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में कॉलेज शिक्षा निदेशालय से व्याख्याताओं के वर्षवार एवं विषयवार कितने-कितने स्थानान्तरण किये गये ?

(2) क्या इस वर्ष वित्तीय संकट को

(श्री मोहनलाल चितौड़िया)

देखते हुये ऐसे स्थानान्तरणों को टाला जा सकता था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निदेशालय द्वारा निम्नलिखित शिक्षा सत्रों में विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के स्थानान्तरण वर्ष वार निम्न प्रकार किये गये हैं :—

शिक्षा सत्र	व्याख्याताओं के किये गये स्थानान्तरणों की संख्या
1987-88	256
1988-89	417
1989-90	400
1990-91	355
1991-92	343

वर्षवार एवं विषयवार स्थानान्तरण किये गये व्याख्याताओं का सूची संलग्न है (परिशिष्ट—क)।

(2) महाविद्यालयों की वर्तमान आवश्यकताओं/परिस्थितियों को देखते हुए ही यह स्थानान्तरण किए गए थे, अतः इन्हें टाला नहीं जा सकता था। इस वर्ष केवल 78 व्याख्याताओं को ही यात्रा व्यय दिया गया है जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम है।

परिशिष्ट-"क"

वर्षवार एवं विषयवार व्याख्याताओं के किये गये स्थानान्तरण सूची

क्र. सं.	विषय	1987-88 स्थानान्तरण	1988-89 स्थानान्तरण	1989-90 स्थानान्तरण	1990-91 स्थानान्तरण	1991-92 स्थानान्तरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	ड्राईंग एण्ड पेंटिंग	1	2	—	2	3
2.	अर्थशास्त्र	15	28	29	26	14
3.	अंग्रेजी	23	23	27	28	36
4.	भूगोल शास्त्र	8	16	14	18	18
5.	हिन्दी	19	25	17	22	21
6.	इतिहास	13	32	28	23	26
7.	लोक प्रशासन	2	1	—	6	2

1	2	3	4	5	6	7
8.	राजनीति विज्ञान	24	29	22	13	18
9.	संस्कृत	2	11	6	7	10
10.	मनोविज्ञान	1	—	—	—	—
11.	समाज शास्त्र	8	18	15	14	12
12.	विधि	2	3	8	4	2
13.	वनस्पति शास्त्र	11	19	12	11	30
14.	रसायन शास्त्र	19	29	30	23	21
15.	गणित	3	15	17	20	23
16.	भौतिक शास्त्र	10	18	29	31	14
17.	प्राणी शास्त्र	21	30	8	18	20
18.	ए.बी.एस.टी.	16	32	33	25	18
19.	व्यावसायिक प्रशासन	20	37	41	23	21
20.	ई.ए.एफ.एम.	35	40	53	30	24
21.	दर्शन शास्त्र	3	5	3	4	1
22.	उर्दू	—	1	—	4	2
23.	कृषि	—	3	5	—	—
24.	भूगर्भ शास्त्र	—	—	1	1	1
25.	संगीत	—	—	2	1	4
62.	गृह विज्ञान	—	—	—	1	2
	योग	256	417	400	355	343

210

सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक, अजमेर के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला

268. **श्री सांवरलाल (भिनाय)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहकारी भूमि विकास बैंक अजमेर के सचिव के विरुद्ध गत समय किसानों से रिश्वत लेकर ऋण देने का मामला सरकार के ध्यान में आया है ?

(2) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसकी जांच करवाई जा रही है।

सिंचाई हेतु मास्टर प्लान

269. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिंचाई मद पर लगातार योजना, व्यय में कमी किये जाने के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपलब्ध पानी का उपयोग करने की दृष्टि से क्या सरकार ने सिंचाई के लिए कोई मास्टर प्लान बना रखा है ? यदि हां, तो मास्टर प्लान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) सिंचाई मद में योजनान्तर्गत, व्यय में कमी नहीं की जा रही है। व्यय का विवरण संलग्न तालिका परिशिष्ट 'अ' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। मास्टर प्लान का सारांश सलग्न तालिका "ब" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट "अ"

सिंचाई मद पर योजना में व्यय की गई राशि का विवरण

	अवधि	व्यय की गई राशि (राशि लाखों में)
1.	प्रथम पंचवर्षीय योजना	2486 81
2.	द्वितीय पचवर्षीय योजना	3536.89
3.	तृतीय पंच वर्षीय योजना	7227.81
4.	वार्षिक योजना 66–69	4383.61
5.	चतुर्थ पंच वर्षीय योजना	9880.74
6.	पांचवी पंच वर्षीय योजना	25775.30
7.	वार्षिक योजना 79–80	6999.44
8.	छठी पंचवर्षीय योजना	41700.27
9.	सातवीं पंचवर्षीय योजना	52483.99
10.	वार्षिक योजना 90–91	12952.92
11.	वार्षिक योजना 91–92 (सम्भावित व्यय)	16290.75

211

ABSTRACT OF

S. No.	Basin	Catchment area (coc) Sc. mile	RUNOFF TMC	Storage by schemes Existing	p. s. on going	tanks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Chambal	10.396	284.35	33.175	2.712	20 165
2.	Banas	18.863	121.89	95.879	2.436	34.338
3.	Luni	13.256	27.89	31.50	0.53	2.92
4.	Mahi	6.546	159.98	25.54	2.015	86.47
5.	Saraswati	3.603	6.48	2.255	0.130	0.887
6.	Sabarmati	1.658	18.101	4.472	0.362	1.631
7.	Parwati	0.732	8.77	7.788	0.175	–
8.	Sabi	1.859	7.552	3.213	0.151	0.937
9.	Banganga	2.685	15.83	13. 3	0.316	0.591
10.	Barah	1.214	6.434	5.273	0.130	–
11.	Gambhir	1.848	18.765	9.862	0.375	2.239
12.	West Banas	0.601	9.880	2.37	0.198	0.54
13.	Sukli	0.357	3.080	0.63	9.061	0.11
14.	Other Nallahas of Jalore distt.	0.417	1.850	0.70	0.040	0.65
	Total— (000)	64.075 or 165.955 Sq. km	690.982 or 15.86 MAF	235.997 or 5.418 MAF	9.631 or 0.22 MAE	151.478 or 3.48 MAF

Note — (1) Deficit relat

(2) Balance on I

जिला जालौर को आवंटित केरोसिन तेल

270. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले को प्रति माह कितना केरोसिन आवंटित किया जाता है ? सरकार की राय में क्या यह आवंटन पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस आवंटन की मात्रा को बढ़ाने का विचार रखती है ?

(2) जालौर में स्थित औद्योगिक इकाइयों को प्रतिमाह कितने केरोसिन की आवश्यकता रहती है ? क्या सरकार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये अलग से केरोसिन आवंटित करती है अथवा नागरिक कोटे में से ही वितरण किया जाता है ?

उत्तर

(1) जालौर जिले को प्रतिमाह 600 के.एल. केरोसीन आवंटित किया जा रहा है। केरोसीन के कोटे में वृद्धि के लिए भारत सरकार से प्रयास किये जा रहे हैं। कोटे में वृद्धि होने पर आवंटन की मात्रा को बढ़ाया जा सकेगा।

(2) जालौर में स्थित औद्योगिक इकाइयों को प्रतिमाह 240 किलो लीटर केरोसीन की आवश्यकता का अनुमान है। एक टैंकर से अधिक मांग वाली औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य-सरकार उद्योग विभाग के माध्यम से केरोसीन का आवंटन करती है तथा एक टैंकर से कम आवश्यकता वाले छोटे उद्योगों को नागरिक कोटे में से वितरण किया जाता है।

वर्ष 1991–92 में विकास कार्यों पर व्यय

271. **डा. चन्द्रभान** (मण्डावा) : क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991–92 के वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास कार्यों हेतु कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवंटित धनराशि में से 31 दिसम्बर, 1991 तक कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग की गई धनराशि से विकास कार्यों के कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि आवंटित धनराशि का सही समय पर सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991–92 के वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास कार्यों हेतु कुल 1166 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। विभाग-वार सूचना परिशिष्ट ''अ'' के स्तम्भ 2 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त आवंटित धनराशि में से 31 दिसम्बर, 91 तक 651.57 करोड़ रु.

(मुख्य (आयोजना) मंत्री)

की धनराशि खर्च की जा चुकी है, जिसकी विभागवार सूचना परिशिष्ट "अ" के स्तम्भ 3 पर उपलब्ध है। विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग में ली गयी धनराशि से विकास कार्यों के जो लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं वे परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध हैं।

(3) वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण आवंटित धनराशि के उपयोग की पूरी सम्भावना है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्व मण्डल बेंच, कोटा

272. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या राजस्व मंडल की बैंच कोटा शहर में प्रतिमाह द्वितीय एवं पंचम सप्ताह में मुकदमों के निस्तारण हेतु लगा करती थी ?

(2) यदि हां, तो अब किस आदेश से इस व्यवस्था को बन्द कर दिया गया ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलवाने की नीति के तहत जनहित में इस सर्किट बैंच को पुनः कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश सं. 38664 दिनांक 9.9.91 के द्वारा कोटा में राजस्व मण्डल, अजमेर की सर्किट बैंच माह सितम्बर व अक्टूबर, 1991 में नही लगाने के आदेश दिये गये थे। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) कोटा में राजस्व मण्डल, अजमेर की सर्किट बैंच पुनः चालू कर दी गई है। माह फरवरी, 1992 में दिनांक 27,28 व 29 को कोटा में सर्किट बैंच लग चुकी है।

राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/न्याय/विविध/91/38664 दिनांक 9 सितम्बर, 1991

आदेश

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार माह सितम्बर व अक्टूबर, 91 में लगने वाली मण्डल की जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवम् बीकानेर की सर्किट बैंच कोटर्स नहीं लगेगी किन्तु उक्त अवधि में जयपुर कैम्प पर डी.बी. एवम् एस.बी. पूर्ववत जाती रहेगी।

आदेशानुसार

ह. 7/9/92

अति. निबन्धक,

राजस्व मण्डल, राजस्थान,

अजमेर

क्रमांक: सम. दिनांक

प्रतिलिपि—1. समस्त रीडर्स
2. कौंजलिस्ट प्रकोष्ठ
3. प्रजेन्टेशन क्लर्क

अतिरिक्त निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

कोटा जिले के वन क्षेत्र हेतु अवाप्त भूमि

273. **श्री बृजराज मीणा** (दीगोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की तहसील दीगोद के गांव भौंरा बल्लभपुरा व पाचड़ा, गढ़ेपान की कितनी भूमि में वन लगाये हुये हैं ? इन गांवों में लगाये गये पौधों पर गत 5 वर्षों में कितना खर्च हुआ है ?

(2) उक्त वन भूमि का चम्बल फर्टीलाइजर गढ़ेपान के द्वारा अवाप्त करने पर कितना मुआवजा पौधों तथा पेड़ों का तथा कितना मुआवजा भूमि का दिया गया है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की दीगोद तहसील के गांव भौंरा, बल्लभपुरा, पाचड़ा गढ़ेपान की 110 हैक्टर भूमि में वन लगाये गये हैं एवं इन पर गत पांच वर्षों में रुपये 3,87,147/– व्यय हुए हैं।

(2) चम्बल फर्टीलाइजर एण्ड केमीकल लि. द्वारा वन भूमि पर वृक्षों का रुपये 630/– मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रुपये 30,69,660/– वन मण्डल, बांरा में जमा कराये गये हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

274. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्र/छात्राओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति देने के राज्य सरकार के अन्तिम आदेश किस वर्ष प्रसारित किये गये थे ?

(2) उस समय छात्रवृत्ति के लिए छात्रों के अभिभावकों/पिताओं के आय की अधिकतम सीमा क्या रखी गई थी ?

(3) आज के मूल्य सूचकांकों के परिपेक्ष्य में आय की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है ?

(4) क्या राज्य सरकार आय की सम्भावित अधिकतम सीमा आदेश के अनुसार संशोधन कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्र/छात्राओं की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा तथा इन्हीं वर्गों के छात्र/छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अन्तिम आदेश वर्ष 1989 में प्रसारित किए गये थे।

(2) उपरोक्त आदेशों के अनुसार पात्र छात्र/छात्रा के माता/पिता/संरक्षक की आय की निर्धारित अधिकतम सीमा का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) आय की निर्धारित सीमा वर्तमान परिपेक्ष्य में ठीक प्रतीत होती है।

(4) इस प्रकार का कोई प्रकरण वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "क"

(I) **पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति :—**

"राजस्थान अनुसूचित जातियों/जन जातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति नियम, 1989"

नियम 3 का उपनियम 3

3 (3) छात्र जिनके माता-पिता जीवित हों, या उनके न होने पर संरक्षक आयकर न देते हों।

(II) **उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति :—**

"भारत में अध्ययन हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना 1988–89 तथा आगे छात्रवृत्ति देने को शासित करने वाले विनियम (1 जुलाई, 1989 से लागू)।

× × × **नियम 5 का उपनियम (III)**

(III) निम्नलिखित "आय जांच" के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियों का भुगतान किया जाएगा :—

(क) उन छात्रों के मामले जिनके माता–पिता अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 1500/– रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।	पूरा अनुरक्षण भत्ता और पूरी फीस
(ख) उन छात्रों के मामले जिनके माता–पिता अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय	

1500/– रु. प्रतिमाह से अधिक है परन्तु
2000/– रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।
और जो निम्नलिखित अध्ययन कर रहे हैं :—

XXX (I) समूह "क" में पाठ्यक्रम	तदैव
(II) समूह "ख", "ग", "घ" और "ड." में पाठ्यक्रम	आधा अनुरक्षण भत्ता और पूरी फीस
(ग) उन छात्रों के मामले में जिसके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 2000/- रु. प्रतिमाह से अधिक है।	को छात्रवृत्ति नहीं
(घ) उन छात्रों के मामले में जो पूर्णकालिक रोजगार में हैं।	कोई छात्रवृत्ति नहीं

XXX कृपया समूह "क" से "ड." में सम्मिलित पाठ्यक्रमों की सूची संलग्नित अनुसंलग्नक में देखें।

अनुसंलग्नक

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम 5 का उपनियम (III) से वर्णित पाठ्यक्रमों के समूहों "क", "ख", "ग", "घ" एवं "ड" की विस्तृत सूची एवं छात्रवृत्ति की दरें :—

अध्ययन पाठ्यक्रम	अध्ययन पाठ्यक्रम	निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर	
		छात्रावास में रहने वाले	छात्रावास में न रहने वाले
1	2	3	4
समूह "क"			
1. चिकित्सा/इंजीनियरिंग	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिए	280	125
2. बी.एस.सी. (कृषि) बी.बी.एस.सी. बी.एफ.एम.सी. (मत्स्य)	तदैव		

1	2	3	4
3. उच्च तकनीकी तथा व्यावसायिक अध्ययनों में जैसे कृषि तथा पशु चिकित्सा में डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	तदैव		
समूह "ख"			
भारतीय चिकित्सा में उपाधि तथा डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम तथा बी.ए.एम.एल.एस. तथा आयुर्वेदिक, यूनानी/तिब्बया तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में समकक्ष इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वस्तुकला, चिकित्सा में डिप्लोमा तथा समकक्ष पाठ्यक्रम मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम तथा विदेशी छात्रों, प्रारूपकार, सर्वेक्षण के लिए पाठ्यक्रम वाणिज्यक विमान चालक लाइसेन्स, होटल प्रबन्ध, भोजन, प्रोद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषण में डिप्लोमा तथा उच्चतर पाठ्यक्रम परिचर्या तथा फार्मेसी में उपाधि तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वायरलैस तथा टेलीविजन आपरेटर, साउण्ड रिकार्डिंग तथा साउण्ड इन्जीनियरिंग, चल चित्र, फोटोग्राफी फिल्म निर्देशन, फिल्म सम्पादन फिल्म व्यवसाय प्रबंध सनदी तथा लागत/निर्माण कार्य लेखा–शास्त्र में उपाधि स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		190	125
समूह "ग"			
इंजीनियरिंग प्रौद्योगिक, वस्तुकला तथा			

1	2	3	4
चिकित्सा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम कृषि चिकित्सा विज्ञान, भारतीय मत्स्याद्योग, डेरी विकास, स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य ग्रामीण सेवा सहकारिता तथा सामुदायिक विकास के लिए पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर में उपाधीधारी पाठ्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण या पुस्तकालय विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला तथा विधि में उपाधि, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तथा उसके बाद	190	125
शिल्प अनुदेशक का प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम होटल प्रबंध में प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम में भोजन प्रबंध प्रौद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार कला तथा वाणिज्यक विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।		175	90
समूह "घ"			
स्नातकोत्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष और आगे)	पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए	175	90
समूह "ड."			
10 जमा 2 पद्धति से 11 वीं और 12 वीं कक्षाएं, इण्टर पाठ्यक्रमों और स्नातक स्तर तक के सामान्य पाठ्यक्रम को प्रथम वर्ष।	तदैव	115	55

बालूराल बालिका डिग्री कालेज, श्रीगंगानगर

275. **श्री केदार नाथ शर्मा** (श्रीगंगानगर) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बालूराम बालिका डिग्री कालेज, श्रीगंगानगर में कुल कितनी छात्रायें अध्ययन कर रही हैं ?

(2) इस कालेज में किन-किन विषयों में अध्ययन की व्यवस्था है ?

(3) इस कालेज के छात्रावास में कितनी छात्राओं को रहने के लिए आवास की सुविधा है ?

(4) राज्य सरकार द्वारा इसको पोस्ट ग्रेजुऐट का दर्जा न देने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) बालूराम बालिका डिग्री कॉलेज, गंगानगर में वर्तमान सत्र में 673 छात्राएं अध्ययन कर रही हैं।

(2) इस कॉलेज में निम्नांकित विषयों के अध्ययन की व्यवस्था है :—

कला संकाय	वाणिज्य संकाय	विज्ञान संकाय	अन्य
हिन्दी, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी एवं गृह विज्ञान	ए.बी.एस.टी. ई.ए एफ.एम. व्या. प्रशा.	भौतिक शास्त्र रसायनशास्त्र जीव विज्ञान बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)	टैक्सटाइल एण्ड ड्राइंग

(3) इस कॉलेज के छात्रावास में 84 छात्राओं के रहने के लिए आवास की सुविधा है।

(4) राज्य सरकार के पास इसे पोस्ट ग्रेज्यूएट का दर्जा प्रदान करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

अखिल राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर्स संस्थान का पंजीयन

276. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई–माधोपुर),

श्री निर्भयलाल (रूपवास) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा प्रदेश में संस्थाओं का पंजीकरण किया जाता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सहकारिता विभाग द्वारा अखिल राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर्स संस्थान जिला, जयपुर पंजीकरण नं. 104/जयपुर/1988-89 पंजीकृत की गई हैं ? यदि हां, तो उक्त संस्था के पंजीकरण प्रमाण-पत्र संघ विधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि संस्था द्वारा 13-12-91 को नया अध्यक्ष मनोनीत कर रजिस्टर्ड पत्र 27-12-91 द्वारा रजिस्ट्रार संस्थायें सहकारी समितियां, जयपुर को कार्यवाही की दो प्रतियां सूचनार्थ भिजवाई गई थीं ? यदि हां, तो कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अन्तर्गत पंजीयन किया जाता है। पंजीयन से सम्बन्धित धाराओं की अंशप्रति परिशिष्ट–"1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र परिशिष्ट-"2" (अ) एवं संविधान की प्रति परिशिष्ट "2" (ब) पर संलग्न है।

(3) जी हां। तत्सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही विचाराधीन है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लूणकरणसर-कालूरोड (बीकानेर) भू–धारकों से वसूल जुर्माना

277. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कस्बा लूणकरणसर जिला बीकानेर की लूणकरणसर कालू रोड के बायें किनारे स्थित आबादी भूमि ग्राम पंचायत अधिकार क्षेत्र की है एवं दाहिने किनारे के क्षेत्र की भूमि कृषि मण्डी प्रशासन के अधिकार क्षेत्र की है ?

(2) क्या मण्डी तहसीलदार लूणकरणसर ने स्थानीय मकान मालिकों एवं भूखण्ड धारियों पर जुर्माना मौजूदा बाजार भाव लगाकर वसूली के आदेश दिये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपनिवेशन तहसील लूणकरणसर समाप्त करके राजस्व तहसीलदार के अधीन कर दी गई है ? यदि हां, तो लूणकरणसर की उक्त आबादी भूमि का क्षेत्राधिकार कानूनन राजस्व तहसीलदार के अन्तर्गत आता है या ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

221

(उपनिवेशन मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी हां। उपनिवेशन तहसील लूणकरणसर की समाप्ति से मंडी लूण-करणसर की आबादी भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है पूर्व में भी यह भूमि मंडी समिति के क्षेत्राधिकार में थी न कि उप-निवेशन तहसील लूणकरणसर के क्षेत्रा-धिकार में और उपनिवेशन तहसील की समाप्ति के बाद भी यह भूमि मण्डी समिति के क्षेत्राधिकार में ही आती है।

ग्राम खानिया (जयपुर) में लगे क्रेशर्स से प्रदूषण

278. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर परिषद् के अन्तर्गत ग्राम खानिया आगरा रोड पर स्टोन क्रेशर्स लगे हुये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन स्टोन क्रेशर्स के चलने से जो धूल उड़ती है उसके कारण खानिया ग्राम के अधिकांश नागरिक दमे एवं श्वास रोग से पीड़ित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्टोन क्रेशर्स को यहां से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, ग्राम खानिया के अधि-कांश नागरिकों का दमे एवं श्वास से पीड़ित होने बाबत राज्य सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी इस बाबत सर्वे करवाया जा रहा है।

जैतारण (पाली) का छात्रावास भवन

279. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैतारण जिला पाली में समाज कल्याण छात्रावास भवन हेतु राज्य सरकार ने कितनी राशि कब स्वीकृत की ?

(2) क्या स्वीकृत राशि के अनुसार छात्रावास भवन निर्माण कार्य सम्पूर्ण हो गया ? यदि नहीं तो क्यों ? अब कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

(3) क्या स्वीकृत राशि में भवन निर्माण सम्पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो और कितनी राशि की आवश्यकता रहेगी ?

(4) निर्माण कार्य की निविदा किस ठेकेदार के नाम स्वीकृत की गई ? क्या ठेकेदार ने समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण कार्य बन्द कर दिया ?

उत्तर

(1) जैतारण जिला पाली में समाज कल्याण छात्रावास भवन हेतु राजस्थान

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम, राजस्थान जयपुर द्वारा 14.60 लाख रु. की स्वीकृति दिनांक 9.1.89 को जारी की गई।

(2) जी.नहीं। ठेकेदार ने कार्य को अधूरा छोड़ दिया है, जिसके विरुद्ध अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात् निविदायें जारी की जायेंगी। तदोपरान्त कार्य शीघ्र ही पूर्ण करवा लिया जावेगा।

(3) जी हां।

(4) उक्त निर्माण कार्य की निविदा मैसर्स रवि कन्सट्रक्शन कम्पनी, पी. डब्लू. डी. ठेकेदार जैन मन्दिर रोड़, सांगानेर, जयपुर के नाम स्वीकृत की गयी। जी नहीं।

223

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट–1

अतारांकित प्रश्न संख्या 379 की सूची

राजकीय	तार	साधारण

उप/सहायक रजिस्ट्रार

सहकारिता

मार्केटिंग सोसायटियों के चुनाव में अनुसूचित जाति का पद निर्वाचन द्वारा नहीं भरे जाने की अवस्था में निर्योग्यताओं रहित वरिष्ठतम तीन व्यक्तियों पैनल निम्न वरीयता के आधार पर समितिवार पठावें (.) प्रथम पैक्स अध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष, तृतीय संचालक मण्डल का सदस्य अथवा चतुर्थ समिति का सदस्य (.) अनुसूचित जनताति का पद रिक्त रहने की अवस्था में संस्था के व्यक्तिगत जनजाति सदस्यों में से निर्योग्यता रहित वरिष्ठतम तीन व्यक्तियों के नाम मनोनयन हेतु पठावें (.)

रजिस्ट्रार

तार में सम्मिलित नहीं करें ।

ह.
रजिस्ट्रार
सहकारी विभाग, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक फा. 15(10) सविरा/नियम/87/पार्ट–1 दिनांक

प्रतिलिपि तार की पुष्टि हेतु :—

1. संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां .... को पठाकर लेख है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उनके क्षेत्र से वांछित पैनल इस कार्यालय को पठा दिये गये हैं ।

2. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,.....................को पठाकर लेख है कि आप अपने क्षेत्र की क्रय विक्रय सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न होते ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पद निर्वाचन से नहीं भरे जाने की

स्थिति में निर्योग्यताओं रहित तीन व्यक्तियों का पैनल निम्न वरीयता को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को पठावेंगे :—

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष
2. ग्राम सेवा सहकारी समिति का उपाध्यक्ष
3. ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्रबन्धकारिणी का सदस्य
4. ग्राम सेवा सहकारी समिति का साधारण सदस्य

उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2, 3, में से जो सदस्य द्वितीय टर्म में निर्वाचित होकर अपनी संस्था की प्रबन्ध कारिणी में निर्वाचित हुआ है, उसी सदस्य को तथा क्रमांक 4 में संस्था के वरिष्ठतम सदस्य को प्राथमिकता दिलाते हुए पैनल भिजवायें।

अनुसूचित जनजाति का पद रिक्त रहने की अवस्था में क्रय विक्रय समिति के व्यक्तिगत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से निर्योग्यता रहित वरिष्ठतम तीन व्यक्तियों का नाम पठावेंगे ताकि उनके मनोनयन की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जा सके।

3. गार्ड पत्रावली

ह.
उप रजिस्ट्रार (नियम)

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 380 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

श्री गंगानगर जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियों का वर्ष 1987 एवं 1989-90 का तुलनात्मक विवरण —

	विवरण	वर्ष 1986–87	वर्ष 1989–90
1.	हिस्सा पूंजी	रु. 143.77 लाख	रु. 186.02 लाख
2.	कार्यशील पूंजी	रु. 528.55 ,,	रु. 553.17 लाख
3.	व्यापार किया	रु. 2322.81 ,,	रु. 3331.27 ,,
4.	वर्ष का लाभ	रु. 16.25 ,,	रु. 14.02 ,,
5.	वर्ष की हानि	रु. 24.20 ,,	रु. 11.39 ,,
6.	आडिट वर्गीकरण—		
	I– ब श्रेणी	3	3
	II– स श्रेणी	21	16

नोट — सादुलशहर की फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. सादुलशहर का पंजीयन अगस्त, 1990 में हुआ है, अतः इस समिति के आंकड़ें उक्त विवरण में सम्मिलत नहीं हैं ।

परिशिष्ट "ब"

अतारांकित प्रश्न संख्या 15/सह. मंत्री/प्रश्न कर्ता श्री हेतराम बेनीवाल (197) सदस्य; राजस्थान विधान सभा।

दोषी व्यक्तियों की सूची—

1. शैलेन्द्र सिंह
2. साधूसिंह
3. अमरसिंह
4. सन्तलाल गोयल
5. जगदीश
6. ओमप्रकाश
7. सोहनलाल
8. गिरधारीलाल
9. नन्दलाल
10. मदनमोहन शर्मा
11. जगदीश प्रसाद
12. काशीराम
13. बुधराम
14. आदराम
15. बनवारीलाल
16. पुष्करदत्त
17. साधूराम
18. भरतसिंह
19. रामेश्वरलाल
20. मोहरसिंह
21. उम्मेदसिंह
22. राजेन्द्रसिंह
23. शंकरलाल
24. विक्रमसिंह
25. गंगाप्रसाद
26. भजनलाल
27. राधाकिशन
38. दौलतराम
39. बस्तीराम
30. जीतसिंह
31. काशीराम
32. कृष्णचन्द्र
33. श्रवणराम
34 देशराज
35. शिशुपाल कुमार
36. दौलतकुमार
37. डिप्टीसिंह ढिल्लों
38. सुरेन्द्र कुमार
39. दौलतराम
40. रामजीलाल
41. अमरचन्द
42. अमरजीत सिंह
43. बनवारी लाल
44. शिवलाल सिंह
45. चित्राल सिंह

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 387 की सूची

क्र. सं.	नाम न्यायालय	कुल प्राप्त मामलों की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	अवशेष प्रकरण की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	जिला कलक्टर, जालौर	76	70	6	कस्बा भीनमाल के 4, जालौर का एक तथा सांचौर का एक कुल छः प्रकरण अवशेष हैं।
2.	उप खण्ड अधिकारी, जालौर	1748	1633	115	ये सभी प्रकरण कस्बा जालौर के अवशेष हैं।
3.	उप खण्ड अधिकारी, भीनमाल	2005	1806	199	कस्बा भीनमाल 138 व सांचौर के 61 प्रकरण विचाराधीन हैं।
	कुल योग :—	3829	3509	320	

परिशिष्ठ-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 393 की सूची

तहसील प्रतापगढ़

क्र. सं.	नाम वार्ड पंचायत/जहां दुकान स्थित है।	नाम डीलर	कार्यरत वर्ष	प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	प्रतापगढ़ न.पा. वार्ड नं. 1	लक्ष्मीनारायण/महावीर कुमार	1977	16.6.77
2.	,, 2	ललितकुमार/शांतीलाल	1977	16.6.77
3.	,, 3	मांगीलाल भाण्डावत	1980	21.1.80
4.	,, 4	कान्तिलाल/सज्जनलाल	1977	16.6.77
5.	,, 5	कैलाश चन्द महेश्वरी	1983	16.5.83
6.	,, 6	दाडमचंद/मेघराज	1977	16.7.77
7.	,, 7	समरथमल/रतनलाल	1981	29.7.81
8.	,, 8	रमेशचन्द/मोहनलाल	1980	2.2.80
9.	,, 9	ललितकुमार/लक्ष्मण	1991	20.8.91
10.	,, 10	महेन्द्रकुमार/रामचन्द्र खटीक	1991	20.8.91
11.	,, 11	कमलकुमार/चांदमल	1982	29.3.82
12.	,, 12 अस्थाई	,, ,,	1991	29.3.82
13.	,, 13	कान्तिलाल/मगन लाल	1980	14.1.80
14.	,, 14	श्रीमती शकुन्तला सोमानी	1987	18.3.87
15.	,, 15	श्री मोहनलाल/पूनमचन्द	1977	16.6.77
16.	,, 16	श्री सेवन्तिलाल/मांगीलाल	1977	16.6.77
17.	,, 17	श्री नरेन्द्र कुमार/किशनलाल	1986	27.3.86
18.	,, 18	श्री चांदमल/किशनलाल	1980	5.2.80
19.	,, 19	श्री नेमीचंद/धनपाल गांधी	1080	5.2.80

(229)

1	2	3	4	5
	ग्रामीण प्रतापगढ़ क्षेत्र			
20.	मथुरा तालाब	श्री भंवरलाल/केसूराम टांक	1990	11.1.90
21.	बाराबरदा	श्री गणपतलाल/देवीराम सुथार	1986	21.1.86
22.	बाराबरदा (तलाया)	श्री रखबचन्द/पेमा मीणा	1988	6.9.88
23.	मथुरा तालाब (जाखम डेम)	श्री भागचन्द/रामचन्द्र खटीक	1987	2.4.87
24.	धमोतर (अस्थाई)	लेम्पस–कुल्मीपुरा	1991	18.7.79
25.	कुलमीपुरा	लेम्पस कुल्मीपुरा	1979	18.7.79
26.	धमोतर (बादडीखेडा)	,, ,,	1990	16.1.90
27.	कुल्मीपुरा (नकोर)	,, ,,	1988	2.12.88
28.	चिकलाड़	केशर सिह/डूंगर सिह राजपूत	1986	29.1.86
29.	चिकलाड़ (मारूपुर)	महेन्द्र सिह/निहाल सिह राजपूत	1986	29.1.86
30.	देवगढ़	श्री कचरिया/देवजी मीणा	1987	13.8.87
31.	पण्ड़ावा	श्री केशरीमल/प्रताप मीणा	1988	13.4.88
32.	पंडावा (बडी अम्बेली)	श्री रूपलाल/रामा मीणा	1988	21.4.88
33.	रामपुरिया (मेहिडो का खेड़ा)	श्री नवलराम/कमजी मीणा	1985	9.12.85
34.	अचलपुरा	लेम्पस अचलपुरा	1988	29.6.87
35.	अचलपुरा (पांच ईमली)	,, ,, (अस्थाई व्यवस्था)	1991	29.6.87
36.	सिद्धपुरा	लेम्पस सिद्धपुरा,	1980	28.2.80
37.	सिद्धपुरा (भुवासिया)	,, ,, (अस्थाई व्यवस्था)	1990	28.2.80
38.	पानमोडी	,, पानमोडी	1988	16.6.77
39.	रणजना	लेम्पस पानमोडी (अस्थाई)	1991	16.6.77
40.	रणजना	लेम्पस पान मोडी (अस्थाई)	1991	16.6.77
41.	पानमोड़ी (सेमलीपुर)	श्री लक्ष्मण लाल/अमृतराम कुमावत	1988	4.5.88
42.	नारायण खेड़ा	श्री भैरूलाल/गांगाजी मीणा	1988	6.9.88

1	2	3	4	5
43.	नारायण खेड़ा (नवजीवनखेड़ा)	श्री आशाराम/लिम्बा मीणा	1989	25.4.89
44.	खोरिया	श्री विमलचन्द/सुजानमल जैन	1988	6.9.88
45.	बेरड़िया	श्री भैरूलाल/शंकरलाल मीणा	1986	14.11.86
46.	थेड़ा	श्री कमलकुमार/जगदीश चन्द (अस्थाई)	1991	24.6.88
47.	पीलू	लेम्पस पीलू	1977	9.8.87
48.	अमलावद	श्री नंदकिशोर/भैरूलाल राठौड़	1986	29.12.86
49.	मादोला	श्री कमलकुमार/जगदीश चन्द	1988	24.6.88
50.	देवगढ़ (जोला— (हैड क्वार्टर चिकलाड़)	श्री केशर सिंह/डूंगरसिंह (अस्थाई)	1987	29.1.86
51.	चिकलाड़ (भीया—अम्बालाल मु. प्रयासपुर)	श्री महेन्द्र सिंह/निहाल सिंह (अस्थाई)	1989	29.1.86
52.	असावता	लेम्पस असावता	1979	10.7.79
53.	कुणी	,, सेलारपुरा	1979	10.7.79
54.	बसेरा	,, सेलारपुरा	1979	10.7.79
55.	अचलेश्वर	श्री कन्हैयालाल/किशनलाल दर्जी	1987	6.7.87
56.	मनोहरगढ़ (बनोदियां खुर्द)	श्री मोहनलाल/पूनमचन्द जैन	1986	28.2.86
57.	खेरोट	श्री दिनेशकुमार/रखबचन्द महाजन	1986	4.2.86
58.	कुलथाना	लेम्पस कुलथाना	1979	9.7.79
59.	गंधेर	लेम्पस कुलथाना	1979	9.7.79
60.	डाबड़ा	श्री किशनलाल/थारू दर्जी	1980	15.3.80
61.	बेसांड़ा	श्री बहादुरसिंह/बेगमलाल आजंना	1988	13.8.87
62.	वीरपुरा (मु. सुहागपुरा)	श्री दिलीप कुमार/चांदमल जैन	1987	21.8.87
63.	सुहागपुरा	लेम्पस सुहागपुरा	1986	27.3.86
64.	मु. सुहागपुरा (बगडावद)	श्री दिलीप कुमार/चांदमल जैन (अस्थाई)	1990	21.8.87

1	2	3	4	5
65.	कचोरिया	श्री प्रदीपकुमार/सागर मल सेठिया	1986	8.2.86
66.	अचलपुर (दोतडा) ग्रा. प्राइलियां	श्री नरेन्द्र कुमार/किशनलाल चोपड़ा (अस्थाई)	1990	27.3.86
67.	भासडी	श्री शंकरलाल/चंपालाल टांक	1987	15.7.87
68.	घाटारसी (कल्याणपुरा)	लैम्पस कल्याणपुरा	1979	12.2.79
69.	पंडावा (II)	श्री केशरीमल/प्रताप मीणा (अस्थाई)	1990	13.4.88
70.	अरमण्डल	श्री कन्हैयालाल/किशनलाल दर्जी (अस्थाई)	1990	6.7.87

तहसील अरनोद

1.	अरनोद 1/2 वार्ड 1 से 5	लैम्पस अरनोद	1979	17.7.79
2.	अरनोद 1/2 (वार्ड 6 से 10)	मै. भेरूलाल/ओमप्रकाश	1981	30.7.81
3.	अचलावदा पंचायत	लैम्पस अरनोद	1986	17.7.86
4.	सारथली खुर्द पंचायत 1/2	लैम्पस सारथली खुर्द	1986	21.6.86
5.	;; ;; 1/2	मै. भगवालाल डांगी	1982	15.12.82
6.	नोगांवा 1/2	लेम्पस साखथली खुर्द	1989	22.7.89
7.	;; ;;	मै. मांगीलाल डांगी/फरेडी	1986	27.3.86
8.	दलोठ 1/3 वार्ड नं. 4 से 7	लैम्पस दलोट	1979	12.7.79
9.	दलोठ 1/3 वार्ड 1 से 3	मै. भानसिंह जैन	1986	12.8.86
10.	दलोठ 1/3 वार्ड नं. 8 से 10	मै. उमराव सिंह	1983	20.6.83
11.	बड़ी सांखथली 1/2 (अस्थाई व्यवस्था)	लेम्पस बड़ी सांखथली	1985	17.12.85
12.	कानगढ़ 1/2 बड़ी सांखथली पंचायत	मै. रामचन्द्र मीणा	1991	25.9.91

(239)

1	2	3	4	5
13.	नागदेडा (पंचायत बेडमा)	लेम्पस नागदेडा	1979	10.7.79
14.	बेडमा 1/2 (अस्थाई व्यवस्था)	लेम्पस नागदेडा	1979	10.7.79
15.	अचनारा 1/2	लेम्पस बरखेडी	1977	16.6.77
16.	भचूण्डला	रामचन्द्र/पुत्र मांगीलाल मीणा	1991	10.4.91
17.	अम्बोरामा	लेम्पस बडी सांखथली	1985	17.12.85
18.	लालगढ़	मैं. नागूलाल मीणा	1987	22.4.87
19.	कोटडी 1/2	लेम्पस कोटडी	1977	12.7.77
20.	कोटडी 1/2 (भावाई)	मैं. भगवानदास बैरागी/भाभाई	1977	16.7.77
21.	जाजली	मैं. पून्जा मीणा/आदिगेरा	1986	21.2.86
22.	कोदीमेरा	मैं. अमृतराम मीणा	1989	10.5.89
23.	चूपना	लेम्पस चूपना	1982	25.9.82
24.	मोहेड़ा	लेम्पस मोहेड़ा	1982	25.9.82
25.	फतेहगढ़	मैं. लक्ष्मण मीणा आर.ओ. चौकसी (अस्थाई व्यवस्था)	1988	3.5.88
26.	हिंगलाट	मैं. खेमराज मीणा हिंगलाट	1992	20.2.92
27.	चकुण्डा	मैं. जगदीश चन्द्र अंजना चकुण्डा	1987	17.3.87
28.	रायपुर 1/3	मैं. लक्ष्मीनारायण चौधरी, रायपुर	1984	7.12.84
29.	रायपुर 1/3	लेम्पस दलोट	1979	12.7.79
30.	बोरी (रायपुर 1/3)	मैं. मांगीलाल मीणा नि. बोरी	1990	5.4.90
31.	पूज्याखेडी (उठेल)	कन्हैयालाल मीणा नि. पूज्याखेडी	1988	10.2.88
32.	रायपुर (उठेल 1/2)	मैं. लक्ष्मीनारायण चौधरी, रायपुर	1984	7.12.84

1	2	3	4	5
33.	सालमगढ़ 1/2 वार्ड 5 से 8	लेम्पस सालमगढ	1980	3.4.80
34.	सालमगढ 1/2 वार्ड 1 से 4	मै. जसवन्त सिंह राजपूत	1987	13.10.87
35.	सात सहेलिया (सेवना 1/3)	मैं. तोलाराम मीणा, सात सहेलिया	1990	9.3.90
36.	बडवा सकलां (सेवना 1/3)	मैं. रंगलाल मीणा नि. बडवासकलां	1982	24.9.82
37.	चीकली (सेवना 1/3)	मैं. लक्ष्मण मीणा नि. चीकली	1988	3.5.88
38.	निनोर 1/2	मैं. अभय कुमार जैन नि. निनोर	1986	16.8.86
39.	निनोर 1/2 (अस्थाई व्यवस्था)	मैं. अभय कुमार जैन नि. निनोर	1986	16.8.86

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 398 की सूची

परिशिष्ट "अ"

सिंचित क्षेत्र में आने वाले गांव

1. जिला–जालौर तहसील सांचौर

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	जोराधर	22.	खामराई
2.	बलधरा	23.	आखा
3.	सांतरा	24.	अंचलपुर
4.	घातिया	25.	रिडका
5.	जामनी	26.	आकोडिया
6.	भाटकी	27.	हातोड़ा
7.	बालोरा	28.	फोगडवाड़ा
8.	धौगपुरा	29.	इडूसन
9.	पावटा	30.	डूंगरी
10.	सावडवा	31.	सांकरिया
11.	बालत चौहान	32.	भादरवा
12.	बगसडी	33.	भूबाब
13.	भडवाल	34.	जैरासा
14.	भवातारा जोठ सरदारपुरा	35.	गोभी
15.	डडिया	36.	गादण
16.	बिछवाड़ी	37.	बरणया
17.	भाटवास	38.	सूथडी
18.	हिन्दवाड़ा	39.	रामपुरिया
19.	काछेला	40.	इसरोल
20.	रतनपुरा	41.	धारनीय
21.	ताक	42.	गलीफा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं	ग्राम का नाम
43.	सरवाना	65.	ढाणी
44.	भेडा	66.	पालडी सोल
45.	मण्डाली	67.	झोटडा
46.	चितलवाडा	68.	भीमगढ़ा
47.	केसुरी	69.	खेजडीपाली
48.	मानकी	70.	सिवाडा
49.	गोधवखुर्द	71.	पादडली
50.	गोधव कला	72.	केरिया
51.	होती गांव	73.	सुराचन्द
52.	छनारा	74.	बाबरला
53.	सिलाणव	75.	डूठवा
54.	मेलावास	76.	अगवाडा
55.	बरठवा		
56.	डवाल		2. जिला बाडमेर
57.	अमाली		तहसील गुडामलानी
58.	डाबल	1.	डाबली
59.	लालपुर	2.	रड्डू
60.	सिलू	3.	अरबीयाली
61.	फीलवा	4.	पुरावा
62.	खेन्दर	5.	आकली
63.	थुडवा	6.	आबेरी
64.	बिम्बाज	7.	डबोई

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 399 की सूची

प्रपत्र "अ"

कोटा जिले में स्वीकृत हुये कार्यों की सूची :—

क्र. सं. कार्य लिफ्ट सिंचाई योजना	नाम तहसील	सी.सी.ए. एकड़	राशि (लाखों में)
1. (1) हिंगी एनीकट लिफ्ट योजना नं. 17	सांगोद	125	1.238
(2) ,, ,, नं. 2	,,	125	1.38
(3) ,, ,, नं. 3	,,	125	1.25
(4) ,, ,, नं. 4	,,	125	0.950
2. कालिया हेडी (एनीकट श्रोल्ड)	,,	100	3.00
3. तालेबी एनीकट	,,	105	3.50
4. साण्डपुरा चौराहा	रामगंज मण्डी	100	2.75
5. बास्या हेडी	सांगोद	100	3.75
6. फतेहपुर एनीकट	दीगोद	100	3.50
7. विनोद खुर्द एनीकट	सांगोद	125	5.00
8. सावन भादो लिफ्ट नं. 1	सांगोद	100	1.00
9. सावन भादो लिफ्ट नं. 2	सांगोद	90	0.97
10. रावका (श्रोल्ड एक्जीस्टिंग टैंक)	लाडपुरा	100	5.00
11. हरीपुरा (श्रोल्ड एक्जीस्टिंग टैंक)	लाडपुरा	100	4.90
12. पाचन कुई	लाडपुरा	100	3.00
13. दी गधा	लाडपुरा	75	3.50
14. बावड़ी खेड़ा	लाडपुरा	125	3.00
15. धरनावदा (पुराना नाम गणेशपुरा)	रामगंजमण्डी	100	3.00
16. खूजरी लिफ्ट नं. 1 व 2	सांगोद	120	3.00
17. प्रहलादपुरा लिफ्ट नं. 1 व 2	लाडपुरा	90	2.75
	(एकड़)	2155	56.438

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 404 की सूची

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

प्रपत्र-"अ"

अतारांकित प्रश्न सं. 24 के बिंदु संख्या में वर्णित

आयोजना भिन्न मद में प्राप्त राशि (लाखों में)

वर्ष	संवेतन	कंटीजेंसी	योग
1989-90	149.40	6.50	155.90
1990-91	189.90	6.50	196.40
1991-92	187.97	9.10	197.07

आयोजना मद में प्राप्त राशि (लाखों में)

वर्ष	संवेतन व कंटीजेंसी
1989-90	5.67
1990-91	6.02
1991-92	8.83

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
1989–90

क्र. सं.	बिल संख्या व दिनांक	आइटम का नाम	नग	मूल्य
1.	1309/20.1.90	विजिटिंग चेयर	10	5376.00
2.	326/20.2.90	स्टील लाइब्रेरी सैल्फ	15	10721.75
3.	430/19.3.90	,,	15	10721.75
4.	202/11.1.90	सेंटर टेबुल	2	2300.00
5.	82744/11.10.89	पर्दे का कपड़ा	26 मीटर	916.00
6.	189/17.3.90	आयरन बोक्सेज	3	892.00
7.	23054/11.10.89	पेडस्टल फेन	2	2460.00
8.	378/19.4.89	एक्सस्टेड फैन	2	1920.00
9.	63/15.11.90	बैटरी	5	5134.00
10.	53/16.8.89	आयरन एंगल फ्रेम	24	8448.00
11.	140120–27/16.1.90	टेपेस्टी क्लाथ	104 मीटर	1702.00
12.	02/5.2.90	रेलिंग आयरन फ्रेम	2	3278.80
13.	1310/28.1.90	लेक्चर स्टैण्ड	2	1650.00

क्र. सं.	बिल संख्या व दिनांक	आइटम का नाम	नग	मूल्य
14.	23174/22.11.89	पेडस्टल फैन	2	2460.00
15.	टंकण यंत्र हिन्दी 31.7.89	टंकण यंत्र हिन्दी	1	5040.00
16.	446/27.9.89	थूकदान	4	689.70
17.	7.2.90	जी.आई.पाइप	91.50 मीटर	5564.18
18.	96 जी/14.11.89	चैंन लिंक फेनसिंग वायर	5 रोल	7837.00
19.	97 जी/14.11.89	,,	7 रोल	10972.50
20.	192/14.12.89	मुड्डे	50	3750.00
21.	1318/4.2.90	विजिटिंग चेयर आयरन	12	4485.00
22.	325/20.2.90	स्टील टेबुल	06	6954.00
23.	430/19.3.90	,,	03	3476.00
24.	369/27.3.90	वुडिन स्क्रीन	02	4009.00

ह.
प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

240

प्रपत्र 'ब' (2)

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

1990–91

क्र. सं.	बिल संख्या व दिनांक	आइटम का नाम	नग	मूल्य
1.	567/25.2.91	स्टील अलमारी	10	14306.00
2.	15380/11.12.90	दीवार घड़ी	1	90.00
3.	1.7.91	कुशनगद्दी	3	270.00
4.	2420 एवं 2871/15.4.91	ब्रीफ केस	03	660.00
5.	71/8.1.91	सीज फायर	03	360.00
6.	4377/24.1.90	केलकुलेटर	06	858.00
7.	567 व 168/25.2.91	कुर्सी आयरन फुल आर्म	50	8660.00
8.	1543/23.3.91	कुशन चेयर लकड़ी के	14	9988.16
9.	173/13.3.91	दरी	04	4609.65
10.	47/2.10.90	दरी	02	3248.70
11.	233/23.3.91	जेट पम्प	01	7725.00
12.	6338/19.3.91	पाइप लोहे के	160.92 फीट	9956.00

1	2	3	4	5
13.	11168/20.2.91	स्टील अलमारी (गोदरेज)	02	10157.50
14.	567/25.2.91	सनमाइका टेबल छोटी	15	10921.50
15.	548/24.1.91	दीवार घड़ी	04	380.00
16.	51/20235/11.2.91	वाटर कूलर	02	44571.50
17.	175/1.12.90	ताले	20	220.00
18.	176/1.12.90	कैंची	02	130.00
19.	60/16.1.91	ताले	02	160.00
20.	1246/18.3.91	सिन्टेक्स टंकियां	03	10000.00
21.	867/25.2.91	लाइब्रेरी रैक बड़ी	35	20335.00
22.	868/25.2.91	लाइब्रेरी रैंक छोटी	30	7956.00

ह./–
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

प्रपत्र "ब"

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

वर्ष 1991–92

क्र. सं.	बिल संख्या व दिनांक	आइटम के नाम	नग	मूल्य
1.	1.7.91	कुशन गद्दी	03	270.00
2.	242 व 2871/15.4.91	ब्रीफ केस	03	660.00
3.	664/11.11.91	ब्रास नेम प्लेट्स	08	995.00
4.	225/12.4.91	दीवार घड़ी	03	285.00
5.	21360/21.12.91	जैन सेट	01	26184.00
6.	60/16.1.92	ताले	24 नग	672.00
7.	51/28.12.91	ताले	10	880.00

ह./–

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 405 की सूची

वर्ष 1990–91 व 1991–92 में जिन बैंकों को बिक्री कर की राशि जमा करने हेतु अधिकृत किया गया है उनकी सूची :—

1990–91

1. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सनवाद (उदयपुर)

1991–92

1. स्टेट बैंक आफ इंडिया, रानी जिला पाली ।

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 409 का विवरण

परिशिष्ट—1

रा. ग्रा. रो. का के अन्तर्गत 31-12-91 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने की स्थिति

क्र.सं नाम जिला	82-83	83-84	84-85	85-86	86-87	87-88	88-89
1. अजमेर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
2. अलवर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
3. बांसवाड़ा	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
4. बांरा	×	×	×	×	×	×	×
5. बाड़मेर	प्राप्त	–	–	–	–	–	–
6. भरतपुर	–	–	–	–	–	–	–
7. भीलवाड़ा	प्राप्त	–	प्राप्त	प्राप्त	–	प्राप्त	प्राप्त
8. बीकानेर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
9. बूंदी	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
10. चित्तौड़	–	–	–	–	–	–	प्राप्त
11. चूरू	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
12. दौसा	×	×	×	×	×	×	×
13. धौलपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
14. डूंगरपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	–	–	–	प्राप्त
15. गंगानगर	–	–	प्राप्त	प्राप्त	–	–	प्राप्त
16. जयपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
17. जैसलमेर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
18. जालौर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
19. झालावाड़	प्राप्त	–	प्राप्त	प्राप्त	–	प्राप्त	प्राप्त
20. झुन्झुनू	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
21. जोधपुर	–	–	–	–	–	–	प्राप्त
22. कोटा	–	–	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
23. नागौर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	पाली	–	–	प्राप्त	प्राप्त	–	–	प्राप्त
25.	राजसमन्द	×	×	×	×	×	×	×
26.	सवाईमाधोपुर	–	–	–	–	–	–	–
27.	सीकर	–	–	–	–	–	–	–
28.	सिरोही	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
29.	टौंक	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
30.	उदयपुर	–	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त

नोट — 1. बांरा, दौसा एवं राजसमन्द जिले 1.4.91 से नव-सृजित हुए हैं।

2. यह योजना दिनांक 1.4.89 से भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

परिशिष्ट–2

ग्रा. भू. रो. गा. का के अन्तर्गत 31.12.91 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र

क्र.सं.	नाम जिला	83–84	84–85	85–86	86–87	87–88	88–89
1.	अजमेर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
2.	अलवर	,,	,,	,,	,,	,,	,,
3.	बांसवाड़ा	,,	,,	,,	,,	,,	,,
4.	बांरा	×	×	×	×	×	×
5.	बाड़मेर	–	–	–	–	–	–
6.	भरतपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
7.	भीलवाड़ा	,,	,,	,,	,,	,,	,,
8.	बीकानेर	,,	,,	,,	,,	,,	,,
9.	बूंदी	,,	,,	,,	,,	,,	,,
10.	चित्तौड़	,,	,,	,,	,,	,,	,,
11.	चूरू	,,	,,	,,	,,	,,	,,
12.	दौसा	×	×	×	×	×	×

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	धौलपुर	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
14.	डूंगरपुर	,,	,,	–	–	–	–
15.	गंगानगर	×	×	प्राप्त	–	–	–
16.	जयपुर	प्राप्त	–	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
17.	जैसलमेर	प्राप्त	प्राप्त	,,	,,	,,	,,
18.	जालौर	,,	,,	,,	,,	,,	,,
19.	झालावाड़	,,	,,	,,	–	,,	,,
20.	झुन्झुनू	,,	,,	,,	प्राप्त	,,	,,
21.	जोधपुर	,,	,,	–	–	,,	,,
22.	कोटा	,,	,,	प्राप्त	प्राप्त	,,	,,
23.	नागौर	,,	,,	,,	,,	,,	,,
24.	पाली	,,	,,	,,	–	–	,,
25.	राजसमन्द	×	×	×	×	×	×
26.	सवाईमाधोपुर	–	–	–	–	–	–
27.	सीकर	प्राप्त	प्राप्त	–	–	–	–
28.	सिरोही	,,	,,	प्राप्त	–	–	प्राप्त
29.	टोंक	,,	,,	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	,,
30.	उदयपुर	,,	,,	,,	,,	,,	,,

नोट :— 1. बारां, दौसा एवं राजसमन्द जिले 1-4-91 से नव सृजित हुए हैं ।

2. यह योजना दिनांक 1-4-89 से भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा चुकी है ।

परिशिष्ट–3

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 31-12-91 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की स्थिति

क्रसं.	नाम जिला	1989-90	1990-91
1.	अलवर	प्राप्त	प्राप्त
2.	अजमेर	,,	,,
3.	बांसवाड़ा	,,	,,

क्र. सं.	नाम जिला	1989–90	1990–91
4.	बांरा	×	×
5.	बाड़मेर	प्राप्त	प्राप्त
6.	भरतपुर	"	"
7.	भीलवाड़ा	"	"
8.	बीकानेर	"	"
9.	बून्दी	"	"
10.	चित्तौड़	"	"
11.	चूरू	"	"
12.	दौसा	×	×
13.	धौलपुर	प्राप्त	प्राप्त
14.	डूंगरपुर	"	"
15.	गंगानगर	"	"
16.	जयपुर	–	"
17.	जैसलमेर	प्राप्त	"
18.	जालौर	"	"
19.	झालावाड़	"	"
20.	झुंझुनू	"	"
21.	जोधपुर	"	"
22.	कोटा	"	"
23.	नागौर	"	"
24.	पाली	"	"
25.	राजसमन्द	×	×
26.	स. माधोपुर	प्राप्त	प्राप्त
27.	सीकर	"	"
28.	सिरोही	"	"
29.	टौंक	"	"
30.	उदयपुर	"	"

नोट—बांरा, दौसा एवं राजसमन्द जिले 1.4.91 से नव सृजित हुए हैं।

परिशिष्ट—4

दिनांक 1-4-91 को विभिन्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला	(राशि रु. लाखों में)
1.	अजमेर	250.14
2.	अलवर	420.16
3.	बांसवाड़ा	40.35
4.	बांरा	–
5.	बाड़मेर	301.50
6.	भरतपुर	153.52
7.	भीलवाड़ा	1045.35
8.	बीकानेर	23.20
9.	बूंदी	184.58
10.	चित्तौडगढ	386.61
11.	चूरू	34.87
12.	दौसा	–
13.	धौलपुर	(–)8.23
14.	डूंगरपुर	883.53
15.	श्री गंगानगर	599.71
16.	जयपुर	566.70
17.	जैसलमेर	30.01
18.	जालौर	411.37
19-	झालावाड़	666.62
20.	झुन्झुनू	636.07
21-	जोधपुर	43.99
22-	कोटा	355.61
23.	नागौर	-53.11

1	2	3
24.	पाली	1923-59
25.	राजसमन्द	--
26.	सवाई माधोपुर	101.02
27.	सीकर	200.85
28.	सिरोही	698.52
29.	टौंक	310.08
30-	उदयपुर	275.86
	योग :–	10482.47

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 410 की सूची

परिशिष्ट "अ"

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 1991–92 में पंचायत समिति सुजानगढ़ में लाभान्वित परिवारों का कार्य की स्थिति व किये गये भुगतान तथा शेष भुगतान का व्यक्तिवार विवरण

क्र. सं.	नाम लाभार्थी मय पति के नाम व जाति	ग्राम का नाम	स्वीकृत राशि	किया गया भुगतान	शेष भुगतान	कार्य की स्थिति
1.	मघली/गुलाराम मेघवाल	गोपालपुरा	11200	8000	3200	अपूर्ण
2.	खींवणी/पूराराम मेघवाल	,,	11200	8000	3200	अपूर्ण
3.	फूलां/श्रवणराम बावरी	,,	11200	8000	3200	अपूर्ण
4.	बीड़दी/मोहनराम मेघवाल	,,	11200	8000	3200	अपूर्ण
5.	तुलछा/बोधूराम मेघवाल	,,	11200	8000	3200	अपूर्ण
6.	रामी/खींवाराम मेघवाल	,,	11200	8000	3200	अपूर्ण
7.	चन्द्री/नत्थूराम मेघवाल	,,	11200	8000	3200	अपूर्ण
8.	रूखी/रामेश्वरलाल मेघवाल	,,	11200	8000	3200	अपूर्ण
9.	किस्तुरी/रेखाराम मेघवाल	,,	11200	8000	3200	अपूर्ण
10.	मोहनी/पुरखाराम मेघवाल	,,	11200	8000	3200	अपूर्ण
11.	सोहनी/जगदीश डूम मेघवाल	,,	11200	8000	3200	अपूर्ण

250